समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024

धाराओं का क्रम

धाराएं — पृष्ठ

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार 1
2. अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता 1
3. परिभाषाएं 1

भाग – 1
विवाह और विवाह–विच्छेद
अध्याय – 1
विवाह अनुष्ठापन/अनुबंधन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं

4. विवाह हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं 6
5. विवाह के अनुष्ठान 6

अध्याय – 2
विवाह और विवाह–विच्छेद का पंजीकरण

6. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण 7
7. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का पंजीकरण 7
8. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह–विच्छेद या अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण 8
9. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण 8
10. धारा 6 एवं धारा 7 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की अवधि एवं प्रक्रिया 9
11. धारा 8 और धारा 9 के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के न्यायिक आदेश के पंजीकरण की अवधि और प्रक्रिया 10
12. महानिबंधक, निबंधक और उप–निबंधक की नियुक्ति 11

13. धारा 10 अथवा धारा 11 के अंतर्गत ज्ञापन प्राप्त होने पर कार्यवाही 11
14. पंजीकरण की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील 12
15. जनसाधारण के निरीक्षण हेतु पंजिकाओं का उपलब्ध होना 13
16. अभिलेखों का साक्ष्यिक मूल्य 13
17. उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति 13
18. पंजीकरण न होने की स्थिति में प्रक्रिया 14
19. उप–निबंधक की निष्क्रियता के लिए दण्ड 14
20. पंजीकरण न कराने से विवाह अविधिमान्य नहीं होगा 14

अध्याय 3
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण

21. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन 15
22. न्यायिक पृथक्करण 15

अध्याय 4
विवाह और विवाह–विच्छेद की अकृतता

23. शून्य विवाह 16
24. शून्यकरणीय विवाह 16
25. विवाह–विच्छेद 17
26. विवाह–विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुतोष 19
27. पारस्परिक सम्मति से विवाह–विच्छेद 19
28. विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह–विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध 20
29. विवाह–विच्छेद पर प्रतिबंध 20
30. किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह करने का अधिकार जहां विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता का न्यायिक आदेश पारित किया गया हो 21
31. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की धर्मजता 21
32. कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड 21

अध्याय 5
आनुषंगिक कार्यवाही

33. याचिका लंबित रहते भरण–पोषण और कार्यवाहियों के व्यय 22
34. स्थायी निर्वाहिका एवं भरण–पोषण 22
35. बच्चों की अभिरक्षा 23
36. संपदा का व्ययन 23

अध्याय 6
अधिकारिता क्षेत्र और प्रक्रिया

37. न्यायालय जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी 24
38. इस भाग के अंतर्गत अभिवचन 24
39. इस भाग के अंतर्गत न्यायालय में कार्यवाही की प्रक्रिया 24
40. कुछ मामलों में याचिकाएँ अंतरित करने की शक्ति 25
41. इस भाग के अन्तर्गत याचिकाओं के विचारण और निस्तारण से संबंधित विशेष प्रावधान 25
42. अभिलेखीय साक्ष्य 26
43. कार्यवाहियों में न्यायिक आदेश 26
44. विवाह–विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष 27
45. दण्डित करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया 27

अध्याय – 7
पूरक प्रावधान

46. न्यायिक व अन्य आदेशों की अपीलें 28
47. न्यायिक व अन्य आदेशों का प्रवर्तन 28
48. नियम बनाने की शक्ति 28

भाग – 2
उत्तराधिकार

अध्याय – 1
इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार
वरीयताक्रम तथा अंशों का वितरण

49. उत्तराधिकार के सामान्य नियम 30
50. उत्तराधिकार का तरीका 31
51. श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण 31
52. श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण 31
53. निकटतम डिग्री के अन्य नातेदारों के मध्य संपदा का वितरण 32

सामान्य प्रावधान

54. डिग्रियों की गणना 32
55. गर्भस्थ बच्चे का अधिकार 32
56. समसामयिक मृत्युयों के विषयों में उपधारणा 33

निरर्हतायें

57. पुनर्विवाह पर निरर्हता 33

58.	हत्यारा निरर्हित	33
59.	उत्तराधिकारी, जबकि उत्तराधिकारी निरर्हित हो	33
60.	रोग, शारीरिक/मानसिक दोश या विकृति से निरर्हता न होना	33

अध्याय – 2

इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

इच्छापत्र और क्रोडपत्र

61.	इच्छापत्र करने के लिए सक्षम व्यक्ति	34
62.	कपट, प्रपीड़न या अतियाचना द्वारा अभिप्राप्त इच्छापत्र	34
63.	इच्छापत्र प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकती है	36

इच्छापत्रों का निष्पादन

64.	इच्छापत्रों का निष्पादन	36
65.	संदर्भ द्वारा अभिलेखों का सम्मिलित किया जाना	39
66.	हित के कारण या निष्पादक होने के कारण साक्षी का निरर्हित न होना	39
67.	इच्छापत्र या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण	39
68.	विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र में मिटाने, अंतरालेखन या परिवर्तन का प्रभाव	40
69.	विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र का पुनः प्रवर्तन	40

इच्छापत्रों का अर्थान्वयन

70.	इच्छापत्र के शब्द	41
71.	इच्छापत्र को पाने वाले या उसकी विषयवस्तु से संबंधित किसी प्रश्न को अवधारित करने के लिए जांच	41
72.	पाने वाले का मिथ्या नाम या मिथ्या वर्णन	41
73.	शब्दों की पूर्ति कब की जाएगी	43
74.	विषयवस्तु के वर्णन में गलत वर्णन का अस्वीकार किया जाना	43
75.	वर्णन का भाग कब अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह गलत है	43
76.	प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता के मामलों में बाहरी साक्ष्य की ग्राह्यता	44
77.	प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता या कमी से मामलों में बाहरी साक्ष्य की अग्राह्यता	44
78.	खंड का अर्थ सम्पूर्ण इच्छापत्र से निकाला जाना	45
79.	शब्दों को कब सीमित अर्थों में और कब प्रायिक से विस्तृत अर्थों में समझा जाएगा	45
80.	दो सम्भाव्य अर्थान्वयन में से किसे अधिमान दिया जाएगा	46
81.	यदि युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जा सके तो किसी भाग को अस्वीकृत न किया जाना	46

82.	इच्छापत्र के विभिन्न भागों में पुनः प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन	46
83.	जहां तक संभव हो इच्छापत्रकर्ता के आशय को प्रभावी बनाया जाना	47
84.	दो असंगत खंडों में से अंतिम का अभिभावी होना	47
85.	अनिश्चितता के कारण इच्छापत्र या इच्छापत्र का शून्य होना	44
86.	वस्तुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर, वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करना	47
87.	साधारण उत्तरदान द्वारा निष्पादित नियोजन की शक्ति	48
88.	नियोजन के अभाव में शक्तियों के उद्देश्यों के लिए विवक्षित दान	48
89.	किसी व्यक्ति के "उत्तराधिकारियों" आदि को, विशेषित करने वाले शब्द के बिना उत्तरदान	48
90.	विशिष्ट व्यक्ति के "प्रतिनिधियों" आदि को उत्तरदान	49
91.	परिसीमा संबंधी शब्दों के बिना उत्तरदान	50
92.	विकल्प में उत्तरदान	50
93.	किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदान में किसी वर्ग का वर्णन करने वाले शब्दों को जोड़ने का प्रभाव	51
94.	केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को उत्तरदान	52
95.	पदों का अर्थान्वयन	52
96.	जहां इच्छापत्र में एक ही व्यक्ति को दो उत्तरदान करने का तात्पर्य हो वहां अर्थान्वयन के सिद्धांत	52
97.	अवशिष्टीय इच्छापत्रदार का गठन	54
98.	संपदा, जिसके लिए अवशिष्टीय इच्छापत्रदार अधिकारी है	55
99.	साधारण निबन्धनों वाली इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने का समय	55
100.	इच्छापत्रीय संपदा किन मामलों में व्यपगत होती है	56
101.	इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत नहीं होती यदि दो संयुक्त इच्छापत्रदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है	57
102.	विशिष्ट अंश देने की इच्छापत्रकर्ता के आशय को दर्शित करने वाले शब्दों का प्रभाव	57
103.	व्यपगत अंश कब अव्ययनित समझा जाएगा	57
104.	इच्छापत्रकर्ता की संतान या रैखिक वंशज के लिए उत्तरदान इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर कब व्यपगत नहीं होती है	57
105.	ख के लाभ के लिए क का उत्तरदान क की मृत्यु से व्यपगत नहीं होता	58
106.	वर्णित वर्ग के लिए उत्तरदान के मामले में उत्तरजीविता	58

शून्य उत्तरदान

107. किसी विशिष्ट वर्णन वाले किसी व्यक्ति को, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, उत्तरदान 60

108. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर अविद्यमान व्यक्ति को पूर्वोक्त उत्तरदान के अध्यधीन उत्तरदान 61

109. शाश्वतता के विरुद्ध नियम 62

110. उस वर्ग को उत्तरदान जिनमें से कुछ धारा 108 और 109 के अन्दर आते हैं 64

111. उत्तरदान का किसी पूर्विक उत्तरदान की निष्फलता पर प्रभावी होना 64

112. संचयन के लिए निर्देश का प्रभाव 65

इच्छापत्रीय संपदा का निहित होना

113. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने की तिथि जब संदाय या आधिपत्य रोक दिया गया हो 66

114. निहित होने की तिथि जब इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर समाश्रित हो 67

115. किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का उत्तरदान में हित निहित होना, जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे 69

दुर्भर उत्तरदान

116. दुर्भर उत्तरदान 70

117. एक ही व्यक्ति को दो पृथक् और स्वतंत्र उत्तरदानों में से एक स्वीकार तथा दूसरी अस्वीकार की जा सकती है 70

समाश्रित उत्तरदान

118. उत्तरदान जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर, जिसके घटित होने के लिए समय वर्णित नहीं है, समाश्रित है 71

119. कुछ व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदान जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हैं 71

सशर्त उत्तरदान

120. असंभव शर्त पर उत्तरदान 72

121. अवैध या अनैतिक शर्त पर उत्तरदान 73

122. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने के तिथि के पूर्व की शर्त की पूर्ति 73

123. ख को किये गये पूर्व उत्तरदान के निष्फल हो जाने पर क को उत्तरदान 74

124. प्रथम उत्तरदान की निष्फलता पर द्वितीय उत्तरदान का कब प्रभावी न होना 75

125. परवर्ती उत्तरदान का विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर आश्रित होना 75
126. शर्तों का कड़ाई से पूरा किया जाना 76
127. मूल उत्तरदान का द्वितीय उत्तरदान की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना 77
128. इस शर्त के साथ उत्तरदान कि यह विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी नहीं रहेगी 77
129. ऐसी शर्त धारा 114 के अधीन अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए 78
130. इच्छापत्रदार द्वारा उस कार्य को, जिसके लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और जिसके न किए जाने पर विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी, असंभव बनाने या अनिश्चित काल तक रोकने का परिणाम 78
131. पुरोभाव्य या उत्तरभाव्य शर्त का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना। कपट के मामले में अतिरिक्त समय 79

लागू होने या उपभोग के बारे में निर्देश के साथ उत्तरदान

132. किसी व्यक्ति को या उसके लाभ के लिए निधि की आत्यंतिक उत्तरदान के बाद यह निर्देश कि निधि का उपयोजन विशिष्ट रीति से किया जाए 79
133. यह निर्देश कि आत्यन्तिक उत्तरदान के उपभोग की रीति, इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जानी है 80
134. निधि का कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिनमें से कुछ को पूरा नहीं किया जा सकता है, उत्तरदान 80

किसी निष्पादक को उत्तरदान

135. निष्पादक के रूप में नामित इच्छापत्रदार जब तक निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय दर्शित न करे, वह इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त नहीं कर सकता है 81

विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा

136. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा 81
137. कतिपय धनराशि का उत्तरदान, जहां वह स्टाक आदि, जिसमें उसका विनिधान किया गया है वर्णित है 84
138. स्टाक का उत्तरदान, जहां इच्छापत्रकर्ता के पास इच्छापत्र की तिथि को उसी प्रकार के स्टाक की समान या अधिक मात्रा है 84
139. धन का उत्तरदान, जहां वह, जब तक इच्छापत्रकर्ता की संपदा का भाग कतिपय रीति से व्ययन न किया जाए, संदेय नहीं है 85
140. कब प्रगणित वस्तुओं का विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया नहीं माना जाता है 85

141. विभिन्न व्यक्तियों को क्रमबार विनिर्दिष्ट उत्तरदान का उसी रूप में प्रतिधारण 85
142. दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार उत्तरदान की गई संपदा का विक्रय और आगमों का विनिधान 86
143. जहां इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए आस्तियों में कमी है वहां विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा का साधारण इच्छापत्रीय संपदा के साथ उपशमन न होना 86

निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा

144. निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा 86
145. संदाय का आदेश जहां इच्छापत्रीय संपदा का संदाय ऐसी निधि से किए जाने का निर्देश हो, जो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की विषय वस्तु हो 87

इच्छापत्रीय संपदा का विखण्डन

146. विखंडन का स्पष्टीकरण 88
147. निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा का विखंडित न होना 89
148. तृतीय पक्षकार से कुछ प्राप्त करने के अधिकार की विनिर्दिष्ट उत्तरदान का विखंडन 89
149. विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई संपूर्ण वस्तु के भाग की इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन 90
150. ऐसी संपूर्ण निधि के भाग की, जिसका भाग विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है, इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन 90
151. संदाय का क्रम, जहां निधि का भाग एक इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है और उसी निधि पर भारित इच्छापत्रीय संपदा अन्य व्यक्ति को उत्तरदान किया गया है और इच्छापत्रकर्ता ने उस निधि का एक भाग प्राप्त किया है और अब शेष दोनों इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है 90
152. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है, वहां विखंडन 91
153. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय, केवल भागतः विद्यमान रहता है, वहां उस सीमा तक विखंडन 92
154. ऐसे माल का, जिसका वर्णन किसी स्थान से उसे संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट उत्तरदान का माल हटाए जाने के कारण विखंडित न होना 92

155. उत्तरदान की गई वस्तु का हटाया जाना कब विखंडित नहीं होता है 92
156. जहां उत्तरदान की गई वस्तु इच्छापत्रकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तु है और इच्छापत्रकर्ता स्वयं या उसका प्रतिनिधि उसे प्राप्त करता है 93
157. विनिर्दिष्ट उत्तरदान की विषयवस्तु में, इच्छापत्र की तिथि और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के बीच, विधि के प्रवर्तन द्वारा परिवर्तन 93
158. इच्छापत्रकर्ता की जानकारी के बिना विषयवस्तु में परिवर्तन 94
159. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया जाना कि उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा 94
160. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किए गए स्टाक को विक्रय करके उसका प्रतिस्थापन होना और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर उसका इच्छापत्रकर्ता के स्वामित्व में होना 94

किसी उत्तरदान की विषय–वस्तु संबंधी दायित्वों का संदाय

161. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदारों को विमुक्त करने का निष्पादक का दायित्व न होना 95
162. उत्तरदान की गई वस्तु के लिए इच्छापत्रकर्ता के अधिकार को पूरा करना उसकी संपदा के खर्च पर होगा 96
163. इच्छापत्रदार की स्थावर संपदा की विमुक्ति, जिसके लिए भू–राजस्व या भाटक कालिक रूप से संदेय है 96
164. संयुक्त स्टाक कम्पनी में विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदार के स्टाक की विमुक्ति 96

साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान

165. साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान 98

निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान

166. निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान 98

वार्षिकी का उत्तरदान

167. जब तक इच्छापत्र से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इच्छापत्र द्वारा सृजित वार्षिकी केवल जीवन पर्यन्त संदेय होगी 99
168. जहां इच्छापत्र में यह निर्देष दिया गया हो कि वार्षिकी संपदा के आगमों में से या साधारणतः संपदा में से दी जानी चाहिए या जहां उत्तरदान किए गए धन का विनिधान वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है, वहां विनिधान की अवधि 99
169. वार्षिकी का उपशमन 100
170. जहां वार्षिकी का दान और अवशिष्ट दान हो, वहां सम्पूर्ण वार्षिकी का पहले चुकाया जाना 100

लेनदारों और हिस्सा पाने वालों की इच्छापत्रीय संपदा

171. लेनदार, प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा, तथा ऋण, दोनों के लिए अधिकारी है 100

172. संतान प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा तथा हिस्सा, दोनों के लिए अधिकारी है 100

173. इच्छापत्रदार के लिए पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा विखंडन न होना 101

चयन

174. किन परिस्थितियों में चयन होता है 101

175. स्वामी द्वारा त्यागे गए हित का न्यागमन 101

176. इच्छापत्रकर्ता के स्वामित्व के संबंध में उसका विश्वास तत्त्वहीन है 102

177. व्यक्ति के लाभ के लिए उत्तरदान, चयन के प्रयोजन के लिए कैसे माना जाए 102

178. अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पाने वाले व्यक्ति को चयन नहीं करना है 103

179. इच्छापत्र के अधीन व्यक्तिगत सामर्थ्य में लेने वाला व्यक्ति दूसरे सामर्थ्य में उसके विपरीत लेने का चयन कर सकेगा 103

180. अंतिम छह धाराओं के उपबन्धों का अपवाद 104

181. इच्छापत्र द्वारा दिए गए लाभ का प्रतिग्रहण कब इच्छापत्र के अधीन लेने के चयन को गठित करता है 104

182. वे परिस्थितियां जिनमें ज्ञान या अधित्यजन उपधारित या अनुमित किया जाता है 105

183. इच्छापत्रकर्ता के प्रतिनिधि इच्छापत्रदार से चयन करने के लिए कब कह सकेंगे 105

184. निर्योग्यता की दशा में चयन को स्थगित रखना 106

मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान

185. मृत्यु को आसन्न मानकर दान द्वारा अन्तरणीय संपदा 106

अध्याय — 3

मृतक की संपदा का संरक्षण

186. मृतक की संपदा के लिए उत्तराधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति सदोष आधिपत्य के विपरीत अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा 108

187. न्यायाधीश द्वारा की गई जांच 108

188. प्रक्रिया 108

189. कार्यवाहियों के अवधारण के लंवित रहने के दौरान रक्षक की नियुक्ति 109

190. रक्षक को प्रदान की जा सकने वाली शक्तियां 109
191. रक्षक द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग का प्रतिषेध 109
192. रक्षक प्रतिभूति देगा और पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा 110
193. कलेक्टर की रिपोर्ट जहां संपदा में राजस्व संवत्त करने वाली भूमि सम्मिलित है 110
194. वादों को संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना 111
195. रक्षक द्वारा अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान दृश्यमान स्वामियों को भत्ते 111
196. रक्षक द्वारा लेखा पत्रावलित किया जाना 111
197. लेखाओं का निरीक्षण और दोहरी प्रति रखने का हितबद्ध पक्षकार का अधिकार 111
198. एक ही संपदा के लिए दूसरे रक्षक की नियुक्ति पर बंधन 111
199. रक्षक के लिए आवेदन करने की समय–सीमा 112
200. मृतक द्वारा लोक व्यवस्थापन या विधिक निर्देष के विपरीत इस भाग के प्रवर्तन का वर्जनी 112
201. वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति 112
202. संक्षिप्त कार्यवाही के विनिश्चय का प्रभाव 112
203. लोक रक्षकों की नियुक्ति 112

अध्याय – 4

उत्तराधिकार पर मृतक की संपदा के लिए प्रतिनिधि का अधिकार

204. निष्पादक या प्रशासक की, उस रूप में, प्रकृति और संपदा 114
205. न्यायालय के माध्यम से मृत व्यक्तियों के ऋणियों से ऋणों की उगाही के लिए प्रतिनिधि के अधिकार के सबूत का पुरोभाव्य शर्त होनी। 114
206. पश्चात्वर्ती प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभावी 114
207. केवल प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के प्राप्तकर्ता द्वारा, जब तक उसे प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, वाद आदि लाया जाना 115

अध्याय – 5

प्रोबेट, प्रशासन–पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन

208. इस अध्याय का लागू होना 116

प्रोबेट और प्रशासन–पत्र का अनुदान

209. प्रशासन किसे अनुदत्त किया जाएगा 116
210. प्रशासन–पत्र का प्रभाव 116
211. प्रशासन–पत्र द्वारा कृत्यों को वैध न किया जाना 116

212. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक के लिए ही 117
213. वे व्यक्ति जिन्हें प्रोबेट अनुदत्त नहीं किए जा सकते हैं 117
214. विभिन्न निष्पादकों को साथ–साथ या विभिन्न समय पर प्रोबेट का अनुदान 117
215. प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् क्रोडपत्र के पृथक् प्रोबेट का पता लगना 117
216. उत्तरजीवी निष्पादक के प्रतिनिधित्व का प्रोद्भूत होना 118
217. प्रोबेट का प्रभाव 118
218. राज्य के बाहर सिद्ध इच्छापत्रों की अधिप्रमाणित प्रति की प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन 118
219. जहां निष्पादक ने पद त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन का अनुदान 118
220. निष्पादकत्व के त्याग का प्रपत्र और प्रभाव 118
221. जहां निष्पादक त्याग करता है या समय के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया 118
222. सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार को प्रशासन का अनुदान 119
223. मृतक अवशिष्ट इच्छापत्रदार के प्रतिनिधि का प्रशासन के लिए अधिकार 119
224. जहां निष्पादक, अवशिष्ट इच्छापत्रदार या ऐसे इच्छापत्रदार का प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रशासन का अनुदान 119
225. सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार से भिन्न इच्छापत्रदारों को प्रशासन–पत्र के अनुदान के पूर्व उपस्थिति पत्र 119
226. किन्हें प्रशासन–पत्र अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा 120
227. नियमों का राज्य विधान 120

सीमित अनुदान

समय सीमा वाले अनुदान

228. खो गए इच्छापत्र की प्रति या प्रारूप का प्रोबेट 120
229. खो गए या विनष्ट इच्छापत्र की अंतर्वस्तुओं का प्रोबेट 120
230. जहां मूल विद्यमान है वहां उसकी प्रति का प्रोबेट 120
231. इच्छापत्र के प्रस्तुत किए जाने तक प्रशासन 121

अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों के उपयोग और लाभ के लिए अनुदान

232. अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी को इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन 121
233. ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के जो यदि उपस्थित होता तो प्रशासन के लिए अधिकारी होता, अटर्नी को इच्छापत्र उपाबद्ध करते हुए प्रशासन 121

234. इच्छापत्र रहितता के मामले में प्रशासन के लिए अधिकारी अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी को प्रशासन 121
235. एकमात्र निष्पादक या अवशिष्ट इच्छापत्रदार की अवयस्कता के दौरान प्रशासन 121
236. विभिन्न निष्पादकों या अवशिष्ट इच्छापत्रदारों की अवयस्कता के दौरान प्रशासन 122
237. पागल या अवयस्क के उपयोग और लाभ के लिए प्रशासन 122
238. वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रशासन के अधीन होगा और उसके निर्देश के अधीन कार्य करेगा। 122

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान

239. इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित प्रोबेट 122
240. विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित प्रशासन, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए 122
241. संपदा तक सीमित प्रशासन जिसमें व्यक्ति लाभप्रद हित रखता है 123
242. वाद तक सीमित प्रशासन 123
243. प्रशासक के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में पक्षकार बनने के प्रयोजन तक सीमित प्रशासन 123
244. मृत व्यक्ति की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक सीमित प्रशासन 123
245. उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की प्रशासक के रूप में नियुक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के लिए अधिकारी है 124

अपवाद सहित अनुदान

246. अपवाद के अधीन रहते हुए, प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र 124
247. अपवाद सहित प्रशासन 124

अवशेष के अनुदान

248. अवशिष्ट का प्रोबेट या प्रशासन 124

अप्रशासित भंडार का अनुदान

249. अप्रशासित भंडार का अनुदान 125
250. अप्रशासित भंडार के अनुदान के बारे में नियम 125
251. प्रशासन जहां सीमित अनुदान का पर्यवसान हो गया हो फिर भी संपदा का कुछ भाग अप्रशासित हो 125

अनुदानों का परिवर्तन और प्रतिसंहरण

252. कौन सी गलतियां न्यायालय द्वारा सुधारी जा सकेंगी 125
253. इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन का अनुदान करने के पश्चात् क्रोडपत्र का पता चलने पर प्रक्रिया 125

254. न्यायोचित कारण से प्रतिसंहरण या अकृतकरण 125

प्रोबेटों और प्रशासन–पत्रों के अनुदान और प्रतिसंहरण की पद्धति

255. प्रोबेटों आदि के अनुदान और प्रतिसंहरण में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता 127

256. अप्रतिविरोधात्मक मामलों में कार्यवाही करने के लिए जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजिती की नियुक्ति करने की शक्ति 127

257. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के बारे में जिला न्यायाधीश की शक्तियां 127

258. जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को इच्छापत्रीय अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा 127

259. प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां 128

260. संपदा के संरक्षण के लिए जिला न्यायाधीश कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकता है 128

261. जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा 128

262. उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृत्तक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निस्तारण 128

263. प्रोबेट और प्रशासन–पत्र प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है 129

264. प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का निश्चायक होना 129

265. धारा 264 के परन्तुक के अधीन अनुदानों के प्रमाणपत्र का उच्च न्यायालय को पारेषण 129

266. प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए आवेदन का, यदि उन्हें समुचित रूप से लिखा और सत्यापित किया गया है निश्चायक होना 130

267. प्रोबेट के लिए याचिका 130

268. किन मामलों में इच्छापत्र का अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा। न्यायालय के अनुवादक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुवाद का सत्यापन 131

269. प्रशासन–पत्र के लिए याचिका 131

270. कतिपय मामलों में प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिका, आदि में कथनों में वृद्धि 132

271. प्रोबेट आदि के लिए याचिका पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन 133

272. प्रोबेट के लिए याचिका को इच्छापत्र के एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना 133

273. याचिका या घोषणा में मिथ्या प्रकथन के लिए दंड 133
274. जिलान्यायाधीश की शक्तिय 133
275. प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट 134
276. केवियट की प्रविष्टि के पश्चात् याचिका पर किसी कार्यवाही का तब तक न किया जाना जब तक केवियटकर्ता को सूचना न दे दी जाए 134
277. जिला प्रतिनिधि कब प्रोबेट या प्रशासन का अनुदान नहीं करेगा 135
278. संदेहास्पद मामलों में जहां कहीं प्रतिविरोध नहीं है जिला न्यायाधीश को कथन पारेषित करने की शक्ति 135
279. जहां प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि यह सोचता है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र देना उसके न्यायालय में अस्वीकार किया जाना चाहिए वहां प्रक्रिया 135
280. प्रोबेट के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना 135
281. प्रशासन–पत्रों के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना 136
282. प्रशासन बन्धपत्र 136
283. प्रशासन बन्धपत्र का समनुदेशन 136
284. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के लिए समय 136
285. मूल इच्छापत्रों को, जिनके प्रोबेट या प्रशासन–पत्र इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, अनुदत्त किए गए हों, पत्रावलित करना 136
286. प्रतिविरोध के मामले में प्रक्रिया 137
287. प्रतिसंहृत प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अभ्यर्पण 137
288. प्रोबेट या प्रशासन के प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व निष्पादक या प्रशासक को संदाय 137
289. प्रशासन–पत्र को अस्वीकार करने की शक्ति 137
290. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपीलें 138
291. निष्पादक या प्रशासक का हटाया जाना और उत्तराधिकारी के लिए उपबंध 138
292. निष्पादक या प्रशासक को निर्देश 138

स्वयं के दोष से निष्पादक

293. स्वयं के दोष से निष्पादक 138
294. स्वयं के दोष से निष्पादक का दायित्व 139

निष्पादक या प्रशासक की शक्तियां

295. मृतक की मृत्यु से समाप्त न हुए वाद हेतुकों और मृत्यु पर देय ऋणों के संबंध में 139

296. मृतक की या उसके विरुद्ध मांगें और कार्यवाही करने के अधिकारों का निष्पादक या प्रशासक के पक्ष में या उसके विरुद्ध समाप्त न होना 139
297. सम्पत्ति के व्ययन के लिए निष्पादक या प्रशासक की शक्ति 140
298. प्रशासन की साधारण शक्तियां – कोई निष्पादक या प्रशासक 141
299. मृतक की संपदा का निष्पादक या प्रशासक द्वारा क्रय किया जाना 141
300. कई निष्पादकों या प्रशासकों की शक्तियों का उनमें से एक द्वारा प्रयोग 142
301. कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक की मृत्यु पर शक्तियों का समाप्त न होना 142
302. अप्रशासित भंडार के प्रशासन की शक्ति 142
303. अवयस्कता के दौरान प्रशासन की शक्तियां 142
304. विवाहित निष्पादिका या प्रशासिका की शक्तियां 142

निष्पादक या प्रशासक के कर्तव्य

305. मृतक की अन्त्येष्टि के संबंध में 142
306. भंडार सूची और लेखा 143
307. भंडार सूची में कतिपय मामलों में भारत के किसी भी भाग की संपदा का सम्मिलित किया जाना 143
308. मृतक की संपदा और उसे देय ऋण के संबंध में 144
309. व्ययों का सभी ऋणों के पूर्व संदाय किया जाना 144
310. ऐसे व्ययों के पश्चात् दूसरे व्ययों का संदाय किया जाना 144
311. उसके बाद कतिपय सेवाओं के लिए मजदूरियों का और तत्पश्चात् अन्य ऋणों का संदाय 144
312. पूर्वोक्त के सिवाय सभी ऋणों का समान रूप से और आनुपातिक रूप से संदाय किया जाना 144
313. जहां अधिवास भारत में न हो वहां ऋण के संदाय के लिए जंगम संपदा का उपयोग 144
314. इच्छापत्रीय संपदाओं के पूर्व ऋणों का संदाय किया जाना 145
315. निष्पादक या प्रशासक का प्रतिपूर्ति के बिना, इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए बाध्य न होना 145
316. साधारण इच्छापत्रीय संपदा ओं में कमी 145
317. जब आस्तियां ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त हों तब विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में कमी न होना 145
318. जब आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं तब निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा के अधीन अधिकार 146
319. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में आनुपातिक कमी किया जाना 146

320. वे इच्छापत्रीय संपदाएं जो कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण इच्छापत्रीय संपदाएं मानी जाती हैं 146

निष्पादक या प्रशासक द्वारा इच्छापत्रीय संपदा के लिए अनुमति

321. इच्छापत्रदार के अधिकार को पूर्ण करने के लिए अनुमति का आवश्यक होना 146
322. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति का प्रभाव 147
323. सशर्त अनुमति 147
324. अपनी स्वयं की इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति 148
325. निष्पादक की अनुमति का प्रभाव 148
326. निष्पादक इच्छापत्रीय संपदा का परिदान कब करेगा 149

वार्षिकियों का संदाय और प्रभाजन

327. वार्षिकी का प्रारंभ, जब इच्छापत्र में कोई समय नियत न हो 149
328. त्रैमासिक या मासिक संदाय वाली वार्षिकी प्रथम बार कब शोध्य होती है 149
329. आसनुक्रमिक संदायों की तिथियां जब प्रथम संदाय दिए गए समय के भीतर या निश्चित दिन करने का निर्देश हो, संदाय की तिथि से पूर्व वार्षिकीदार की मृत्यु 150

इच्छापत्रीय संपदाओं का उपबंध करने के लिए निधियों का विनिधान

330. जहां इच्छापत्रीय संपदा , जो विनिर्दिष्ट नहीं है, जीवन पर्यन्त के लिए दी गई है, वहां उत्तरदान की गई धनराशि का विनिधान 150
331. भविष्य में संदेय, साधारण इच्छापत्रीय संपदा का विनिधान, मध्यवर्ती ब्याज का व्ययन 150
332. जहां कोई निधि वार्षिकी से भारित या उसके लिए विनियोजित नहीं की गई है वहां प्रक्रिया 150
333. समाश्रित इच्छापत्र का अवशिष्ट इच्छापत्रदार को अन्तरण 151
334. किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देश के बिना जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान 151
335. किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देश के सहित जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान 151
337. ऐसे मामले में प्रक्रिया जहां अवयस्क उत्तरदान के तुरन्त संदाय या आधिपत्य का अधिकारी है और उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदाय किए जाने का निर्देश नहीं है 151

इच्छापत्रीय संपदाओं के उत्पाद और ब्याज

338. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के उत्पाद के लिए इच्छापत्रदार का अधिकार 152

339. अवशिष्ट इच्छापत्रदार का अवशिष्ट निधि के उत्पाद पर अधिकार 153
340. ब्याज, जब साधारण इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं है 153
341. ब्याज जब समय नियत है 154
342. ब्याज की दर 154
343. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम वर्ष के भीतर वार्षिकी पर कोई ब्याज न होना 154
344. वार्षिकी का सृजन करने के लिए विनिहित धनराशि पर ब्याज 154

इच्छापत्रीय संपदाओं के प्रतिदाय

345. न्यायालय के आदेशों के अधीन संदत्त इच्छापत्रीय संपदा का प्रतिदाय 154
346. यदि संदाय स्वैच्छिक है तो प्रतिदाय नहीं होगा 154
347. उस समय प्रतिदाय जब इच्छापत्रीय संपदा धारा 131 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर शर्त का अनुपालन करने पर देय हो गई है 155
348. प्रत्येक इच्छापत्रदार को कब अनुपात में प्रतिदाय करने के लिए विवश किया जा सकेगा 155
349. आस्तियों का वितरण 155
350. लेनदार इच्छापत्रदार से प्रतिदाय की मांग कर सकेगा 155
351. ऐसा इच्छापत्रदार, जिसकी तुष्टि नहीं हुई है या जिसे धारा 350 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, उस इच्छापत्रदार को, जिसे पूर्ण संदाय किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए कब बाध्य नहीं कर सकता है 155
352. अतुष्ट इच्छापत्रदार को निष्पादक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कब कार्यवाही करनी चाहिए 156
353. एक इच्छापत्रदार की दूसरे इच्छापत्रदार को प्रतिदाय करने की सीमा 156
354. प्रतिदाय पर ब्याज का न होना 156
355. अवशेष का प्रायिक संदायों के पश्चात् अवशिष्ट इच्छापत्रदार को संदत्त किया जाना 157
356. अधिवास के देश के निष्पादक या प्रशासक को भारत से आस्तियों का वितरण के लिए अंतरण 157

विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व

357. विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व 157
358. संपदा का कोई भाग लेने में उपेक्षा के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व 158

अध्याय — 6
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

359. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय 159
360. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 159
361. आवेदन पर प्रक्रिया 160
362. प्रमाणपत्र की विषयवस्तु 160
363. प्रमाणपत्र के प्राप्तिकर्ता से प्रतिभूति की अध्यपेक्षा 161
364. प्रमाणपत्र का विस्तार 161
365. प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र का प्रपत्र 162
366. प्रतिभूतियों के बारे में शक्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र का संशोधन 162
367. प्रमाणपत्रों पर न्यायालय के षुल्क का संग्रहण करने का ढंग 162
368. प्रमाणपत्र का स्थानीय विस्तार 162
369. प्रमाणपत्र का प्रभाव 162
370. प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण 163
371. अपीलें 163
372. पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव 164
373. अविधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक को सद्भाव से किए गए कतिपय संदायों का विधिमान्यकरण 164
374. इस अध्याय के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व 164
375. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालयों की अधिकारिता अवर न्यायालय को प्रदान करना 164
376. अधिक्रांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण 165

अध्याय — 7
प्रकीर्ण

377. व्यावृत्ति 167

भाग—3
सहवासी संबंध

378. सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण 168
379. सहवासी संबंध से जनित बच्चे 168
380. सहवासी संबंध का पंजीकरण न किया जाना 168
381. सहवासी संबंध के पंजीकरण की प्रक्रिया 169
382. इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण मात्र अभिलेख हेतु 169

383. इस भाग के अन्तर्गत निबंधक को अधिकारयुक्त करना, और पंजिकाओं का रखरखाव 169
384. सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना 170
385. निबंधक के कर्तव्य 170
386. सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस 170
387. अपराध एवं दण्ड 170
388. भरण–पोशण 171
389. नियम बनाने की शक्ति 171

भाग–4
विविध

390. निरसन एवं व्यावृत्तियां 172
391. नियम बनाने की शक्ति 172
392. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 172

अनुसूचियां

अनुसूची–1 – प्रतिषिद्ध नातेदारियों की सूचियां 174
अनुसूची–2 – उत्तराधिकारियों की सूचियां 177
अनुसूची–3 – प्रमाणपत्र का प्रपत्र 179
अनुसूची–4 – केविएट का प्रपत्र 179
अनुसूची–5 – प्रोबेट का प्रपत्र 179
अनुसूची–6 – प्रशासन पत्र का प्रपत्र 180
अनुसूची–7 – प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र के प्रपत्र 180

समान नागरिक संहिता,

उत्तराखंड, 2024

विधेयक संख्या – वर्ष 2024

विवाह और विवाह–विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध विषयक विधि एवं तत्संबंधी मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार –

(1) इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 है।

(2) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य पर है और यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवसित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है।

2. अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता – भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25), सहपठित अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं ऐसे व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूहों जिनके परम्परागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अन्तर्गत संरक्षित हैं, पर इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएं –

(1) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "बच्चा" माता–पिता के संबंध में "बच्चा" से, उनका जैविक बच्चा, जिसमें दत्तक, अधर्मज, अथवा किराये की कुक्षि (सॅरोगेसी) या सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनित बच्चा सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायालय" से मूल सिविल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 66) के अन्तर्गत स्थापित पारिवारिक न्यायालय अथवा कोई भी ऐसा न्यायालय सम्मिलित है जिसे पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गये हों;

(ग) "रूढ़ि और प्रथा" ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते है जिसने दीर्धकाल तक निरन्तर और एकरूपता से अनुपालित किये जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति या समुदाय के व्यक्तियों के बीच विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो: परन्तु यह कि वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोकनीति और नैतिकता के विपरीत न हो;

(घ) "प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां" – कोई पुरूष और अनुसूची–1 की सूची–1 में अंकित कोई भी व्यक्ति तथा कोई महिला और अनुसूची–1 की सूची–2 में अंकित कोई भी व्यक्ति "प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों" के भीतर होते हैं।

स्पष्टीकरण–1 – उक्त संबंधों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(i) अर्ध या एकोदर रक्त के साथ–साथ पूर्ण रक्त, गोद लेने, किराये की कुक्षि या सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी द्वारा स्थापित नातेदारी;

(ii) धर्मज रक्त की नातेदारी, के साथ–साथ अधर्मज रक्त की नातेदारी; एवं इस संहिता में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण–2 – "पूर्ण रक्त" – दो व्यक्तियों को पूर्ण रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित तब कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण–3 – "अर्द्ध रक्त" – दो व्यक्तियों को अर्द्ध रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित तब कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज से लेकिन भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण–4 – "एकोदर रक्त" – दो व्यक्तियों को एकोदर रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित तब कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वजा से लेकिन भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण–5 – स्पष्टीकरण 3 व 4 में, "पूर्वज" पद के अन्तर्गत पिता और पूर्वजा के अन्तर्गत माता सम्मिलित हैं।

(ङ) "संपदा" से किसी भी प्रकार की संपदा अभिप्रेत है, चाहे वह चल या अचल, स्व–अर्जित या पैतृक/जंगम/संयुक्त, मूर्त या अमूर्त हो और जिसके अन्तर्गत ऐसी संपदा में हिस्सा, हित या अधिकार सम्मिलित है;

(च) "उच्च न्यायालय" से उत्तराखंड उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) "अवयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो;

(ज) "अधिसूचना" से उत्तराखंड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अधिसूचित पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(झ) "माता–पिता" से बच्चे के माता/पिता अभिप्रेत हैं;

(ण) "व्यक्ति" से महिला या पुरूष अभिप्रेत है;

(त) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "निबंधक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निबंधक अभिप्रेत है;

(ठ) "महा निबंधक" से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महा निबंधक अभिप्रेत है;

(ड) "निवासी" से उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र के भीतर या बाहर निवास कर रहा भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जो –

(i) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत स्थायी निवासी ठहराये जाने के लिए पात्र है, या

(ii) राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम/संस्था का स्थायी कर्मचारी है, या

(iii) केंद्र सरकार या उसके किसी उपक्रम/संस्था का ऐसा स्थायी कर्मचारी है, जो राज्य के क्षेत्र के भीतर कार्यरत है, या

(iv) राज्य में कम से कम एक वर्ष से निवास कर रहा है, या

(v) राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी योजना का लाभार्थी है, जो राज्य में लागू है;

(ढ) "जीवनसाथी" से पति अथवा पत्नी अभिप्रेत है;

(त) "राज्य" से उत्तराखंड राज्य अभिप्रेत है;

(थ) "राज्य सरकार" से उत्तराखंड सरकार अभिप्रेत है; और

(द) "उप–निबंधक" से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ग्राम स्तरीय अधिकारी और शहरी क्षेत्र में, शहरी स्थानीय निकाय का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(2) इस संहिता के भाग–1 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "भरण–पोषण" में भोजन, शिक्षा, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सकीय देखभाल व उपचार, और विशेष आवश्यकताएं, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं;

(ख) "विवाह के पक्षकार" से वे पुरुष और महिला अभिप्रेत हैं जिनके बीच विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया है।

(3) इस संहिता के भाग–2 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "प्रशासक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने, जहां कोई निष्पादक नहीं है, वहां मृत व्यक्ति की संपदा की देख–रेख के लिए नियुक्त किया हो;

(ख) "उत्तरदान" से वह कृत्य अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट संपदा, उसकी मृत्यु के उपरान्त अन्य के पक्ष में निर्दिष्ट करता है तथा इस पद के व्याकरणीय विविधताओं एवं संगत पदों का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ग) "कैवियट" से वह नोटिस अभिप्रेत है जो प्रोबेट या प्रशासन अनुदत्त करने के पूर्व आवेदनकर्ता का पक्ष सुने जाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए;

(घ) "क्रोड़पत्र" से ऐसी लिखत अभिप्रेत है जो किसी इच्छापत्र के संबंध में की गई है और जो उसकी प्रकृति की व्याख्या, उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करती है और जो इच्छापत्र का भाग मानी जाएगी;

(ङ) "जिला न्यायाधीश" से जनपद में आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी सम्मिलित है;

(च) "निष्पादक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मृत व्यक्ति के अन्तिम इच्छापत्र का निष्पादन इच्छापत्रकर्ता की नियुक्ति द्वारा सौंपा गया है;

(छ) "उत्तराधिकारी" से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का उत्तराधिकारी होने का अधिकारी है;

(ज) "इच्छापत्र रहित मृतक" से किसी संपदा के संबंध में ऐसा मृत व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने उस संपदा हेतु ऐसे इच्छापत्र का व्ययन न किया हो जो प्रभावशील होने के योग्य हो;

(झ) "इच्छापत्रीय संपदा" उस संपदा को द्योतित करती है जो इस संहिता के भाग 2 के अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुरूप किसी अन्य को अन्तरित की जाए;

(ञ) "प्रोबेट" से इच्छापत्र की ऐसी प्रति अभिप्रेत है जिसे इच्छापत्रकर्ता की संपदा की देख–रेख की अनुमति सहित सक्षम अधिकारिता वाले

न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रमाणित किया गया हो;

(ट) "इच्छापत्रकर्ता" से इच्छापत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "इच्छापत्र" से इच्छापत्रकर्ता की अपनी संपदा के संबंध में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किये जाने की वांछा करता है;

स्पष्टीकरण – उन शब्दों और पदों का जो इस उपधारा में प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में है।

(4) इस संहिता के भाग–3 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) 'बच्चा" – सहवासी संबंध में रहने वाले पुरूश एवं स्त्री के संबंध में "बच्चा" से उनका जैविक बच्चा, जिसमें दत्तक, अधर्मज, अथवा किराये की कुक्षि या सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनित बच्चा सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ख) "सहवासी संबंध" से एक पुरुष और एक महिला (एतद्पश्चात "सहवासी" के रूप में संदर्भित) के बीच का संबंध अभिप्रेत है, जो विवाह की प्रकृति के संबंध में आबद्ध साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा संबंध इस संहिता के भाग 3 के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध नहीं है;

(ग) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां एक पुरुष और एक महिला, जो अवयस्क नहीं हैं, एक छत के नीचे किराए के आवास में या संयुक्त स्वामित्व वाले आवास में या उनमें से किसी एक के स्वामित्व वाले आवास में या किसी अन्य आवास में साथ रहते हैं;

(घ) "सहवासी संबंध का कथन" से इस संहिता के भाग 3 के प्रावधानों के अनुरूप पंजीकरण हेतु निबंधक को प्रस्तुत संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का कथन अभिप्रेत है कि एक पुरुष और एक महिला सहवासी संबंध में हैं या ऐसे संबंध में आबद्ध होने की इच्छा रखते हैं;

(ङ) "समाप्ति का कथन" से सहवासी संबंध में रह रहे एक या दोनों सहवासियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निबंधक को प्रस्तुत इस आशय का कथन अभिप्रेत है कि इस तरह के संबंध को समाप्त कर दिया गया है।

भाग – 1
विवाह और विवाह–विच्छेद

अध्याय – 1
विवाह अनुष्ठापन/अनुबंधन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं

4. विवाह हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं – एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जा सकता है, यदि निम्नलिखित अपेक्षित आवश्यकताएं पूर्ण होती हों, अर्थात् –

(i) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो;

(ii) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार –
   (क) चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो; या
   (ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस सीमा तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह के लिए अयोग्य हो; या
   (ग) उनमत्तता का बार–बार दौरा पड़ने से पीड़ित न हो;

(iii) विवाह के समय पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(iv) विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों, या भीतर हों तो भी दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा उन दोनों के मध्य विवाह अनुमन्य करती हो:
   परन्तु यह कि ऐसी रूढ़ि और प्रथा लोकनीति और नैतिकता के विपरीत न हो;

(v) किसी भी विधि के अन्तर्गत विवाह प्रतिषिद्ध न हो।

5. विवाह के अनुष्ठान – पुरूष एवं महिला के मध्य विवाह का अनुष्ठापन/अनुबंधन धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़िगत संस्कारों और अनुष्ठानों, "सप्तपदी", "आशीर्वाद", "निकाह", "पवित्र बंधन", आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के अन्तर्गत "आनंद कारज", तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 व आर्य विवाह मान्यकरण अधिनियम, 1937 के अनुरूप किन्तु इनसे सीमित हुए बिना हो सकता हैं।

अध्याय – 2
विवाह और विवाह–विच्छेद का पंजीकरण

6. **संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण** – तत्समय लागू किसी भी अन्य विधि अथवा किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात, राज्य में या उसके क्षेत्र के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह, जहां विवाह का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा:
परन्तु यह कि धारा 4 और 5 के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यकताएं पूर्ण होती हों।

7. **संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का पंजीकरण** – (1) 26.03.2010[1] व इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि के मध्य राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह जहां विवाह/पंजीकरण के समय विवाह का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी था/है, को धारा 10 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा:

परन्तु यह कि उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी विवाह को इस उपधारा के अन्तर्गत पुनः पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी विवाह के संबंध में, दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर उस उप–निबंधक के समक्ष विवाह के पंजीकरण की घोषणा प्रस्तुत की जाएगी, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था या दोनों में से कोई एक पक्ष निवास करता है।

(2) राज्य में 26.03.2010 से पूर्व अथवा राज्य के बाहर संहिता लागू होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह, जहां विवाह/पंजीकरण के समय विवाह का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी था/है, धारा 10 की उपधारा (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जा सकता है:
परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत विवाह तभी पंजीकृत किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूर्ण हों –

[1]उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2010 (2010 का उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19) को उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

(क) पक्षकारों के मध्य विवाह का अनुष्ठान सम्पन्न हो चुका हो और वे तब से जीवनसाथी के रूप में एक साथ रह रहे हों;

(ख) जब तक कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार की रूढ़ि और प्रथा के अन्तर्गत अन्यथा अनुमन्य न हो, पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकार का एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न हो;

(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की तथा स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(घ) पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न हों:

परन्तु यह है कि उपर्युक्त निषेध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिनकी रूढ़ि और प्रथा के अन्तर्गत उक्त नातेदारी अनुमन्य है:

परन्तु यह और कि ऐसी रूढ़ि और प्रथा लोकनीति और नैतिकता के विपरीत न हो।

8. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह–विच्छेद या अकृतता के न्यायिक आदेश का पंजीकरण –

(1) राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति धारा 11 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जायेगा।

(2) राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने के पष्चात पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, जहां कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जाएगा।

9. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति का पंजीकरण –

(1) राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व, पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, धारा 11 की उपधारा (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जा सकता है।

(2) राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की कोई भी आज्ञप्ति, जहां कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत किया जा सकेगा।

10. धारा 6 एवं धारा 7 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण की अवधि एवं प्रक्रिया –

(1) इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् राज्य में या उसके क्षेत्र के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में, जिसका पंजीकरण धारा 6 के अन्तर्गत अनिवार्य है, राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में विवाह के पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे तथा विवाह की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उप–निबंधक को जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया था या विवाह के दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करता है और राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में उस उप–निबंधक को, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में दोनों में से कोई एक पक्षकार राज्य में निवास करता है इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(2) 26.03.2010 और इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि के मध्य राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है, के पंजीकरण के लिए इच्छुक पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे तथा उसे संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से उस उप–निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था या विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक निवास करता है।

(3) 26.03.2010 से पूर्व राज्य में या इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह, जिन्हें धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सकता है, के पंजीकरण के इच्छुक पक्षकार राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षरित कर इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर उस उपनिबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया था या विवाह के दोनों पक्षकारों में से कोई एक निवास करता है और राज्य के बाहर विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित होने की स्थिति में उस उप–निबंधक को जिसके अधिकारिता क्षेत्र में दोनों पक्षकारों में से कोई एक राज्य में निवास करता है, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में प्रस्तुत करेंगे:

परन्तु यह कि इस बात से संतुष्ट होने पर कि इसके लिए पर्याप्त आधार हैं, उप–निबंधक इस उपधारा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के पश्चात भी प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर ग्रहण कर सकता है।

11. धारा 8 और धारा 9 के अन्तर्गत विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति के पंजीकरण की अवधि और प्रक्रिया –

(1) राज्य में किसी भी न्यायालय द्वारा इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के किसी भी आज्ञप्ति के मामले में, दोनों या दोनों में से एक पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तथा यदि अपील का कोई अधिकार न हो तो आज्ञप्ति की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर और यदि अपील का कोई अधिकार हो तो अपील योजित न किए जाने की दशा में, यथास्थिति अपील की अवधि समाप्त होने से या अपील योजित करने की दशा में अपील निरस्त किए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर, उस उप–निबंधक को जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित तथा इस भाग के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था या आज्ञप्ति के दोनों पक्षों में से कोई एक पक्षकार निवास करता है, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में प्रस्तुत करेंगे।

(2) इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति के मामले में, जहां आज्ञप्ति का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, पंजीकरण के इच्छुक आज्ञप्ति के दोनों या दोनों में से एक पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करेगा, तथा उसे अपील का कोई अधिकार न होने की दशा में आज्ञप्ति की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर और यदि अपील का अधिकार हो तो उस तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर जिस तिथि तक अपील करने का अधिकार था किन्तु अपील योजित नहीं किया गया या जिस तिथि को योजित अपील निरस्त कर दी गई, उस उप–निबंधक को जिसके अधिकारिता क्षेत्र में आज्ञप्ति के दोनों पक्षकारों मे से कोई एक निवास करता है, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

(3) इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व राज्य के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति के मामले में, पंजीकरण के इच्छुक आज्ञप्ति के दोनों या दोनों में से एक पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार कर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, उस उप–निबंधक को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित या इस भाग के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था, या आज्ञप्ति के दोनों पक्षकारों में से कोई एक निवास करता है, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे।

(4) इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व राज्य के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा पारित विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति के मामले में, जहां आज्ञप्ति का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, पंजीकरण के इच्छुक दोनों या दोनों में से एक पक्षकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक ज्ञापन तैयार कर हस्ताक्षरित कर इस संहिता के प्रारंभ होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर उस उप–निबंधक को जिसके अधिकारिता क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित या इस भाग के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था या आज्ञप्ति के दोनों पक्षकारों में से कोई एक राज्य में निवास करता है, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप में प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु यह कि इस बात से संतुष्ट होने पर कि इसके लिए पर्याप्त आधार हैं, उप–निबंधक उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के पश्चात भी प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को ग्रहण कर सकता है।

12. महानिबंधक, निबंधक और उप–निबंधक की नियुक्ति –

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझती हो, जो उत्तराखंड सरकार के सचिव से निम्न स्तर का न हो, राज्य के लिए महानिबंधक के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उपयुक्त समझती हो, जो उपजिलाधिकारी से निम्न स्तर का न हो, किसी भी क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए निबंधक नियुक्त करेगी, व इतनी संख्या में जिसे वह उपयुक्त समझती हो, ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) जिन्हें अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो, के लिए उप निबंधक भी नियुक्त व अधिसूचित कर सकेगी।

(2) महानिबंधक और निबंधक, दोनों, अपील की पंजिका और यथा निर्धारित अन्य पंजिकायें संधारित करेंगे।

(3) उप–निबंधक विवाह और विवाह–विच्छेद की पंजिका और यथा निर्धारित अन्य पंजिकायें संधारित करेगा।

13. धारा 10 अथवा धारा 11 के अंतर्गत ज्ञापन प्राप्त होने पर कार्यवाही –

(1) धारा 10 या धारा 11 के अन्तर्गत प्रत्येक ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) निर्धारित तरीके से विवाह या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता, जैसा भी मामला हो, का ज्ञापन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर उप–निबंधक या तो –

(i) विवाह या विवाह–विच्छेद की पंजिका में विवरण की प्रविष्टि करेगा और विवाह के पंजीकरण के मामले में, विवाह का प्रमाण पत्र और विवाह–विच्छेद

या विवाह की अकृतता के पंजीकरण के मामले में, निर्धारित प्रपत्र में उसकी पावती निर्गमित करेगा। विवाह का प्रमाण पत्र अथवा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की पावती, जैसा भी मामला हो, निर्गमित करते समय उप–निबंधक स्वयं को संतुष्ट करेगा कि विवाह इस भाग के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया है या कि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति न्यायिक आदेश विधिवत पारित किया गया है; अथवा

(ii) विवाह या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के ज्ञापन को अस्वीकार करेगा तथा पक्षकारों को अस्वीकृति के कारणों सहित लिखित में तद्नुसार सूचित करेगा।

(3) यदि उप–निबंधक उपधारा (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जायेगा कि उप–निबंधक ने विवाह, विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता, जैसा भी मामला हो, पंजीकृत कर लिया है।

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति के विवाह, विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता को पंजीकृत मान लिया गया है, तो उसे विवाह के प्रमाण पत्र या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की पावती, जैसा भी मामला हो, का अधिकार प्राप्त होगा और ऐसा व्यक्ति उप–निबंधक की निष्क्रियता के बारे में संबंधित निबंधक के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।

14. **पंजीकरण की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील –**

(1) जहां उप–निबंधक विवाह या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के ज्ञापन को अस्वीकार कर देता है, वहां विवाह या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति, जैसा भी मामला हो, के दोनों या दोनों में से एक पक्षकार ऐसी अस्वीकृति की प्राप्ति की तिथि से तीस दिवसों की अवधि के भीतर क्षेत्र के निबंधक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है/सकते हैं।

(2) यदि निबंधक पूर्ववर्ती उपधारा के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर देता है, तो पीड़ित पक्ष ऐसी अस्वीकृति की प्राप्ति की तिथि से तीस दिवसों की अवधि के भीतर, महानिबंधक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील निर्धारित प्रारूप पर व अस्वीकृति आदेश की विधिवत सत्यापित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) अपील पर निर्णय करते समय, निबंधक या महानिबंधक, जैसा भी मामला हो, सभी संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा और यदि वांछित हो, तो पक्षकारों की सुनवाई कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील का निस्तारण, यथासंभव, उसके प्रस्तुत किये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

15. **जनसाधारण के निरीक्षण हेतु पंजिकाओं का उपलब्ध होना** – इस भाग के अन्तर्गत संधारित विवाह और विवाह–विच्छेद की पंजिकाएं, अपील की पंजिकाएं और ऐसी अन्य पंजिकाएं जो निर्धारित की जायें, युक्तियुक्त समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनके सत्यापित उद्धरण उस अधिकारी द्वारा, जिसे संबंधित उप–निबंधक या निबंधक अथवा महानिबंधक, जैसा कि मामला हो, द्वारा अधिकृत किया गया हो, निर्धारित रूप में निर्गमित किये जायेंगे।

16. **अभिलेखों का साक्ष्यिक मूल्य** –

(1) धारा 15 के अन्तर्गत निर्गमित उद्धरण ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जो संबंधित उप–निबंधक या निबंधक अथवा महानिबंधक, जैसा कि मामला हो, द्वारा अधिकृत किया गया हो, और किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य के रूप में गाह्य होंगे जो विवाह या विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के तथ्य को स्थापित करने के उद्देश्य से गठित की गई हो।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्गमित विवाह प्रमाण पत्र या पंजिका का कोई उद्धरण सही माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए।

17. **उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति** –

(1) कोई भी व्यक्ति जो धारा 10 या धारा 11 के अन्तर्गत अनिवार्य ज्ञापन प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक या उपेक्षा करता है, वह दस हजार रुपये से अनधिक शास्ति, जैसा कि उप–निबंधक द्वारा अधिरोपित किया जाए, का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो ज्ञापन में कोई ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने या मिथ्या होने के युक्तियुक्त कारण विद्यमान होने का उसे संज्ञान है या कोई कूटरचित या मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत करता है, वह तीन माह तक के कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति या दोनों के दण्ड का अधिकारी होगा।

18. पंजीकरण न होने की स्थिति में प्रक्रिया –

(1) जहां विवाह के पक्षकार विवाह का ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहे हों, अथवा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के न्यायिक आदेश के दोनों में से कोई भी पक्षकार विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता, जैसा भी मामला हो, का ज्ञापन प्रस्तुत करने में विफल रहे हों, और जहां इस भाग के अन्तर्गत विवाह, विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता का पंजीकरण अनिवार्य हो, वहां उप–निबंधक स्वप्रेरणा से या इस संबंध में कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्तियों को नोटिस द्वारा ऐसे नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। ऐसा ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने पर, उप–निबंधक धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क और शास्ति के भुगतान पर, विवाह अथवा विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति, जैसा भी मामला हो, पंजीकृत करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अन्तर्गत नोटिस के द्वारा अपेक्षा किए जाने के पश्चात भी पक्षकार विवाह, विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के पंजीकरण, जैसा भी मामला हो, के लिए उप–निबंधक से संपर्क करने में विफल रहे हों, वहां ऐसे व्यक्ति पच्चीस हजार रुपये से अनधिक राशि की शास्ति से दंडित किये जाने का अधिकारी होगा।

19. उप–निबंधक की निष्क्रियता के लिए दण्ड – जो उप–निबंधक जानबूझकर धारा 13 की उपधारा (2) के अनुरूप कार्यवाही करने में विफल रहता है, वह पच्चीस हजार रुपये से अनधिक राशि की शास्ति से दंडित किया जायेगा।

20. पंजीकरण न कराने से विवाह अविधिमान्य नहीं होगा – कोई भी विवाह केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि यह इस भाग के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं था या उप–निबंधक को ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया था या उप–निबंधक द्वारा विवाह का प्रमाण पत्र निर्गमित नहीं किया गया था या ऐसे ज्ञापन या विवाह प्रमाणपत्र में उल्लिखित विवरण त्रुटिपूर्ण, अनियमित या असत्य थे।

अध्याय 3
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण

21. **दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन** – जबकि पति या पत्नी में से किसी ने दूसरे के सहचर्य से किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो, तब पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में उल्लिखित कथन की सत्यता का समाधान और अस्वीकृति के लिए कोई विधिक आधार न होने का समाधान हो जाने पर, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का आज्ञप्ति पारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया है।

22. **न्यायिक पृथक्करण** –

(1) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व या उसके पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ हो, धारा 25 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर और पत्नी की दशा में उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर भी, जिस पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर की जा सकती थी, न्यायिक पृथककरण के की आज्ञप्ति की प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) जहां न्यायिक पृथककरण की आज्ञप्ति पारित हो गया हो, वहां याचिकाकर्ता पर इस बात की बाध्यता नहीं होगी कि वह प्रत्यर्थी के साथ सहवास करे, किन्तु दोनों पक्षकारों में से किसी की भी याचिका पर तथा ऐसी याचिका में किये गये कथनों की सत्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय, यदि वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे तो, आज्ञप्ति को विखंडित कर सकेगा।

अध्याय 4
विवाह और विवाह–विच्छेद की अकृतता

23. शून्य विवाह – इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 4 के खण्ड (i), (ii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट अपेक्षित आवश्यकताओं में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है, तो अकृत और शून्य होगा तथा विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका पर अकृतता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा।

24. शून्यकरणीय विवाह –

(1) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा प्रराम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किये जाने पर शून्यकरणीय होगा और अकृतता की आज्ञप्ति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा –

(क) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता या जानबूझकर प्रतिषेध के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है; या

(ख) कि विवाह धारा 4 के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट अपेक्षित आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है; या

(ग) कि याचिकाकर्ता की सहमति बलपूर्वक, प्रपीड़न या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी; या

(घ) कि पत्नी विवाह के समय पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी या पति ने विवाह के समय पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को गर्भवती किया था।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विवाह अकृतता की कोई याचिका –

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण नहीं की जायेगी यदि याचिकाकर्ता द्वारा इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात कार्यवाही योजित की गई हो;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण नहीं की जायेगी यदि –

(i) याचिका यथास्थिति, बल प्रयोग या प्रपीड़न के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात प्रस्तुत की गई हो; या

(ii) याचिकाकर्ता यथास्थिति बल प्रयोग या प्रवर्तनहीन हो जाने के या, कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रहा/रही हो;

(ग) उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि –

(i) कि याचिकाकर्ता विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था;

(ii) कार्यवाही, इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर, और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाहों की दशा में विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर योजित की गई हो; और

(iii) उक्त आधार के अस्तित्व का याचिकाकर्ता को ज्ञात होने के समय से याचिकाकर्ता की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ हो।

25. विवाह–विच्छेद –

(1) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह, विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विवाह–विच्छेद के आज्ञप्ति द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि –

(i) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंधन के पश्चात् याचिकाकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया संभोग किया हो; या

(ii) दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंधन के पश्चात् याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो; या

(iii) दूसरे पक्षकार ने याचिका प्रस्तुत किये जाने के ठीक पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि तक याचिकाकर्ता को अभित्यक्त रखा हो;

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में, "अभित्यजन" पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरूद्ध हो और इसके अन्तर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर याचिकाकर्ता की उपेक्षा करना भी सम्मिलित है और इस पद के व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तद्नुसार लगाए जायेंगे; या

(iv) दूसरे पक्षकार ने याचिकाकर्ता के धर्म से अन्य किसी धर्म में धर्म–परिवर्तन कर लिया हो; या

(v) दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृतचित्त रहा है अथवा निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस सीमा तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि याचिकाकर्ता से युक्तियुक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे;

स्पष्टीकरण – इस उपधारा में –

(क) "मानसिक विकार" पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विखंडित मनस्कता भी सम्मिलित है;

(ख) "मनोविकृति" पद से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निःशक्तता (चाहे इसमें वृद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं) अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं; या

(vi) दूसरा पक्षकार असाध्य संचारी यौन रोग से पीड़ित रहा हो; या

(vii) दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार या अन्यथा प्रवज्या ग्रहण कर चुका हो; या

(viii) दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होने कुछ नहीं सुना है जिन्होने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वभाविकतः सुना होता; या

(ix) दूसरे पक्षकार ने धारा 4 के खण्ड (i) के उल्लंघन में एक और विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया हो; या

(x) दूसरा पक्षकार याचिका की प्रस्तुति से तुरंत पूर्व कम से कम एक वर्ष की अवधि तक किसी भी विधि के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरूद्ध पारित भरण–पोषण आदेश का पालन करने में विफल रहा हो।

(2) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ हो विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी याचिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा –

(i) कि ऐसी कार्यवाही, जिसके उस विवाह के पक्षकार, पक्षकार थे, में पारित न्यायिक पृथककरण की आज्ञप्ति के पश्चात एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि तक, उन पक्षकारों के मध्य सहवास का कोई पुनरारम्भ नहीं हुआ है; या

(ii) कि ऐसी कार्यवाही, जिसके उस विवाह के पक्षकार, पक्षकार थे, में पारित दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन के आज्ञप्ति के पश्चात् एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि तक, उन पक्षकारों के मध्य दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ हो।

(3) पत्नी विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस अतिरिक्त आधार पर भी न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकेगी कि –

(i) पति विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंधन के पश्चात् बलात्कार या किसी अन्य प्रकार के अप्राकृतिक संभोग के अपराध का दोषी रहा हो; या

(ii) इस संहिता के लागू होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाहों के द्वारा पति की एक से अधिक पत्नियाँ हों।

26. विवाह–विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुतोष – इस भाग के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही में, विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा विवाह के विघटन के लिए प्रस्तुत याचिका पर, उस दशा को छोड़कर जिसमें याचिका धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (vi), (vii) और (viii) तथा उपधारा (2) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित आधारों पर योजित हुई हो, यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत समझता हो तो, वह विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति के स्थान पर न्यायिक पृथककरण के लिए आज्ञप्ति पारित कर सकेगा।

27. पारस्परिक सम्मति से विवाह–विच्छेद –

(1) इस भाग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति द्वारा विवाह के विघटन के लिए, चाहे ऐसा विवाह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया हो चाहे उसके पष्चात, न्यायालय में इस आधार पर याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग–अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गये हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह के पश्चात् और उस तिथि से अठ्ठारह माह के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, यदि इस बीच याचिका वापिस नहीं ली गई हो तो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है और याचिका में किये गये प्रकथन सही हैं, यह घोषणा करते हुए विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति पारित करेगा कि विवाह आज्ञप्ति की तिथि से विघटित हो जाएगा।

(3) जहां न्यायालय का मत है कि मामला विवाह के किसी भी पक्षकार के लिए असाधारण

कष्ट से संबंधित है या ऐसे किसी भी पक्षकार की असाधारण दुराचारता होने के कारण, पक्षकारों के मध्य सुलह की कोई संभावना नहीं है, वहां न्यायालय उपधारा (1) के अन्तर्गत याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की पृथकता की आवश्यकता के साथ–साथ उपधारा (2) के अर्न्तगत प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक छः माह की समयावधि को क्षमित कर सकता है और अग्रेतर आज्ञप्ति पारित करते हुए आदेश की तिथि से विवाह को विघटित करने की घोषणा कर सकता है।

28. **विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह–विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध –**

(1) विवाह–विच्छेद की कोई भी याचिका न्यायालय में तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर विवाह हुए एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो:

परन्तु यह कि न्यायालय, आवेदन किए जाने पर, एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस आधार पर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है कि मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कष्ट या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारता का है।

(2) जहां न्यायालय ने याचिका को एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी हो और यह पता चले कि ऐसी अनुमति किसी मिथ्या निरूपण द्वारा या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई है, तो समान या काफी हद तक समान तथ्यों और आधारों पर एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायालय याचिका निरस्त कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के प्रावधान के अन्तर्गत विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह–विच्छेद की किसी याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति देते समय, न्यायालय विवाह के बच्चों, यदि कोई हो, के सर्वोत्तम हित और कल्याण, और तत्संबंधी विषयों को ध्यान में रखेगा।

29. **विवाह–विच्छेद पर प्रतिबंध –** किसी भी प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, विवाह के किसी भी पक्षकार की व्यक्तिगत विधि या किसी अधिनियम में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व या प्रारम्भ होने के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह इस भाग के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से विघटित नहीं किया जाएगा।

30. किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह करने का अधिकार जहां विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित की गयी हो –

(1) यदि विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति पारित की गयी हो और या तो आज्ञप्ति के विरूद्ध अपील का कोई अधिकार न हो या, यदि अपील का ऐसा कोई अधिकार हो, तो अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का समय समाप्त हो गया हो, या अपील प्रस्तुत की गई हो किन्तु निरस्त कर दी गई हो, तो आज्ञप्ति के किसी भी पक्षकार के लिए पुनर्विवाह करना विधिसम्मत होगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत पुनर्विवाह के अधिकार में विवाह–विच्छेदित पति या पत्नी का एक दूसरे से पुनर्विवाह बिना किसी शर्त, जैसे कि पुनर्विवाह से पूर्व किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह करना, अनुमन्य होगा।

31. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की धर्मजता – इस बात के होते हुए भी कि किसी विवाह को अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया है, ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी बच्चा धर्मज माना जाएगा।

32. कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दण्ड –

(1) कोई भी व्यक्ति जो –

(I धारा 4 के खण्ड (iii) या (iv) के उल्लंघन में विवाह की उपाप्त करता है, वह छः माह तक के साधारण कारावास और पचास हजार रुपये तक का जुर्माना और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास, जो एक माह तक विस्तारित किया जा सकता है, के दण्ड का भागी होगा;

(ii) धारा 29 के उल्लंघन में विवाह विघटित करता है, वह तीन वर्ष तक के कारावास के दण्ड का तथा जुर्माना का दायी होगा;

(iii) किसी व्यक्ति को पुनर्विवाह से पहले धारा 30 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी बाधा के अनुरूप आचरण करने के लिए विवश, दुष्प्रेरित या अभिप्रेरित करता है, वह तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास तथा एक लाख रूपये तक का जुर्माना और जुर्माना न देने पर छः माह तक के अतिरिक्त कारावास के दण्ड का भागी होगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) में किसी बात के होते हुए भी –

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के अन्तर्गत दंडनीय अपराध, पीड़ित व्यक्ति के कहने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से, ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिरोपित कर सकता है, शमनीय होगा।

अध्याय 5
आनुषंगिक कार्यवाही

33. **याचिका लंबित रहते भरण–पोषण और कार्यवाहियों के व्यय** – जहां कि इस भाग के अन्तर्गत होने वाली किसी कार्यवाही में, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि, यथास्थिति, पत्नी या पति और यदि इस संहिता के लागू होने के पूर्व से पुरूष की एक से अधिक पत्नियां हों एवं प्रत्येक पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं हो जो उसके आलम्बन और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहां वह पत्नी या पति के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकता है कि याचिकाकर्ता को कार्यवाही के दौरान कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा प्रतिमाह ऐसी राशि का भुगतान करे जो याचिकाकर्ता की स्वयं की आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए युक्तियुक्त प्रतीत होती हो:

परन्तु यह कि कार्यवाही के व्ययों और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए आवेदन को यथासंभव, यथास्थिति, प्रत्यर्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा।

34. **स्थायी निर्वाहिका एवं भरण–पोषण** –

(1) इस भाग के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय, आज्ञप्ति पारित करने के समय या उसके पश्चात किसी भी समय, आज्ञप्ति के किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकता है कि दूसरा पक्षकार उसके भरण–पोषण और आलम्बन के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि आवेदक या आवेदिका के जीवनकाल से अनधिक अवधि के लिए भुगतान करे जो प्रत्यर्थी की आय और संपदा, आवेदक या आवेदिका की आय और संपदा, पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति/व्यवस्थान, यदि काई हो, पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो और ऐसा कोई भी भुगतान, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, दूसरे पक्षकार की स्थावर सम्पत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा:

परन्तु मेहर, प्रभूत, स्त्रीधन या अन्य कोई सम्पत्ति जो पत्नी को उपहार स्वरूप दी गई हो, वह उसके भरण–पोषण के दावे के अतिरिक्त होगी।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाये कि उपधारा (1) के अन्तर्गत उसके आदेश करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है तो

वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायासंगत व उचित प्रतीत हो, ऐसे किसी आदेश को परिवर्तित, उपान्तरित अथवा विखंडित कर सकेगा।

35. बच्चों की अभिरक्षा –

(1) इस भाग के अन्तर्गत होने वाली किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय अवयस्क बच्चों की देखभाल, शिक्षा, अभिरक्षा और भरण–पोषण के बारे में, यथासंभव, उनकी इच्छा के अनुकूल, समय–समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और आज्ञप्ति में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे और आज्ञप्ति के पश्चात् इस प्रयोजन से आवेदन किए जाने पर ऐसे बच्चों की देखभाल, शिक्षा, अभिरक्षा और भरण–पोषण के बारे में समय–समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकता है जो ऐसी आज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते आज्ञप्ति या अंतरिम आदेश द्वारा किये जा सकते थे और न्यायालय पूर्ववर्ती किसी आदेश या उपबंध को समय–समय पर प्रतिसंहित, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है:
परन्तु ऐसे अवयस्क बच्चों की देखभाल, शिक्षा, अभिरक्षा और भरण–पोषण से संबंधित आवेदन को यथासंभव, प्रत्यर्थी को सूचना उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा ऐसा कोई भी आदेश पारित करने में, बच्चे का सर्वात्तम हित और कल्याण सर्वोपरि होगा:
परन्तु पांच वर्ष की आयु पूर्ण न करने वाले अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास होगी।

36. संपदा का व्ययन –

(1) इस भाग के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही में, पत्नी या पति या उनके बच्चों के लाभ के लिए, पक्षकारों, जिनका विवाह आज्ञप्ति का विषय है, की संयुक्त अथवा व्यक्तिगत संपदा के संबंध में न्यायालय आज्ञप्ति में ऐसे प्रावधान कर सकता है जो वह न्यायसंगत व उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत आज्ञप्ति में ऐसा कोई भी प्रावधान करते समय, न्यायालय विवाह के पक्षकारों के मध्य विद्यमान किसी भी आपसी समझौते/व्यवस्थापन को ध्यान में रखेगा और पत्नी या पति या उनके बच्चों के लाभ के लिए ऐसे किसी भी समझौते/व्यवस्थापन में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा जिसे वह न्यायसंगत व उचित समझे।

अध्याय 6
अधिकारिता क्षेत्र और प्रक्रिया

37. **न्यायालय जिसमें याचिका प्रस्तुत की जाएगी** – इस भाग के अंतर्गत प्रत्येक याचिका उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसके अधिकारिता क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर –

(i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था, या

(ii) प्रत्यर्थी, याचिका प्रस्तुत किये जाने के समय, निवास करता है, या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, या

(iv) यदि पत्नी याचिकाकर्ता है, तो जहां वह याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर निवास कर रही है; या

(v) जहां प्रत्यर्थी ऐसी अधिकारिता क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिसपर इस संहिता का विस्तार है अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होने उसके बारे में, यदि प्रत्यर्थी जीवित होता तो, स्वभाविकतया सुना होता, ऐसे मामले में याचिकाकर्ता याचिका प्रस्तुत किये जाने के समय निवास कर रहा है।

38. **इस भाग के अंतर्गत अभिवचन** –

(1) इस भाग के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक याचिका और लिखित कथन के अन्तर्गत, उन सब तथ्यों, जिन पर अनुतोष का दावा और आपत्ति निर्भर हो, के बारे में इतनी सुस्पष्टता से कथन करेगा जितना उस मामले में संभव हो सके और धारा 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका को छोड़कर, यह भी कथन करेगा कि याचिकाकर्ता और विवाह के दूसरे पक्षकार के मध्य कोई दुःसंधि नहीं है।

(2) इस भाग के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक याचिका, लिखित कथन और अन्य कोई अभिवचन याचिकाकर्ता या प्रत्यर्थी, जैसा भी मामला हो द्वारा, या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) में निर्धारित तरीके से किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा, सत्यापित किया जाएगा।

39. **इस भाग के अंतर्गत न्यायालय में कार्यवाही की प्रक्रिया** – इस भाग में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, इस भाग के अन्तर्गत न्यायालय में सभी कार्यवाहियां पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या 66) और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित की जाएगी।

40. कुछ मामलों में याचिकाएँ अंतरित करने की शक्ति –

(1) जहां–

(क) इस भाग के अन्तर्गत कोई याचिका, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा विवाह के प्रत्यस्थापन, विवाह के अकृत किये जाने, न्यायिक पृथककरण या विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई हो, और

(ख) तत्पश्चात इस भाग के अन्तर्गत कोई दूसरी याचिका विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर खंड (क) के अन्तर्गत विचारणीय किसी अनुतोष की प्रार्थना हेतु उसी न्यायालय या अन्य न्यायालय में प्रस्तुत की गई हो,

वहां ऐसी याचिकाओं के संबंध में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां उपधारा (1) लागू होती है –

(क) यदि ऐसी याचिकाएं एक ही न्यायालय में प्रस्तुत की जाती हैं, तो दोनों याचिकाओं पर विचार और उनकी सुनवाई उस न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी;

(ख) यदि याचिकाएं भिन्न–भिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत की जाती हैं, तो बाद में प्रस्तुत याचिका उस न्यायालय को अंतरित की जाएगी जिसमें पहले वाली याचिका प्रस्तुत की गई थी, और दोनों याचिकाओं की सुनवाई और उनका निस्तारण उस न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहली वाली याचिका प्रस्तुत की गई थी।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) में निहित किसी भी बात के होने पर भी, उच्च न्यायालय, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से सभी याचिकाओं को, सुनवाई करने वाले न्यायालयों में से किसी एक या अन्य किसी न्यायालय को निर्दिष्ट और अंतरित कर सकता है जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे।

41. इस भाग के अन्तर्गत याचिकाओं के विचारण और निस्तारण से संबंधित विशेष प्रावधान –

(1) जब तक कि अभिलिखित कारणों से अन्यथा निर्देशित न किया जाए, इस भाग के अन्तर्गत याचिका की सुनवाई, जहां तक व्यवहारिक हो, दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएगी।

(2) इस भाग के अन्तर्गत प्रत्येक याचिका का विचारण यथासंभव शीघ्र किया जाएगा, और प्रत्यर्थी पर याचिका की सूचना पहुँचाये जाने की तिथि से छः माह के भीतर विचारण समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) इस भाग के अन्तर्गत प्रत्येक अपील की सुनवाई यथासंभव शीघ्र की जाएगी, और प्रत्यर्थी पर अपील की सूचना पहुँचाये जाने की तिथि से तीन माह के भीतर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

42. अभिलेखीय साक्ष्य – किसी भी अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के अन्तर्गत याचिका के विचारण के किसी कार्यवाही में कोई अभिलेखीय साक्ष्य इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि वह सम्यक रूप से मुद्रांकित या पंजीकृत नहीं है।

43. कार्यवाहियों में आज्ञप्ति –

(1) इस भाग के अन्तर्गत होने वाली किसी भी कार्यवाही में, चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि –

(क) अनुतोष अनुदत्त करने के आधारों में से कोई न कोई आधार विद्यमान है और याचिकाकर्ता, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें उसके द्वारा धारा 4 के खण्ड (ii) के उपखण्ड (क), (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष मांगा गया है, अनुतोष के प्रयोजन से अपने ही दोष या निर्योग्यता का किसी प्रकार लाभ नहीं उठा रहा या रही है; और

(ख) जहां याचिका का आधार धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आधार हो, वहां न तो याचिकाकर्ता परिवादित कार्य या कार्यों का किसी प्रकार से उपसाधक रहा है और न उसमें उनका मौनानुमोदन या उपमर्षण किया है अथवा जहां कि याचिका का आधार धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट आधार हो, वहां याचिकाकर्ता ने क्रूरता का उपमर्षण स्वेच्छापूर्वक नहीं किया है; और

(ग) जहां विवाह–विच्छेद धारा 27 के अन्तर्गत आपसी सम्मति के आधार पर चाहा गया है, वहां ऐसी सम्मति बल, कपट या अनुचित प्रभाव से प्राप्त नहीं की गई है,

न्यायालय तद्नुसार ऐसे अनुतोष की आज्ञप्ति पारित करेगा।

(2) इस भाग के अन्तर्गत कोई भी अनुतोष अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व न्यायालय का यह प्रथमतः कर्तव्य होगा कि वह ऐसी हर स्थिति में, जहां कि मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के मध्य मेल–मिलाप का हर संभव प्रयास करेः

परन्तु इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी ऐसी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (v), (vi), (vii) और (viii) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर अनुतोष चाहा गया है।

(3) ऐसे मेल–मिलाप कराने में न्यायालय की सहायता करने के उद्देश्य से यदि पक्षकार ऐसा चाहते हों तो या यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे तो, न्यायालय कार्यवाहियों को तीस दिन से अनधिक की युक्तियुक्त कालावधि के लिए

स्थगित कर सकता है और उस मामले के पक्षकारों द्वारा नामित किसी व्यक्ति को या यदि पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहते हैं तो न्यायालय द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति को, संदर्भित कर सकता है। ऐसा मेल–मिलाप सफल होने पर, इसके निमित्त न्यायालय के समक्ष एक आख्या उचित आदेशार्थ प्रस्तुत की जायेगी। किन्तु मेल–मिलाप की विफलता पर, मेल–मिलाप की कार्यवाही का कोई अभिलेख संरक्षित नहीं किया जाएगा और केवल मेल–मिलाप की विफलता के बारे में न्यायालय को सूचित किया जाएगा।

44. विवाह–विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष – विवाह–विच्छेद या न्यायिक पृथककरण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी भी कार्यवाही में, प्रत्यर्थी न केवल अनुतोष का विरोध कर सकता है, अपितु इस भाग के अन्तर्गत अनुज्ञेय किसी भी आधार पर अनुतोष भी मांग सकता है और यदि सिद्ध हो जाए, तो न्यायालय इस भाग के अन्तर्गत ऐसा अनुतोष प्रत्यर्थी को प्रदान कर सकती है जिसका वह अधिकारी होती/होता, यदि उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की होती।

45. दण्ड देने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया – कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके अधिकारिता क्षेत्र में इस भाग के अन्तर्गत कोई अपराध कारित होता है, वह परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 02) के अनुरूप सुनवाई करते हुए इस भाग के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित दंड अधिरोपित कर सकता है।

अध्याय – 7
पूरक प्रावधान

46. न्यायिक व अन्य आदेशों की अपीलें –

(1) इस भाग के अन्तर्गत कार्यवाहियों में सम्मति आधारित आज्ञप्ति को छोड़कर न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्ति, उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील योग्य होंगे।

(2) धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन, अपील योग्य होंगे यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हैं, और ऐसी प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(3) केवल लागत के विषय पर इस धारा के अन्तर्गत कोई अपील नहीं होगी।

(4) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक अपील आज्ञप्ति या आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से 90 दिनों की उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से वंचित हुआ था, तो 60 दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि के भीतर न्यायालय अपील ग्रहण कर सकता है।

47. न्यायिक व अन्य आदेशों का प्रवर्तन – इस भाग के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्ति व आदेशों का प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 02), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत पारित आज्ञप्ति व आदेशों के प्रवर्तन की भांति किया जाएगा।

48. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, उत्तराखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने हेतु नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी विषय हेतु प्रावधान कर सकते हैं

(क) महानिबंधक, निबंधक, उपनिबंधक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य और उनके अधिकार व उनके अधिकारिता क्षेत्र;

(ख) विवाह के अनुष्ठापित/अनुबंधित किये जाने के प्रमाण स्वरूप विवाह के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख;

(ग) इस भाग के अन्तर्गत निर्गमित किए जाने वाले विवाह प्रमाण पत्र और विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता के आज्ञप्ति के पंजीकरण की पावती के प्रपत्र;

(घ) इस भाग द्वारा या इसके अंतर्गत अपेक्षित पंजिकाओं या पुस्तकों के प्रारूप व उन्हें संधारित करने का तरीका;

(ङ) जिस प्रकार से विवाह के पक्षकारों की धार्मिक परम्पराओं और रूढ़िगत रीतियों के अनुरूप किए जाने वाले विवाह के अनुष्ठानों के संबंध में पंजिकाओं या पुस्तकों में अलग–अलग प्रविष्टियाँ की जानी हों;

(च) विवाह के पंजीकरण, विवाह–विच्छेद और विवाह की अकृतता के प्रयोजनों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र और अपील योजित करने के लिए प्रपत्र;

(छ) वह शुल्क जो विवाह, विवाह–विच्छेद और विवाह की अकृतता के पंजीकरण तथा कोई अपील योजित करने हेतु अधिरोपित किया जा सकता हो और ऐसा अन्य शुल्क जो इस भाग के अन्तर्गत किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता हो;

(ज) इस भाग के अन्तर्गत कोई शास्ति अधिरोपित की जाने की रीति;

(झ) इस भाग के अंतर्गत नोटिस निर्गमित करने के प्रपत्र और रीति;

(ञ) विवाहों के पंजीकरण की सुगमता व प्रोत्साहन, जिसमें सरकार प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता सम्मिलित है; और

(ट) कोई भी अन्य विषय जिसे नियमों द्वारा विहित या उपबंधित किया जा सकता हो या किया जाना आवश्यक हो।

भाग – 2
उत्तराधिकार

अध्याय – 1
इच्छापत्र रहित मृतक संबंधी उत्तराधिकार

वरीयताक्रम तथा अंशों का वितरण

49. उत्तराधिकार के सामान्य नियम – इच्छापत्र रहित मृतक व्यक्ति की संपदा इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वरीयताक्रम में न्यागत होगी –

(i) प्रथमतः, उन उत्तराधिकारियों को जो इस संहिता के अनुसूची 2 के श्रेणी 1 में निर्दिष्ट नातेदार हैं;

(ii) द्वितीयतः, यदि श्रेणी 1 का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो उन उत्तराधिकारियों को जो इस संहिता के अनुसूची 2 के श्रेणी 2 में निर्दिष्ट नातेदार हैं;

(iii) तृतीयतः, यदि खंड (i) व (ii) में उल्लिखित दोनों श्रेणियों का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो अन्य नातेदारों को;

(iv) अंततः, यदि उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित कोई उत्तराधिकारी न हो, तो राजगामित्व द्वारा सरकार को, और सरकार संपदा को उन सभी बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यधीन लेगी जिनके अध्यधीन एक उत्तराधिकारी होता।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय में संदर्भित –

(क) इच्छापत्र रहित मृतक के संबंध में "श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों" का अर्थ पति/पत्नी; बच्चे; पूर्व–मृत बच्चों के बच्चे व उनके पति/पत्नी; पूर्व–मृत बच्चों के पूर्व–मृत बच्चे व उनके पति/पत्नी; और माता–पिता से होगा, जो अनुसूची 2 में वर्णित नातेदारों तक सीमित होंगे;

(ख) इच्छापत्र रहित मृतक के संबंध में "श्रणी 2 के उत्तराधिकारियों" का अर्थ सौतेले माता/पिता, भाई/बहन; पूर्व–मृत भाई/बहन के बच्चे व उनके पति/पत्नी; माता/पिता के भाई/बहन, दादा/दादी; और नाना/नानी से होगा, जो अनुसूची 2 में वर्णित नातेदारों तक सीमित होंगे;

(ग) इच्छापत्र रहित मृतक के संबंध में "अन्य नातेदारों" का अर्थ अनुसूची 2 में वर्णित नातेदारों की श्रेणी 1 व श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों को छोड़कर इच्छापत्र रहित मृतक के अन्य नातेदारों से होगा;

(घ) पूर्व–मृत व्यक्ति की "शाखा" का अर्थ उसके जीवित पति/पत्नी व बच्चे होंगे, और

इच्छापत्र रहित मृतक के पूर्व–मृत बच्चे की शाखा के संदर्भ में, इच्छापत्र रहित मृतक के उस पूर्व–मृत बच्चे के पूर्व–मृत बच्चे के जीवित पति–पत्नी व बच्चे भी इसमें सम्मिलित होंगे।

50. उत्तराधिकार का तरीका –
धारा 49 के प्रत्येक खंड (i), (ii), या (iii) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारीगण इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा के एक साथ उत्तराधिकारी होंगे और ऐसे अंश लेंगे जो एतद्पश्चात निर्दिष्ट है।

51. श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण –
श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे तथा उनके मध्य इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का विभाजन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा –
नियम 1 – इच्छापत्र रहित मृतक का प्रत्येक जीवित पति/पत्नी एक–एक अंश लेगा/लेगी।
नियम 2 – इच्छापत्र रहित मृतक का प्रत्येक जीवित बच्चा एक–एक अंश लेगा।
नियम 3 – इच्छापत्र रहित मृतक के प्रत्येक पूर्व–मृत बच्चे की शाखा में सम्मिलित उत्तराधिकारीगण एक साथ एक अंश लेंगे।
नियम 4 – पूर्व–मृत बच्चे की शाखा को न्यागत होने वाला अंश प्रत्येक जीवित पति/पत्नी, जीवित बच्चे और पूर्व–मृत बच्चे के पूर्व–मृत बच्चे की शाखा के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
नियम 5 – पूर्व–मृत बच्चे की शाखा को न्यागत होने वाला अंश प्रत्येक जीवित पति/पत्नी और बच्चे के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
नियम 6 – इच्छापत्र रहित मृतक के जीवित माता/पिता समान अनुपात में एक साथ एक अंश लेंगे, और यदि माता/पिता में से केवल एक ही जीवित हो तो ऐसे माता या पिता अकेले एक अंश लेगी/लेगाः

परन्तु यदि माता/पिता दोनों ने एक साथ एक अंश लिया हो और बाद में उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो उस एक अंश में निहित उसका हित दूसरे को न्यागत हो जाएगा।

52. श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का वितरण –
श्रेणी 2 के उत्तराधिकारियों के मध्य इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का विभाजन

निम्न नियमों के अनुसार किया जाएगा –

नियम 1 – श्रेणी 2 में प्रविष्टि 1 के उत्तराधिकारियों को प्रविष्टि 2 के उत्तराधिकारियों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा; प्रविष्टि 2 के उत्तराधिकारियों को प्रविष्टि 3 के उत्तराधिकारियों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।

नियम 2 – अनुसूची 2 के श्रेणी 2 की किसी भी प्रविष्टि में उल्लिखित उत्तराधिकारियों के मध्य इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का विभाजन इस प्रकार होगा कि सभी को समान अंश प्राप्त हो।

53. निकटतम डिग्री के अन्य नातेदारों के मध्य संपदा का वितरण –

इच्छापत्र रहित मृतक के निकटतम डिग्री के नातेदार, अन्य सभी नातेदारों को छोड़ते हुए, निम्नलिखित नियम के अनुसार एक साथ उसकी संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे –

नियम – निकटतम डिग्री के "अन्य नातेदारों" में से प्रत्येक एक–एक अंश प्राप्त करेगा।

दृष्टांत

क की इच्छापत्र रहित मृत्यु हो जाती है और उसके दो पौत्र भतीजे क1 व क2 तथा पूर्व–मृत पौत्र भतीजे का एक बच्चा क3 जीवित बचे हैं। क की संपदा क1 व क2 के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी; क3 कोई अंश नहीं लेगा।

सामान्य प्रावधान

54. डिग्रियों की गणना –

इस भाग के अन्तर्गत डिग्रियों की गणना हेतु नातेदारी का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि आरोहण या अवरोहण में प्रत्येक पीढ़ी, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके नातेदारों का निर्धारण होना है, एक डिग्री का गठन करती है।

दृश्टांत

क की इच्छापत्र रहित मृत्यु हो जाती है और उसके पिता क1, पौत्र क2, भतीजा/भांजा क3 व तहेरा/चचेरा/फुफेरा/ममेरा/मौसेरा भाई क4 जीवित बचे हैं।

क1, क2, क3 व क4 क से क्रमशः एक, दो, तीन व चार डिग्री दूर हैं।

55. गर्भस्थ बच्चे का अधिकार –

इच्छापत्र रहित मृतक के उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे उत्तराधिकारियों के

मध्य कोई विभेद नहीं है जिनका जन्म इच्छापत्र रहित मृतक के जीवनकाल में हुआ हो और जो इच्छापत्र रहित मृतक की मृत्यु के समय गर्भ में स्थित रहा हो किन्तु कालान्तर में जीवित पैदा हुआ हो, और ऐसे बच्चे को इच्छापत्र रहित मृतक की मृत्यु के समय से ही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा।

56. समसामयिक मृत्यु के विषयों में उपधारणा – जहां दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मृत्युगत हुए हों, जिनमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से कोई दूसरे का उत्तरजीवी रहा या नहीं और रहा तो कौन सा, वहां जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाये, संपदा के उत्तराधिकार संबंधी सभी प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायेगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।

निरर्हतायें

57. पुनर्विवाह पर निरर्हता –
जहां किसी इच्छापत्र रहित मृतक के पूर्व–मृत नातेदार की विधवा या विधुर ने इच्छापत्र रहित मृतक के जीवनकाल में पुनर्विवाह कर लिया हो, वहां ऐसी विधवा या विधुर इच्छापत्र रहित मृतक की संपदा का उत्तराधिकारी नहीं होगा।

58. हत्यारा निरर्हित –
ऐसा व्यक्ति जो हत्या करता है या हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह हत व्यक्ति की संपदा, या ऐसी किसी अन्य संपदा, जिसमें उत्तराधिकार को अग्रसर करने के लिए उसने हत्या की थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, उत्तराधिकार पाने से निरर्हित होगा।

59. उत्तराधिकारी, जबकि उत्तराधिकारी निरर्हित हो–
यदि कोई व्यक्ति किसी संपदा को उत्तराधिकार में पाने से इस संहिता के अधीन निरर्हित हो, तो वह संपदा ऐसे न्यागत होगी मानो ऐसा व्यक्ति इच्छापत्र रहित मृतक की मृत्यु के पूर्व मृत हो चुका हो।

60. रोग, शारीरिक/मानसिक दोष या विकृति से निरर्हता न होना –
कोई व्यक्ति किसी रोग, शारीरिक/मानसिक दोष या विकृति के आधार पर, या इस संहिता में यथा उपबन्धित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, किसी संपदा का उत्तराधिकार पाने से निरर्हित न होगा।

अध्याय – 2

इच्छापत्रीय उत्तराधिकार

इच्छापत्र और क्रोडपत्र

61. **इच्छापत्र करने के लिए सक्षम व्यक्ति** – प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है, इच्छापत्र द्वारा अपनी संपदा का व्ययन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1 – ऐसे व्यक्ति, जो बधिर, मूक या अंधे हैं, उस कारण कोई इच्छापत्र करने से अक्षम नहीं हो जाते हैं यदि वे यह जानने में सक्षम हैं कि वे उसके द्वारा क्या कर रहे हैं।

स्पष्टीकरण 2 – कोई व्यक्ति, जो मामूली तौर पर उन्मत्त है, उस अन्तराल में, जब वह स्वस्थचित्त है इच्छापत्र कर सकता है।

स्पष्टीकरण 3 – कोई व्यक्ति जब वह, चाहे मत्तता से या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्‌भूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, तब इच्छापत्र नहीं कर सकता है।

दृष्टांत

(i) क यह अनुभव कर सकता है कि उसके आस–पास क्या घटित हो रहा है और सुपरिचित प्रश्नों का उत्तर दे सकता है किन्तु उसे अपनी संपदा की प्रकृति या उन व्यक्तियों के संबंध में, जो उसके रक्त संबंधी हैं या जिनके पक्ष में यह उचित होगा कि वह अपना इच्छापत्र करे, सक्षम समझ नहीं है। क विधिमान्य इच्छापत्र नहीं कर सकता है।

(ii) क अपने इच्छापत्र के रूप में एक लिखत निष्पादित करता है किन्तु वह न तो लिखत की प्रकृति और न उसके उपबंधों के प्रभाव को ही समझ सकता है। यह लिखत विधिसम्मत इच्छापत्र नहीं है।

(iii) क जो बहुत ही असशक्त और दुर्बल है, किन्तु अपनी संपदा के व्ययन की उचित रीति के संबंध में निर्णय लेने में समर्थ है, इच्छापत्र करता है। यह विधिमान्य इच्छापत्र है।

62. **कपट, प्रपीड़न या अतियाचना द्वारा अभिप्राप्त इच्छापत्र** – ऐसा इच्छापत्र या इच्छापत्र का कोई भाग, जो कपट, प्रपीड़न द्वारा या ऐसी अतियाचना द्वारा किया गया है, जिससे इच्छापत्रकर्ता की स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती, शून्य है।

दृष्टांत

(i) क, इच्छापत्रकर्ता से मिथ्या और जानबूझकर यह व्यपदेशन करता है कि इच्छापत्रकर्ता के एक मात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है या उसने कुछ कर्तव्य विरुद्ध कृत्य किए हैं और उसके द्वारा इच्छापत्रकर्ता को अपने पक्ष में इच्छापत्र करने के लिए उत्प्रेरित करता है; ऐसा इच्छापत्र कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है और अवैध है।

(ii) क, कपट और प्रवंचना द्वारा अपने पक्ष में उत्तरदान करने के लिए इच्छापत्रकर्ता पर अभिभावी हो जाता है, उत्तरदान शून्य है।

(iii) क, विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा बंदी रहते हुए अपना इच्छापत्र करता है। इच्छापत्र कारावास के कारण अवैध नहीं है।

(iv) क, ख को यह धमकी देता है कि यदि वह ग के पक्ष में इच्छापत्र नहीं करता है तो वह उसको गोली मार देगा या उसका घर जला देगा या उसे किसी दांडिक आरोप के लिए बंदी बना देगा। परिणामस्वरूप ख, ग के पक्ष में एक इच्छापत्र कर देता है। इच्छापत्र शून्य है, क्योंकि वह प्रपीड़न द्वारा कराया गया है।

(v) क, जिसमें, यदि दूसरे के प्रभाव द्वारा विघ्न न डाला जाए, इच्छापत्र करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है, ख के इतने नियंत्रण में है कि वह स्वतंत्र सत्ता का नहीं है, ख के बोलने के अनुसार इच्छापत्र करता है, यह प्रतीत होता है, यदि ख का भय न होता तो वह इच्छापत्र निष्पादित नहीं करता। इच्छापत्र अवैध है।

(vi) क पर, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना असशक्त है कि अतियाचना का प्रतिरोध नहीं कर सकता है, ख द्वारा किसी तात्पर्य का इच्छापत्र करने के लिए दबाव डाला जाता है और वह उससे छुटकारा पाने के लिए और ख की इच्छा के सामने झुकते हुए ऐसा करता है। इच्छापत्र अवैध है।

(vii) क के स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि वह अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है। ख कुछ तात्पर्य का इच्छापत्र करने के लिए उससे तत्काल निवेदन और अनुनय करता है। क निवेदन और अनुनय के अनुसरण में किन्तु अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का स्वतन्त्र उपयोग करते हुए ख द्वारा अनुशंसा की गई रीति से अपना इच्छापत्र करता है। इच्छापत्र ख के निवेदन और अनुनय के कारण अवैध नहीं होता है।

(viii) क, ख से कोई इच्छापत्रीय संपदा अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उसका ध्यान रखता है और उसकी चाटुकारिता करता है और उसके द्वारा उसमें क के प्रति एक अनुचित पक्षपात उत्पन्न कर देता है। ख ऐसे ध्यान और चाटुकारिता के परिणामस्वरूप अपना इच्छापत्र करता है जिससे वह क के लिए एक इच्छापत्रीय संपदा छोड़ता है। इच्छापत्र क

के ध्यान और चाटुकारिता के कारण अवैध नहीं हो जाता है।

63. इच्छापत्र प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकती है – इच्छापत्र को करने वाला इच्छापत्र को किसी समय जब वह इच्छापत्र द्वारा अपनी संपदा के व्ययन के लिए सक्षम हो, प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगा।

इच्छापत्रों का निष्पादन

64. इच्छापत्रों का निष्पादन –

(1) विशेषाधिकार रहित इच्छापत्रों का निष्पादन – प्रत्येक इच्छापत्रकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है अपने इच्छापत्र निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा –

(क) इच्छापत्रकर्ता इच्छापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा;

(ख) इच्छापत्रकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे यह प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को इच्छापत्र के रूप में प्रभावी करने का आशय था;

(ग) इच्छापत्र को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक ने इच्छापत्रकर्ता को इच्छापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए या चिह्न लगाते हुए देखा है या इच्छापत्रकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को इच्छापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है या इच्छापत्रकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है; और प्रत्येक साक्षी इच्छापत्रकर्ता की उपस्थिति में इच्छापत्र पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(2) विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र – कोई सैनिक, जो किसी अभियान में नियोजित किया गया है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ है या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो, उपधारा 3 में उपबन्धित रीति में

इच्छापत्र द्वारा अपनी संपदा का व्ययन कर सकेगा। ऐसे इच्छापत्र विशेषाधिकार वाले कहे जाते हैं।

दृष्टांत

(i) क को, जो किसी रेजीमेंट से संलग्न चिकित्सा अधिकारी है, किसी अभियान में वास्तव में नियोजित किया गया है। वह किसी अभियान में वास्तव में नियोजित सैनिक है, और विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र कर सकता है।

(ii) क, किसी वाणिज्यिक पोत में, जिसमें वह पोतनीस है, समुद्र पर है। वह एक जहाजी है और समुद्र पर होने के कारण विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र कर सकता है।

(iii) क, जो विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में सेवा कर रहा है वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ एक सैनिक है अतः, विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र कर सकता है।

(iv) क जो किसी पोत का जहाजी है, यात्रा के दौरान जब पोत बन्दरगाह में खड़ा है अस्थायी रूप से तट पर है। वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुद्र पर जहाजी है और विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र कर सकता है।

(v) क, एक एडमिरल है और नौसेना को समादिष्ट करता है किन्तु वह तट पर रहता है और अपने पोत पर केवल कभी–कभी जाता है, वह समुद्र पर नहीं माना जाता है और विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र नहीं कर सकता है।

(vi) क, जो किसी सैनिक अभियान में सेवा कर रहा जहाजी है किन्तु समुद्र पर नहीं है, एक सैनिक माना जाता है और विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र कर सकता है।

(3) विशेषाधिकार वाले इच्छापत्रों को करने की रीति और निष्पादन के नियम –

(क) विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र लिपिबद्ध रूप में हो सकते हैं या मौखिक शब्दों द्वारा किए जा सकते हैं।

(ख) विशेषाधिकार वाले इच्छापत्रों का निष्पादन निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा :–

(1) इच्छापत्र निष्पादक द्वारा अपने हस्तलेख में पूर्णतः लिखा जा सकता

है। ऐसे मामले में उस पर हस्ताक्षर या उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(ii) यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्णतः या आंशिकतः लिखा जा सकता है और इच्छापत्रकर्ता द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऐसे मामले में उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;

(iii) यदि इच्छापत्र तात्पर्यत कोई लिखत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्णतः या आंशिकतः लिखा गया है और उस पर इच्छापत्रकर्ता ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उसे उसका इच्छापत्र तब माना जाएगा यदि यह दर्शित किया जाए कि वह इच्छापत्रकर्ता के निर्देश द्वारा लिखी गई थी या उसने उसे अपने इच्छापत्र के रूप में मान्यता दी थी;

(iv) यदि लिखत को देखने से ही यह प्रकट होता है कि उसका निष्पादन इच्छापत्रकर्ता द्वारा आशयित रीति से पूरा नहीं किया गया था तो लिखत उस परिस्थिति के कारण अवैध नहीं होगी, किन्तु प्रतिबंध यह है कि तब जबकि उसके निष्पादन का न किया जाना लिखत में अभिव्यक्त इच्छापत्रीय आशयों को त्यागने से भिन्न कुछ अन्य कारण से युक्तियुक्त रूप में माना जा सकता है;

(v) यदि सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी ने अपना इच्छापत्र तैयार करने के लिए अनुदेश लिखे हैं किन्तु उसको तैयार किए जाने या निष्पादित किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे अनुदेशों को उसका इच्छापत्र गठित करने वाला माना जाएगा;

(vi) यदि सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी ने दो साक्षियों की उपस्थिति में अपना इच्छापत्र तैयार करने के लिए मौखिक अनुदेश दिया है और उन्हें उसके जीवनकाल में लिपिबद्ध कर लिया गया है किन्तु लिखत को तैयार और निष्पादित किए जाने के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी अनुदेशों को उसका इच्छापत्र गठित करने वाला माना जाएगा यद्यपि, उन्हें उसकी उपस्थिति में लिपिबद्ध नहीं किया गया है न ही उसे पढ़ कर सुना गया है;

(vii) सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी एक ही समय पर उपस्थित दो साक्षियों के समक्ष अपने आशय की घोषणा करके मौखिक शब्दों द्वारा इच्छापत्र कर सकता है;

(viii) मौखिक शब्दों द्वारा किया गया इच्छापत्र इच्छापत्रकर्ता के, यदि वह जीवित है, विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र करने का अधिकारी न रह जाने के पश्चात् एक मास के अवसान पर शून्य हो जाएगा।

65. **संदर्भ द्वारा अभिलेखों का सम्मिलित किया जाना** – यदि कोई इच्छापत्रकर्ता सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किसी इच्छापत्र या क्रोडपत्र में किसी अन्य अभिलेख को निर्दिष्ट करता है जो तब उसके आशय के किसी भाग को व्यक्त करते हुए वास्तव में लिखा गया है तो ऐसा अभिलेख उस इच्छापत्र या क्रोडपत्र का भाग माना जाएगा जिसमें उसको निर्दिष्ट किया गया है।

इच्छापत्रों का अनुप्रमाणन, प्रतिसंहरण, परिवर्तन और पुनः प्रवर्तन

66. **हित के कारण या निष्पादक होने के कारण साक्षी का निरर्हित न होना** – कोई व्यक्ति, इच्छापत्र में हित होने के कारण या उसका निष्पादक होने के कारण, इच्छापत्र के निष्पादन को सिद्ध करने के लिए या उसकी वैधता या अवैधता सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में निरर्हित नहीं होगा।

67. **इच्छापत्र या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण** –

(1) **विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण** – किसी विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग का प्रतिसंहरण किसी अन्य इच्छापत्र या क्रोडपत्र द्वारा, या ऐसे किसी लिखित रूप से, जिसमें उसे प्रतिसंहृत करने का आशय घोषित किया गया है और जिसे ऐसी रीति से निष्पादित किया गया है जिसमें किसी विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र को इसमें इसके पूर्व निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई है, या इच्छापत्रकर्ता द्वारा या उसकी उपस्थिति में और इसके निर्देश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा, उसे प्रतिसंहृत करने के आशय से, जलाकर, फाड़कर या अन्यथा नष्ट करके ही किया जाएगा, किसी अन्य रीति से नहीं।

दृष्टांत

(i) क ने एक विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र किया है। तत्पश्चात् वह दूसरा विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र करता है जिसका तात्पर्य प्रथम इच्छापत्र को प्रतिसंहृत करना है। यह प्रतिसंहरण है।

(ii) क ने एक विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र किया है। तत्पश्चात् क विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र करने का अधिकारी होने पर एक विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र करता है जिसका तात्पर्य विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र को प्रतिसंहृत करना है। यह प्रतिसंहरण है।

(2) **विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण** – कोई विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र या क्रोडपत्र इच्छापत्रकर्ता द्वारा किसी विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र या क्रोडपत्र द्वारा या उसे प्रतिसंहृत करने के आशय को व्यक्त करने वाले किसी कृत्य द्वारा और ऐसी औपचारिकताओं के साथ, जो किसी विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त हो, या उसे प्रतिसंहृत करने के आशय से इच्छापत्रकर्ता द्वारा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा उसे जलाकर, फाड़कर या अन्यथा विनष्ट करके प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण – किसी विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त औपचारिकताओं के साथ किसी कृत्य द्वारा विशेषाधिकार वाले इच्छापत्र या क्रोडपत्र को प्रतिसंहृत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इच्छापत्रकर्ता वह कार्य करते समय ऐसी स्थिति में हो जो उसे विशेषाधिकार वाला इच्छापत्र करने का अधिकारी बनाता है।

68. **विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र में मिटाने, अंतरालेखन या परिवर्तन का प्रभाव** – किसी विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र में उसके निष्पादन के पश्चात् किसी मिटाने, अंतरालेखन या किसी अन्य परिवर्तन का, जब तक कि ऐसे परिवर्तन का निष्पादन उसी रीति से नहीं किया गया है जैसा इसमें इसके पूर्व इच्छापत्र के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि इच्छापत्र के शब्द अपठनीय न हो गए हों या अर्थ समझ में न आता हो:

परन्तु इस प्रकार परिवर्तित इच्छापत्र को सम्यक् रूप से निष्पादित माना जाएगा यदि इच्छापत्रकर्ता का हस्ताक्षर या साक्षियों का सत्यापन ऐसे परिवर्तन के सामने या उसके निकट इच्छापत्र के पार्श्व में या उसके किसी अन्य भाग में या ऐसे परिवर्तन को निर्दिष्ट करने वाले और इच्छापत्र के अंत में या किसी अन्य भाग में लिखे गए किसी ज्ञापन के नीचे या अन्त में या उसके समक्ष किया गया हो।

69. **विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र का पुनः प्रवर्तन** –

(1) किसी विशेषाधिकार रहित इच्छापत्र या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग का, जो किसी भी रीति में प्रतिसंहृत कर दिया गया है, पुनः प्रवर्तन उसे पुनः निष्पादित करके या इसमें इसके पूर्व अपेक्षित रीति से निष्पादित और उसे पुनः प्रवर्तित करने का आशय दर्शित करने वाले किसी क्रोडपत्र द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई इच्छापत्र या क्रोडपत्र, जिसे, आंशिकतः प्रतिसंहृत किया गया है और तत्पश्चात् पूर्ण रूप से प्रतिसंहृत किया गया है, पुनः प्रवर्तित किया जाता

है, वहां ऐसे पुनः प्रवर्तन का विस्तार, जब तक कि इच्छापत्र या क्रोडपत्र में इसके विरुद्ध कोई आशय दर्शित न किया जाए, उसके उस भाग पर नहीं होगा जो उसको पूर्णरूप से प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व प्रतिसंहृत किया गया है।

इच्छापत्रों का अर्थान्वयन

70. **इच्छापत्र के शब्द** – यह आवश्यक नहीं है कि इच्छापत्र में कोई तकनीकी शब्द या पारिभाषिक पद रखे जाएं किन्तु केवल ऐसे शब्द आवश्यक हैं जिनसे इच्छापत्रकर्ता के आशय को जाना जा सके।

71. **इच्छापत्र को पाने वाले या उसकी विषयवस्तु से संबंधित किसी प्रश्न को अवधारित करने के लिए जांच** – ऐसे प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि इच्छापत्र में प्रयुक्त किन्हीं शब्दों द्वारा किस व्यक्ति या किस संपदा का द्योतन होता है कोई न्यायालय उन व्यक्तियों के, जो ऐसे इच्छापत्र के अधीन हितबद्ध होने का दावा करते हैं, उस संपदा के, जिसका व्ययन की विषयवस्तु के रूप में दावा किया गया है, इच्छापत्रकर्ता और उसके कुटुम्ब की परिस्थितियों के संबंध में, प्रत्येक तात्त्विक तथ्य की और ऐसे प्रत्येक तथ्य की जांच करेगा, जिसकी जानकारी उन शब्दों के, जिनका प्रयोग इच्छापत्रकर्ता ने किया है, सही उपयोग में साधक हैं।

दृष्टांत

(i) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, 100,000 रुपए का उत्तरदान अपने ज्येष्ठतम पुत्र या अपने कनिष्ठतम पौत्र–पौत्री–दौहित्र–दौहित्री या अपनी तहेरी/चचेरी/ फुफेरी/मौसेरी/ममेरी बहन/ गीता को करता है। न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए जांच कर सकता है कि इच्छापत्र में किया गया वर्णन किस व्यक्ति पर लागू होता है।*

(ii) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, ख को "रुद्रपुर फार्मस् नाम से ज्ञात मेरी संपदा" छोड़ जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इच्छापत्र की विषयवस्तु क्या है, अर्थात् इच्छापत्रकर्ता की कौन सी संपदा रुद्रपुर फार्मस् कही जाती है, साक्ष्य लेना आवश्यक हो सकता है।*

(iii) *क,* अपनी इच्छापत्र द्वारा *ख* को "वह संपदा जो *ग* से खरीदी है" छोड़ जाता है। सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी संपदा इच्छापत्रकर्ता ने *ग* से खरीदी है, साक्ष्य लेना आवश्यक हो सकता है।

72. **पाने वाले का मिथ्या नाम या मिथ्या वर्णन** –

(1) जहां किसी इच्छापत्रदार या इच्छापत्रदारों के किसी वर्ग को अभिहित या

वर्णित करने के लिए किसी इच्छापत्र में प्रयुक्त शब्दों से पर्याप्त रूप में यह दर्शित होता है कि उनसे क्या अभिप्रेत है वहां नाम या वर्णन में कोई त्रुटि इच्छापत्र को प्रभावी होने से नहीं रोकेगी।

(2) इच्छापत्रदार के नाम में किसी भूल को उसके वर्णन द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा और इच्छापत्रदार के वर्णन में ऐसी किसी भूल को उनके नाम द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा।

दृष्टांत

(i क "मेरे भाई मोहन के द्वितीय पुत्र संजय को" इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता का मोहन नाम का केवल एक भाई है जिसे संजय नाम का कोई पुत्र नहीं है किन्तु महेश नाम का द्वितीय पुत्र है। महेश को इच्छापत्रीय संपदा मिलेगी।

(ii) क "मेरे भाई मोहन के द्वितीय पुत्र संजय को" इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता का मोहन नाम का केवल एक भाई है जिसके प्रथम पुत्र का नाम संजय है और जिसके द्वितीय पुत्र का नाम महेश है। संजय इच्छापत्रीय संपदा लेगा।

(iii) इच्छापत्रकर्ता ग की धर्मज संतान क और ख को अपनी सपंत्ति का उत्तरदान करता है। ग की कोई धर्मज संतान नहीं है। किन्तु दो अधर्मज संतानें क और ख हैं। क और ख को इच्छापत्र प्रभावी होगी यद्यपि वे अधर्मज हैं।

(iv) इच्छापत्रकर्ता, अपनी अवशिष्ट संपदा को "मेरी सात संतानों" के बीच विभाजित किए जाने के लिए देता है और उनकी प्रगणना में केवल छह नामों का वर्णन करता है। यह चूक सातवीं संतान को दूसरों के साथ एक अंश लेने से नहीं रोकेगी ।

(v) इच्छापत्रकर्ता, जिसके छह पौत्र–पौत्री–दौहित्र दौहित्री हैं, "मेरे छह पौत्रों–पौत्रियों–दौहित्रों– दौहित्रियों" को उत्तरदान करता है और उनके नाम लिखते समय एक नाम को दो बार लिखता है और एक को बिल्कुल छोड़ देता है। जिसका नाम वर्णन नहीं किया गया है वह दूसरों के साथ एक अंश लेगा ।

(vi) इच्छापत्रकर्ता "क की तीन संतानों से प्रत्येक को 1,00,000 रुपए का उत्तरदान करता है इच्छापत्र की तिथि को क की चार संतानें हैं। इन चार संतानों में से प्रत्येक, यदि वह इच्छापत्रकर्ता की उत्तरजीवी है, 1,00,000 रुपए की इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त करेगी ।

73. **शब्दों की पूर्ति कब की जाएगी** – जहां अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तात्त्विक किसी शब्द का लोप हो गया है वहां उसकी पूर्ति संदर्भ द्वारा की जाएगी ।

दृष्टांत

इच्छापत्रकर्ता "50,000" की इच्छापत्रीय संपदा अपनी पुत्री क को और "50,000 रुपए" की इच्छापत्रीय संपदा अपनी पुत्री ख को देता है। क 50,000 रुपए की इच्छापत्रीय संपदा लेगी ।

74. **विषयवस्तु के वर्णन में गलत वर्णन का अस्वीकार किया जाना** – यदि उस वस्तु की, जिसकी उत्तरदान करने का इच्छापत्रकर्ता का आशय था, पर्याप्त पहचान इच्छापत्र में दिए गए उसके वर्णन से की जा सकती है किन्तु वर्णन के कुछ भाग लागू नहीं होते हैं तो वर्णन के उन भागों को अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वह गलत है, और उत्तरदान प्रभावी होगा।

दृष्टांत

क, "मेरी कच्छ भूमि जो, ठ में स्थित है और म के अधिभोगाधीन है" ख को इच्छापत्र करता है। इच्छापत्रकर्ता के पास ठ में स्थित कच्छ भूमि थी किन्तु म के अधिभोगाधीन कच्छ भूमि नहीं थी। "म के अधिभोगाधीन" शब्दों को अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वे गलत हैं और ठ में स्थित इच्छापत्रकर्ता की कच्छ भूमि इच्छापत्र द्वारा संक्रांत होगी।

75. **वर्णन का भाग कब अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह गलत है** – यदि किसी इच्छापत्र में उस वस्तु के वर्णन स्वरूप, जिसका उत्तरदान करने का इच्छापत्रकर्ता का आशय था, विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया है और उसकी ऐसी कोई संपदा है जिसके संबंध में वे सभी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो उत्तरदान ऐसी संपदा तक सीमित समझी जाएगी और वर्णन के किसी भाग को उस कारण कि इच्छापत्रकर्ता के पास ऐसी अन्य संपदायें थीं जिसे वर्णन का ऐसा भाग लागू नहीं होता है, गलत मानकर अस्वीकार करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – यह निर्णय करने के लिए कि मामला इस धारा के अर्थ के अधीन आता है कि नहीं ऐसे किन्हीं शब्दों को जो धारा 74 के अधीन अस्वीकार किए जा सकते हों, इच्छापत्र में से काट दिया गया समझा जाएगा।

दृष्टांत

(*i*) *मेरी कच्छ भूमि, जो ठ में स्थित है और म के अधिभोगाधीन है" ख को उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता के पास ठ में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें*

से कुछ भ के अधिभोगाधीन थी। और कुछ भ के अधिभोगाधीन नहीं थी। इच्छापत्र को इच्छापत्रकर्ता की ठ में स्थित ऐसी कच्छ भूमि तक ही सीमित समझा जाएगा जो भ के अधिभोगाधीन है।

(ii) *क, "मेरी कच्छ भूमि, जो ठ में स्थित है और भ के अधिभोगाधीन है और जिसमें 1,000 बीघा भूमि है" ख को उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता की क में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें से कुछ भूमि भ के अधिभोगाधीन थी और कुछ भ के अधिभोगाधीन नहीं थी। दिया गया माप किसी भी वर्ग की कच्छ भूमि या दोनों को मिलाकर संपूर्ण कच्छ भूमि पर लागू नहीं होता है। यह माना जाएगा कि माप इच्छापत्र में से काट दिया गया है और ठ में स्थित इच्छापत्रकर्ता की ऐसी कच्छ भूमि, जो भ के अधिभोगाधीन हो, उत्तरदान द्वारा संक्रांत होगी।*

76. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता के मामलों में बाहरी साक्ष्य की ग्राह्यता – जहां इच्छापत्र के शब्द असंदिग्ध हैं किन्तु बाहरी साक्ष्य से यह पाया जाता है कि उसके एक से अधिक उपयोजन हो सकते हैं जिसमें एक ही इच्छापत्रकर्ता द्वारा आशयित रहा होगा वहां यह दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकता है कि आशय उनमें से किस उपयोजन का था ।

दृष्टांत

(i) *एक व्यक्ति जिसकी सुनीता नाम की दो भांजियां हैं "मेरी भांजी सुनीता" को कुछ धन राशि इच्छापत्र करता है। यह प्रतीत होता है कि ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक इच्छापत्र में दिए गए वर्णन के अनुरूप हैं। अतः इस वर्णन के दो उपयोजन हैं जिनमें से इच्छापत्रकर्ता का आशय केवल एक रहा होगा। यह दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकता है कि इच्छापत्रकर्ता का आशय दोनों उपयोजनों में से किस उपयोजन से था।*

(ii) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा "चकराता फार्महाऊस नामक मेरी संपदा" ख को छोड़ जाता है। यह प्रकट होता है कि उसके पास चकराता फार्महाऊस नामक दो संपदाएं थीं। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य हो सकता है कि उसका आशय किस संपदा से था।*

77. प्रत्यक्ष संदिग्धार्थता या कमी से मामलों में बाहरी साक्ष्य की अग्राह्यता – जहां इच्छापत्र में प्रत्यक्षतः संदिग्धार्थता या कमी है वहां इच्छापत्रकर्ता के आशय के बारे में कोई बाहरी साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा।

दृष्टांत

(i) व्यक्ति क की एक चाची संगीता और एक भतीजी राधा है और राधा नाम की कोई चाची नहीं है। अपने उत्तरदान द्वारा वह 1,00,000 रुपए "मेरी चाची

संगीता" के लिए और 1,00,000 रुपए "मेरी भतीजी राधा" के लिए इच्छापत्र करता है और तत्पश्चात् 2,00,000 रुपए "मेरी पूर्व वर्णित चाची राधा" के लिए उत्तरदान करता है। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे इच्छापत्र में दिया गया वर्णन लागू हो सकता है और यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा कि "मेरी पूर्व वर्णित चाची राधा" से कौन अभिप्रेत था। अतः उत्तरदान धारा 85 के अधीन अनिश्चितता के कारण शून्य है।

(ii) *क..... को इच्छापत्रदार का नाम खाली छोड़कर 1,00,000 रुपए का उत्तरदान करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं है कि इच्छापत्रकर्ता का आशय कौन सा नाम अन्तःस्थापित करने का था।*

(iii) *क ख को.....रुपए या.....की मेरी संपदा" का इच्छापत्र करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं है कि कितनी राशि या किस संपदा को अंतःस्थापित करने का इच्छापत्रकर्ता का आशय था।*

78. **खंड का अर्थ सम्पूर्ण इच्छापत्र से निकाला जाना** – इच्छापत्र के किसी खंड का अर्थ सम्पूर्ण लिखत से निकाला जाएगा और उसके सभी भागों का अर्थान्वयन एक दूसरे के प्रति निर्देश से किया जाएगा।

दृष्टांत

(i) *इच्छापत्रकर्ता क की मृत्यु पर ख को विनिर्दिष्ट निधि या संपदा देता है और पश्चात्वर्ती खंड द्वारा अपनी सम्पूर्ण संपदा क को देता है। विभिन्न खंडों का एक साथ मिलकर प्रभाव विनिर्दिष्ट निधि या संपदा को क में जीवनकाल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख में निहित करना है। ख के उत्तरदान से यह प्रतीत होता है कि इच्छापत्रकर्ता का आशय उन शब्दों का निर्बन्धित अर्थों में प्रयोग करने का था जिसमें उसने यह वर्णित किया है कि वह क को क्या देता है।*

(ii) *जहां इच्छापत्रकर्ता के पास एक ऐसी संपदा है जिसका एक भाग माऊन्टेन व्यू फार्म कहा जाता है, अपनी सम्पूर्ण संपदा का क को उत्तरदान करता है और अपने इच्छापत्र के दूसरे भाग में माऊन्टेन व्यू फार्म का ख को उत्तरदान करता है। पश्चात्वर्ती उत्तरदान को प्रथम उत्तरदान के अपवाद के रूप में पढ़ा जाएगा मानो उसने यह कहा हो कि "मैं माऊन्टेन व्यू फार्म ख को देता हूँ और अपनी सभी शेष संपदा क को देता हूँ"।*

79. **शब्दों को कब सीमित अर्थों में और कब प्रायिक से विस्तृत अर्थों में समझा जाएगा** – साधारण शब्दों को सीमित अर्थों में समझा जा सकेगा जहां इच्छापत्र से

यह अर्थ निकाला जा सके कि इच्छापत्रकर्ता उनके उपयोग सीमित अर्थों में करना चाहता था और जहां इच्छापत्र के अन्य शब्दों से यह अर्थ निकाला जा सके कि इच्छापत्रकर्ता उनका उपयोग उनके प्रायिक अर्थों से विस्तृत अर्थों में करना चाहता था वहां शब्दों को उनके विस्तृत अर्थों में समझा जा सकेगा।

दृष्टांत

(i) *इच्छापत्रकर्ता क को "ख के अधिभोगाधीन मेरा फार्म" और ग को "ठ में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि" देता है। ख के अधिभोगाधीन फार्म का एक भाग ठ में स्थित कच्छभूमि है, और इच्छापत्रकर्ता की ठ में स्थित अन्य कच्छभूमि भी है। साधारण शब्द "ठ में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि" क को किए गए दान द्वारा सीमित हैं। क, ख के अधिभोगाधीन सम्पूर्ण फार्म लेगा जिसमें फार्म का यह प्रभाग भी सम्मिलित है, जिसमें ठ में स्थित कच्छभूमि है।*

(ii) *इच्छापत्रकर्ता (जो पोत पर एक नाविक है) अपनी माता को अपनी सोने की अंगूठी, बटन और कपड़ों की पेटी और अपने मित्र क (पोत के साथी) को अपना लाल सन्दूक, खटकेदार चाकू और ऐसी सभी वस्तुऐं, जो पहले इच्छापत्र न की गई हों, का उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता का किसी घर में अंश इस उत्तरदान के अधीन क को संक्रांत नहीं होता है।*

(iii) *क अपने इच्छापत्र द्वारा ख को अपना सभी घरेलू फर्नीचर, प्लेट, वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, पुस्तकें, चित्र और सभी प्रकार के सभी अन्य माल का उत्तरदान करता है और उसके बाद ख को अपनी संपदा के एक भाग का उत्तरदान करता है, प्रथम उत्तरदान के अधीन ख इच्छापत्रकर्ता की केवल ऐसी वस्तुओं का अधिकारी है जो उसमें प्रगणित वस्तुओं की प्रकृति की है।*

80. **दो सम्भाव्य अर्थान्वयन में से किसे अधिमान दिया जाएगा** – जहां किसी खण्ड के दो अर्थ सम्भव हैं जिनमें से एक के अनुसार उसका कुछ प्रभाव होता है और दूसरे के अनुसार उसका कोई प्रभाव नहीं होता है वहां पूर्ववर्ती को अधिमान दिया जाएगा।

81. **यदि युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जा सके तो किसी भाग को अस्वीकृत न किया जाना** – यदि इच्छापत्र के किसी भाग का युक्तियुक्त अर्थान्वयन सम्भव है तो उसे अर्थहीन मानकर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

82. **इच्छापत्र के विभिन्न भागों में पुनः प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन** – यदि एक ही इच्छापत्र के विभिन्न भागों में एक ही शब्द आते हैं तो जब तक कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो तो उनके बारे में यह माना जाएगा कि उनका प्रयोग सर्वत्र एक ही अर्थ में हुआ है।

83. **जहां तक संभव हो इच्छापत्रकर्ता के आशय को प्रभावी बनाया जाना** – इच्छापत्रकर्ता के आशय को इसलिए अपास्त नहीं किया जाएगा कि वह पूर्ण रूप से प्रभावशील नहीं हो सकता है किन्तु उसे, जहां तक सम्भव हो, प्रभावशील किया जाएगा ।

84. **दो असंगत खंडों में से अंतिम का अभिभावी होना** – जहां इच्छापत्र के दो खंडों में ऐसा अनमेल है कि वे साथ–साथ नहीं रह सकते हैं वहां अंतिम खंड अभिभावी होगा ।

दृष्टांत

(i) *इच्छापत्रकर्ता अपने इच्छापत्र के प्रथम खंड द्वारा अपनी चमोली की संपदा "क के लिए" छोड़ता है और अपने इच्छापत्र के अंतिम खंड द्वारा उसे "ख के लिए न कि क के लिए" छोड़ता है। वह ख को मिलेगी।*

(ii) यदि कोई व्यक्ति इच्छापत्र के प्रारंभ में अपना गृह *क* को देता है और उसके अंत में यह निर्देश देता है कि उसके गृह का विक्रय किया जाएगा और उसके आगमों को ख के लाभ के लिए विनिहित किया जाएगा, तो अंतिम व्ययन अभिभावी होगा।

85. **अनिश्चितता के कारण इच्छापत्र या उत्तरदान का शून्य होना** – कोई इच्छापत्र या इच्छापत्र जिसमें कोई निश्चित आशय व्यक्त नहीं होता है, अनिश्चितता के कारण शून्य है।

दृष्टांत

यदि कोई इच्छापत्रकर्ता यह कहता है कि "मैं माल क को उत्तरदान करता हूँ" या "मैं क को उत्तरदान करता हूँ' या "मैं अनुसूची में वर्णित सभी माल क के लिए छोड़ता हूँ" और कोई अनुसूची नहीं पाई जाती है, या 'धान', 'गेहूँ', 'तेल' या ऐसी ही वस्तुऐं "क के लिए उत्तरदान करता हूँ" और उसकी मात्रा नहीं बताता है; यह शून्य है।

86. **वस्तुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर, वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करना** – इच्छापत्र में अंतर्विष्ट संपदा के, जो दान की विषयवस्तु है, वर्णन को जब तक इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रतीत न हो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करने वाला और सम्मिलित करने वाला समझा जाएगा।

87. **साधारण उत्तरदान द्वारा निष्पादित नियोजन की शक्ति** – जब तक कि इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रतीत न हो इच्छापत्रकर्ता की संपदा के उत्तरदान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें ऐसी कोई संपदा सम्मिलित है जिसे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, इच्छापत्र द्वारा नियोजित करने की उसे शक्ति है और वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी; और साधारण रीति से वर्णित संपदा के उत्तरदान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें ऐसी संपदा सम्मिलित है जिस पर ऐसा वर्णन लागू हो सके, और जिसे ऐसे किसी उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, नियोजित करने की उसे शक्ति है और वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी।

88. **नियोजन के अभाव में शक्तियों के उद्देश्यों के लिए विवक्षित दान** – जहां संपदा ऐसे कतिपय उद्देश्यों के लिए या उसके लाभ के लिए, जैसा कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे या कतिपय उद्देश्यों के लाभ के लिए ऐसे अनुपात में, जो कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे, इच्छापत्र किया गया है और इच्छापत्र में, नियोजन न किए जाने की दशा में, कोई उपबन्ध नहीं है; वहां, यदि इच्छापत्र द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है तो संपदा शक्ति के सभी उद्देश्यों के लिए समान अंशों में प्रयुक्त होती है।

दृष्टांत

क अपने उत्तरदान द्वारा एक निधि अपनी पत्नी को जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान करता है और निर्देश देता है कि पत्नी की मृत्यु पर यह उसकी संतानों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा उसकी पत्नी नियोजित करे। विधवा कोई नियोजन किए बिना मर जाती है। निधि संतानों में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

89. **किसी व्यक्ति के "उत्तराधिकारियों" आदि को, विशेषित करने वाले शब्द के बिना उत्तरदान** – जहां "उत्तराधिकारियों" या "सही उत्तराधिकारियों" या "नातेदारों" या "समीपतम नातेदारों" या "कुटम्ब" या "रक्त संबंधी" या "निकटतम संबंधी" या "निकट संबंधी" को विशेषित करने वाले किसी शब्द के बिना, उत्तरदान किया जाता है और ऐसा अभिहित वर्ग को उत्तरदान किया जाना प्रत्यक्ष और स्वतन्त्र उद्देश्य है वहां उत्तरदान की गई संपदा इस प्रकार वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी जिसकी इच्छापत्ररहित मृत्यु, उसके ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से स्वतंत्र आस्तियां छोडते हुए हुई।

दृष्टांत

(i) *क अपनी संपदा "मेरे अपने निकटतम नातेदारों" के लिए छोड़ता है। संपदा उन्हें मिलेगी जो उसके अधिकारी होते यदि क अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से स्वतंत्र रूप से आस्तियां छोड़कर, इच्छापत्र किए बिना मर गया होता।*

(ii) *क, 10,000 रुपए का उत्तरदान "ख को, उसके जीवन पर्यन्त, और ख की मृत्यु के पश्चात् मेरे अपने सही उत्तराधिकारियों के लिए" करता है। इच्छापत्रीय संपदा ख की मृत्यु के पश्चात् उनकी होगी जो उसके लिए अधिकारी होते यदि वह क की इच्छापत्र न की गई संपदा की भाग होती।*

(iii) *क अपनी संपदा को ख के लिए; किन्तु यदि ख की मृत्यु उसके पूर्व हो जाती है तो ख के निकट संबंधी के लिए छोड़ता है; ख की मृत्यु क के पूर्व हो जाती है; संपदा वैसे ही न्यागत होगी मानो वह ख की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से पृथक् आस्तियां छोड़कर, इच्छापत्र किए बिना मृत्यु हो गई थी।*

(iv) *क, 10,000 रुपए "ख को उसके जीवन पर्यन्त" और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के उत्तराधिकारी के लिए छोड़ता है। इच्छापत्रीय संपदा वैसे ही मिलेगी मानो वह ग की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी इच्छापत्रीय संपदा से पृथक् आस्तियां छोड़कर, इच्छापत्र किए बिना मृत्यु हो गई थी।*

90. विशिष्ट व्यक्ति के "प्रतिनिधियों" आदि को उत्तरदान – जहां, कोई उत्तरदान किसी "विशिष्ट व्यक्ति के प्रतिनिधियों" या "विधिक प्रतिनिधियों" या "वैयक्तिक प्रतिनिधियों" या "निष्पादकों" या "प्रशासकों" को किया गया है और इस प्रकार अभिहित वर्ग उत्तरदान का प्रत्यक्ष और स्वतंत्र उद्देश्य है तो उत्तरदान की गई संपदा वैसे ही वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी और उसकी, इसके संबंध में इच्छापत्र किए बिना, मृत्यु हो गई थी।

दृष्टांत

क के "विधिक प्रतिनिधियों" के लिए एक उत्तरदान किया गया है। क की इच्छापत्र किए बिना और दिवालिया के रूप में मृत्यु हो गई है। ख उसका प्रशासक है।

ख इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त करने का अधिकारी है और उसका उपयोग प्रथमतः क के ऋणों के ऐसे भाग को चुकाने में करेगा जिसका संदाय नहीं किया गया है; यदि कोई अतिशेष हो तो उसका संदाय उन व्यक्तियों को, जो क की ऐसी संपदा को, जो

उसके ऋणों का संदाय करने के पश्चात् बची हो, प्राप्त करने का अधिकारी होते या ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को संदत्त करेगा।

91. **परिसीमा संबंधी शब्दों के बिना उत्तरदान** – जहां संपदा किसी व्यक्ति को उत्तरदान में दी जाती है वहां वह उसमें, जब तक कि इच्छापत्र से यह प्रकट न हो कि उसके लिए केवल सीमित हित का आशय था, इच्छापत्रकर्ता के संपूर्ण हित का अधिकारी होता है।

92. **विकल्प में उत्तरदान** – जहां संपदा का उत्तरदान किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के वर्ग के लिए विकल्प में उत्तरदान के साथ किया गया है वहां यदि इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रकट नहीं होता है तो प्रथम नामित इच्छापत्रदार इच्छापत्रीय संपदा का अधिकारी होगा यदि वह उस समय जीवित है जब वह प्रभावी होता है; किन्तु यदि वह उस समय पर मर चुका है तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो विकल्प की दूसरी शाखा में नामित है, इच्छापत्रीय संपदा लेगा ।

दृष्टांत

(i) *एक उत्तरदान क के लिए या ख के लिए किया जाता है। क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है। ख को कुछ नहीं मिलता है।*

(ii) *एक उत्तरदान क के लिए या ख के लिए किया जाता है। क की मृत्यु इच्छापत्र की तिथि के पश्चात् और इच्छापत्रकर्ता के पूर्व हो जाती है। इच्छापत्र सम्पदा ख को मिलती है।*

(iii) *एक उत्तरदान क के लिए या ख के लिए किया जाता है। क की मृत्यु इच्छापत्र की तिथि को हो जाती है। इच्छापत्रीय संपदा ख को मिलती है।*

(iv) *संपदा का उत्तरदान क के लिए या उसके उत्तराधिकारियों के लिए किया जाता है। क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है। क संपदा को पूर्णतः लेता है।*

(v) *संपदा का उत्तरदान क के लिए या उसके निकटतम संबंधी के लिए किया जाता है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर क के निकटतम संबंधी के लिए उत्तरदान प्रभावी होता है।*

(vi) *संपदा का उत्तरदान क को उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख या उसके उत्तराधिकारियों के लिए किया जाता है। क और ख इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में ही हो*

जाती है। क की मृत्यु पर ख के उत्तराधिकारियों को उत्तरदान प्रभावी होगा।

(vii) *संपदा का उत्तरदान क को उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख या उसके उत्तराधिकारियों के लिए किया जाता है। ख की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है। क की मृत्यु पर ख के उत्तराधिकारियों के लिए उत्तरदान प्रभावी होगा।*

93. **किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदान में किसी वर्ग का वर्णन करने वाले शब्दों को जोड़ने का प्रभाव** – जहां संपदा का उत्तरदान किसी व्यक्ति के लिए किया गया है और ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जो व्यक्तियों के किसी वर्ग का वर्णन करते हैं किन्तु उन्हें किसी विशिष्ट और स्वतंत्र दान के प्रत्यक्ष उद्देश्य के रूप में घोषित नहीं करते हैं वहां ऐसा व्यक्ति, जब तक इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रकट न हो उसमें इच्छापत्रकर्ता के सम्पूर्ण हित का अधिकारी होगा।

दृष्टांत

(i) कोई उत्तरदान –

क और उसकी सन्तानों के लिए,

क और उसकी वर्तमान पत्नी द्वारा उसकी संतानों के लिए,

क और उसके उत्तराधिकारियों के लिए,

क और उसके औरस उत्तराधिकारियों के लिए,

क और उसके औरस पुरुष उत्तराधिकारियों के लिए,

क और उसके औरस स्त्री उत्तराधिकारियों के लिए,

क और उसकी संतति के लिए,

क और उसके कुटुम्ब के लिए,

क और उसके वंशजों के लिए,

क और उसके प्रतिनिधियों के लिए,

क और उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों के लिए,

क और उसके निष्पादकों और प्रशासकों के लिए,

किया जाता है।

इन प्रत्येक मामलों में, क वह सम्पूर्ण हित प्राप्त करता है, जो इच्छापत्रकर्ता संपदा में रखता था।

(ii) *एक उत्तरदान क और उसके भाइयों के लिए किया जाता है। क और उसके भाई इच्छापत्रीय संपदा के लिए संयुक्त रूप से अधिकारी हैं।*

(iii) *एक उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतति के लिए किया जाता है। क की मृत्यु पर संपदा ऐसे सभी व्यक्तियों की, जो क की संतति के वर्णन में आते हों, समान अंशों में होगा।*

94. **केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को उत्तरदान** – जहां केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को उत्तरदान किया जाता है वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे वर्णन के शब्द उनके मामूली अर्थों में लागू नहीं होते हैं, इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त नहीं करेगा।

95. **पदों का अर्थान्वयन** – इच्छापत्र में –

(क) "संतानें" शब्द उस व्यक्ति के जिसकी संतानें कही जाती हैं, केवल प्रथम डिग्री के पदों का अर्थान्वयन रैखिक वंशजों पर लागू होता है;

(ख) "पौत्र–पौत्री–दौहित्र–दौहित्री" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके पौत्र–पौत्री–दीहित्र–दौहित्री कहे जाते हैं, केवल द्वितीय डिग्री के रैखिक वंशजों पर लागू होते हैं;

(ग) "भतीजा/भांजा" और "भतीजी/भांजी" शब्द केवल भाईयों या बहन की संतानों पर लागू होते हैं:

(घ) "वंशज" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके "वंशज" कहे जाते हैं, सभी रैखिक वंशजों को, वे चाहे जो हों, लागू होते हैं,

(ङ) सांपार्श्विक नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले शब्द पूर्ण रक्त व अर्ध रक्त नातेदारों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(च) नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले सभी शब्द गर्भस्थ संतान पर लागू होते हैं, जो बाद में जीवित जन्म लेती है।

96. **जहां इच्छापत्र में एक ही व्यक्ति को दो उत्तरदान करने का तात्पर्य हो वहां अर्थान्वयन के सिद्धांत** – जहां किसी इच्छापत्र में एक ही व्यक्ति को दो उत्तरदान करने का तात्पर्य है और यह प्रश्न उठता है कि क्या इच्छापत्रकर्ता का प्रथम उत्तरदान के स्थान पर या उसके अतिरिक्त द्वितीय उत्तरदान करने का आशय था,

वहां यदि इच्छापत्र में यह दर्शित करने के लिए कोई बात नहीं है कि उसका क्या आशय था तो इच्छापत्र के अर्थान्वयन का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रभावी होंगे –

(क) यदि एक ही विशिष्ट वस्तु एक ही इच्छापत्र में या इच्छापत्र में और फिर क्रोडपत्र में एक ही इच्छापत्रदार को दो बार उत्तरदान किया गया है तो वह केवल उस विनिर्दिष्ट वस्तु को प्राप्त करने का अधिकारी है।

(ख) जहां एक ही इच्छापत्र में या एक ही क्रोडपत्र में, दो स्थानों पर एक ही वस्तु की एक मात्रा या परिमाण को एक ही व्यक्ति को उत्तरदान किए जाने का तात्पर्य है, वहां वह ऐसी केवल एक इच्छापत्रीय संपदा का अधिकारी होगा।

(ग) जहां एक ही इच्छापत्र या एक ही क्रोडपत्र में एक ही व्यक्ति के लिए असमान मात्रा की दो इच्छापत्रीय संपदाएं दी गई हैं वहां इच्छापत्रदार दोनों का अधिकारी हैं।

(घ) जहां, चाहे समान या चाहे असमान मात्रा की, दो इच्छापत्रीय संपदाएं जिनमें से एक इच्छापत्र द्वारा और दूसरी क्रोडपत्र द्वारा या प्रत्येक भिन्न–भिन्न क्रोडपत्रों द्वारा, एक ही इच्छापत्रदार को दी गई है वहां इच्छापत्रदार दोनों इच्छापत्रीय संपदाओं का अधिकारी है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के खंड (क) से (घ) तक में "इच्छापत्र" शब्द में क्रोडपत्र सम्मिलित नहीं है।

दृष्टांत

(i) *क ने, जिसके स्टेट बैंक आफ इंडिया में केवल दस शेयर हैं अधिक नहीं, एक इच्छापत्र किया है जिसमें उसके प्रारम्भिक भाग में "मैं स्टेट बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को ख के लिए उत्तरदान करता हूँ" शब्द अन्तर्विष्ट हैं। अन्य इच्छापत्रों के पश्चात् इच्छापत्र की समाप्ति "और मैं स्टेट बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को ख के लिए उत्तरदान करता हूँ" शब्दों से होती है। ख केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया में क के दस शेयरों को प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(ii) *क जिसके पास एक हीरे की अंगूठी है जो ख ने उसे दी है, उस हीरे की अंगूठी को जो ख ने दी है ग को उत्तरदान करता है। तत्पश्चात् क ने अपने इच्छापत्र के लिए एक क्रोडपत्र तैयार किया है और उसके द्वारा अन्य इच्छापत्रीय संपदाओं को देने के पश्चात् उसने उस हीरे की अंगूठी को, जो ख*

ने उसे दी थी ग के लिए उत्तरदान किया है। ग उस हीरे की अंगूठी के सिवाय, जो ख ने क को दी थी, किसी भी वस्तु का दावा नहीं कर सकता है।

(iii) *क अपने इच्छापत्र द्वारा ख के लिए 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है। और तत्पश्चात् उसी इच्छापत्र में उत्तरदान को उन्हीं शब्दों में दोहराता है। ख केवल 50,000 रुपए की एक इच्छापत्रीय संपदा का अधिकारी है।*

(iv) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है और तत्पश्चात् उसी इच्छापत्र में ख के लिए 60,000 रुपए का उत्तरदान करता है। ख 1,10,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(v) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है और इच्छापत्र के क्रोडपत्र द्वारा वह उसे 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है। ख 1,00,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(vi) *क, अपने इच्छापत्र में एक क्रोडपत्र द्वारा ख के लिए 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है और दूसरे क्रोडपत्र द्वारा उसके लिए 60,000 रुपए का उत्तरदान करता है। ख 110,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(vii) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा "ख के लिए क्योंकि वह मेरी परिचारिका थी" 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है और इच्छापत्र के अन्य भाग में ख के लिए, "क्योंकि वह मेरी संतानों के साथ इंग्लैण्ड गई थी", 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है। ख 1,00,000 रुपए प्राप्त करने की अधिकारी है।*

(viii) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की राशि और इच्छापत्र के अन्य भाग में 4,000 रुपए की एक वार्षिकी का उत्तरदान करता है। ख दोनों इच्छापत्र संपदाओं का अधिकारी है।*

(ix) *क, अपने इच्छापत्र द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की धनराशि उत्तरदान करता है और यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो 50,000 रुपए की धनराशि का भी उत्तरदान करता है। ख 50,000 रुपए की एक राशि के लिए पूर्णरूप से अधिकारी है और 50,000 रुपए की दूसरी राशि में समाश्रित हित प्राप्त करता है।*

97. **अवशिष्टीय इच्छापत्रदार का गठन** – किसी अवशिष्टीय इच्छापत्रदार का गठन ऐसे किसी शब्दों द्वारा किया जा सकेगा जो इच्छापत्रकर्ता की ओर से यह आशय दर्शित करे कि अभिहित व्यक्ति उसकी संपदा का अतिशेष या अवशिष्ट लेगा।

दृष्टांत

(i) *क अपना इच्छापत्र करती है, जिसमें बहुत से इच्छापत्रसहित मृतक के अभिलेख हैं, जिसमें से एक में निम्नलिखित शब्द अंतर्विष्ट है – "मैं यह सोचती हूँ कि सभी अन्त्येष्टि के खर्च आदि चुकाने के पश्चात् ख को, जो स्कूल में है, ऐसी किसी वृत्ति के लिए, जिसमें वह उसके पश्चात् नियुक्त किया जाए, उसे योग्य बनाने की दृष्टि से देने के लिए कुछ बचेगा"। ख को अविशिष्टीय इच्छापत्रदार गठित किया गया है।*

(ii) *क, अपना इच्छापत्र करता है, जिसके अन्त में निम्नलिखित अंश है – "मुझे विश्वास है कि मेरे बैंककार के हाथ में, मेरे ऋणों को अदा करने और चुकाने के लिए, पर्याप्त धन मिलेगा। मैं इसके द्वारा चाहता हूँ कि ख यह कार्य करे और अवशेष को वह अपने उपयोग और भोग के लिए रखे। ख को अवशिष्टीय इच्छापत्रदार गठित किया गया है।*

(iii) *क कुछ स्टाकों और निधियों को छोड़कर, जिसे वह ग के लिए उत्तरदान करता है, अपनी सभी संपदा ख के लिए उत्तरदान करता है। ख अवशिष्टीय इच्छापत्रदार है।*

98. **संपदा, जिसके लिए अवशिष्टीय इच्छापत्रदार अधिकारी है** – अवशिष्टीय इच्छापत्र के अधीन, इच्छापत्रदार, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर, उसकी ऐसी सभी संपदा के लिए अधिकारी है, जिसका उसने ऐसा कोई अन्य इच्छापत्रीय व्यथन नहीं किया है जो प्रभावी हो सके।

दृष्टांत

क अपने इच्छापत्र द्वारा कतिपय इच्छापत्रीय संपदाओं का उत्तरदान करता है जिनमें से एक शून्य है और दूसरी इच्छापत्रदार की मृत्यु द्वारा व्यपगत हो जाती है। वह अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान ख के लिए करता है। अपने इच्छापत्र की तिथि के पश्चात् क एक सम्पदा खरीदता है जो उसकी मृत्यु के समय उसकी रहती है, ख अवशिष्ट भाग के रूप में उन दो इच्छापत्रीय संपदाओं और खरीदी गई सम्पदा का अधिकारी है।

99. **साधारण निबन्धनों वाली इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने का समय** – यदि कोई संपदा साधारण निबन्धनों के अनुसार दी गई है और वह समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वह कब संदत्त की जाएगी तो इच्छापत्रदार का हित उसमें इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के दिन से निहित होता है, और, यदि उसकी मृत्यु उसे प्राप्त

किए बिना हो जाती है तो वह उसके प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी।

100. इच्छापत्रीय संपदा किन मामलों में व्यपगत होती है –

(1) यदि इच्छापत्रदार इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी नहीं है तो इच्छापत्र प्रभावी नहीं होगा, किन्तु व्यपगत हो जाएगा और इच्छापत्रकर्ता की संपदा का अवशिष्ट भाग होगा, जब तक कि इच्छापत्र से यह प्रकट न हो कि इच्छापत्रकर्ता का आशय था कि वह किसी अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए।

(2) अधिकारी बनने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि वह इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी था।

दृष्टांत

(i) *इच्छापत्रकर्ता ख के लिए "50,000 रुपए, जिसका ख मुझे देनदार है" उत्तरदान करता है। ख की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है; इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत हो जाती है।*

(ii) *क और उसकी संतानों के लिए एक उत्तरदान किया गया है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है या जब इच्छापत्र किया जाता है वह मर चुका था। क और उसकी संतानों के लिए इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत हो जाती है।*

(iii) *एक इच्छापत्रीय संपदा क के लिए, और यदि उसकी मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है तो ख के लिए दी जाती है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है। इच्छापत्रीय संपदा ख को मिलेगी ।*

(iv) *एक धनराशि का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख के लिए किया जाता है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है। ख इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है। ख के लिए उत्तरदान प्रभावी होगा।*

(v) *एक धनराशि का उत्तरदान क के लिए, उसके अठारह वर्ष पूरा कर लेने पर और अठारह वर्ष पूरा करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, ख के लिए की जाती है। क अठारह वर्ष पूरे कर लेता है और उसकी मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। क के लिए इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत हो जाती है और ख के लिए उत्तरदान प्रभावी नहीं होता है।*

(vi) *इच्छापत्रकर्ता और इच्छापत्रदार एक ही पोतध्वंस में नष्ट हो जाते हैं। यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई है। इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत हो जाती है।*

101. इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत नहीं होती यदि दो संयुक्त इच्छापत्रदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है – यदि कोई इच्छापत्रीय संपदा दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दी गई है और उनमें से एक की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है तो दूसरा इच्छापत्रदार संपूर्ण संपदा प्राप्त करता है।

दृष्टांत

कोई इच्छापत्रीय संपदा सीधे क और ख के लिए है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है। ख संपूर्ण संपदा प्राप्त करता है।

102. विशिष्ट अंश देने की इच्छापत्रकर्ता के आशय को दर्शित करने वाले शब्दों का प्रभाव – यदि कोई इच्छापत्रीय संपदा किसी इच्छापत्रदार को ऐसे शब्दों में दी गई है जो यह दर्शित करते हैं कि इच्छापत्रकर्ता का उन्हें विशिष्ट अंश देने का आशय था तब, यदि किसी इच्छापत्रदार की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है तो उतनी इच्छापत्रीय संपदा, जो उसके लिए आशयित थी, इच्छापत्रकर्ता की संपदा के अवशेष में आ जाएगी।

दृष्टांत

एक धनराशि क, ख और ग को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए इच्छापत्र की गई है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है। ख और ग को केवल उतना मिलेगा जितना वे तब पाते जब क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता।

103. व्यपगत अंश कब अव्ययनित समझा जाएगा – जहां ऐसा कोई अंश, जो व्यपगत हो जाता है, इच्छापत्र द्वारा उत्तरदान किए गए साधारण अवशेष का एक भाग है, वहां वह अंश अव्ययनित समझा जाएगा।

दृष्टांत

इच्छापत्रकर्ता अपनी संपदा का अवशेष क, ख और ग को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए उत्तरदान करता है। क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है। अवशेष की उसकी एक तिहाई अव्ययनित समझी जाती है।

104. इच्छापत्रकर्ता की संतान या रैखिक वंशज के लिए उत्तरदान इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर कब व्यपगत नहीं होती है – जहां कोई उत्तरदान, इच्छापत्रकर्ता की किसी संतान या अन्य रैखिक वंशज को किया गया है और इच्छापत्रदार की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है किन्तु

उसका कोई रैखिक वंशज इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है वहां उत्तरदान व्यपगत नहीं होगी और यदि इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रकट नहीं होता है तो वैसे ही प्रभावी होगी मानो इच्छापत्रदार की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के ठीक पश्चात् हुई है।

दृष्टांत

क एक इच्छापत्र करता है जिसके द्वारा वह एक धनराशि का उत्तरदान अपने पुत्र ख को उसके स्वयं के पूर्ण उपयोग और लाभ के लिए करता है। ख की मृत्यु क के पूर्व हो जाती है और वह एक पुत्र ग छोड़ जाता है, जो क का उत्तरजीवी होता है, तथा अपना इच्छापत्र कर जाता है, जिसके द्वारा अपनी सभी संपदा अपनी विधवा घ के लिए उत्तरदान कर जाता है। धन घ को मिलेगा।

105. **ख के लाभ के लिए क का उत्तरदान क की मृत्यु से व्यपगत नहीं होता** – जहां कोई उत्तरदान एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाता है वहां उस व्यक्ति की, जिसको उत्तरदान किया गया है, इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में मृत्यु के कारण इच्छापत्रीय संपदा व्यपगत नहीं होती है।

106. **वर्णित वर्ग के लिए उत्तरदान के मामले में उत्तरजीविता** – जहां उत्तरदान केवल किसी वर्णित वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया गया है वहां उत्तरदान की गई वस्तु केवल उन्हें मिलेगी जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर जीवित हैं।

अपवाद – यदि संपदा का उत्तरदान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णित व्यक्तियों के किसी वर्ग को की गई है किन्तु उस पर उसका आधिपत्य किसी पूर्ववर्ती उत्तरदान के कारण या अन्यथा इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् के किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है वहां वह संपदा उस समय उनमें से जो जीवित हैं उनके और उनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है उनके प्रतिनिधियों को मिलेगी।

दृष्टांत

(i) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान "ख की संतानों" के लिए, बिना यह कथन करते हुए करता है कि उसे उनके बीच कब वितरित किया जाएगा। ख तीन संतानें, ग, घ और ङ को छोड़कर इच्छापत्र की तिथि से पूर्व मर गया था। ङ की मृत्यु इच्छापत्र की तिथि के पश्चात् किन्तु क की मृत्यु से पूर्व हो गई है। ग और घ, क के उत्तरजीवी हैं। इच्छापत्रीय संपदा ङ के प्रतिनिधियों को अपवर्जित करते हुए ग और घ की होगी।*

(ii) *किसी गृह का निश्चित अवधि का पट्टा क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की संतानों के लिए उत्तरदान किया गया था। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख की दो संतानें, ग और घ जीवित थीं, और उसकी कभी भी कोई अन्य संतान नहीं थी। तत्पश्चात् क के जीवन काल में ही ग, ङ को अपना निष्पादक छोड़ कर मर गया। घ, क का उत्तरजीवी हुआ। घ और ङ पट्टागत अवधि के उतने भाग के लिए संयुक्त रूप से अधिकारी हैं जो व्यतीत नहीं हुई है।*

(iii) *एक धनराशि का उत्तरदान क को उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की संतानों के लिए किया गया था। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख की दो संतानें ग और घ जीवित थीं और उस घटना के पश्चात् ख की दो संतानें घ और च पैदा हुई थीं। ग और ङ की मृत्यु क के जीवनकाल में हो गई। ग ने एक और इच्छापत्र किया था। ङ ने कोई इच्छापत्र नहीं किया था। क की मृत्यु घ और च को उत्तरजीवी छोड़कर हो गई। इच्छापत्रीय संपदा चार समान भागों में विभाजित की जाएगी जिसमें से एक भाग ग के निष्पादक को, एक घ को, एक ङ के प्रशासक को और एक च को संदत्त किया जाएगा।*

(iv) *क अपनी भूमि के एक तिहाई का उत्तरदान घ को, जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की बहनों के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख की दो बहनें, ग और घ, जीवित थीं, और उस घटना के पश्चात् एक अन्य बहन ङ पैदा हुई। ग की मृत्यु ख के जीवनकाल में हो गई। घ और ङ ख की उत्तरजीवी हुई। क की भूमि की एक तिहाई समान अंशों में घ, ङ और ग के प्रतिनिधियों की होगी।*

(v) *क 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख की जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की संतानों के बीच समान रूप से करता है। ख की मृत्यु तक ग की कोई सन्तान नहीं थी। ख की मृत्यु के पश्चात् उत्तरदान शून्य है।*

(vi) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख की "पैदा हुई या पैदा होने वाली सभी संतानों" को, ग की मृत्यु के पश्चात् उनके बीच विभाजित किए जाने के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख की दो संतानें घ और ङ जीवित थीं। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् किन्तु ग के जीवनकाल में ख को दो और संतानें च और छ पैदा होती हैं। ग की मृत्यु के पश्चात् ख की एक अन्य संतान पैदा होती है। इच्छापत्रीय संपदा ख की सबसे बाद में पैदा हुई संतान को अपवर्जित करते हुए, घ, ङ, च और छ की होगी।*

(vii) *क एक निधि का उत्तरदान ख की संतानों को, इस प्रकार करता है कि वह उनके बीच तब विभाजित की जाएगी जब ज्येष्ठतम संतान वयस्क हो जाए। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख की एक संतान जीवित थी जिसका नाम ग था। तत्पश्चात् उसको घ और ङ नाम की दो अन्य संतानें हुई थीं। ङ की मृत्यु हो गई किन्तु ग और घ उस समय जीवित थी जब ग वयस्क हुआ। निधि, ऐसी किसी संतान को अपवर्जित करते हुए जो ख को ग के वयस्क होने के पश्चात् पैदा हो ग, घ और ङ के प्रतिनिधियों को मिलेगी।*

शून्य उत्तरदान

107. किसी विशिष्ट वर्णन वाले किसी व्यक्ति को, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, को उत्तरदान – जहां किसी विशेष वर्णन वाले किसी व्यक्ति को उत्तरदान किया गया है और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो उस वर्णन के अनुरूप है, वहां उत्तरदान शून्य है।

अपवाद – यदि संपदा का उत्तरदान किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया है जिसका वर्णन किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है किन्तु उसका आधिपत्य किसी पूर्ववर्ती उत्तरदान के कारण या अन्यथा इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है, और यदि इच्छापत्रकों की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप कोई व्यक्ति जीवित है या उस घटना और ऐसी पश्चात्वर्ती तिथि के बीच अस्तित्व में आता है तो संपदा ऐसे पश्चात्वर्ती समय पर, उस व्यक्ति को मिलेगी या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधियों को मिलेगी।

दृष्टांत

(i) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख का कोई पुत्र नहीं था। उत्तरदान शून्य है।*

(ii) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख को उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ग को कोई पुत्र नहीं था। तत्पश्चात् ख के जीवनकाल में ग को एक पुत्र पैदा होता है। ख की मृत्यु पर इच्छापत्रीय संपदा ग के पुत्र को मिलेगी।*

(iii) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ग को कोई पुत्र नहीं था। तत्पश्चात् ख के जीवनकाल में ग को घ नाम का एक*

पुत्र पैदा होता है। घ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ख की मृत्यु हो जाती है। इच्छापत्रीय संपदा घ के प्रतिनिधियों को मिलेगी।

(iv) *क, अपनी रामपुर फार्मस् की संपदा का उत्तरदान ख को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु पर ग के ज्येष्ठत्तम पुत्र के लिए करता है। ख की मृत्यु तक ग को कोई पुत्र नहीं था। ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए उत्तरदान शून्य है।*

(v) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ग के ज्येष्ठतम पुत्र को, ख की मृत्यु के पश्चात् उसे संदाय किए जाने के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ग को कोई पुत्र नहीं था किन्तु बाद में उसे ख के जीवनकाल में एक पुत्र पैदा होता है और ख की मृत्यु पर जीवित रहता है। ग का पुत्र 1,00,000 रुपए का अधिकारी है।*

108. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर अविद्यमान व्यक्ति को पूर्वोक्त उत्तरदान के अध्यधीन उत्तरदान – जहां कोई उत्तरदान इच्छापत्र में अन्तर्विष्ट किसी पूर्विक उत्तरदान के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है किया जाता है, वहां पश्चात्वर्ती उत्तरदान जब तक कि उसमें उत्तरदान की गई वस्तु में इच्छापत्रकर्ता का संपूर्ण शेष हित समाविष्ट न हो, शून्य होगा।

दृष्टांत

(i) *संपदा का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त, और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र को, जीवन पर्यन्त और पश्चात्वर्ती की मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र के लिए किया गया है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय क को कोई पुत्र नहीं है। यहां क के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए उत्तरदान ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तरदान है जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है। यह ऐसे संपूर्ण हितों का उत्तरदान नहीं है जो इच्छापत्रकर्ता के लिए अवशेष हों। क के ज्येष्ठतम पुत्र को, उसके जीवन पर्यन्त वाला उत्तरदान शून्य है।*

(ii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए किया गया है। क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी है। क की पुत्रियां हैं जिनमें से कुछ इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर अस्तित्व में नहीं थीं। क की पुत्रियों के लिए उत्तरदान में ऐसे संपूर्ण हित समाविष्ट हैं जो उत्तरदान की गई वस्तु में इच्छापत्रकर्ता के पास थे। क की पुत्रियों के लिए उत्तरदान वैध है।*

(iii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि उनमें से कोई अपना विवाह अठारह वर्ष से कम आयु में करती है तो उसके प्रभाग का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाएगा कि वह उसका जीवन पर्यन्त रहे और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों के बीच विभाजित किया जा सके। क को इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय कोई जीवित पुत्री नहीं थी किन्तु बाद में उसे पुत्री पैदा हुई जो उसकी उत्तरजीवी है। यहां व्यवस्थापन के निर्देश का प्रभाव ऐसी प्रत्येक पुत्री के मामले में, जो अठारह वर्ष से कम आयु में विवाह करती है उसके लिए पूर्ण उत्तरदान के स्थान पर, उसके लिए केवल उसके जीवन पर्यन्त उत्तरदान को प्रतिस्थापित करना है, अर्थात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, ऐसी वस्तु का उत्तरदान है जो उत्तरदान की गई वस्तु में इच्छापत्रकर्ता के अवशेष संपूर्ण हित से कम हैं। निधि के व्यवस्थापन का निर्देश शून्य है।*

(iv) *क एक धनराशि का उत्तरदान ख को, उसके जीवन पर्यन्त के लिए करता है और निर्देश देता है कि ख की मृत्यु पर निधि का व्यवस्थापन उसकी पुत्रियों पर ऐसे किया जाएगा जिससे प्रत्येक पुत्री का भाग, उसका उसके जीवपर्यन्त रहे और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों में विभाजित किया जा सकेगा। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय ख की कोई पुत्री जीवित नहीं थी। इस मामले में केवल ख की पुत्रियों के लिए उत्तरदान निधि के व्यवस्थापन के निर्देश में समाविष्ट है और यह निर्देश ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, निधि में जीवपर्यन्त हित के उत्तरदान के समान है अर्थात् ऐसी कोई वस्तु को उत्तरदान की गई वस्तुओं में इच्छापत्रकर्ता के संपूर्ण हित से कम है। ख की पुत्रियों पर निधि के व्यवस्थापन का निर्देश शून्य है।*

109. शाश्वतता के विरुद्ध नियम – ऐसा कोई उत्तरदान वैध नहीं है जिसके द्वारा उत्तरदान की गई वस्तु का निहित होना इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवनकाल के पश्चात् और किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस अवधि की समाप्ति के समय अस्तित्व में हो तथा जिसे उत्तरदान की गई वस्तु उस समय मिलनी हो जब वह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अवयस्कता के पश्चात् तक विलम्ब होता हो।

दृष्टांत

(i) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, उसके जीवन पर्यन्त और ख की मृत्यु के पश्चात् ख के पुत्रों में*

से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, किया गया है। क और ख इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी हो जाते हैं। यहां ख का वह पुत्र जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुआ पुत्र हो सकता है। ऐसा पुत्र क और ख में से जो भी दीर्घजीवी हो, उसकी मृत्यु से 18 वर्ष से अधिक के व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस प्रकार निधि के निहित होने में क और ख के जीवनकाल और ख के पुत्रों की अवयस्कता के बाद तक विलम्ब हो सकता है। ख की मृत्यु के पश्चात् उत्तरदान शून्य है।

(ii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को उसके जीवन पर्यन्त और ख की मृत्यु के पश्चात् ख के पुत्रों में से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, किया गया है। ख की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है और वह एक या अधिक पुत्र छोड़ जाता है। इस मामले में ख के पुत्र इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय जीवित व्यक्ति है और वह समय, जब उनमें से कोई 25 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा आवश्यक रूप से उसके स्वयं के जीवनकाल के भीतर आता है। उत्तरदान विधिमान्य है।*

(iii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को उसके जीवन पर्यन्त, इस निर्देश के साथ किया जाता है कि ख की मृत्यु के पश्चात् उसका विभाजन ख की ऐसी संतानों के बीच किया जाएगा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे। किन्तु यदि ख की कोई संतान वह आयु प्राप्त नहीं करेगी तो निधि क को मिलेगी। यहां निधि के विभाजन का समय इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर जीवित व्यक्ति ख की मृत्यु के अधिक से अधिक 18 वर्ष के अवसान पर पहुंचना चाहिए। सभी उत्तरदान विधिमान्य हैं।*

(iv) *एक निधि का उत्तरदान, इच्छापत्रकर्ता की पुत्रियों के लाभ के लिए न्यासियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि उनमें से कोई वय से पहले विवाह कर लेती है तो निधि में उसके अंश का व्यवस्थापन ऐसे किया जाएगा कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी उन संतानों पर न्यागत हो जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी। इच्छापत्रकर्ता की किसी भी पुत्री को, जिसे निर्देश लागू होता है, उसकी मृत्यु पर अस्तित्व में होना चाहिए और निधि का कोई भाग, जिसका व्यवस्थापन अन्ततः यथानिर्दिष्ट रूप में किया जा सकेगा, उन पुत्रियों की, जिनका वह अंश है, मृत्यु से 18 वर्ष के भीतर निहित होना चाहिए। ये सभी उपबन्ध विधिमान्य हैं।*

110. उस वर्ग को उत्तरदान जिनमें से कुछ धारा 108 और 109 के अन्दर आते हैं – यदि उत्तरदान व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग के लिए किया जाता है जिनमें से कुछ के सम्बन्ध में यह धारा 108 और 109 के उपबन्धों के कारण अप्रवर्तनीय हो जाती है, तो ऐसा उत्तरदान केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में न कि सम्पूर्ण वर्ग के संबंध में शून्य होगा।

दृष्टांत

(i) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सभी ऐसी सन्तानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, किया जाता है। क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है और उसकी कुछ सन्तानें इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर जीवित रहती हैं। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर जीवित क की प्रत्येक सन्तान को, उत्तरदान के लिए अनुज्ञात समय के भीतर (किसी भी दशा में) 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। किन्तु क की इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् सन्तानें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अतः क की सन्तानों के लिए उत्तरदान, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुई किसी सन्तान के लिए और उनके संबंध में, जो क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती हैं, अप्रवर्तनीय है, किन्तु यह क की अन्य सन्तानों के संबंध में प्रवर्तनीय है।*

(ii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख, ग, घ और क की सभी ऐसी अन्य सन्तानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, की जाती है। ख, ग, घ, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर जीवित क की सन्तानें हैं। अन्य सभी बातों में मामला वैसा ही है जैसा दृष्टांत (प) में अनुमित है। यद्यपि ख, ग और घ का उल्लेख उत्तरदान को किसी वर्ग के लिए उत्तरदान माने जाने से निवारक नहीं करता है, वह पूर्णतया शुन्य नहीं है। यह ख, ग या घ की ऐसी किन्हीं सन्तानों के बारे में, जो क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, प्रवर्तनीय है।*

111. उत्तरदान का किसी पूर्विक उत्तरदान की निष्फलता पर प्रभावी होना – जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में किया गया उत्तरदान धारा 108 और 109 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में शून्य हो जाती है, वहां उसी इच्छापत्र में अन्तर्विष्ट और ऐसे पूर्विक उत्तरदान की निष्फलता के पश्चात् या पर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई उत्तरदान भी शून्य हो जाता है।

दृष्टांत

(i) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्र को जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन पर्यन्त और ऐसे पुत्र की मृत्यु के पश्चात् ख के लिए किया जाता है। क और ख इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख के लिए उत्तरदान क के ऐसे पुत्रों को उत्तरदान के पश्चात् जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, प्रभावी होने के लिए आशयित है, जो उत्तरदान धारा 109 के अधीन शून्य है। ख के लिए उत्तरदान शून्य है।*

(ii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, और यदि क का कोई पुत्र वह आयु प्राप्त नहीं करता है तो ख के लिए किया जाता है। क और ख इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख के लिए उत्तरदान क के ऐसे पुत्रों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं उत्तरदान के असफल हो जाने पर प्रभावी होने के लिए आशयित है, जो उत्तरदान धारा 109 के अधीन शून्य है। ख के लिए उत्तरदान शून्य है।*

112. संचयन के लिए निर्देश का प्रभाव –

(1) जहां किसी इच्छापत्र के निबन्धन यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी संपदा से उद्भूत आय इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से अठारह वर्ष से अधिक किसी कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी, वहां इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय ऐसा निर्देश वहां तक शून्य होगा, जहां तक वह अवधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है, पूर्वोक्त अवधि से अधिक है और अठारह वर्ष की उक्त अवधि का अन्त होने पर वह संपदा और उसकी आय का व्ययन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह अवधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट किया गया है, बीत गई है।

(2) यह धारा ऐसे किसी निर्देश पर प्रभाव नहीं डालेगी जो –

(i) इच्छापत्रकर्ता के या इच्छापत्र के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों का संदाय करने के, या

(ii) इच्छापत्रकर्ता के या इच्छापत्र के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सन्तानों या दूरतर संतति के लिए हिस्सों का उपबन्ध करने के, या

(iii) उत्तरदान की गई संपदा के परिरक्षण या अनुरक्षण के, प्रयोजन के लिए संचय करने के लिए हो, और ऐसा निर्देश तद्नुसार किया जा सकेगा।

इच्छापत्रीय संपदा का निहित होना

113. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने की तिथि जब संदाय या आधिपत्य रोक दिया गया हो – जहां उत्तरदान के निबन्धनों द्वारा इच्छापत्रदार उत्तरदान की गई वस्तु के तत्काल आधिपत्य का अधिकारी नहीं है वहां उसे समुचित समय पर पाने का अधिकार, जब तक इच्छापत्र से प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर इच्छापत्रदार में निहित होगा ओर यदि इच्छापत्रदार की मृत्यु उस समय के पूर्व और इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त किए बिना हो जाती है तो वह उसके प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी और ऐसे मामले में इच्छापत्रीय संपदा का हित, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु की तिथि से, निहित कही जाती है।

स्पष्टीकरण – केवल ऐसे उपबन्धों से, जिसके द्वारा इच्छापत्र की गई वस्तु का संदाय या आधिपत्य रोक दिया जाता है, या उसमें कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदान कर दिया जाता है या जिसके द्वारा उत्तरदान की गई निधि से उद्भूत आय का उस समय तक संचित किए जाने का निर्देश किया जाता है जब तक संदाय का समय नहीं आ जाता है या केवल ऐसे किसी उपबन्ध से कि यदि कोई विशिष्ट घटना घटित हो जाती है तो वह इच्छापत्र किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। इस आशय का अनुमान नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को किया गया इच्छापत्रीय संपदा में उसका हित निहित नहीं होगा।

दृष्टांत

(i) *क, 10,000 रुपए का उत्तरदान ख को करता है जो ग की मृत्यु पर उसे संदत्त किए जाने हैं। क की मृत्यु पर इच्छापत्रीय संपदा में ख का हित निहित हो जाता है और यदि ग के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके प्रतिनिधि इच्छापत्रीय संपदा के अधिकारी होंगे।*

(ii) *क, 10,000 रुपए का उत्तरदान ख को करता है जो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उसे संदत्त किए जाने हैं। क की मृत्यु पर इच्छापत्रीय संपदा में ख का हित हो जाता है।*

(iii) *एक निधि का उत्तरदान क को, उसके जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को किया जाता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर ख को किया गया इच्छापत्रीय संपदा में ख का हित निहित हो जाता है।*

(iv) *एक निधि का उत्तरदान क को, उस समय तक के लिए किया जाता है जब तक ख 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, और तब यह ख को किया जाता है। इच्छापत्रीय संपदा में इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से ख का हित निहित हो जाता है।*

(v) *क अपनी संपूर्ण संपदा को न्यास बनाकर उसकी आय में से कतिपय ऋणों का संदाय करने के लिए और उसके बाद निधि को ग को सौंप देने के लिए ख को उत्तरदान करता है। क की मृत्यु पर ग को किए गए दान में उसका हित निहित हो जाता है।*

(vi) *एक निधि का उत्तरदान क, ख और ग को समान अंशों में, जो उन्हें उनके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर संदत्त की जानी है, इस परन्तुक के साथ किया जाता है कि यदि उनमें से सभी की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो इच्छापत्रीय संपदा घ को न्यागत होगी। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर अंश में, क, ख और ग का हित इस शर्त के साथ निहित होता है कि यदि क, ख और ग में से सभी की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो वह निहित हो जाएगा और उनमें से किसी की (अंतिम उत्तरवर्ती के सिवाय) 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाने पर उसका निहित हित, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, उसके प्रतिनिधि को संक्रान्त हो जाएगा।*

114. **निहित होने की तिथि जब इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर समाश्रित हो** – (1) कोई इच्छापत्रीय संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में, इच्छापत्र किया जाता है, तब तक निहित नहीं होगी जब तक वह घटना घटित नहीं होती है।

(2) कोई इच्छापत्रीय संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने की दशा में इच्छापत्र किया जाता है, तब तक निहित नहीं होती है जब तक उस घटना का घटित होना असंभव नहीं हो जाता है।

(3) दोनों मामलों में जब तक शर्त पूरी न हो जाए, इच्छापत्रदार का हित समाश्रित हित कहा जाता है।

अपवाद– जहां, किसी निधि का उत्तरदान किसी व्यक्ति को, उसके कोई विशिष्ट आयु प्राप्त कर लेने पर, किया जाता है और इच्छापत्र उसे उस आयु पर पहुंचने से पूर्व निधि से उद्भूत आय आत्यंतिक रूप से देता भी है और आय को या उसके उतने भाग को, जो आवश्यक है, उसके लाभ के लिए उपयोजन का निर्देश भी देता है, वहां निधि का उत्तरदान समाश्रित नहीं है।

दृष्टांत

(i) *एक इच्छापत्रीय संपदा का इच्छापत्र घ को, क, ख और ग की 18 वर्ष की आयु से कम में मृत्यु हो जाने की दशा में, किया गया है। इच्छापत्रीय संपदा में घ का उस समय तक समाश्रित हित है जब तक क, ख और ग में से सभी की 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु नहीं हो जाती है या जब तक उनमें से कोई वह आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।*

(ii) *एक धनराशि का उत्तरदान क को उस दशा में किया जाता है "यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है" या "जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है"। क का हित इच्छापत्रीय संपदा में तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त, उसके द्वारा वह आयु प्राप्त करके पूरी नहीं कर दी जाती है।*

(iii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, यदि ख उस समय जीवित हो, किन्तु यदि व उस समय जीवित न हो तो ग को किया जाता है। क, ख और ग में इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख और ग में से प्रत्येक उस संपदा में तब तक समाश्रित हित रखता है जब तक वह घटना, जिससे वह संपदा एक या दूसरे में निहित होनी हो, घटित नहीं हो जाती है।*

(iv) *किसी संपदा का उत्तरदान ऊपर वाले कल्पित मामले के अनुसार किया जाता है। ख की मृत्यु क और ग के जीवनकाल में हो जाती है। ख की मृत्यु पर ग, क की मृत्यु पर संपदा का आधिपत्य अभिप्राप्त करने का निहित अधिकार अर्जित कर लेता है।*

(v) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, या उस आयु से कम आयु में ख की सम्मति से विवाह कर ले, इस परन्तुक के साथ किया जाता है कि यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करती है या उस आयु से कम आयु में विवाह ख की सम्मति से नहीं करती है तो इच्छापत्रीय संपदा ग को चली जाएगी। क और ग, प्रत्येक इच्छापत्रीय संपदा में समाश्रित हित प्राप्त कर लेते हैं। क 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है क इच्छापत्रीय संपदा की आत्यंतिक रूप से अधिकारी होती है यद्यपि उसने 18 वर्ष से कम आयु में ख की सम्मति के बिना विवाह किया है।*

(vi) *किसी संपदा का उत्तरदान क को जब तक उसका विवाह नहीं होता है और उस घटना के पश्चात् ख को किया जाता है। उत्तरदान में ख का हित तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त क के विवाह द्वारा पूरी नहीं की जाती है।*

(vii) *किसी संपदा का उत्तरदान ख को, जब तक वह दिवालिया ऋणियों के अनुतोष के लिए किसी विधि का लाभ नहीं उठाता है, और उस घटना के पश्चात् ख को किया जाता है। उत्तरदान में ख का हित तब तक समाश्रित है जब तक क ऐसी किसी विधि का लाभ नहीं उठाता है।*

(viii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को, यदि वह ख को 50,000 रुपए का संदाय करे, किया जाता है। उत्तरदान में क का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक वह ख को 50,000 रुपए का संदाय नहीं कर देता है।*

(ix) *क* अपना नैनीताल का फार्म *ख* के लिए छोड़ देता है यदि वह हल्द्वानी के अपने फार्म को हस्तान्तरित कर दे। उत्तरदान में *ख* का हित तब तक समाश्रित है जब तक वह पश्चात्वर्ती फार्म को हस्तान्तरित नहीं कर देता है।

(x) *एक निधि का उत्तरदान क को, यदि ख इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर ग से विवाह नहीं करता है किया जाता है। इच्छापत्रीय संपदा में क का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक ख और ग विवाह किए बिना पांच वर्ष व्यतीत करके उस शर्त को पूरी न कर दे या उस अवधि के दौरान ऐसी घटना घटित न हो जाए जो उस शर्त को पूरा करना असंभव बना दे।*

(xi) *किसी निधि का उत्तरदान क को, यदि ख इच्छापत्र द्वारा उसके लिए कोई उपबन्ध नहीं करेगा, किया जाता है। इच्छापत्रीय संपदा ख की मृत्यु तक समाश्रित है।*

(xii) *क, ख को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपए का उत्तरदान करता है और निर्देश देता है कि उसका ब्याज या उसका पर्याप्त भाग उसके लाभ के लिए तब तक उपयोजित किया जाएगा जब तक वह उस आयु तक न पहुंच जाए। इच्छापत्रीय संपदा निहित हो गई है।*

(xiii) *क 50,000 रुपए का उत्तरदान ख को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, करता है और निर्देश देता है कि दूसरी निधि में से कुछ राशि उसके भरण–पोषण के लिए तब तक उपयोजित होगी जब तक वह उस आयु तक नहीं पहुंच जाता है। इच्छापत्रीय संपदा समाश्रित है।*

115. किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का उत्तरदान में हित निहित होना, जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे – जहां कोई उत्तरदान किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों को किया गया है जो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करे, वहां इच्छापत्रीय संपदा में

ऐसे किसी व्यक्ति का हित निहित नहीं होता है, जिसने वह आयु प्राप्त नहीं कर ली है।

दृष्टांत

जहां किसी निधि का उत्तरदान क की ऐसी संतानों के लिए, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें, इस निर्देश के साथ की गई है कि जब तक क की कोई संतान 18 वर्ष से कम आयु की रहेगी उस अंश की आय, जिसके लिए यह उपधारणा की जा सकती है कि वह अन्ततः अधिकारी होगा, उसके भरण–पोषण और शिक्षा पर उपयोजित की जाएगी। क की ऐसी संतान का, जो 18 वर्ष से कम आयु की हो, उत्तरदान में निहित हित नहीं है।

दुर्भर उत्तरदान

116. दुर्भर उत्तरदान – जहां उत्तरदान इच्छापत्रदार पर कोई बाध्यता अधिरोपित करती है, वहां वह उसके द्वारा कुछ नहीं पा सकता है, जब तक वह उसे पूर्णतः प्रतिगृहीत नहीं करता है।

दृष्टांत

क, जिसके एक उन्नतिशील संयुक्त स्टाक कंपनी (म) में शेयर हैं और (म) में भी हैं, जो एक कठिनाई में पड़ी संयुक्त स्टाक कंपनी है, जिसके शेयरों के संबंध में भारी मांग किए जाने की प्रत्याशा है, उन संयुक्त स्टाक कंपनियों में अपने सभी शेयरों को ख के लिए उत्तरदान करता है, ख (म) के शेयरों को स्वीकार करने से इंकार करता है। (म) में उसका शेयर समपहृत हो जाता है।

117. एक ही व्यक्ति को दो पृथक् और स्वतंत्र उत्तरदानों में से एक स्वीकार तथा दूसरी अस्वीकार की जा सकती है – जहां किसी इच्छापत्र में एक ही व्यक्ति के लिए दो पृथक् और स्वतंत्र उत्तरदान अन्तर्विष्ट हैं वहां इच्छापत्रदार उनमें से एक को स्वीकार तथा दूसरी अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, यद्यपि पूर्ववर्ती लाभप्रद है और पश्चात्वर्ती दुर्भर है।

दृष्टांत

क, जिसके पास कोई गृह निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर है, जिसका भाटक उस अवधि के दौरान संदाय करने का दायित्व उस पर तथा उसके प्रतिनिधियों पर है और जो उससे अधिक है जिसके लिए गृह को भाटक पर दिया जा सकता है, ख को उस पट्टे का और एक धनराशि का उत्तरदान करता है। ख पट्टे को स्वीकार नहीं करता है। इस अस्वीकृति से धन समपहृत नहीं होगा।

समाश्रित उत्तरदान

118. उत्तरदान जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर, जिसके घटित होने के लिए समय वर्णित नहीं है, समाश्रित है – जहां कोई इच्छापत्रीय संपदा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर दी जाती है और उस घटना के घटित होने के लिए इच्छापत्र में कोई समय नहीं दिया गया है, वहां वह इच्छापत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसी घटना उस अवधि के पूर्व घटित नहीं होती है जब उत्तरदान की गई निधि संदेय या वितरणीय होती है।

दृष्टांत

(i) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को और उसकी मृत्यु की दशा में ख को किया जाता है। यदि क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो इच्छापत्रीय संपदा ख के लिए प्रभावी नहीं होती है।*

(ii) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को और उसकी निःसंतान मृत्यु होने की दशा में ख को किया जाता है। यदि क इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है या उसके जीवनकाल में कोई संतान छोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ख के लिए इच्छापत्रीय संपदा प्रभावी नहीं होती है।*

(iii) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को जब और यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और उसकी मृत्यु की दशा में ख को किया जाता है। क 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। ख के लिए इच्छापत्रीय संपदा प्रभावी नहीं होती है।*

(iv) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को, जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को और "यदि ख की निःसंतान मृत्यु हो जाती है" तो ग को किया जाता है। यदि "ख की निःसंतान मृत्यु हो जाती है" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे अभिप्रेत है, यदि ख की क के जीवनकाल के दौरान निःसंतान मृत्यु हो जाती है।*

(v) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को और "ख की मृत्यु की दशा में" ग को किया जाता है। "ख की मृत्यु की दशा में" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे "क के जीवनकाल में ख की मृत्यु की दशा में," अभिप्रेत है।*

119. कुछ व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदान जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हैं – जहां कोई उत्तरदान निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को

किया जाता है जो किसी अवधि पर उत्तरजीवी रहें किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां वह इच्छापत्रीय संपदा जब तक कि इच्छापत्र से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है उन व्यक्तियों में से ऐसी को चली जाएगी जो संदाय या वितरण के समय जीवित है।

दृष्टांत

(i) *किसी संपदा का उत्तरदान क और ख को, उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए या उनके उत्तरजीवी को किया गया है। यदि क और ख दोनों इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं तो इच्छापत्रीय संपदा उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। यदि क की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता से पूर्व हो जाती है और ख इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो वह ख को चली जाती है।*

(ii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त, उसकी मृत्यु के पश्चात् ख और ग को, उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए, या उनके उत्तरजीवी को किया गया है। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है; ग, क का उत्तरजीवी होता है। क की मृत्यु पर इच्छापत्रीय संपदा ग को मिलती है।*

(iii) *किसी सम्पति का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख और ग को या उत्तरजीवी को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि ख इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी नहीं होता है तो उसका स्थान उसकी संतानें लेंगी। ग की मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है, ख इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है किंतु क के जीवन काल में मर जाता है। इच्छापत्रीय संपदा ख के प्रतिनिधियों को मिलती है।*

(iv) *किसी संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख और ग को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि उनमें से किसी की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है, तो संपूर्ण संपदा उत्तरजीवी को मिलेगी। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है। तत्पश्चात् ग की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है। इच्छापत्रीय संपदा ग के प्रतिनिधियों को मिलेगी ।*

सशर्त उत्तरदान

120. असंभव शर्त पर उत्तरदान – असम्भव शर्त पर उत्तरदान शून्य है।

दृष्टांत

(i) *किसी संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि ख एक घंटे में 100 मील चलेगा। उत्तरदान शून्य है।*

(ii) *क 50,000 रुपए का उत्तरदान ख को इस शर्त पर करता है कि वह क की पुत्री से विवाह करेगा। क की पुत्री इच्छापत्र की तिथि पर मृत थी। उत्तरदान शून्य है।*

121. अवैध या अनैतिक शर्त पर उत्तरदान -- ऐसी शर्त के साथ किया गया उत्तरदान शून्य है जिसका पूरा किया जाना विधि या नैतिकता के विरुद्ध है।

दृष्टांत

(i) *क 50,000 रुपए का उत्तरदान ख को इस शर्त पर करता है कि वह ग की हत्या करेगा। उत्तरदान शून्य है।*

(ii) *क 50,000 रुपए का उत्तरदान अपनी भतीजी को इस शर्त पर करता है कि वह अपने पति को त्याग देगी। उत्तरदान शून्य है।*

122. इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने के तिथि के पूर्व की शर्त की पूर्ति – जहां इच्छापत्र कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है जो इससे पहले कि इच्छापत्रदार उत्तरदान की गई किसी वस्तु में निहित हित प्राप्त कर सके, पूरी की जानी हो वहां यदि उस शर्त का सारतः अनुपालन कर दिया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसकी पूर्ति कर दी गई है।

दृष्टांत

(i) *एक इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि वह ख, ग, घ और ङ की सम्मति से विवाह करेगा। क, ख की लिखित सम्मति से विवाह करता है, ग विवाह के समय उपस्थित रहता है। घ विवाह से पूर्व क को उपहार भेजता है। ङ को क ने अपने आशय की व्यक्तिगत रूप से सूचना दी और उसने कोई आक्षेप नहीं किया। क ने शर्त को पूरा कर दिया है।*

(ii) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि वह ख, ग और च की सम्मति से विवाह करेगा। घ की मृत्यु हो जाती है। क, ख और ग की सम्मति से विवाह करता है। क ने शर्त पूरी कर दी है।*

(iii) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क केवल ख और ग की सम्मति*

से ख, ग और घ के जीवनकाल में विवाह करता है। क ने शर्त पूरी नहीं की है।

(iv) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि वह ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क, ङ के साथ अपने विवाह के लिए ख, ग और घ की शर्त रहित अनुमति प्राप्त करता है। तत्पश्चात् ख, ग और घ अनुचित रूप से अपनी सम्मति वापस ले लेते है। क, ङ के साथ विवाह करता है। क ने शर्त पूरी कर दी है।*

(v) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस शर्त पर किया गया है कि वह ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क, ख, ग और घ की सम्मति के बिना विवाह करता है किंतु विवाह के बाद उनकी सम्मति प्राप्त करता है। ख ने शर्त पूरी नहीं की है।*

(vi) *क अपना इच्छापत्र करता है, जिसके द्वारा वह एक धनराशि का उत्तरदान ख को, यदि ख क के निष्पादकों की सम्मति से विवाह करे तो, करता है। ख, क के जीवनकाल में विवाह करता है और बाद में क विवाह को अपना अनुमोदन देता है। क की मृत्यु हो जाती है। ख को किया गया उत्तरदान प्रभावी होगी।*

(vii) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को किया जाता है यदि वह इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई अभिलेख निष्पादित करता है। अभिलेख को क युक्तियुक्त समय के भीतर निष्पादित करता है किन्तु इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित नहीं करता है। क ने शर्त पूरी नहीं की है और इच्छापत्रीय संपदा को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।*

123. 'ख' को किये गये पूर्व उत्तरदान के निष्फल हो जाने पर 'क' को उत्तरदान – जहां कोई उत्तरदान एक व्यक्ति को और उसी वस्तु का उत्तरदान दूसरे व्यक्ति को किया गया है, वहां यदि पूर्विक उत्तरदान निष्फल हो जाए तो, किसी अन्य व्यक्ति को किया गया उत्तरदान प्रभावी होगा जबकि प्रथम उत्तरदान निष्फल हो गया हो, यद्यपि वह निष्फलता अन्तरक द्वारा अनुध्यात रीति से नहीं हुई हो।

दृष्टांत

(i) *क एक धनराशि का उत्तरदान अपनी स्वयं की संतानों को यदि वे उसकी उत्तरजीवी हों, और यदि वे सभी 18 वर्ष से कम आयु में मर जाएं, तो ख को करता है। क की मृत्यु हो जाती है। उसकी कभी भी कोई संतान नहीं थी। ख को उत्तरदान प्रभावी होता है।*

(ii) *क एक धनराशि का उत्तरदान ख को इस शर्त पर करता है कि वह क की मृत्यु के पश्चात् तीन मास के भीतर कतिपय अभिलेखों को निष्पादित करेगा और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करता है तो ग को उत्तरदान करता है। ख की मृत्यु निष्पादक के जीवनकाल में हो जाती है। ग का उत्तरदान प्रभावी होता है।*

124. **प्रथम उत्तरदान की निष्फलता पर द्वितीय उत्तरदान का कब प्रभावी न होना** – जहां इच्छापत्र से यह आशय दर्शित होता है कि प्रथम उत्तरदान के किसी विशिष्ट प्रकार से निष्फल होने की दशा में ही द्वितीय उत्तरदान प्रभावी होगा वहां जब तक पूर्ववर्ती उत्तरदान उस विशिष्ट प्रकार से निष्फल नहीं होता है द्वितीय उत्तरदान प्रभावी नहीं होगा।

दृष्टांत

क एक उत्तरदान अपनी पत्नी को करता है किन्तु उसके जीवनकाल में पत्नी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसी वस्तु का उत्तरदान, जिसका उत्तरदान उसने अपनी पत्नी को की था, ख को करता है। क और उसकी पत्नी ऐसी परिस्थितियों में साथ–साथ मर जाते हैं कि यह सिद्ध करना असंभव हो जाता है कि पत्नी उसके पूर्व मरी थी। ख को उत्तरदान प्रभावी नहीं होता है।

125. **परवर्ती उत्तरदान का विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर आश्रित होना** –

(1) कोई उत्तरदान किसी व्यक्ति को इस अधियोजित शर्त के साथ किया जा सकेगा कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में उत्तरदान की गई वस्तु दूसरे व्यक्ति को मिलेगी या विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में उत्तरदान की गई वस्तु दूसरे व्यक्ति को मिलेगी ।

(2) हर एक दशा में परतर इच्छापत्र धारा 114, धारा 115, धारा 116, धारा 117, धारा 118, धारा 119, धारा 120, धारा 121, धारा 123 और धारा 124 में अन्तर्विष्ट नियमों के अध्यधीन है।

दृष्टांत

(i) *एक धनराशि का उत्तरदान क को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे संदत्त किए जाने के लिए और यदि उसकी उस आयु को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाए तो ख को किया गया है। क इच्छापत्रीय संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए पाता है कि 18 वर्ष से कम आयु में क की मृत्यु हो जाने की*

दशा में वह निर्निहित हो जाएगी और ख को चली जाएगी।

(ii) *एक संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ किया गया है कि यदि क इच्छापत्र करने की इच्छापत्रकर्ता की सक्षमता पर विवाद करेगा तो संपदा ख को चली जाएगी। क, इच्छापत्र करने की इच्छापत्रकर्ता की सक्षमता पर विवाद करता है। संपदा ख को चली जाती है।*

(iii) *एक धनराशि का उत्तरदान क को, जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को किया गया है; किन्तु तब यदि ख की मृत्यु एक पुत्र छोड़कर हो जाती है तो ऐसा पुत्र ख का स्थान ले लेगा। ख इच्छापत्रीय संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए लेता है कि यदि उसकी मृत्यु क के जीवनकाल में एक पुत्र छोड़कर हो जाती है तो वह निर्निहित हो जाएगी।*

(iv) *एक धनराशि का उत्तरदान क और ख को और यदि उनमें से किसी की मृत्यु ग के जीवनकाल में हो जाती है तो उस उत्तरजीवी को, जो ग की मृत्यु पर जीवित हो, की जाती है। क और ख की मृत्यु ग के पूर्व हो जाती है। परवर्ती दान प्रभावी नहीं रह सकता है किन्तु धन का आधा क का प्रतिनिधि ले लेगा और आधा ख का प्रतिनिधि ले लेगा ।*

(v) *क किसी निधि में हित का उत्तरदान ख को, जीवन पर्यन्त के लिए करता है और यह निर्देश देता है कि वह निधि उसकी मृत्यु पर उसकी तीन संतानों के बीच या उनमें से उनके बीच, जो उसकी मृत्यु पर जीवित रहे, बराबर–बराबर विभाजित की जाएगी। ख की सभी संतानें ख के जीवनकाल में मर जाती है। परवर्ती उत्तरदान प्रभावी नहीं रह सकती है किन्तु संतानों के हित, उसके प्रतिनिधियों को संक्रान्त हो जाते हैं।*

126. शर्तों का कड़ाई से पूरा किया जाना – धारा 125 द्वारा अनुध्यात किस्म का परतर उत्तरदान प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि शर्त की पूर्ति कड़ाई नहीं हो जाती है।

दृष्टांत

(i) *एक इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ किया जाता है यदि वह ख, ग और घ की सम्मति के बिना विवाह करता है तो इच्छापत्रीय संपदा ङ को चली जाएगी। घ की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि क अपना विवाह ख और ग की सम्मति के बिना करता है फिर भी ङ को दान प्रभावी नहीं होता है।*

(ii) *एक इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ किया जाता है कि यदि वह ख की सम्मति के बिना विवाह करता है तो इच्छापत्रीय संपदा*

ग को चली जाएगी। क, ख की सम्मति से विवाह करता है, वह बाद में विधुर हो जाता है और सम्मति के बिना पुनः विवाह करता है। ग का उत्तरदान प्रभावी नहीं होता है।

127. मूल उत्तरदान का द्वितीय उत्तरदान की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना – यदि परतर उत्तरदान विधिमान्य न हो तो मूल उत्तरदान पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दृष्टांत

(i) *किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ किया जाता है कि यदि वह किसी बताए गए दिन को एक घंटे में 100 मील नहीं चलेगा तो संपदा ख को चली जाएगी। यह शर्त शून्य होने के कारण क अपनी संपदा उसी प्रकार प्रतिधारित करता है मानो इच्छापत्र में कोई शर्त अन्तःस्थापित नहीं की गई थी।*

(ii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को, जीवन पर्यन्त और यदि वह अपने पति का त्याग नहीं करती है तो ख को किया गया है। क अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए वैसे ही अधिकारी है मानो इच्छापत्र में कोई शर्त अन्तःस्थापित नहीं की गई।*

(iii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को जीवन पर्यन्त और यदि वह विवाह करता है तो, ख के ज्येष्ठतम पुत्र को जीवन पर्यन्त के लिए किया गया है। ख को, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु की तिथि पर कोई पुत्र नहीं था। परवर्ती उत्तरदान धारा 100 के अधीन शून्य है, और क अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए अधिकारी है।*

128. इस शर्त के साथ उत्तरदान कि यह विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी नहीं रहेगी – कोई उत्तरदान इस अधियोजित शर्त के साथ किया जा सकेगा कि किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में या किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में वह प्रभावहीन हो जाएगी।

दृष्टांत

(i) *किसी संपदा का उत्तरदान क को, जीवन पर्यन्त के लिए, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह एक विशेष जंगल काटता है तो उत्तरदान का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। क उस जंगल को काटता है। वह संपदा में अपना*

जीवन पर्यन्त हित खो देता है।

(ii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ किया जाता है कि यदि वह इच्छापत्र में नामित निष्पादकों की सम्मति के बिना 25 वर्ष की आयु से कम में विवाह करता है तो संपदा उसकी नहीं रह जाएगी। क निष्पादकों की सम्मति के बिना 25 वर्ष से कम आयु में विवाह करता है। संपदा उसकी नहीं रह जाती है।*

(iii) *किसी संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् तीन वर्षों के भीतर इंग्लैण्ड नहीं जाता है तो संपदा में उसका हित नहीं रह जाएगा। क विहित समय के भीतर इंग्लैण्ड नहीं जाता है। संपदा में उसका हित समाप्त हो जाता है।*

(iv) *किसी संपदा का उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि वह भिक्षुणी (नन) हो जाती है तो संपदा में उसका कोई हित नहीं रह जाएगा। क भिक्षुणी (नन) बन जाती है। वह इच्छापत्र के अधीन अपना हित खो देती है।*

(v) *एक निधि का उत्तरदान क को, जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, यदि ख उस समय जीवित रहे, इस परन्तुक के साथ की जाती है कि यदि ख भिक्षुणी (नन) बन जाएगी तो उसको किये गये उत्तरदान का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। ख, क के जीवनकाल में भिक्षुणी (नन) बन जाती है। इसके द्वारा वह निधि में अपना समाश्रित हित खो देती है।*

129. ऐसी शर्त धारा 114 के अधीन अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए – इसके लिए कि यह शर्त विधिमान्य हो कि उत्तरदान निष्प्रभावी हो जाएगा, यह आवश्यक है कि वह घटना, जिससे वह संबंधित है ऐसी हो जो की धारा 114 में अनुध्यात्त शर्त के अनुसार उत्तरदान की शर्त विधितः हो सकती है।

130. इच्छापत्रदार द्वारा उस कार्य को, जिसके लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है और जिसके न किए जाने पर विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी, असंभव बनाने या अनिश्चित काल तक रोकने का परिणाम – जहां कोई उत्तरदान इस शर्त के साथ किया जाता है कि जब तक इच्छापत्रदार अमुक कार्य न करे, उत्तरदान की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी या उत्तरदान निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस कार्य को करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां यदि इच्छापत्रदार ऐसा कोई कार्य करता है जो अपेक्षित कार्य का किया जाना असंभव बना देता है या अनिश्चितकाल तक रोक देता है तो इच्छापत्रीय संपदा वैसे ही मिलेगी मानो इच्छापत्रदार ऐसा कार्य किए बिना मर गया है।

दृष्टांत

(i) *एक उत्तरदान क को इस परन्तुक के साथ किया गया है कि यदि वह सेना में भर्ती नहीं होता है तो वह संपदा ख को चली जाएगी। क संन्यास ले लेता है जिससे शर्त पूरी होना असंभव हो जाता है। ख इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त करने के लिए अधिकारी है।*

(ii) *एक उत्तरदान क को इस परंतुक के साथ किया जाता है कि यदि वह ख की पुत्री से विवाह नहीं करता है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगी। क किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेता है जिससे उस शर्त को पूरा करना अनिश्चितकाल के लिए टल जाता है। उत्तरदान निष्प्रभावी हो जाता है।*

131. **पुरोभाव्य या उत्तरभाव्य शर्त का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना। कपट के मामले में अतिरिक्त समय** – जहां इच्छापत्र में यह अपेक्षा की गई है कि इच्छापत्रीय संपदा का उपभोग किए जाने के पूर्व पूरी की जाने वाली शर्त के रूप में या ऐसी शर्त के रूप में जिसकी आपूर्ति की दशा में उत्तरदान की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलती है या उत्तरदान निष्प्रभावी हो जाता है, कोई कार्य, विनिर्दिष्ट समय इच्छापत्रकर्ता द्वारा किया जाए वहां वह कार्य, विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए। जब तक कि उसका किया जाना कपट द्वारा निवारित न कर दिया जाए, और ऐसा होने पर इतना अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा, जिसका ऐसे कपट द्वारा किए गए विलम्ब की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है।

लागू होने या उपभोग के बारे में निर्देश के साथ उत्तरदान

132. **किसी व्यक्ति को या उसके लाभ के लिए निधि की आत्यंतिक उत्तरदान के बाद यह निर्देश कि निधि का उपयोजन विशिष्ट रीति से किया जाए** – जहां किसी निधि का उत्तरदान किसी व्यक्ति को या उसके लाभ के लिए आत्यंतिक रूप से किया जाता है किन्तु इच्छापत्र में यह निर्देश है कि उसका उपयोजन या उपभोग विशिष्ट रीति से किया जाएगा वहां इच्छापत्रदार उस निधि को ऐसे प्राप्त करने का अधिकारी होगा मानो इच्छापत्र में कोई निर्देश अन्तर्विष्ट नहीं है।

दृष्टांत

एक धनराशि का उत्तरदान क के लिए एक ग्राम्य निवास का क्रय करने के लिए या क के लिए एक वार्षिकी का क्रय करने के लिए या क को कारोबार में लगाने के लिए किया जाता है। क इच्छापत्रीय संपदा को धन में प्राप्त करना चाहता है। वह ऐसा करने का अधिकारी है।

133. यह निर्देश कि आत्यन्तिक उत्तरदान के उपभोग की रीति, इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जानी है – जहां इच्छापत्रकर्ता किसी निधि का आत्यंतिक उत्तरदान करता है जिससे वह निधि उसकी स्वयं की सम्पदा से पृथक् हो जाती है, किन्तु यह निर्देश देता है कि इच्छापत्रदार द्वारा उसके उपभोग की रीति निर्बन्धित होगी जिससे इच्छापत्रदार के लिए विनिर्दिष्ट लाभ सुनिश्चित किया जा सके, वहां यदि वह फायदा इच्छापत्रदार के लिए अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है तो निधि उसकी वैसे ही होगी मानो इच्छापत्र में ऐसा कोई निर्देश अन्तर्विष्ट नहीं था।

दृष्टांत

(i) *क अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान अपनी पुत्रियों के बीच समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए करता है और निर्देश देता है कि पुत्रियों के अंशों का व्यवस्थापन उन पर उनके जीवन पर्यन्त के लिए किया जाएगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अंश उनकी सन्तानों को संदत्त किए जाएंगे। सभी पुत्रियां बिना विवाह किए मर जाती हैं। प्रत्येक पुत्री के प्रतिनिधि अवशेष में उसके अंश के लिए अधिकारी हैं।*

(ii) *क अपनी पुत्री के लिए धनराशि इकट्ठा करने के लिए अपने न्यासियों को निर्देश देता है और फिर वह निर्देश देता है कि वे निधि का विनिधान करेंगे और उससे उद्भूत आय को उसके जीवनकाल में उसे देंगे और उसकी मृत्यु के पश्चात् मूलधन को उसकी सन्तानों के बीच विभाजित करेंगे। पुत्री को कभी कोई सन्तान नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके प्रतिनिधि निधि के लिए अधिकारी हैं।*

134. निधि का कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिनमें से कुछ को पूरा नहीं किया जा सकता है, उत्तरदान – जहां इच्छापत्रकर्ता निधि की आत्यंतिक रूप से उत्तरदान नहीं करता है जिससे वह निधि उसकी स्वयं की संपदा से पृथक् नहीं हो पाती है, किन्तु उसे कतिपय प्रयोजनों के लिए देता है और उन प्रयोजनों का कोई भाग पूरा नहीं किया जा सकता है। वहां वह निधि या उसका उतना भाग जो इच्छापत्र द्वारा अनुध्यात प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया गया है, इच्छापत्रकर्ता की संपदा का भाग बना रहता है।

दृष्टांत

(i) *क निर्देश देता है कि उसके न्यासी किसी धनराशि का विनिधान किसी विशिष्ट*

रीति से करेंगे और ब्याज उसके पुत्र को जीवन पर्यन्त संदत्त करेंगे और उसकी मृत्यु पर मूलधन को उसकी संतानों में विभाजित करेंगे। पुत्र की, कभी कोई संतान नहीं हुई और उसकी निःसंतान मृत्यु हो जाती है। निधि, पुत्र की मृत्यु के पश्चात् इच्छापत्रकर्ता की संपदा हो जाती है।

(ii) *क अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान, अपनी पुत्रियों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए इस निर्देश के साथ करता है कि उनका हित केवल उनके जीवनकाल के दौरान रहेगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् निधि उनकी संतानों को मिलेगी। पुत्रियों की संतानें नहीं हैं। निधि, इच्छापत्रकर्ता की संपदा हो जाती है।*

किसी निष्पादक को उत्तरदान

135. निष्पादक के रूप में नामित इच्छापत्रदार जब तक निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय दर्शित न करे, वह इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त नहीं कर सकता है – यदि कोई इच्छापत्रीय संपदा किसी व्यक्ति को, जिसे इच्छापत्र के निष्पादक के रूप में नामित किया गया है, उत्तरदान की गई है तो वह जब तक इच्छापत्र को सिद्ध न करे या अन्यथा निष्पादक के रूप में कार्य करने का कोई आशय व्यक्त न करे, इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त नहीं करेगा।

दृष्टांत

एक इच्छापत्रीय संपदा क को दी जाती है जिसे निष्पादक के रूप में नामित किया गया है। क इच्छापत्र में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार अन्त्येष्टि का आदेश देता है और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात् क की इच्छापत्र को सिद्ध किए बिना मृत्यु हो जाती है। क ने निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय व्यक्त किया है।

विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा

136. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा – जहां कोई इच्छापत्रकर्ता किसी व्यक्ति को अपनी संपदा का कोई ऐसा विनिर्दिष्ट भाग उत्तरदान करता है, जो उसकी संपदा के सभी अन्य भागों से भिन्न है, वहां इच्छापत्रीय संपदा को विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा कहा जाता है।

दृष्टांत

(i) क, ख को उत्तरदान करता है –

"हीरे की अंगूठी, जो ग ने मुझे उपहार में दी है";

"मेरी सोने की जंजीर";

"ऊन की अमुक गांठ";

"कपड़े का अमुक टुकड़ा";

"मेरा सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय, देहरादून में ड सड़क स्थित मेरे निवास गृह में या उसके पास हो";

"अमुक पेटी की 10,000 रुपए की राशि";

"वह ऋण जो मेरा ख पर है";

"मेरे सभी नोट, बंधपत्र और मेरी प्रतिभूतियां जो विकासनगर स्थित मेरे निवास में हैं";

"मेरे चकराता स्थित घर का मेरा सभी फर्नीचर";

"अमुक पोत पर, जो अब गंगा नदी में खड़ा है, मेरा सभी माल";

"मेरे 35,000 रुपए जो ग के हाथ में है";

"घ के बंधपत्र पर मुझे देय धन";

"हरिद्वार के कारखाने पर मेरा बंधक";

"हरिद्वार के कारखाने के मेरे बंधक पर मुझे देय धन का आधा";

"50,000 रुपए, जो ग से मुझे देय ऋण का भाग है";

"क्षत्रज्ञ स्टाक में 1,00,000 रुपए का मेरा पूंजी स्टाक";

"15,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत वाले उधार में हैं";

"ऐसी सभी धनराशि, जो मेरे निष्पादक, मेरी मृत्यु के पश्चात् च और कंपनी की दिवालिया फर्म से मुझे देय ऋण के संबंध में, प्राप्त करे";

"वह सभी शराब जो मेरे पास मेरी मृत्यु के समय मेरे सुरागार में हो";

"मेरे ऐसे घोड़े जिनका ख चयन करे";

"स्टेट बैंक आफ इंडिया में मेरे सभी शेयर";

"स्टेट बैंक आफ इंडिया में मेरे सभी शेयर, जो, मेरे पास मेरी मृत्यु के समय हों";

"ऐसे सभी धन, जो केन्द्रीय सरकार के 5 प्रतिशत वाले उधार में मेरे हैं";

"सभी सरकारी प्रतिभूतियां, जिनके लिए मैं मेरी मृत्यु के समय अधिकारी होऊंगा";

इनमें से प्रत्येक इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट है।

(ii) *क, जिसके पास 1,00,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र हैं, ख के लाभ के लिए "1,00,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र विक्रय के लिए न्यास के रूप में" अपने निष्पादकों को उत्तरदान करता है। इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा है।*

(iii) *क, जिसकी उत्तरकाशी में और अन्य स्थान पर भी संपदा है, ख को उत्तरकाशी स्थित अपनी सभी संपदा का उत्तरदान करता है। इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा है।*

(iv) *क एक धनराशि का उत्तरदान निम्नलिखित के लिए करता है –*

"ख के लिए देहरादून में एक गृह का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए जिला कालसी में संपदा का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए हीरे की अंगूठी का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए एक घोड़े का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयर में विनिधान करने के लिए";

"ख के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करने के लिए";

क, ख के लिए निम्नलिखित का उत्तरदान करता है –

"एक हीरे की अंगूठी";

"एक घोड़ा";

"10,000 रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति";

"25,000 रुपयों की एक वार्षिकी";

"20,000 रुपए नकद में संदत्त किए जाने के लिए";

"इतना धन जो 50,000 रुपए की 4 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होता हो।"

ये उत्तरदान विनिर्दिष्ट नहीं है।

(v) *क, जिसकी इंगलैंड में संपदा और उत्तराखण्ड (भारत) में संपदा है, ख के लिए एक इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है और यह निर्देश देता है कि उसका संदाय उस संपदा में से किया जाएगा जो वह उत्तराखण्ड (भारत) में छोड़े। वह ग को भी एक इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है और निर्देश देता है कि उसका संदाय उस संपदा में से किया जाएगा जो वह इंग्लैंड में छोड़े।*

इनमें से कोई भी इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है।

137. कतिपय धनराशि का उत्तरदान, जहां वह स्टाक आदि, जिसमें उसका विनिधान किया गया है वर्णित है – जहां कतिपय धनराशि का उत्तरदान किया गया है वहां इच्छापत्रीय संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है कि उस स्टाक, निधि या प्रतिभूति का, जिनमें उसका विनिधान किया गया है, इच्छापत्र में वर्णन है।

दृष्टांत

क, ख को निम्नलिखित उत्तरदान करता है:–

"मेरी निधि में विनिहित संपदा के 1,00,000 रुपए";

"मेरी संपदा के 1,00,000 रुपए, जो अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में विनिहित हैं":

"1,00,000 रुपए, जो इस समय हरिद्वार के कारखाने के बंधक द्वारा प्रतिभूत हैं";

इनमें से कोई भी इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है।

138. स्टाक का उत्तरदान, जहां इच्छापत्रकर्ता के पास इच्छापत्र की तिथि को उसी प्रकार के स्टाक की समान या अधिक मात्रा है – जहां किसी प्रकार के स्टाक की कतिपय मात्रा की साधारण निबन्धनों के अनुसार उत्तरदान किया जाता है, वहां इच्छापत्रीय संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है कि इच्छापत्रकर्ता के आधिपत्य में, उसके इच्छापत्र की तिथि को, उत्तरदान की गई मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा के विनिर्दिष्ट प्रकार के स्टाक थे।

दृष्टांत

क, 50,000 रुपए की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां ख को उत्तरदान करता है। क के पास इच्छापत्र की तिथि को 50,000 रुपयों की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां थी। इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है।

139. धन का उत्तरदान, जहां वह, जब तक इच्छापत्रकर्ता की संपदा का भाग कतिपय रीति से व्ययन न किया जाए, संदेय नहीं है – कोई धन के रूप में इच्छापत्रीय संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है कि इच्छापत्र में उसके संदाय को तब तक रोक देने का निर्देश है, जब तक इच्छापत्रकर्ता की संपदा का कुछ भाग विशेष रूप में परिवर्तित न कर दिया गया हो या विशेष स्थान पर प्रेषित न कर दिया गया हो।

दृष्टांत

क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख को करता है और निर्देश देता है कि क की उत्तराखण्ड (भारत) स्थित संपदा के इंग्लैण्ड में आप्त होने पर यथाशीघ्र इस इच्छापत्रीय संपदा को संदत्त किया जाएगा। यह इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है।

140. कब प्रगणित वस्तुओं का विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया नहीं माना जाता है – जहां किसी इच्छापत्र में इच्छापत्रकर्ता की संपदा के अवशेष का उत्तरदान, संपदा की कुछ ऐसी मदों को प्रगणित करते हुए की गई है जिनका पहले उत्तरदान नहीं किया गया हो, वहां प्रगणित वस्तुओं को विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान किया गया नहीं माना जाएगा।

141. विभिन्न व्यक्तियों को क्रमबार विनिर्दिष्ट उत्तरदान का उसी रूप में प्रतिधारण – जहां संपदा की दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान किया गया है वहां यह उसी रूप में प्रतिधारित किया जाएगा जिस रूप में इच्छापत्रकर्ता ने उसे छोड़ा था यद्यपि वह ऐसी प्रकृति की हो सकती है कि जिसका मूल्य निरंतर कम हो रहा है।

दृष्टांत

(i) क किसी गृह का निश्चित अवधि के लिए पट्टेदार है उसकी मृत्यु के समय से उसमें पन्द्रह वर्ष व्यतीत नहीं हुए थे। क ने पट्टे का उत्तरदान ख को उसके जीवन पर्यन्त, और ख की मृत्यु के पश्चात् ग को किया है। ख को संपदा का उपभोग वैसे ही करना है जैसे क ने उसे छोड़ा है। तथापि, यदि ख पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहता है

तो ग को उत्तरदान के अधीन कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

(ii) *क, जिसके पास ख के जीवन काल के दौरान एक वार्षिकी है, उसका उत्तरदान ग को, उसके जीवन पर्यन्त और ग की मृत्यु के पश्चात् ख को करता है। ग को वार्षिकी का उपभोग वैसे ही करना है जैसे क ने उसे छोड़ा था तथापि, यदि ख की मृत्यु घ के पूर्व हो जाती है तो घ को उत्तरदान के अधीन कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा।*

142. दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार उत्तरदान की गई संपदा का विक्रय और आगमों का विनिधान – जहां दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार उत्तरदान में समाविष्ट संपदा की विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान नहीं किया गया है वहां उसका, किसी विपरीत निर्देश के न होने पर, विक्रय किया जाएगा और विक्रय के आगमों को, ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत या निर्देशित करे और इस प्रकार गठित निधि का उपभोग आनुक्रमिक इच्छापत्रदारों द्वारा इच्छापत्र के निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा।

दृष्टांत

क, जिसके पास निश्चित अवधि का कोई पट्टा है, अपनी संपदा का उत्तरदान ख को जीवन पर्यन्त और ख की मृत्यु के पश्चात् ग को करता है। पट्टे का विक्रय किया जाना चाहिए, आगमों का विनिधान इस धारा में जैसा कथित है उस रूप में किया जाना चाहिए, और निधि से उद्भूत वार्षिक आय का संदाय ख को जीवन पर्यन्त किया जाएगा। ख की मृत्यु के पश्चात् निधि की पूंजी का संदाय ग को किया जाएगा।

143. जहां इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए आस्तियों में कमी है वहां विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा का साधारण इच्छापत्रीय संपदा के साथ उपशमन न होना – यदि इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए आस्तियों की कमी है तो कोई विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा साधारण इच्छापत्रीय संपदा के साथ उपशमन के लिए दायी नहीं है।

निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा

144. निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा की परिभाषा – जहां इच्छापत्रकर्ता कतिपय धनराशि की या किसी अन्य वस्तु की कतिपय मात्रा का इच्छापत्र करता है और किसी ऐसी विशिष्ट निधि या स्टाक को निर्दिष्ट करता है ताकि वह ऐसी मूल निधि या स्टाक के रूप में गठित हो जाए, जिसमें में संदाय किया जाने वाला है वहां इच्छापत्र को निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा कहा जाता है।

स्पष्टीकरण – विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा और निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा के

बीच विभेद इस बात में है कि –

जहां इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट संपदा दी जाती है वहां इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट है।

जहां इच्छापत्रीय संपदा को किसी विनिर्दिष्ट संपदा में से संदत्त किए जाने का निर्देश है वहां उसे, निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा कहा जाता है।

दृष्टांत

(i) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ख को करता है। ये रुपए ब से क को देय ऋण का भाग है। वह 1,00,000 रुपए का उत्तरदान ग को भी करता है जो ब से उसे देय ऋण से संदत्त की जानी है। ख का इच्छापत्रीय संपदा विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा है, ग का इच्छापत्रीय संपदा निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा है।*

(ii) *क, ख को निम्नलिखित का उत्तरदान करता है –*

"10 बोरी अनाज जो मसूरी फार्महाऊस वाले मेरे खेत में उपजे";

"नीली कलम की, जो हरिद्वार के मेरे कारखाने में बनायी जाए, 800 पेटियां";

"मेरे पांच प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र में से 10,000 रुपए";

"मेरी निधि में विनिहित संपदा में से 5,000 रुपए की वार्षिकी";

"ग से मुझे देय 20,000 रुपए की राशि में से 10,000 रुपए";

एक वार्षिकी इस निर्देश के साथ कि उसका "पिथौरागढ़ की मेरी संपदा के किराये से उसका संदाय किया जाएगा।"

(iii) *क, ख* को–

"पिथौरागढ़ की मेरी संपदा में से 10,000 रुपए का उत्तरदान करता है या उसे पिथौरागढ़ की अपनी संपदा पर भारित करता है;

"10,000 रुपए, जो कतिपय कारोबार में लगाई गई पूंजी के मेरे शेयर हैं"

का उत्तरदान करता है।

इनमें से प्रत्येक उत्तरदान निदर्शित है।

145. संदाय का आदेश जहां इच्छापत्रीय संपदा का संदाय ऐसी निधि से किए

जाने का निर्देश हो, जो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा की विषय–वस्तु हो – जहां निधि का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान किया गया है और इच्छापत्रीय संपदा को उसी निधि में से संदाय किए जाने का निर्देश है वहां विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान किया गया भाग इच्छापत्रदार को पहले संदत्त किया जाएगा, और निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा निधि के अवशेष में से संदत्त की जाएगी और अवशेष में जितनी कमी हो उतनी इच्छापत्रकर्ता की साधारण आस्तियों में से संदत्त की जाएगी।

दृष्टांत

क, 10,000 रुपए का उत्तरदान, जो ब से उसे देय ऋण का भाग है, ख को करता है। वह 10,000 रुपए का उत्तरदान ग को भी करता है जो उसे ब से उसे देय ऋण में से संदत्त किया जाना है। ब से क को देय ऋण केवल 15,000 है। इन 15,000 रुपए में से, 10,000 रुपए ख के हैं; और 5,000 रुपए ग को संदत्त किए जाने हैं। ग इच्छापत्रकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी 5,000 रुपए प्राप्त करेगा।

इच्छापत्रीय संपदा का विखण्डन

146. **विखंडन का स्पष्टीकरण** – यदि ऐसी कोई वस्तु, जो विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई है, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय उसकी नहीं है या भिन्न प्रकार की संपदा में परिवर्तित कर दी गई है तो इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाती है, अर्थात् यह इस कारण प्रभावी नहीं हो सकता है कि विषयवस्तु को इच्छापत्र के प्रवर्तन से प्रत्याहृत कर लिया गया है।

दृष्टांत

(*i*) *क, ख* को निम्नलिखित का उत्तरदान करता है –

"ग द्वारा मुझे उपहार में दी गई हीरे की अंगूठी";

"मेरी सोने की जंजीर";

"ऊन की अमुक गांठ";

"कपड़े का अमुक टुकड़ा";

"मेरा सभी घरेलू माल, जो देहरादून स्थित मेरे निवास गृह में या उसके आस–पास मेरी मृत्यु के समय हो"।

क अपने जीवन काल मे :–

अंगूठी का विक्रय कर देता है या उसे दे देता है;

जंजीर को प्याले में परिवर्तित कर देता है;

ऊन को कपड़े में परिवर्तित कर देता है;

कपड़े का परिधान बना देता है;

दूसरा गृह ले लेता है, जिसमें वह अपना सभी माल हटा देता है।

इनमें से प्रत्येक इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो गयी है।

(*ii*) *क, ख को उत्तरदान करता है–*

"एक पेटी में 10,000 रुपए की धनराशि";

"मेरे अस्तबल के सभी घोड़े"।

क की मृत्यु पर उस पेटी में कोई धन और अस्तबल में कोई घोड़ा नहीं पाया जाता है; इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाते हैं।

(iii) *क माल की कतिपय गाठें ख को उत्तरदान करता है। क माल को अपने साथ समुद्र यात्रा पर ले जाता है। पोत और माल समुद्र में नष्ट हो जाते हैं और क डूब जाता है। इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाती है।*

147. **निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा का विखंडित न होना** – कोई निदर्शित इच्छापत्र इस कारण विखंडित नहीं होता है कि ऐसी संपदा जिस पर वह इच्छापत्र द्वारा भारित है इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है या भिन्न प्रकार की संपदा में परिवर्तित कर दी गई है, किंतु ऐसे मामले में उसका संदाय इच्छापत्रकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा।

148. **तृतीय पक्षकार से कुछ प्राप्त करने के अधिकार की विनिर्दिष्ट उत्तरदान का विखंडन** – जहां विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई वस्तु तृतीय पक्षकार से कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है और इच्छापत्रकर्ता स्वयं उसे प्राप्त करता है, वहां उत्तरदान विखंडित हो जाता है।

दृष्टांत

(i) *क, ख को निम्नलिखित उत्तरदान करता है –*

"वह ऋण जिसके लिए ग मुझे देनदार है";

"मेरे 20,000 रुपए जो घ के पास हैं";

"वह धन जो ङ के बन्धपत्र पर मुझे देय है" ;

"हरिद्वार कारखाने पर मेरा बन्धक" ।

ये सभी ऋण क के जीवनकाल में, कुछ उसकी सम्मति से और कुछ उसकी सम्मति के बिना, समाप्त हो जाते हैं। सभी इच्छापत्रीय संपदाएं विखंडित हो गयी हैं।

(ii) *क जीवन बीमा की कतिपय पॉलिसियों में अपने हित ख को इच्छापत्र करता है। क अपने जीवनकाल में पॉलिसियों की धनराशि प्राप्त करता है। इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो गयी है।*

149. विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई संपूर्ण वस्तु के भाग की इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन – विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई संपूर्ण वस्तु के किसी भाग की इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति, इस प्रकार प्राप्त राशि के विस्तार तक इच्छापत्रीय संपदा के विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी।

दृष्टांत

क "ग द्वारा मुझे देय ऋण" ख को उत्तरदान करता है। ऋण 10,000 रुपए है। ग, क को ऋण का आधा, 5,000 रुपए संदत्त करता है। इच्छापत्रीय संपदा , जहां तक क द्वारा प्राप्त 5,000 रुपए का संबंध है, विखंडन द्वारा प्रतिसंहृत हो जाती है।

150. ऐसी संपूर्ण निधि के भाग की, जिसका भाग विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है, इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन – यदि किसी संपूर्ण निधि या स्टाक का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है तो निधि या स्टाक के भाग का इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति, केवल उस धनराशि तक ही, जो इस प्रकार प्राप्त की गई है, विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी; और निधि या स्टाक के अवशेष का उपयोजन विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा को चुकाने के लिए किया जाएगा।

दृष्टांत

क 10,000 रुपयों की राशि का, जो ब द्वारा उसे देय है, आधा ख को उत्तरदान करता है। क अपने जीवनकाल में 6,000 रुपए, जो 10,000 रुपए का भाग है, प्राप्त करता है, 4000 रुपए जो ब द्वारा क को, उसकी मृत्यु के समय देय हैं, विनिर्दिष्ट उत्तरदान के अधीन ख के होंगे।

151. संदाय का क्रम, जहां निधि का भाग एक इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है और उसी निधि पर भारित इच्छापत्रीय संपदा अन्य

व्यक्ति को उत्तरदान किया गया है और इच्छापत्रकर्ता ने उस निधि का एक भाग प्राप्त किया है और अब शेष दोनों इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है – जहां निधि का एक भाग एक इच्छापत्रदार को विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है और उसी निधि पर भारित इच्छापत्रीय संपदा अन्य इच्छापत्रदार को उत्तरदान की गई है वहां यदि इच्छापत्रकर्ता उस निधि का कोई भाग प्राप्त करता है और उस निधि का अवशेष विनिर्दिष्ट और निदर्शित दोनों, इच्छापत्रीय संपदा का संदाय करने के लिए अपर्याप्त है तो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा का संदाय पहले किया जाएगा और निधि के अवशेष (यदि कोई हों) का उपयोजन, जहां तक हो सके, निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा का संदाय इच्छापत्रकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा।

दृष्टांत

क, 10,000 रुपए का उत्तरदान, जो ब द्वारा उसे देय 20,000 रुपयों के ऋण का भाग है, ख को करता है। वह 10,000 रुपए का उत्तरदान ग को भी करता है जिसका ब द्वारा उसे देय ऋण में से संदाय किया जाना है। क तत्पश्चात् 5,000 रुपए, जो उस ऋण का भाग है, प्राप्त करता है और ब से उसे देय केवल 15,000 रुपए छोड़कर मर जाता है। इन 15,000 रुपए में से 10,000 रुपए ख के होते हैं और 5,000 रुपए ग को संदत्त किए जाने के लिए हैं। ग को 5,000 रुपए इच्छापत्रकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी प्राप्त करने हैं।

152. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है, वहां विखंडन – जहां वह स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है वहां इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाती है।

दृष्टांत

क, ख को उत्तरदान करता है–

"क्षत्रज्ञ स्टाक में 10,000 रुपए का मेरा पूंजी स्टाक";

"10,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत ब्याज वाले उधार में हैं",

क स्टाक और वचनपत्रों का विक्रय करता है। इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाती है।

153. जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय, केवल भागतः विद्यमान रहता है, वहां उस सीमा तक विखंडन – जहां वह स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय केवल भागतः विद्यमान रहता है वहां इच्छापत्रीय संपदा, स्टाक के उस भाग के संबंध में, जो विद्यमान नहीं रह गया है, विखंडित हो जाती है।

दृष्टांत

क केन्द्रीय सरकार के 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधारों में अपने 10,000 रुपए का उत्तरदान ख को करता है। क प्रश्नगत उधार में अपने 10,000 रुपए के आधे का विक्रय करता है। आधी इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाती है।

154. ऐसे माल का, जिसका वर्णन किसी स्थान से उसे संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट उत्तरदान का माल हटाए जाने के कारण विखंडित न होना – ऐसे किसी माल का, जिसका वर्णन उसे किसी निश्चित स्थान से संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट उत्तरदान इस कारण विखंडित नहीं होती है कि उसे किसी अस्थायी कारण से या कपट द्वारा या इच्छापत्रकर्ता की जानकारी या स्वीकृति के बिना ऐसे स्थान से हटा दिया गया है।

दृष्टांत

(I *क "मेरे सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय रूद्रप्रयाग स्थित मेरे निवास गृह में या उसके पास हों" ख को उत्तरदान करता है। माल को अग्नि से बचाने के लिए गृह से हटा दिया गया है उसे वापस लाने के पूर्व क की मृत्यु हो जाती है।*

(ii) *क "मेरे सभी घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय रूद्रप्रयाग में मेरे निवास गृह में या उसके पास हो, ख को उत्तरदान करता है। क के यात्रा पर होने के कारण अनुपस्थित रहने के दौरान संपूर्ण माल को गृह से हटा दिया जाता है। उन्हे हटाने की स्वीकृति दिए बिना क की मृत्यु हो जाती है।*

इनमें से कोई भी इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।

155. उत्तरदान की गई वस्तु का हटाया जाना कब विखंडित नहीं होता है – उत्तरदान की गई वस्तु का उस स्थान से हटाए जाने से, जिसमें स्थित होने का इच्छापत्र में कथन किया गया है, कोई विखंडन नहीं होगा जहां उस स्थान का निर्देश केवल उस वस्तु का वर्णन पूरा करने के लिए किया गया है, जिसके संबंध में उत्तरदान करने का इच्छापत्रकर्ता का अभिप्रायः था।

दृष्टांत

(i) *क "मेरे सभी नोट, बन्धपत्र और धन की सभी अन्य प्रतिभूतियां जो अब नैनीताल स्थित मेरे निवास में रखी हैं" ख को उत्तरदान करता है। उसकी मृत्यु के समय इन भंडारों को नैनीताल स्थित उसके निवास से हटा दिया गया था।*

(ii) *क अपने सभी ऐसे फर्नीचर की, जो उस समय अल्मोड़ा स्थित उसके गृह में हो, ख को उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता का एक गृह अल्मोड़ा में और दूसरा रानीखेत में जिसमें वह बारी–बारी से रहता है, और उसके पास फर्नीचर का केवल एक सैट है जिसे वह अपने साथ प्रत्येक गृह में ले जाता है। उसकी मृत्यु के समय वे फर्नीचर रानीखेत स्थित गृह में है।*

(iii) *क अपना सभी माल, जो उस समय गंगा नदी में स्थित कतिपय पोत पर है, ख को उत्तरदान करता है। माल को क के निर्देशानुसार किसी भंडार गृह में ले जाया जाता है। जिसमें वह क की मृत्यु के समय रहता है।*

इन इच्छापत्रों में से कोई भी इच्छापत्रीय संपदा विखंडन द्वारा प्रतिसंहृत नहीं है।

156. जहां उत्तरदान की गई वस्तु इच्छापत्रकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तु है और इच्छापत्रकर्ता स्वयं या उसका प्रतिनिधि उसे प्राप्त करता है – जहां उत्तरदान की गई वस्तु अन्य व्यक्ति से कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने का अधिकार नहीं है किन्तु ऐसा धन या अन्य वस्तु है जो स्वयं इच्छापत्रकर्ता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है वहां ऐसी धनराशि या अन्य वस्तु का इच्छापत्रकर्ता द्वारा प्राप्ति से विखंडन नहीं होगा किन्तु यदि वह उसे अपनी संपदा के साधारण पुंज में मिला देता है तो इच्छापत्रीय संपदा विखंडित हो जाएगी।

दृष्टांत

क, जो कोई राशि ग पर उसके दावे से प्राप्त हो ख को उत्तरदान करता है। क, ग पर अपने संपूर्ण दावे को प्राप्त करता है और उसे अपनी संपदा के साधारण पुंज से अलग रखता है। इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।

157. विनिर्दिष्ट उत्तरदान की विषयवस्तु में, इच्छापत्र की तिथि और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के बीच, विधि के प्रवर्तन द्वारा परिवर्तन – जहां विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई वस्तु में इच्छापत्र की तिथि और इच्छापत्रकर्ता

की मृत्यु के बीच कोई परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन विधि के प्रवर्तन द्वारा या किसी ऐसी विधिक लिखत के उपबन्धों के निष्पादन के अनुक्रम में होता है जिसके अधीन उत्तरदान की गई वस्तु धारित थी, वहां इच्छापत्रीय संपदा ऐसे परिवर्तन के कारण विखंडित नहीं होती है।

दृष्टांत

(i) *क "मेरा वह सब धन जो केन्द्रीय सरकार के 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधार में है" ख को उत्तरदान करता है। 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधार के लिए प्रतिभूतियां क के जीवनकाल में 5 प्रतिशत ब्याज वाले स्टाक में संपरिवर्तित हो जाती है।*

(ii) *क 20,000 रुपए की राशि, जो क के न्यासियों के नाम में सरकारी प्रतिभूति में विनिहित है, ख को उत्तरदान करता है। 20,000 रुपए की राशि न्यासियों द्वारा क के नाम में अन्तरित कर दी जाती है।*

इन इच्छापत्रीय संपदाओं में से कोई भी विखंडित नहीं हुई है।

158. इच्छापत्रकर्ता की जानकारी के बिना विषयवस्तु में परिवर्तन – जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान की गई वस्तु में, इच्छापत्र की तिथि और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के बीच कोई परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन इच्छापत्रकर्ता की जानकारी या स्वीकृति के बिना होती है वहां इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।

दृष्टांत

क "मेरी सभी 3 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों" का उत्तरदान ख को करता है। सरकारी प्रतिभूति का विक्रय क की जानकारी के बिना उसके अभिकर्ता द्वारा कर दिया जाता है और आगमों को क्षत्रज्ञ स्टाक में संपरिवर्तित कर दिया जाता। यह इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं हुई।

159. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया स्टाक तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया जाना कि उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा – जहां कोई स्टाक, जो विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किया गया है, किसी तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया गया है कि उसे प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसे तद्नुसार प्रतिस्थापित किया जाता है वहां इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।

160. विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किए गए स्टाक को विक्रय करके उसका प्रतिस्थापन होना और इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर उसका इच्छापत्रकर्ता के

स्वामित्व में होना – जहां विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरदान किए गए स्टाक का विक्रय किया जाता है उसी स्टाक की समान मात्रा को बाद में क्रय किया जाता है और वह इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर उसके स्वामित्व में होता है वहां इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।

किसी उत्तरदान की विषय–वस्तु संबंधी दायित्वों का संदाय

161. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदारों को विमुक्त करने का निष्पादक का दायित्व न होना – (1) जहां विनिर्दिष्ट रूप से उत्तरदान की गई संपदा इच्छापत्रकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अधीन वह दावा करता है, सृजित किसी गिरवी, धारणाधिकार या विल्लंगम के अधीन, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय है, वहां जब तक इच्छापत्र से कोई विपरीत आशय प्रतीत न हो, इच्छापत्रदार, यदि वह उत्तरदान को स्वीकार करता है तो, उसे ऐसी गिरवी या विल्लंगम के अधीन रहते हुए स्वीकार करेगा और (जहां तक उसके और इच्छापत्रकर्ता की संपदा के बीच का संबंध है) ऐसी गिरवी या विल्लंगम की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

(2) यदि इच्छापत्र में इच्छापत्रकर्ता के ऋणों को साधारणतः संदाय करने के लिए कोई निर्देश अंतर्विष्ट है तो इससे किसी विपरीत आशय का अनुमान नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण– भू–राजस्व की प्रकृति का या भाटक की प्रकृति का कालिक संदाय ऐसा विल्लंगम नहीं है जो इस धारा में अनुध्यात है।

दृष्टांत

(i) *क, एक हीरे की अंगूठी ख को उत्तरदान करता है जो ग ने उसे दी थी। क की मृत्यु पर वह अंगूठी घ द्वारा जिसके पास क ने उसे गिरवी रखा था, पण्यम में धारित है। क के निष्पादकों का यह कर्तव्य है कि, यदि इच्छापत्रकर्ता की आस्तियों की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो, ख को अंगूठी का मोचन करने की अनुज्ञा दें।*

(ii) *क एक संपदा का उत्तरदान ख को करता है। संपदा क की मृत्यु पर 10,000 रुपए के लिए बन्धक है; और सम्पूर्ण मूलधन की धनराषि उस पर 1,000 रुपए ब्याज सहित क की मृत्यु के समय देय है। ख यदि वह उत्तरदान को स्वीकार करता है तो उसे इस भार सहित स्वीकार करता है और जहां तक उसका और क की संपदा के बीच का संबंध है वह इस प्रकार देय 11,000 रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी है।*

162. उत्तरदान की गई वस्तु के लिए इच्छापत्रकर्ता के अधिकार को पूरा करना उसकी संपदा के खर्च पर होगा – जहां उत्तरदान की गई वस्तु के लिए इच्छापत्रकर्ता के अधिकार को पूरा करने के लिए कोई बात की जानी है वहां वह इच्छापत्रकर्ता की संपदा के खर्च पर की जाएगी।

दृष्टांत

(i) क, जिसने कुछ कीमत पर भूमि के किसी भाग का क्रय करने का साधारण निबन्धनों में संविदा की है, उसे ख को उत्तरदान करता है और क्रयधन का संदाय करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रयधन की प्रतिपूर्ति क की आस्तियों में से ही की जानी चाहिए।

(ii) क ने कुछ धनराशि के बदले भूमि के किसी भाग को क्रय करने की संविदा की है इसमें से आधी धनराशि तुरंत संदत्त करनी है और शेष आधी की भूमि के बन्धक द्वारा प्रतिभूति दी जानी है। क उस भूमि का ख को उत्तरदान करता है। धन के किसी भाग का संदाय करने या उसकी प्रतिभूति देने के पूर्व क की मृत्यु हो जाती है। क्रयधन के आधे का संदाय क की आस्तियों में से ही किया जाना चाहिए ।

163. इच्छापत्रदार की स्थावर संपदा की विमुक्ति, जिसके लिए भू–राजस्व या भाटक कालिक रूप से संदेय है – जहां ऐसी स्थावर संपदा में जिसके संबंध में भू–राजस्व की प्रकृति का या भाटक की प्रकृति का संदाय कालिक रूप में किया जाना है, किसी हित का उत्तरदान किया जाता है वहां इच्छापत्रकर्ता की संपदा से (जहां तक संपदा और इच्छापत्रदार के बीच का संबंध है) उसकी मृत्यु की तिथि तक, यथास्थिति, ऐसे संदायों या उसके आनुपातिक भाग की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

दृष्टांत

क एक गृह का उत्तरदान जिसके संबंध में भाटक के रूप में प्रतिवर्ष 36,500 रुपए संदेय है ख को करता है। क प्रायिक समय पर अपने भाटक का संदाय करता है और उसके 25 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क की संपदा से भाटक के संबंध में 2,500 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

164. संयुक्त स्टाक कम्पनी में विनिर्दिष्ट इच्छापत्रदार के स्टाक की विमुक्ति – इच्छापत्र में किसी निर्देश के न होने पर, जहां किसी संयुक्त स्टाक कंपनी में स्टाक की विनिर्दिष्ट उत्तरदान है, वहां यदि स्टाक के संबंध में इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय इच्छापत्रकर्ता से कोई मांग या अन्य संदाय देय है तो ऐसी मांग या संदाय का वहन

इच्छापत्रकर्ता की संपदा और इच्छापत्रदार के बीच, संपदा द्वारा किया जाएगा। किन्तु यदि इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ऐसे स्टाक के संबंध में कोई मांग या अन्य संदाय देय होता है तो, यदि इच्छापत्रदार वह उत्तरदान स्वीकार करता है तो, उसका वह इच्छापत्रकर्ता की संपदा और इच्छापत्रदार के बीच इच्छापत्रदार द्वारा किया जाएगा।

दृष्टांत

(i) *क किसी कम्पनी में अपने शेयर का उत्तरदान ख को करता है। क की मृत्यु पर प्रत्येक शेयर के संबंध में 100 रुपए की राशि देय थी, जो सम्यक् रूप से की गई मांग की धनराषि थी और प्रत्येक शेयर के संबंध में पांच रुपए की राशि देय थी, जो ऐसे ब्याज की धनराषि थी, जो उस मांग के संबंध में शोध्य थी। इन संदायों का वहन क की संपदा द्वारा किया जाना चाहिए।*

(ii) *क ने एक संयुक्त स्टाक कम्पनी में, जो बनाई जाने वाली है, पचास शेयरों के लिए करार किया है और प्रत्येक ऐसे शेयर के संबंध में 100 रुपए का संदाय करने की संविदा की है। इस राशि का संदाय उन शेयरों के लिए उसके अधिकार को पूरा करने के पूर्व किया जाना चाहिए। क इन शेयरों की ख को उत्तरदान करता है। क की संपदा वह सब, संदाय करेगी जो क के अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक है।*

(iii) *क किसी रेल में अपने शेयर को ख को उत्तरदान करता है। ख इच्छापत्रीय संपदा स्वीकार करता है। क की मृत्यु के बाद शेयरों के संबंध में मांग की जाती है। ख मांगों का संदाय करेगा।*

(iv) *क संयुक्त स्टाक कम्पनी के अपने शेयरों का उत्तरदान ख को करता है। ख उत्तरदान स्वीकार करता है। आगे चलकर कम्पनी के कारोबार का परिसमापन हो जाता है और प्रत्येक शेयरधारक से अपना अभिदाय करने की मांग की जाती है। अभिदाय की धनराषि का वहन इच्छापत्रदार करेगा ।*

(v) *क किसी कम्पनी से दस शेयरों का स्वामी है। उसके जीवन काल के दौरान किए गए अधिवेशन में प्रति शेयर पचास रुपए का संदाय करने की मांग की जाती है जो तीन किस्तों में किया जाना है। क अपने शेयरों का उत्तरदान ख को करता है और प्रथम किस्त के संदाय के लिए नियत दिन और द्वितीय किस्त के संदाय के लिए नियत दिन के बीच उसकी प्रथम किस्त का संदाय किए बिना मृत्यु हो जाती है। क की संपदा प्रथम किस्त का संदाय करेगी और यदि ख इच्छापत्रीय संपदा स्वीकार करता है, तो वह अवशेष किस्तों का*

संदाय करेगा ।

साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान

165. साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं का उत्तरदान – यदि ऐसी किसी वस्तु का उत्तरदान किया जाता है जिसका साधारण शब्दों में वर्णन किया गया है तो निष्पादक को इच्छापत्रदार के लिए ऐसा क्रय करना चाहिए, जो युक्तियुक्त रूप से वर्णन के अनुरूप माना जा सके ।

दृष्टांत

(i) *क गाड़ी या एक हीरे की अंगूठी ख को उत्तरदान करता है। निष्पादक को, यदि आस्तियों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो, इच्छापत्रदार के लिए ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए।*

(ii) *क "मेरी गाड़ियों" का उत्तरदान ख को करता है। क के पास उसकी मृत्यु के समय कोई गाड़ी नहीं थी। इच्छापत्रीय संपदा निष्फल हो जाता है।*

निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान

166. निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान – जहां किसी निधि के ब्याज या आगम का उत्तरदान किसी व्यक्ति को किया जाता है और इच्छापत्र में यह आशय उपदर्शित नहीं किया जाता है कि उत्तरदान का उपभोग सीमित अवधि तक किया जाना चाहिए, वहां मूलधन और ब्याज इच्छापत्रदार के होंगे ।

दृष्टांत

(i) *क अपने पांच प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज का उत्तरदान ख को करता है। उस इच्छापत्र में उन प्रतिभूतियों के बारे में कोई अन्य खण्ड नहीं है। क के पांच प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के लिए ख अधिकारी है।*

(ii) *क 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले अपने केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज का उत्तरदान ख को, जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग को, करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान वचनपत्रों के ब्याज का अधिकारी है और ख की मृत्यु पर ग वचनपत्रों के लिए अधिकारी है।*

(iii) *क, म स्थित अपनी भूमि के भाटक का उत्तरदान ख को करता है। ख भूमि के लिए अधिकारी है।*

वार्षिकी का उत्तरदान

167. जब तक इच्छापत्र से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इच्छापत्र द्वारा सृजित वार्षिकी केवल जीवन पर्यन्त संदेय होगी – जहां इच्छापत्र द्वारा कोई वार्षिकी सृजित की जाती है वहां इच्छापत्रदार, जब तक इच्छापत्र से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, इस बात के होते हुए भी कि वार्षिकी का साधारणतः संपदा में से संदाय करने का निर्देश दिया गया है या कुछ धनराशि उसका क्रय करने में विनिधान करने के लिए उत्तरदान की गई है, उसे केवल अपने जीवन पर्यन्त प्राप्त करने का अधिकारी है।

दृष्टांत

(i) *क 5,000 रुपए प्रतिवर्ष का उत्तरदान ख को करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान 5,000 रुपयों की वार्षिक राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(ii) *क 1,000 रुपए की मासिक राशि ख को उत्तरदान करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान प्रतिमास 1,000 रुपयों की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(iii) *क 5,000 रुपए की एक वार्षिकी का उत्तरदान ख को जीवन पर्यन्त और ख की मृत्यु पर ग के लिए करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान 5,000 रुपए की वार्षिकी का अधिकारी है। ग, यदि वह ख का उत्तरजीवी होता है तो, ख की मृत्यु से अपनी स्वयं की मृत्यु तक 5,000 रुपए की वार्षिकी का अधिकारी है।*

168. जहां इच्छापत्र में यह निर्देश दिया गया हो कि वार्षिकी संपदा के आगमों में से या साधारणतः संपदा में से दी जानी चाहिए या जहां उत्तरदान किए गए धन का विनिधान वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है, वहां विनिधान की अवधि – जहां इच्छापत्र में यह निर्देश दिया गया है कि कोई वार्षिकी किसी व्यक्ति को संपदा के आगमों में से या साधारणतः संपदा में से दी जाएगी या जहां उत्तरदान किए गए धन का विनिधान इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर, किसी व्यक्ति के लिए किसी वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है वहां इच्छापत्रीय संपदा में इच्छापत्रदार का हित निहित हो जाता है और वह अपने विकल्प पर अपने लिए कोई वार्षिकी का क्रय करने का या इच्छापत्र द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनियोजित धन प्राप्त करने का अधिकारी है।

दृष्टांत

(i) *क अपने इच्छापत्र द्वारा यह निर्देश देता है कि उसके निष्पादक उसकी संपदा में से, 10,000 रुपए की वार्षिकी का क्रय ख के लिए करेंगे। ख अपने विकल्प पर 10,000 रुपए की वार्षिकी अपने जीवन पर्यन्त के लिए क्रय करने का या ऐसी धनराषि को, जो ऐसी किसी वार्षिकी का क्रय करने के लिए पर्याप्त हो, प्राप्त करने का अधिकारी है।*

(ii) *क कोई निधि ख को, उसके जीवन पर्यन्त के लिए, उत्तरदान करता है और निर्देष देता है कि ख की मृत्यु के पश्चात् उसका उपयोग ग के लिए कोई वार्षिकी क्रय करने में किया जाएगा। ख और ग इच्छापत्रकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ग की मृत्यु ख के जीवनकाल में हो जाती है। ख की मृत्यु पर निधि ग के प्रतिनिधियों की हो जाती है।*

169. वार्षिकी का उपशमन – जहां किसी वार्षिकी का उत्तरदान किया गया है किन्तु इच्छापत्रकर्ता की आस्तियां इच्छापत्र द्वारा दी गई इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहां वार्षिकी का उपशमन उसी अनुपात में होगा जैसा कि इच्छापत्र में दी गई अन्य धन सम्बन्धी इच्छापत्रीय संपदा ओं का होगा।

170. जहां वार्षिकी का दान और अवशिष्ट दान हो, वहां सम्पूर्ण वार्षिकी का पहले चुकाया जाना – जहां किसी वार्षिकी का दान और कोई अवशिष्ट दान है वहां संपूर्ण वार्षिकी, उसके अवशेष के किसी भाग का अशिष्ट इच्छापत्रदार को संदाय किए जाने के पूर्व, चुकाई जाएगी और यदि आवश्यक हो तो इच्छापत्रकर्ता की संपदा की पूंजी उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

लेनदारों और हिस्सा पाने वालों की इच्छापत्रीय संपदा

171. लेनदार, प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा, तथा ऋण, दोनों के लिए अधिकारी है – जहां कोई ऋणी अपने लेनदार को किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है और इच्छापत्र से यह प्रकट नहीं होता है कि इच्छापत्रीय संपदा से ऋण का चुकता हो जाना अभिप्रेत है वहां लेनदार इच्छापत्रीय संपदा तथा ऋण की धनराशि, दोनों, के लिए अधिकारी होगा।

172. संतान प्रथमदृष्ट्या, इच्छापत्रीय संपदा तथा हिस्सा, दोनों के लिए अधिकारी है – जहां माता या पिता, जो संविदा द्वारा किसी संतान के लिए किसी अंश का उपबन्ध करने के लिए बाध्य है, ऐसा करने में असफल रहता है और बाद में संतान के लिए किसी इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान करता है और अपने इच्छापत्र से यह संसूचित नहीं करता है कि इच्छापत्रीय संपदा से अंश का चुकता हो जाना अभिप्रेत है,

वहां संतान इच्छापत्रीय संपदा तथा वह हिस्सा, दोनों, प्राप्त करने की अधिकारी है।

दृष्टांत

क ने ख के साथ अपने विवाह को आसन्न मानकर किए गए किसी अनुच्छेद द्वारा, यह प्रसंविदा की है कि वह आशयित विवाह की प्रत्येक पुत्री को, उसके विवाह पर, 20,000 रुपए का हिस्सा संदत्त करेगा। इस प्रसंविदा को भंग कर दिए जाने पर क अपनी और ख की प्रत्येक विवाहिता पुत्री को 20,000 रुपए का उत्तरदान करता है। इच्छापत्रदार अपने अंश के अतिरिक्त इस इच्छापत्र के लाभ के भी अधिकारी हैं।

173. **इच्छापत्रदार के लिए पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा विखंडन न होना** – इच्छापत्रदार के लिए व्यवस्थापन द्वारा या अन्यथा किए गए किसी पश्चात्वर्ती उपबन्ध द्वारा कोई उत्तरदान पूर्णतः या भागतः विखंडित नहीं होगी।

दृष्टांत

(*i*) *अपने पुत्र ख को 20,000 रुपए का उत्तरदान करता है। वह उसके पश्चात् ख को 20,000 रुपए की राशि देता है। इसके द्वारा इच्छापत्रीय संपदा विखंडित नहीं होती है।*

(ii) *क अपनी अनाथ भतीजी ख को, जिसे उसने उसकी बाल्यावस्था से पाला था, 40,000 रुपए का उत्तरदान करता है। इसके पश्चात् ख के विवाह के अवसर पर क उसे 30,000 रुपए का व्यवस्थापन करता है। इससे इच्छापत्रीय संपदा में कमी नहीं होती है।*

चयन

174. **किन परिस्थितियों में चयन होता है** – जहां कोई व्यक्ति, अपने इच्छापत्र द्वारा ऐसी किसी वस्तु का व्ययन करने की प्रव्यंजना करता है जिसका व्ययन करने का उसे अधिकार नहीं है, वहां उस व्यक्ति को जिसकी वह वस्तु है यह चयन करना होगा कि या तो यह ऐसे व्ययन को पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो और पश्चात्कथित दशा में वह ऐसे किसी लाभ को त्याग देगा जिसका उपबन्ध इच्छापत्र द्वारा उसके लिए किया गया है।

175. **स्वामी द्वारा त्यागे गए हित का न्यागमन** – धारा 174 में कथित परिस्थितियों में त्यागे गए किसी हित का न्यागमन वैसे ही होगा मानो उसका इच्छापत्र द्वारा व्ययन इच्छापत्रदार के पक्ष में नहीं किया गया है, तथापि यह हित उस निराश इच्छापत्रदार को उस दान की, जिसे इच्छापत्र द्वारा उसे दिए जाने का प्रयत्न किया गया था, धनराशि या उसके मूल्य को चुका देने के भार के अधीन होगा।

176. इच्छापत्रकर्ता के स्वामित्व के संबंध में उसका विश्वास तत्त्वहीन है – धारा 174 और 175 के उपबंध लागू होते हैं चाहे इच्छापत्रकर्ता यह विश्वास करता हो या न करता हो कि जिसका व्ययन करने की वह अपने इच्छापत्र द्वारा प्रव्यंजना करता है वह उसका अपना है।

दृष्टांत

(i) *चमोली का खेत ग की संपदा था। क ने ग को 1,00,000 रुपयों की इच्छापत्रीय संपदा देकर उसे ख को उत्तरदान कर दिया। ग ने, चमोली के अपने खेत को, जो 80,000 रुपए मूल्य का है, अपने पास रखने का चयन किया है। ग का 1,00,000 रुपए का इच्छापत्र समपहृत हो जाता है जिसमें 80,000 रुपए ख को चले जाते हैं और अवशिष्ट 20,000 रुपए अवशिष्ट उत्तरदान में चले जाते हैं, या इच्छापत्र रहित उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार न्यागत होते हैं।*

(ii) *क किसी संपदा का ख को उत्तरदान करता है, यदि ख के ज्येष्ठ भाई की (जो विवाहित है और जिसकी संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतान न हो। क एक आभूषण, जो ख का है, ग को भी उत्तरदान करता है। ख को आभूषण को त्यागने या संपदा को छोड़ने का चयन करना चाहिए।*

(iii) *क 1,00,000 रुपए ख को और एक संपदा, जो व्यवस्थापन के अधीन ख की होगी, ग को उत्तरदान करता है, यदि ख के ज्येष्ठ भाई को (जो विवाहित है और जिसकी संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतान न हो। ख को संपदा को त्यागने या इच्छापत्रीय संपदा को छोड़ने का चयन करना चाहिए।*

(iv) *क, 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति है, जो भारत में उत्तराखण्ड का अधिवासी है। क इंग्लैंड स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा का स्वामी है, जिसके लिए ग विधि के अनुसार उत्तराधिकारी है। क एक इच्छापत्रीय संपदा का ग को उत्तरदान करता है और उसके अधीन रहते हुए इच्छापत्र लिखकर "मेरी सभी संपदा चाहे जितनी हो और जहां हो" ख को उत्तरदान करता है और 21 वर्ष से कम आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा इच्छापत्र द्वारा संक्रांत नहीं होती है। ग अपनी इच्छापत्रीय संपदा का दावा इंग्लैंड स्थित पूर्ण स्वामिक स्थावर संपदा का त्याग किए बिना कर सकता है।*

177. व्यक्ति के लाभ के लिए उत्तरदान, चयन के प्रयोजन के लिए कैसे माना जाए – किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उत्तरदान को, चयन के प्रयोजन के लिए, वैसे ही

माना जाता है जैसे उसे किये गये उत्तरदान को।

दृष्टांत

क, नैनीताल के खेत को, जो ख की संपदा है, ग को उत्तरदान करता है; और हल्द्वानी फार्महाउस नामक एक दूसरे खेत को अपने स्वयं के निष्पादकों को, इस निर्देश के साथ उत्तरदान करता है कि उसका विक्रय किया जाना चाहिए और उसके आगमों का उपयोग ख के ऋणों के संदाय के लिए किया जाना चाहिए। ख, को यह चयन करना चाहिए कि क्या वह इच्छापत्र को मानेगा या उसके विपरीत नैनीताल का खेत अपने पास रखेगा।

178. **अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पाने वाले व्यक्ति को चयन नहीं करना है** – जो व्यक्ति किसी इच्छापत्र के अधीन कोई लाभ सीधा नहीं लेता है किन्तु उसके अधीन लाभ उसे परतः व्युत्पन्त होता है उसे चयन करने की आवश्यकता नहीं है।

दृष्टांत

चम्पावत की भूमि का व्यवस्थापन ग पर जीवन पर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् घ पर, जो उसकी एकमात्र संतान है, किया गया है। क चम्पावत की भूमि का ख को और 100,000 रुपए का ग को उत्तरदान करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ग की इच्छापत्र रहित मृत्यु हो जाती है और उसने कोई चयन नहीं किया है। घ, ग के लिए प्रशासन ग्रहण करता है, और प्रशासक के रूप में ग की संपदा की ओर से इच्छापत्र के अधीन भूमि लेने का चयन करता है। उस सामर्थ्य में वह 1,00,000 रुपए की इच्छापत्रीय संपदा प्राप्त करता है और चम्पावत की भूमि के भाटक के लिए, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् और ग की मृत्यु के पूर्व उद्भूत हो ख को लेखा देता है। अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य में वह इच्छापत्र के विपरीत चम्पावत की भूमि को प्रतिधारित करता है।

179. **इच्छापत्र के अधीन व्यक्तिगत सामर्थ्य में लेने वाला व्यक्ति दूसरे सामर्थ्य में उसके विपरीत लेने का चयन कर सकेगा** – जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य में कोई लाभ इच्छापत्र के अधीन लेता है वह दूसरे सामर्थ्य में इच्छापत्र के विपरीत लेने का चयन कर सकेगा।

दृष्टांत

टिहरी की संपदा का व्यवस्थापन क पर, जीवन पर्यन्त के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख पर किया गया है। क टिहरी की संपदा घ के लिए और 2,00,000 रुपए ख के लिए तथा 1,00,000 रुपए ग के लिए छोड़ता है जो ख की एकमात्र संतान है।

इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् ख की इच्छापत्र रहित मृत्यु हो जाती है और उसने कोई चयन नहीं किया है। ग, ख के लिए प्रशासन ग्रहण करता है और प्रशासक के रूप में इच्छापत्र के विपरीत टिहरी की संपदा रखने का और 2,00,000 रुपए की इच्छापत्रीय संपदा के त्यजन का चयन करता है। ग ऐसा कर सकता है और फिर भी इच्छापत्र के अधीन 1,00,000 रुपयों की अपनी इच्छापत्रीय संपदा का दावा कर सकता है।

180. **अंतिम छह धाराओं के उपबन्धों का अपवाद** – धारा 174 से 179 तक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इच्छापत्रदार को किसी ऐसी वस्तु के बदले, जो इच्छापत्रदार की है, किसी विशिष्ट दान का दावा किया जाना इच्छापत्र में अभिव्यक्त किया गया है और उसका ऐसे इच्छापत्र द्वारा वस्तुतः व्ययन भी किया गया है वहां यदि ऐसा इच्छापत्रदार उस वस्तु का दावा करे तो उसे उस विशिष्ट दान का त्याग करना होगा किन्तु वह इच्छापत्र द्वारा उसे दिए गए किसी अन्य लाभ को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

दृष्टांत

क के विवाह व्यवस्थापन के अधीन उसकी पत्नी क की उत्तरजीवी होने पर, अपने जीवनकाल के दौरान देहरादून की संपदा के उपभोग की अधिकारी है। क देहरादून की संपदा में अपनी पत्नी के हित के बदले उसे उसके जीवनकाल के दौरान 2,00,000 रुपए की वार्षिकी का उत्तरदान अपने इच्छापत्र द्वारा करता है और वह संपदा अपने पुत्र को उत्तरदान कर देता है। वह अपनी पत्नी को 10,00,000 रुपए की इच्छापत्रीय संपदा भी देता है। विधवा उसका, चयन करती है जिसके लिए वह व्यवस्थापन के अधीन अधिकारी है। वह वार्षिकी को त्यागने के लिए आबद्ध है किन्तु 10,00,000 रुपयों की इच्छापत्रीय संपदा को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

181. **इच्छापत्र द्वारा दिए गए लाभ का प्रतिग्रहण कब इच्छापत्र के अधीन लेने के चयन को गठित करता है** – इच्छापत्र द्वारा दिए गए किसी लाभ का प्रतिग्रहण, इच्छापत्र के अधीन लेने के लिए इच्छापत्रदार द्वारा किया गया चयन गठित करता है यदि उसे चयन करने के अपने अधिकार का ज्ञान है और उन परिस्थितियों का ज्ञान है जो चयन करने में किसी युक्तिमान मनुष्य के निर्णय पर प्रभाव डालती हों अथवा यदि वह उन परिस्थितियों की जांच करने का अधित्यजन कर देता है।

दृष्टांत

(i) *क, बागेश्वर फार्म नामक किसी संपदा का स्वामी है और अल्मोड़ा फार्म नामक*

किसी दूसरी संपदा में जीवन पर्यन्त हित रखता है जिसके लिए उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र आत्यंतिक रूप से अधिकारी होगा। क के इच्छापत्र में बागेश्वर फार्म की संपदा ख को तथा अल्मोड़ा फार्म की संपदा ग को दी गई है। ख अल्मोड़ा फार्म की संपदा में अपने स्वयं के अधिकार की जानकारी न होने के कारण ग को उसका आधिपत्य देता है और बागेश्वर फार्म की संपदा का आधिपत्य ले लेता है। ख ने ग को अल्मोड़ा फार्म की उत्तरदान की पुष्टि नहीं की है।

(ii) *ख जो क को ज्येष्ठतम पुत्र है मसूरी फार्महाऊस नामक संपदा का आधिपत्यधारी है। क मसूरी फार्महाऊस का उत्तरदान ग को और क की संपदा का अवशेष ख को इच्छापत्र करता है। ख, क के निष्पादकों द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि अवशेष 5,00,000 रुपए होगा ग को मसूरी फार्महाऊस का आधिपत्य ले लेने देता है। तत्पश्चात् उसे यह पता चलता है कि अवशेष 50,000 रुपए से अधिक नहीं है। ख ने ग को मसूरी फार्महाऊस के उत्तरदान की पुष्टि नहीं की है।*

182. वे परिस्थितियां जिनमें ज्ञान या अधित्यजन उपधारित या अनुमित किया जाता है –

(1) यदि इच्छापत्रदार विसम्मति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना इच्छापत्र द्वारा उसके लिए उपबंधित लाभों का उपभोग दो वर्ष तक कर लेता है तो ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव के उपधारित कर लिया जाएगा।

(2) ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन इच्छापत्रदार के किसी ऐसे कार्य से अनुमित किया जा सकेगा जिसने उत्तरदान की विषयवस्तु में हितबद्ध व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना दिया है जिसमें वे होते यदि वह कार्य न किया गया होता।

दृष्टांत

क कोई संपदा ख को उत्तरदान करता है जिसके लिए ग अधिकारी है और ग को कोयले की एक खान का उत्तरदान करता है। ग खान को, आधिपत्य में लेता है और उसे निःशेष कर देता है। उसके द्वारा उसने संपदा में ख के उत्तरदान की पुष्टि कर दी है।

183. इच्छापत्रकर्ता के प्रतिनिधि इच्छापत्रदार से चयन करने के लिए कब कह सकेंगे – यदि इच्छापत्रदार इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के भीतर

इच्छापत्र की पुष्टि करने या उससे विसम्मति का अपना आशय इच्छापत्रकर्ता के प्रतिनिधियों को जता नहीं देता है तो प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह चयन करे और यदि वह ऐसी अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उसका पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इच्छापत्र की पुष्टि करने का चयन कर लिया है।

184. निर्योग्यता की दशा में चयन को स्थगित रखना – निर्योग्यता की दशा में चयन उस समय तक स्थगित रहेगा जब तक उस निर्योग्यता का अन्त नहीं हो जाता या जब तक चयन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता।

मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान

185. मृत्यु को आसन्न मानकर दान द्वारा अन्तरणीय संपदा –

(1) कोई व्यक्ति मृत्यु को आसन्न मानकार किए गए दान द्वारा किसी ऐसी जंगम संपदा का व्ययन कर सकेगा जिसका वह इच्छापत्र द्वारा व्ययन कर सकता है।

(2) किसी दान को, मृत्यु को आसन्न मानकर किया गया दान वहां कहा जाता है जहां कोई मनुष्य जो बीमार है और जिसे अपनी बीमारी के कारण शीघ्र ही मर जाने की प्रत्यांशका है, किसी जंगम वस्तु का आधिपत्य किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है कि वह, यदि दानकर्ता की उस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाए तो उसे दान के रूप में रखे।

(3) ऐसे दान को दानकर्ता वापस ले सकेगा और यदि वह उस बीमारी से, जिसके दौरान वह दान किया गया था, ठीक हो जाता है या यदि वह उस व्यक्ति का उत्तरजीवी होता है, जिसके लिए वह दान किया गया था तो वह प्रभावशील नहीं होगा।

दृष्टांत

(i) *क बीमार है। वह मृत्यु की प्रत्याशंका के कारण ख को, निम्नलिखित का परिदान करता है, जो ख की मृत्यु हो जाने पर क प्रतिधारित करेगा –*

एक घड़ी;

एक बैंक–नोट;

ग द्वारा क को अनुदत्त एक बन्धपत्र;

निरंक पृष्ठांकित केन्द्रीय सरकार का एक वचनपत्र;

निरंक पृष्ठांकित एक विनिमय–पत्र;

कतिपय बन्धक–निलेख।

क की मृत्यु उस बीमारी का कारण हो जाती है जिसके दौरान उसने इन वस्तुओं का परिदान किया था।

ख निम्नलिखित के लिए अधिकारी है –

घड़ी;

ग के बन्धपत्र द्वारा प्रतिभूत ऋण;

बैंक–नोट;

केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र;

विनिमय–पत्र;

बन्धक–विलेख द्वारा प्रतिभूत धन।

(ii) *क बीमार है। वह मृत्यु की प्रत्यांशका के कारण ख को किसी संदूक की चाबी का या किसी ऐसे भण्डार की चाबी का परिदान, जिसमें क के भारी मात्रा में माल निक्षिप्त हैं संदूक में रखी गई वस्तुओं पर या निक्षिप्त माल पर उसे आधिपत्य देने के आशय से, करता है और उससे यह वांछा करता है कि वह क की मृत्यु की दशा में उन्हें रखे। क की मृत्यु उस बीमारी में हो जाती है जिसके दौरान उसने ऐसी वस्तुओं का परिदान किया था। ख संदूक और उसकी अन्तर्वस्तुओं का या भण्डार में क के भारी मात्रा में माल का अधिकारी है।*

(iii) *क बीमार है। वह मृत्यु की प्रत्याशंका के कारण कुछ वस्तुओं को अलग–अलग पार्सलों में पृथक् रख देता है और पार्सलों पर क्रमशः ख और ग के नाम लिख देता है। पार्सल क के जीवनकाल में परिदत्त नहीं किए जाते हैं। क की मृत्यु उस बीमारी में हो जाती है, जिसके दौरान उसने उन पार्सलों को पृथक् रखा था। ख और ग पार्सलों की अर्न्तवस्तुओं के लिए अधिकारी नहीं हैं।*

अध्याय – 3

मृतक की संपदा का संरक्षण

186. मृतक की संपदा के लिए उत्तराधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति सदोष आधिपत्य के विपरीत अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा –

(1) यदि कोई व्यक्ति जंगम या स्थावर संपदा छोड़कर मर जाता है तो उसके लिए या उसके किसी भाग के लिए उत्तराधिकार द्वारा किसी अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति, अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक आधिपत्य ले लिए जाने के पश्चात् या जब आधिपत्य अभिग्रहण करने में बल का प्रयोग किए जाने की आशंका हो तो, उस जिले के जिला न्यायाधीश को, जिसमें संपदा का कोई भाग पाया जाता है या स्थित है, अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां कोई अवयस्क, या कोई निरर्हित या अनुपस्थित व्यक्ति ऐसी संपदा के लिए, जैसी पहले वर्णित है, उत्तराधिकार द्वारा अधिकारी है वहां कोई अभिकर्ता, नातेदार, निकट मित्र या प्रतिपाल्य अधिकारी, अपने संज्ञान में आने वाले मामलों में, अनुतोष के लिए वैसे ही आवेदन कर सकेगा।

187. न्यायाधीश द्वारा की गई जांच – वह जिला न्यायाधीश, जिसे ऐसा आवेदन किया जाता है, प्रथमतः आवेदक की शपथ पर परीक्षा करेगा और इस बारे में ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करेगा जैसा वह आवश्यक समझे कि क्या यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि आधिपत्यधारी पक्षकार को या आधिपत्य अभिग्रहण के लिए बल का प्रयोग करने वाले पक्षकार को विधिपूर्ण अधिकार नहीं है, और वह आवेदक या वह व्यक्ति, जिसकी ओर से वह आवेदन करता है, वास्तव में अधिकारी है और यदि उसे बाद के मामूली उपचार के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर तात्त्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और आवेदन सद्भाविक रूप से किया गया है।

188. प्रक्रिया – यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि यथापूर्वोक्त विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है और अन्यथा नहीं है, तो वह उस पक्षकार को, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, न्यायालय में बुलायेगा और खाली या विघ्नयुक्त आधिपत्य की सूचना प्रकाशन द्वारा देगा और युक्तियुक्त समय के अवसान के पश्चात् आधिपत्य के अधिकार को (इसमें इसके पश्चात् यथाउपबन्धित वाद के अधीन रहते हुए) संक्षिप्ततः अवधारित करेगा और तद्नुसार आधिपत्य देगाः

परन्तु न्यायाधीश को ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो किसी भंडार

की सूची तैयार करने और उसे मुद्राबंद करने या अन्यथा सुरक्षित रखने के प्रयोजन के लिए आवेदन दिए जाने पर अविलम्ब वैसा करेगा चाहे उसने उस पक्षकार को, जिसके विपरीत परिवाद किया गया है, न्यायालय में बुलाने के लिए आवश्यक जांच पूरी कर ली है या नहीं।

189. **कार्यवाहियों के अवधारण के लंबित रहने के दौरान रक्षक की नियुक्ति** – यदि यथापूर्वोक्त जांच किए जाने पर आगे यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त कार्यवाही का अवधारण किए जाने के पूर्व संपदा के दुर्विनियोजन या दुर्व्यय के खतरे की आशंका है और आधिपत्यधारी पक्षकार से प्रतिभूति अभिप्राप्त करने में विलम्ब या उसकी अपर्याप्तता से आधिपत्य विहीन पक्षकार के लिए पर्याप्त आशंका होने की संभावना है और वह विधिपूर्ण स्वामी भी है तो जिला न्यायाधीश एक या अधिक रक्षक नियुक्त कर सकेगा जिसका प्राधिकार उसकी या उनकी अपनी नियुक्तियों के निबन्धनों के अनुसार जारी रहेगा और किसी भी दशा में संक्षिप्त कार्यवाहियों का अवधारण किए जाने और उसके परिणामस्वरूप आधिपत्य की पुष्टि या परिदान किए जाने के आगे जारी नहीं रहेगा:

परन्तु भूमि के मामले में, न्यायाधीश रक्षक की शक्तियों को कलेक्टर या कलेक्टर के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी संपदा के संबंध में रक्षक की प्रत्येक नियुक्ति सम्यक् रूप से प्रकाशित की जाएगी।

190. **रक्षक को प्रदान की जा सकने वाली शक्तियां** – जिला न्यायाधीश रक्षक को संपदा का आधिपत्य, या तो साधारणतः लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक आधिपत्य रखने वाले पक्षकार द्वारा प्रतिभूति न दे दी जाए या जब तक संपदा की सूचियां न बना ली जाएं या आधिपत्यधारी पक्षकार द्वारा दुर्विनियोजन या दुर्व्यय से संपदा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक किसी अन्य प्रयोजन के लिए आधिपत्य लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

परन्तु यह न्यायाधीश के विवेक पर होगा कि वह प्रतिभूति देने या न देने पर आधिपत्यधारी पक्षकार को ऐसा आधिपत्य बनाए रखने की अनुज्ञा दे और आधिपत्य को रखना ऐसे आदेशों के अधीन होगा जैसा यह न्यायाधीश सूचियों या विलेखों या अन्य भंडार की सुरक्षा के सम्बन्ध में जारी करे।

191. **रक्षक द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग का प्रतिषेध** –

(1) जहां इस भाग के अध्याय–6 के अधीन प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान किया गया है वहां इस भाग के अधीन नियुक्त रक्षक, प्रमाणपत्र के धारक के या

निष्पादक या प्रशासक के किसी विधिसम्मत प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) ऐसे सभी व्यक्तियों का, जिन्होंने कोई ऋण या भाटक प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत रक्षक को ऋण या भाटक का संदाय किया है, परित्राण किया जाएगा और रक्षक उनका संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसने, यथास्थिति, प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अभिप्राप्त किया है।

192. रक्षक प्रतिभूति देगा और पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा –

(1) न्यायाधीश रक्षक से उसके न्यास के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से उसका समाधानप्रद लेखा देने के लिए प्रतिभूति लेगा और उसे संपदा में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो जिला न्यायाधीश युक्तियुक्त समझे, किन्तु ऐसा पारिश्रमिक किसी भी दशा में जंगम संपदा के और स्थावर संपदा के वार्षिक लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) रक्षक द्वारा उगाही किया गया सभी अधिशेष धन न्यायालय ने संदत्त किया जाएगा और उन व्यक्तियों के लाभ के लिए लोक प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो संक्षिप्त कार्यवाहियों के न्यायनिर्णयन पर उनके लिए अधिकारी हों।

(3) रक्षक से प्रतिभूति की अपेक्षा युक्तियुक्त शीघ्रता से की जाएगी और जहां यह साध्य हो वहां यह साधारणतः ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में होगी जिनके लिए वह व्यक्ति वाद में रक्षक नियुक्त किया जाए; किन्तु प्रतिभूति लेने में कोई विलम्ब न्यायाधीश को अपने पद की शक्तियों को रक्षक में तुरन्त विनिहित करने से निवारित नहीं करेगा।

193. कलेक्टर की रिपोर्ट जहां संपदा में राजस्व संवत्त करने वाली भूमि सम्मिलित है –

(1) जहां मृत व्यक्ति की संपदा में पूर्णतः या भागतः ऐसी भूमि सम्मिलित है, जिसके लिए सरकार को राजस्व संदत्त किया जाता है, वहां आधिपत्यधारी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाने, रक्षक की नियुक्ति करने या उस नियुक्ति के लिए व्यक्तिगतयों को नामनिर्देशित करने के औचित्य के संबंध में सभी विषयों में जिला न्यायाधीश कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगेगा और तब कलेक्टर रिपोर्ट देगा;

परन्तु अत्यन्त आवश्यक मामलों में न्यायाधीश प्रथमतः ऐसी रिपोर्ट के बिना कार्यवाही करेगा।

(2) न्यायाधीश ऐसी किसी रिपोर्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

194. **वादों को संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना** – रक्षक वादों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के संबंध में जिला न्यायाधीश के आदेशों के अधीन कार्य करेगा और सभी वाद संपदा की ओर से रक्षक के नाम से संस्थित किए जाएंगे या उनमें प्रतिरक्षा की जाएगी:

परन्तु रक्षक की नियुक्ति के आदेश में ऋणों या भाटकों के संग्रहण के लिए अभिव्यक्त प्राधिकार की अपेक्षा होगी किन्तु ऐसा अभिव्यक्त प्राधिकार उसके आधार पर प्राप्त धन की किन्हीं राशियों का निस्तारण करने के लिए रक्षक को समर्थ बनाएगा।

195. **रक्षक द्वारा अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान दृश्यमान स्वामियों को भत्ते** – रक्षक द्वारा संपदा की अभिरक्षा के लम्बित रहने के दौरान उनके लिए प्रथमदृष्ट्या अधिकार रखने वाले पक्षकारों को जिला न्यायाधीश ऐसे भत्ते देगा जैसे वह हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों और परिस्थितियों का संक्षिप्त अन्वेषण करने पर आवश्यक समझे, और संक्षिप्त कार्यवाही के न्यायनिर्णयन पर पक्षकार से उसके लिए अधिकारी न पाए जाने पर उसका ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने के लिए अपने विवेकानुसार प्रतिभूति ले सकेगा।

196. **रक्षक द्वारा लेखा पत्रावलित किया जाना** – रक्षक संक्षिप्त मासिक लेखा पत्रावलित करेगा और तीन मास की प्रत्येक अवधि के अवसान पर, यदि उसका प्रशासन इतने दिन चलता रहे, और संपदा का आधिपत्य त्याग देने पर जिला न्यायाधीश के समाधानप्रद रूप में अपने प्रशासन का विस्तृत लेखा पत्रावलित करेगा।

197. **लेखाओं का निरीक्षण और दोहरी प्रति रखने का हितबद्ध पक्षकार का अधिकार** –

(1) रक्षक का लेखा सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और ऐसा कोई हितबद्ध पक्षकार, रक्षक द्वारा सभी प्राप्तियों और संदायों का दोहरा लेखा रखने के लिए पृथक् व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा।

(2) यदि यह पाया जाता है कि रक्षक के लेखा बकाया हैं या वे त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं या यदि रक्षक को जब किसी जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया जाता है तब वह उन्हें प्रस्तुत नहीं करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए शास्ति से दंडनीय होगा जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा ।

198. **एक ही संपदा के लिए दूसरे रक्षक की नियुक्ति पर बंधन** – यदि किसी जिला

न्यायाधीश ने किसी मृत व्यक्ति की संपूर्ण संपदा के संबंध में, किसी रक्षक की नियुक्ति की है तो ऐसी नियुक्ति उसी राज्य के भीतर किसी अन्य जिला के न्यायाधीश को किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति करने से प्रवारित करेगी, किन्तु मृतक की संपदा के किसी भाग के संबंध में किसी रक्षक की नियुक्ति, अवशिष्ट की या उसके किसी भाग के संबंध में उसी राज्य में किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति को प्रवारित नहीं करेगी:

परन्तु कोई न्यायाधीश किसी ऐसी संपदा के संबंध में, जो किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष इस अध्याय के अधीन पहले से संस्थित किसी संक्षिप्त कार्यवाही की विषय–वस्तु है कोई रक्षक नियुक्त नहीं करेगा या संक्षिप्त कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि किसी संपदा के विभिन्न भागों के लिए भिन्न–भिन्न न्यायाधीशों द्वारा दो या अधिक रक्षक नियुक्त किए गए हैं तो उच्च न्यायालय, सम्पूर्ण संपदा के एक रक्षक की नियुक्ति करने के लिए ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे।

199. **रक्षक के लिए आवेदन करने की समय–सीमा** – जिला न्यायाधीश को इस अध्याय के अधीन कोई आवेदन उस स्वत्वधारी की मृत्यु से छह मास के भीतर किया जाना चाहिए जिसकी संपदा का दावा उत्तराधिकार में अधिकार द्वारा किया जाता है।

200. **मृतक द्वारा लोक व्यवस्थापन या विधिक निर्देश के विपरीत इस भाग के प्रवर्तन का वर्जन** – इस अध्याय की कोई बात, व्यवस्थापन के किसी लोक कार्य के या किसी संपदा के मृतक स्वत्वधारी द्वारा, अवयस्कता की दशा में या अन्यथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पति के आधिपत्य के लिए दिए गए किन्हीं विधिक निर्देशों के उल्लंघन को प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जाएगी, और ऐसे प्रत्येक मामले में मृत व्यक्ति की संपदा पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश का ऐसे निर्देशों के विद्यमान होने के बारे में जैसे ही समाधान हो जाए वहां वह उन्हें प्रभावशील करेगा।

201. **वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति** – इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे पक्षकार द्वारा कोई वाद लाने में अड़चन डालने वाली नहीं होगी। जिसका आवेदन आधिपत्यधारी पक्षकार को न्यायालय में बुलाने के पूर्व या पश्चात् अस्वीकृत कर दिया गया है या जिसे इस अध्याय के अधीन आधिपत्य से वंचित कर दिया गया है।

202. **संक्षिप्त कार्यवाही के विनिश्चय का प्रभाव** – इस अध्याय के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में जिला न्यायाधीश के विनिश्चय का वास्तविक आधिपत्य के परिनिर्धारण से भिन्न कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस प्रयोजन के लिए यह अन्तिम होगा और किसी अपील या पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा।

203. **लोक रक्षकों की नियुक्ति** – राज्य सरकार किसी जिले या कुछ जिलों के लिए

लोक रक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, और ऐसा जिला न्यायाधीश जो अधिकारिता रखता है, ऐसे सभी मामलों में, जिसमें इस अध्याय के अधीन रक्षकों का चयन करना उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है, ऐसे लोक रक्षकों को नाम निर्दिष्ट करेगा।

अध्याय – 4

उत्तराधिकार पर मृतक की संपदा के लिए प्रतिनिधि का अधिकार

204. निष्पादक या प्रशासक की, उस रूप में, प्रकृति और संपदा – मृत व्यक्ति का, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक सभी प्रयोजनों के लिए उसका विधिक प्रतिनिधि है और मृत व्यक्ति की सभी संपदा उसमें, उस रूप में, विनिहित होती है।

205. न्यायालय के माध्यम से मृत व्यक्तियों के ऋणियों से ऋणों की उगाही के लिए प्रतिनिधि के अधिकार के सबूत का पुरोभाव्य शर्त होना –

(1) कोई भी न्यायालय–

(क) मृत व्यक्ति के किसी ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए, जो उत्तराधिकार पर मृत व्यक्ति के भंडार के लिए या उसके किसी भाग का अधिकारी होने का दावा करता है, कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं करेगा, या

(ख) इस प्रकार अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय करने के लिए, कोई न्यायिक आदेश या आदेश निष्पादित करने के लिए केवल वहां अग्रसर होगा, जहां इस प्रकार दावा करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित प्रस्तुत करे –

(i) वह प्रोबेट या प्रशासन–पत्र जो मृतक की संपदा का प्रशासन उसे अनुदत्त करने का साक्ष्य है, या

(ii) वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जो इस भाग के अध्याय–6 के अधीन अनुदत्त किया गया है और जिसमें ऋण वर्णित है, या

(2) उपधारा (1) में, "ऋण" शब्द के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के बारे में संदेय भाटक, राजस्व या लाभों के सिवाय कोई ऋण है।

206. पश्चात्वर्ती प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव –

(1) किसी संपदा के संबंध में प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के अनुदान को, संपदा में सम्मिलित किन्हीं ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में इस भाग के अध्याय–6 के अधीन पहले अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र का अधिक्रमण करने वाला समझा जाएगा।

(2) जब प्रोबेट या प्रशासन–पत्रों के अनुदान के समय, किसी ऐसे ऋण या प्रतिभूति के बारे में किसी ऐसे प्रमाणपत्र के धारक द्वारा संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही लम्बित है, तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, उस न्यायालय में जिसमें वाद या कार्यवाही लम्बित है, आवेदन देने पर, वाद या कार्यवाही में प्रमाणपत्र के धारक का स्थान लेने के लिए अधिकारी होगा;

परन्तु जब कोई प्रमाणपत्र इस धारा के अधीन अधिक्रांत किया जाता है तब ऐसे अधिक्रमण की अनभिज्ञता के कारण ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को किए सभी संदाय, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के अधीन दावों के विपरीत मान्य होंगे।

207. **केवल प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के प्राप्तकर्ता द्वारा, जब तक उसे प्रतिसंहृत न कर दिया जाए, वाद आदि लाया जाना** – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के किसी अनुदान के पश्चात् उस व्यक्ति से भिन्न, जिसे उसका अनुदान किया जा सकता था, किसी अन्य व्यक्ति को उस राज्य में सर्वत्र, जिसमें वह अनुदत्त किया गया है, मृतक के प्रतिनिधि के रूप में वाद लाने या वाद के बारे में आगे कार्यवाही करने की कोई शक्ति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे प्रोबोट या प्रशासन–पत्रों को वापस या प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो।

अध्याय – 5

प्रोबेट, प्रशासन–पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन

208. इस अध्याय का लागू होना – इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय प्रोबेट या इच्छापत्र के साथ उपाबद्ध प्रशासन–पत्रों के सभी अनुदान तथा इच्छापत्र रहित उत्तराधिकार के मामलों में मृतक की आस्तियों का प्रशासन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, किया या निर्वहन किया जाएगा।

प्रोबेट और प्रशासन–पत्र का अनुदान

209. प्रशासन किसे अनुदत्त किया जाएगा –

(1) यदि मृतक की इच्छापत्र रहित मृत्यु हो गई है तो उसकी संपदा का प्रशासन किसी ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा जो इस भाग के अध्याय–1 के नियमों के अनुसार ऐसे मृतक की संपदा के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए अधिकारी होगा।

(2) जब ऐसे प्रशासन के लिए ऐसे कई व्यक्ति आवेदन करते हैं तब यह न्यायालय के विवेक पर होगा कि वह उसे उनमें से किसी एक को या अधिक को अनुदत्त करे।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन नहीं करता है तब उसे मृतक के लेनदार को अनुदत्त किया जा सकेगा।

210. प्रशासन–पत्र का प्रभाव – प्रशासन–पत्र प्रशासक को इच्छापत्ररहित मृतक के सभी अधिकारों के लिए वैसे ही प्रभावशील रूप में अधिकारी बनाता है मानो प्रशासन उसकी मृत्यु के तुरन्त पश्चात् अनुदत्त किया गया हो।

211. प्रशासन–पत्र द्वारा कृत्यों को वैध न किया जाना – प्रशासन–पत्र प्रशासक के किन्हीं अन्तरिम कृत्यों को जो इच्छापत्ररहित मृतक की संपदा में कमी या हानि करते हों, वैध नहीं बनाता है।

212. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक के लिए ही –

(1) प्रोबेट केवल इच्छापत्र द्वारा नियुक्त निष्पादक को अनुदत्त किया जाएगा।

(2) नियुक्ति या तो अभिव्यक्त या आवश्यक विवक्षा द्वारा हो सकेगी ।

दृष्टांत

(i) *क यह इच्छापत्र करता है कि यदि ख न हो तो ग उसका निष्पादक होगा। ख विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है।*

(ii) *क एक इच्छापत्रीय संपदा ख को और बहुत सी इच्छापत्रीय संपदाएं अन्य व्यक्तियों को, बचे हुए में से अपनी पुत्रवधु ग को देता है और यह जोड़ देता है कि "यदि इसमें नामित ग जीवित नहीं है तो मैं ख को अपनी एक मात्र निष्पादिका नियत और नियुक्त करता हूँ"। ग विवक्षा द्वारा निष्पादिका नियुक्त की गई है।*

(iii) *क विभिन्न व्यक्तियों को अपने इच्छापत्र और क्रोडपत्रों का निष्पादक और अपने भतीजे को अवशिष्ट इच्छापत्रदार नियुक्त करता है और दूसरे क्रोड़पत्र में ये शब्द हैं – " मैं विभिन्न तिथियों को हस्ताक्षरित मेरे इच्छापत्र और क्रोडपत्रों के प्रति सभी विधिसम्मत मांगों को चुकाने के लिए भतीजे को अपना अवशिष्ट इच्छापत्रदार नियुक्त करता हूँ"। भतीजे को विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है।*

213. वे व्यक्ति जिन्हें प्रोबेट अनुदत्त नहीं किए जा सकते हैं – प्रोबेट ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित है और न ही किसी व्यक्तियों के संगम को, किन्तु ऐसे व्यक्तियों के संगम को किया जा सकता है जो ऐसी कम्पनी है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है।

214. विभिन्न निष्पादकों को साथ–साथ या विभिन्न समय पर प्रोबेट का अनुदान – जब विभिन्न निष्पादक नियुक्त किए जाते हैं तब उन्हें प्रोबेट का अनुदान साथ–साथ या भिन्न–भिन्न समय पर किया जा सकेगा।

दृष्टांत

क, ख के इच्छापत्र का अभिव्यक्त नियुक्ति द्वारा निष्पादक और ग उसका विवक्षा द्वारा निष्पादक है। प्रोबेट क और ग को एक ही समय पर या क को पहले और तब ग को या ग को पहले और तब क को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

215. प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् क्रोडपत्र के पृथक् प्रोबेट का पता लगना –

(1) यदि प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् किसी क्रोडपत्र का पता लगता है तो उस क्रोडपत्र का पृथक् प्रोबेट निष्पादक को अनुदत्त किया जा सकेगा यदि क्रोडपत्र से इच्छापत्र द्वारा की गई निष्पादकों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार निरसित नहीं किया गया है।

(2) यदि क्रोड़पत्र द्वारा भिन्न निष्पादक की नियुक्ति की जाती है तो इच्छापत्र का प्रोबेट प्रतिसंहृत किया जाएगा और इच्छापत्र और क्रोडपत्र को मिलाकर नया प्रोबेट अनुदत्त किया जाएगा।

216. उत्तरजीवी निष्पादक के प्रतिनिधित्व का प्रोद्भूत होना – जब प्रोबेट विभिन्न निष्पादकों को अनुदत्त किया गया है और उन में से एक की मृत्यु हो जाती है तो इच्छापत्रकर्ता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व उत्तरजीवी निष्पादक या निष्पादकों को प्रोद्भूत होता है।

217. प्रोबेट का प्रभाव – जब इच्छापत्र का प्रोबेट अनुदत्त किया जाता है तो वह इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से इच्छापत्र को स्थापित करता है और निष्पादक ने उस रूप में जो अंतरिम कृत्य किए हैं उन्हें वैध बनाता है।

218. राज्य के बाहर सिद्ध इच्छापत्रों की अधिप्रमाणित प्रति की प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन – जब राज्य की सीमा के बाहर, चाहे भारत, की सीमा के भीतर हो या बाहर, स्थित सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कोई इच्छापत्र सिद्ध या निक्षिप्त किया गया है और इच्छापत्र की समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाती है तो प्रशासन–पत्र ऐसी प्रतियों की एक प्रति को उपाबद्ध करके अनुदत्त किया जा सकेगा।

219. जहां निष्पादक ने पद त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन का अनुदान – जहां निष्पादक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने निष्पादकत्व का त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन–पत्र किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा उपस्थिति पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें निष्पादक को अपने निष्पादकत्व को स्वीकार करने या त्यागने के लिए कहा गया है;

परन्तु जब विभिन्न निष्पादकों में से एक या अधिक ने किसी इच्छापत्र को सिद्ध किया है तब न्यायालय उनके उत्तरजीवियों की मृत्यु पर, जिन्होंने उसे सिद्ध किया है, उनको उपस्थिति पत्र जारी किए बिना, जिन्होंने उन्हें सिद्ध नहीं किया है, प्रशासन–पत्र अनुदत्त कर सकेगा।

220. निष्पादकत्व के त्याग का प्रपत्र और प्रभाव – त्याग न्यायाधीश की उपस्थिति में मौखिक रूप से या त्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा किया जा सकेगा और जब ऐसा किया जाता है तब वह इसके पश्चात् कभी भी उसे निष्पादक नियुक्त करने वाले इच्छापत्र के प्रोबेट के लिए आवेदन करने से प्रवारित रहेगा।

221. जहां निष्पादक त्याग करता है या समय के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया – यदि कोई निष्पादक निष्पादकत्व का त्याग करता है या

उसे स्वीकार या मना करने के लिए समय सीमा के भीतर उसे स्वीकार करने में असफल रहता है तो इच्छापत्र को सिद्ध किया जा सकेगा और प्रशासन–पत्र इच्छापत्र की प्रति को उपाबद्ध करते हुए उस व्यक्ति को अनुदत्त किए जा सकेंगे जो इच्छापत्र रहितता की दशा में प्रशासन के लिए अधिकारी होता है।

222. **सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार को प्रशासन का अनुदान** – जब –

(क) मृतक ने कोई इच्छापत्र किया है किन्तु कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, या

(ख) मृतक ने कोई निष्पादक नियुक्त किया है जो विधिक रूप से असमर्थ है या कृत्य करने से मना करता है या जिसकी मृत्यु इच्छापत्रकर्ता के पूर्व या इच्छापत्र को उसके द्वारा सिद्ध किए जाने के पूर्व हो जाती है, या

(ग) निष्पादक की मृत्यु इच्छापत्र को सिद्ध करने के पश्चात् किन्तु उसके द्वारा मृतक की संपूर्ण संपदा का प्रशासन लिए जाने के पूर्व हो जाती है,

तब सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार इच्छापत्र को सिद्ध कर सकेगा और उसे संपूर्ण संपदा के या उसके उतने भाग के, जिसको प्रशासित नहीं किया गया है, प्रशासन–पत्र इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए अनुदत्त किए जा सकेंगे।

223. **मृतक अवशिष्ट इच्छापत्रदार के प्रतिनिधि का प्रशासन के लिए अधिकार** – जब कोई अवशिष्ट इच्छापत्रदार, जो लाभप्रद हित रखता है, इच्छापत्रकर्ता का उत्तरजीवी होता है किन्तु संपदा को पूर्णतः प्रशासित किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रतिनिधि को इच्छापत्र उपाबद्ध करके प्रशासन के लिए वही अधिकार होता है जैसा ऐसे अवशिष्ट इच्छापत्रदार का था।

224. **जहां निष्पादक, अवशिष्ट इच्छापत्रदार या ऐसे इच्छापत्रदार का प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रशासन का अनुदान** – जहां कोई निष्पादक या कोई अवशिष्ट इच्छापत्रदार या अवशिष्ट इच्छापत्रदार का प्रतिनिधि नहीं है या वह कृत्य करने से मना करता है या असमर्थ है या पाया नहीं जा सकता है वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जो मृतक की संपदा का, यदि उसकी इच्छापत्र किए बिना मृत्यु हो जाती है, प्रशासन करने के लिए अधिकारी है, या कोई लाभप्रद हित रखने वाला कोई अन्य इच्छापत्रदार या कोई लेनदार इच्छापत्र को सिद्ध कर सकेगा और तदनुसार उसे या उन्हें प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा।

225. **सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार से भिन्न इच्छापत्रदारों को प्रशासन–पत्र के अनुदान के पूर्व उपस्थिति पत्र** – किसी सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार से भिन्न किसी अन्य इच्छापत्रदार को प्रशासन–पत्र, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, तब तक

अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके निकट संबंधी को प्रशासन–पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहते हुए उसमें इसके पश्चात वर्णित रीति में कोई उपस्थिति पत्र जारी या प्रकाशित नहीं किया गया है।

226. **किन्हें प्रशासन–पत्र अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा** – प्रशासन–पत्र ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित्त है और न ही किसी व्यक्तियों के संगम को; किन्तु, ऐसे व्यक्तियों के संगम को किया जा सकता है जो ऐसी कंपनी है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है।

227. **नियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना** – धारा 213 और धारा 226 के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पर यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखे जायेंगे जाएगा।

सीमित अनुदान

समय सीमा वाले अनुदान

228. **खो गए इच्छापत्र की प्रति या प्रारूप का प्रोबेट** – जब कोई इच्छापत्र इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के बाद खो गया है या गलत स्थान पर रख दिया गया है या गलती या दुर्घटना से न कि इच्छापत्रकर्ता के किसी कृत्य द्वारा, विनष्ट हो गया है और इच्छापत्र की एक प्रति का प्रारूप परिरक्षित है तब ऐसी प्रति या प्रारूप का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा जो मूल या उसकी समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने तक के लिए सीमित होगा।

229. **खो गए या विनष्ट इच्छापत्र की अंतर्वस्तुओं का प्रोबेट** – जब कोई इच्छापत्र खो गया है और उसकी कोई प्रति नहीं बनाई गई है, न ही उसका प्रारूप परिरक्षित है तब उसकी अन्तर्वस्तुओं का प्रोबेट, यदि उन्हें साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सके, अनुदत्त किया जा सकेगा।

230. **जहां मूल विद्यमान है वहां उसकी प्रति का प्रोबेट** – जहां कोई इच्छापत्र किसी ऐसे व्यक्ति के आधिपत्य में है, जो उस राज्य के बाहर निवास करता है जिसने प्रोबेट के लिए आवेदन किया है और जिसने उसे प्रदत्त करने से मना किया है या प्रदत्त करने की उपेक्षा की है किन्तु एक प्रति निष्पादक को प्रेषित की गई है और संपदा के हित में यह आवश्यक है कि मूल के पहुंचने तक प्रतीक्षा किए बिना प्रोबेट अनुदत्त किया जाए तो इस प्रकार प्रेषित प्रति का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा, जो इच्छापत्र या उसकी अधिप्रमाणित प्रति को प्रस्तुत किए जाने तक के लिए समिति होगा।

231. इच्छापत्र के प्रस्तुत किए जाने तक प्रशासन – जहां मृतक का कोई इच्छापत्र उपलब्ध नहीं है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि कोई इच्छापत्र विद्यमान है वहीं प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा जो इच्छापत्र या उसकी प्राधिकृत प्रति को प्रस्तुत किए जाने तक के लिए सीमित होगा ।

अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों के उपयोग और लाभ के लिए अनुदान

232. अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी को इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन – जब कोई निष्पादक उस राज्य से अनुपस्थित है, जिसमें आवेदन किया गया है, और राज्य के भीतर ऐसा कोई निष्पादक नहीं है जो कृत्य करने के लिए इच्छुक है, तब अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन–पत्र, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, उसके मालिक के उपयोग और लाभ के लिए अनुदत्त किया जाएगा जो तब तक के लिए सीमित होगा जब तक वह उसे अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अभिप्राप्त न कर ले।

233. ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के जो यदि उपस्थित होता तो प्रशासन के लिए अधिकारी होता, अटर्नी को इच्छापत्र उपाबद्ध करते हुए प्रशासन – जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे यदि वह उपस्थित होता तो इच्छापत्र उपाबद्ध करके प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया जाता, राज्य में उपस्थित नहीं है तब उसके अटर्नी या अभिकर्ता को, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा, जो धारा 232 में वर्णित रूप में सीमित होगा।

234. इच्छापत्र रहितता के मामले में प्रशासन के लिए अधिकारी अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी को प्रशासन – जब इच्छापत्र रहितता के मामले में प्रशासन के लिए अधिकारी कोई व्यक्ति राज्य में उपस्थित नहीं है और समान रूप से अधिकारी कोई व्यक्ति कृत्य करने के लिए इच्छुक नहीं है तब अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन–पत्र अनुदत्त किए जा सकेंगे, जो धारा 232 में वर्णित रूप में सीमित होंगे।

235. एकमात्र निष्पादक या अवशिष्ट इच्छापत्रदार की अवयस्कता के दौरान प्रशासन – जब कोई अवयस्क एकमात्र निष्पादक या एकमात्र अवशिष्ट इच्छापत्रदार है, तब इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र, ऐसे अवयस्क के विधिक संरक्षक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे न्यायालय ठीक समझे, अवयस्क के वयस्क होने तक के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा, अवयस्क होने पर, न कि उसके पूर्व, इच्छापत्र का प्रोबेट उसे अनुदत्त किया जाएगा।

236. विभिन्न निष्पादकों या अवशिष्ट इच्छापत्रदारों की अवयस्कता के दौरान प्रशासन – जहां दो या अधिक अवयस्क निष्पादक हैं और ऐसा कोई भी निष्पादक नहीं है जो वयस्क हो गया है या दो या अधिक अवशिष्ट इच्छापत्रदार हैं और ऐसा कोई भी अवशिष्ट इच्छापत्रदार नहीं है जो वयस्क हो गया हो वहां अनुदान तब तक के लिए सीमित होगा जब तक उनमें से एक वयस्क न हो जाए।

237. पागल या अवयस्क के उपयोग और लाभ के लिए प्रशासन – यदि ऐसा एकमात्र निष्पादक या एकमात्र सर्वस्व या अवशिष्ट इच्छापत्रदार या ऐसा कोई व्यक्ति, जो मृतक के मामले में लागू इच्छापत्ररहित मृतक की संपदाओं को इस भाग के अध्याय–1 के नियमों के अनुसार इच्छापत्ररहित मृतक की संपदा के लिए एकमात्र अधिकारी है, अवयस्क या पागल है तो, यथास्थिति, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए या उपाबद्ध न करते हुए प्रशासन उस व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा, जिसे उसकी संपदा की देखभाल सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपी गई है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा जिसे न्यायालय ऐसे अवयस्क या पागल के, यथास्थिति, वयस्क होने तक या स्वस्थवित्त होने तक उसके उपयोग और लाभ के लिए नियुक्त करना ठीक समझे।

238. वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रशासन – किसी मृत व्यक्ति की इच्छापत्र की विधिमान्यता से संबंधित या किसी प्रोबेट को अभिप्राप्त करने के लिए या प्रशासन–पत्रों के किसी अनुदान के लिए किसी वाद के विचाराधीन रहने के दौरान न्यायालय ऐसे मृत व्यक्ति की संपदा का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा, और उसे ऐसी संपदा के वितरण के अधिकार से भिन्न साधारण प्रशासक के सभी अधिकार और शक्तियां होंगी और हर ऐसा प्रशासक न्यायालय के तत्काल नियंत्रण के अधीन होगा और उसके निर्देश के अधीन कार्य करेगा।

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान

239. इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित प्रोबेट – यदि कोई निष्पादक इच्छापत्र में विनिर्दिष्ट किसी सीमित प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है तो प्रोबेट उस प्रयोजन तक सीमित होगा और यदि वह उसकी ओर से प्रशासन के लिए किसी अटर्नी था अभिकर्ता की नियुक्ति करता है तो इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र तदनुसार सीमित होंगे।

240. विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित प्रशासन, इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए – यदि साधारणतः नियुक्त कोई निष्पादक अपनी ओर से किसी इच्छापत्र को सिद्ध करने के लिए किसी अटर्नी या अभिकर्ता को प्राधिकार देता है और प्राधिकार किसी विशिष्ट

प्रयोजन तक सीमित है तो इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र तदनुसार सीमित होगा।

241. संपदा तक सीमित प्रशासन जिसमें व्यक्ति लाभप्रद हित रखता है – जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी संपदा को छोड़कर हो जाती है जिसका वह एकमात्र उत्तरजीवी न्यासी था या जिसमें उसका अपने लेखे कोई लाभप्रद हित नहीं था और कोई साधारण प्रतिनिधि नहीं छोड़ जाता है या ऐसा कोई प्रतिनिधि छोड़ जाता है जो उस रूप में कृत्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है वहां ऐसी संपदा तक सीमित प्रशासन–पत्र हिताधिकारी को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

242. वाद तक सीमित प्रशासन – जब यह आवश्यक है कि किसी मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को किसी लंबित वाद में पक्षकार बनाया जाए और निष्पादक या प्रशासन के लिए अधिकारी व्यक्ति कृत्य करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है तब ऐसे वाद में किसी पक्षकार के नामनिर्देशिती को ऐसा प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया जाएगा जो उक्त वाद में या किसी अन्य हेतुक या वाद में, जो उन्हीं पक्षकारों के बीच या किन्हीं अन्य पक्षकारों के बीच उस हेतुक या वाद में विवाद्य विषय के संबंध में उसी या किसी अन्य न्यायालय में प्रारंभ किया जाए और उक्त हेतु या वाद में अंतिम न्यायिक आदेश किए जाने तक और संपूर्ण निष्पादन हो जाने तक मृतक का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

243. प्रशासक के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में पक्षकार बनने के प्रयोजन तक सीमित प्रशासन – यदि किसी प्रोबेट या प्रशासन–पत्र की तिथि से बारह मास के अवसान पर वह निष्पादक या प्रशासक, जिसे प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया गया है, उस राज्य में उपस्थित नहीं रहता है, जिसमें वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन–पत्र जारी किया है, अधिकारिता का प्रयोग करता है तो न्यायालय किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, ऐसे प्रशासन–पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध वाद में पक्षकार होने या बनाए जाने और उस न्यायिक आदेश को, जो उसमें दी जाए, प्रभावशील बनाए जाने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

244. मृत व्यक्ति की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक सीमित प्रशासन – ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी मृत व्यक्ति की संपदा के परिरक्षण के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो, वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर कोई संपदा स्थित है, किसी व्यक्ति को, जिसे वह न्यायालय ठीक समझे, ऐसे प्रशासन–पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो मृतक की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक और न्यायालय के निर्देशों

के अधीन रहते हुए, उसकी संपदा के लिए देय ऋणों को उन्मोचन देने तक सीमित होगा।

245. उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की प्रशासक के रूप में नियुक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के लिए अधिकारी है –

(1) जब किसी व्यक्ति की मृत्यु इच्छापत्र किए बिना या ऐसा कोई इच्छापत्र छोड़कर हो जाती है, जिसका कोई निष्पादक कृत्य करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है या जहां निष्पादक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय राज्य के बाहर निवास करता है और न्यायालय को उस व्यक्ति से, जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के अनुदान के लिए अधिकारी होता भिन्न किसी व्यक्ति को संपदा या उसके किसी भाग का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करना आवश्यक या सुविधाजनक प्रतीत होता है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार समरक्तता, हित की मात्रा, संपदा की सुरक्षा और इस संभाव्यता का कि उसका समुचित प्रशासन किया जाएगा ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में प्रशासन–पत्र सीमित हो सकेंगे या सीमित नहीं हो सकेंगे, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

अपवाद सहित अनुदान

246. अपवाद के अधीन रहते हुए, प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र – जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो इच्छापत्र का प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे।

247. अपवाद सहित प्रशासन – पत्र जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो प्रशासन–पत्र ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे।

अवशेष के अनुदान

248. अवशिष्ट का प्रोबेट या प्रशासन – जब भी प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करके या इच्छापत्र के बिना प्रशासन–पत्र का अनुदान अपवाद सहित किया जाता है तब मृतक की संपदा के अवशेष भाग में प्रोबेट या प्रशासन के लिए अधिकारी व्यक्ति मृतक की अवशिष्ट संपदा का, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान ले सकता है।

अप्रशासित भंडार का अनुदान

249. अप्रशासित भंडार का अनुदान – यदि किसी ऐसे प्रशासक की, जिसे प्रोबेट अनुदत्त किया गया है, मृत्यु इच्छापत्रकर्ता की संपदा के किसी भाग को अप्रशासित छोड़ कर हो जाती है तो संपदा के ऐसे भाग के प्रशासन के प्रयोजन के लिए किसी नए प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकेगा।

250. अप्रशासित भंडार के अनुदान के बारे में नियम – किसी ऐसी संपदा के, जो पूर्णतः प्रशासित न हो, प्रशासन–पत्रों के अनुदान में न्यायालय का मार्गदर्शन उन्हीं नियमों से होगा जो मूल अनुदानों को लागू होते हैं और वह प्रशासन–पत्र केवल उन व्यक्तियों को अनुदत्त करेगा, जिन्हें मूल अनुदान किए जा सकते थे।

251. प्रशासन जहां सीमित अनुदान का पर्यवसान हो गया हो फिर भी संपदा का कुछ भाग अप्रशासित हो – जहां किसी सीमित अनुदान का समय व्यतीत हो जाने पर या ऐसी घटना या आकस्मिकता के घटित होने से, जिस पर वह सीमित था, अवसान हो जाता है और फिर भी मृतक की संपदा का कुछ भाग अप्रशासित रह जाता है वहां प्रशासन–पत्र उन व्यक्तियों को अनुदत्त किया जाएगा जिन्हें मूल अनुदान किए जा सकते थे।

अनुदानों का परिवर्तन और प्रतिसंहरण

252. कौन सी गलतियां न्यायालय द्वारा सुधारी जा सकेंगी – किसी सीमित अनुदान में नामों और वर्णनों में या मृतक की मृत्यु के समय और स्थान के या प्रयोजनों के उपवर्णनों में गलतियों को न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकेगा और प्रोबेट या प्रशासनपत्र के अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

253. इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन का अनुदान करने के पश्चात् क्रोडपत्र का पता चलने पर प्रक्रिया – यदि इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन–पत्र का अनुदान करने के पश्चात् किसी क्रोडपत्र का पता चलता है तो उसे सम्यक् सबूत और पहचान पर अनुदान के साथ जोड़ा जा सकेगा और अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

254. न्यायोचित कारण से प्रतिसंहरण या अकृतकरण – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र अनुदान न्यायोचित कारणों से प्रतिसंहृत या अकृत किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण – न्यायोचित कारण वहां विद्यमान माना जाएगा जहां –

(क) अनुदान अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारवान रूप में त्रुटिपूर्ण थी; या

(ख) अनुदान असत्य द्वारा या उस मामले के लिए किसी तात्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था; या

(ग) अनुदान, अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था यद्यपि ऐसा अभिकथन अनभिज्ञता से या अनवधानता से किया गया था; या

(घ) परिस्थितियों के कारण अनुदान अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है; या

(ङ) उस व्यक्ति ने, जिसे अनुदान किया गया था, जानबूझकर और युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 308 से धारा 323 के उपबंधों के अनुसार किसी सूची या लेखा को प्रस्तुत करना छोड़ दिया है या उन उपबंधों के अधीन ऐसी सूची या लेखा प्रस्तुत किया है, जो तात्विक रूप में असत्य है।

दृष्टांत

(i) *उस न्यायालय को जिसके द्वारा अनुदान किया गया था, अधिकारिता नहीं थी ।*

(*ii*) *अनुदान ऐसे पक्षकारों को उपस्थिति पत्र भेजे बिना किया गया था जिन्हें उपस्थिति पत्र भेजा जाना चाहिए था।*

(iii) *वह इच्छापत्र, जिसका प्रोबेट अभिप्राप्त किया था, कूटकृत था या प्रतिसंहृत हो चुका था।*

(iv) *क ने ख की संपदा के लिए प्रशासन–पत्र उसकी विधवा के रूप में अभिप्राप्त किया था, किन्तु उसके बाद यह प्रकट हुआ कि क का ख से कभी भी विवाह नहीं हुआ था।*

(*v*) *क ने ख की संपदा का प्रशासन उस रूप में लिया था मानो उसकी इच्छापत्र किए बिना मृत्यु हो गई थी किन्तु उसके बाद एक इच्छापत्र का पता चला।*

(*vi*) *प्रोबेट के परिदत्त किए जाने के बाद पश्चात्वर्ती इच्छापत्र का पता चला।*

(vii) *प्रोबेट के अनुदान किए जाने के बाद एक क्रोडपत्र का पता चला जो इच्छापत्र के अधीन निष्पादकों की नियुक्ति को प्रतिसंहृत करता है या उसमें वृद्धि करता है।*

(viii) *वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट का या प्रशासन–पत्र का अनुदान किया गया था, बाद में विकृतचित्त हो गया।*

प्रोबेटों और प्रशासन–पत्रों के अनुदान और प्रतिसंहरण की पद्धति

255. प्रोबेटों आदि के अनुदान और प्रतिसंहरण में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता – जिला न्यायाधीश को अपने जिले के भीतर सभी मामलों में प्रोबेटों और प्रशासन–पत्रों का अनुदान और प्रतिसंहरण करने की अधिकारिता होगी।

256. अप्रतिविरोधात्मक मामलों में कार्यवाही करने के लिए जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजिती की नियुक्ति करने की शक्ति –

(1) उच्च न्यायालय किसी जिले के भीतर ऐसे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसे वह विहित करे, अप्रतिविरोधात्मक मामले में प्रोबेट या प्रशासन–पत्रों का अनुदान करने के लिए जिला न्यायाधीश के प्रत्यायोजिती के रूप में कार्य करने के लिए ठीक समझे;

(2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति "जिला प्रतिनिधि" कहा जाएगा।

257. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के बारे में जिला न्यायाधीश की शक्तियां – जिला न्यायाधीश को प्रोबेट और प्रशासन–पत्र के अनुदान तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में वैसी ही शक्तियां और प्राधिकार होंगे जैसे उसके न्यायालय में लंबित किसी सिविल वाद या कार्यवाहियों के संबंध में उसमें विधि द्वारा निहित हैं।

258. जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को इच्छापत्रीय अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा –

(1) जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख या लेख को, जो इच्छापत्रीय है या जिसका इच्छापत्रीय होना तात्पर्यित है तथा जिसके बारे में यह दर्शित किया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति के आधिपत्य में या उसके नियंत्रणाधीन है, न्यायालय में प्रस्तुत करने या लाने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) यदि यह दर्शित नहीं किया गया है कि ऐसा कोई अभिलेख ऐसे व्यक्ति के आधिपत्य में या नियंत्रणाधीन है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि उसे ऐसे किसी अभिलेख या लेख की जानकारी है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उसके संबंध में परीक्षण किए जाने के प्रयोजन के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का, जो न्यायालय उससे पूछे, सत्यतापूर्वक उत्तर देने के लिए और यदि ऐसा आदेश दिया जाए तो ऐसे अभिलेख या लेख को प्रस्तुत करने या लाने के लिए बाध्य होगा और उपस्थित न होने या ऐसे प्रश्नों का

उत्तर न देने या ऐसे अभिलेख या लेख को न लाने के व्यतिक्रम के मामले में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन वैसे ही दण्डनीय होगा जैसे वह उस मामले में होता जिसमें वह बाद में पक्षकार होता और ऐसे व्यतिक्रम करता।

(4) कार्यवाही के खर्चे न्यायाधीश के विवेकाधीन होंगे।

259. **प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां** – प्रोबेट और प्रशासन पत्र के अनुदान के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां मामले की परिस्थितियों में अनुज्ञेय है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा विनियमित होंगी।

260. **संपदा के संरक्षण के लिए जिला न्यायाधीश कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकता है** –

जब तक किसी मृत व्यक्ति के इच्छापत्र का प्रोबेट अनुदत्त नहीं किया जाता है या उसकी संपदा का प्रशासक नियत नहीं किया जाता है तब तक वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृत व्यक्ति की संपदा का कोई भाग स्थित है, उनमें हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर और ऐसे सभी अन्य मामलों में, जहां न्यायाधीश का यह विचार है कि संपदा को कोई हानि या क्षति की आशंका है, ऐसी संपदा के संरक्षण के लिए हस्तक्षेप करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह ठीक समझे तो संपदा का कब्जा लेने और रखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है और उससे ऐसी अपेक्षा है।

261. **जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा** – मृत व्यक्ति के इच्छापत्र का प्रोबेट या संपदा के लिए प्रशासन–पत्र जिला न्यायालय द्वारा, अपनी मुद्रा के अधीन अनुदत्त किया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से सत्यापित, किसी आवेदन–पत्र द्वारा यह प्रतीत होता है कि, यथास्थिति, इच्छापत्रकर्ता या इच्छापत्ररहित मृतक का उसकी मृत्यु के समय उस न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर कोई नियत निवास स्थान था या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति थी।

262. **उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृत्तक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निस्तारण** – जब उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का उसकी मृत्यु के समय कोई नियत निवास स्थान नहीं था, आवेदन किया जाता है तब यह न्यायाधीश के विवेकाधीन होगा कि वह आवेदन को, यदि उसके निर्णय के अनुसार उसका निस्तारण किसी अन्य जिले में अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक

रूप में किया जा सकता है, अस्वीकार कर दे या जहां आवेदन प्रशासन–पत्र के लिए है, वहां उसे पूर्णतः या अपनी अधिकारिता के भीतर की संपदा तक सीमित रूप में अनुदत्त करे।

263. **प्रोबेट और प्रशासन–पत्र प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है** – प्रोबेट और प्रशासन–पत्र का अनुदान, जिला प्रतिनिधि को उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी आवेदन पर, उसके द्वारा ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध न हो, किया जा सकेगा यदि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में सत्यापित आवेदन–पत्र द्वारा यह प्रकट होता है कि, यथास्थिति, इच्छापत्रकर्ता या इच्छापत्ररहित मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था।

264. **प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का निश्चायक होना** – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रभाव मृतक की जंगम या स्थावर सभी संपदा और संपदा पर उस सम्पूर्ण राज्य में होगा जिसमें उसे या उन्हें अनुदत्त किया गया है और वह मृतक के सभी ऋणियों और ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो उस संपदा को, जो उसकी है, धारण करते हैं, प्रतिनिधि अधिकार के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे सभी ऋणियों को जो अपने ऋणों का संदाय और ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो ऐसी संपदा का परिदान उस व्यक्ति को करते हैं, जिसे ऐसे प्रोबेट या प्रशासन–पत्रों का अनुदान किया गया है, पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेगाः

परन्तु जिला न्यायाधीश द्वारा, जहां मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था और ऐसा न्यायाधीश यह प्रमाणित करता है कि राज्य की सीमा के बाहर प्रभावित संपदा और संपदा का मूल्य दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, अनुदत्त प्रोबेटों और प्रशासन–पत्रों का, जब तक अनुदान द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अन्य राज्यों में सर्वत्र वैसा ही प्रभाव होगा।

265. **धारा 264 के परन्तुक के अधीन अनुदानों के प्रमाणपत्र का उच्च न्यायालय को पारेषण** –

(1) जहां धारा 264 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रभाव का प्रोबेट या प्रशासन–पत्र किसी जिला न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त किया गया है, वहां जिला न्यायाधीश उसका प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय को, जिसके अधीनस्थ वह जिला न्यायाधीश है, और प्रत्येक अन्य उच्च न्यायालय को भेजेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाणपत्र परिस्थितियों में यथासंभव अनुसूची–3

में दिए गए प्रारूप में तैयार किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र उसे प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पत्रावलित किया जाएगा।

(3) जहां याचिकाकर्ता द्वारा, जैसा इसमें इसके पश्चात् धारा 267 और धारा 269 में उपबंधित है, यह कहा गया है कि आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां वह न्यायालय, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र भेजने की अपेक्षा की गई है, उसकी एक प्रति ऐसे जिला न्यायाधीश को भेजेगा और ऐसी प्रति उसे प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा पत्रावलित की जाएगी।

266. प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए आवेदन का, यदि उन्हें समुचित रूप से लिखा और सत्यापित किया गया है निश्चायक होना – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए आवेदन, यदि उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखा और सत्यापित किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान को प्राधिकृत करने के प्रयोजन के लिए निश्चायक होगा; और ऐसे किसी अनुदान पर केवल इस कारण अधिक्षेप नहीं किया जाएगा कि इच्छापत्रकर्ता या इच्छापत्ररहित मृतक का उसकी मृत्यु के समय जिले के भीतर कोई नियत स्थान या कोई संपदा नहीं थी, किन्तु यदि अनुदान न्यायालय से कपट करके अभिप्राप्त किया गया है तो उसे प्रतिसंहृत करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

267. प्रोबेट के लिए याचिका –

(1) प्रोबेट के लिए या इच्छापत्र को उपाबद्ध करके प्रशासन–पत्र के लिए आवेदन अंग्रेजी में या उस न्यायालय के, जिसमें आवेदन किया गया है, समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में साधारणतः प्रयुक्त होने वाली भाषा में सुस्पष्टतः लिखित याचिका द्वारा, इच्छापत्र के साथ या धारा 228, 229 और 230 में वर्णित मामलों में उसकी प्रति, प्रारूप या उसकी विषय–वस्तु के कथन को उपाबद्ध करते हुए, प्रस्तुत किया जाएगा और निम्नलिखित कथन होंगे –

(क) इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु का समय;

(ख) कि उपाबद्ध लेख उसका अंतिम इच्छापत्र है;

(ग) कि यह सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया था;

(घ) उन आस्तियों की धनराशि, जिनकी याचिकादाता के हाथों में आने की संभावना है; और

(ङ) जब आवेदन प्रोबेट के लिए है तो यह कि याचिकाकर्ता इच्छापत्र में नामित निष्पादक है।

(2) इन विशिष्टियों के अतिरिक्त याचिका में आगे निम्नलिखित कथन होंगे –

(क) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपदा थी; और

(ख) जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे जिला प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर एक नियत निवास स्थान था।

(3) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी याचिकादाता के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की धनराशि का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

268. किन मामलों में इच्छापत्र का अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा। न्यायालय के अनुवादक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुवाद का सत्यापन – ऐसे मामलों में जिनमें इच्छापत्र, प्रति या प्रारूप ऐसी भाषा में लिखा गया है जो अंग्रेजी से या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा से भिन्न है वहां उसका न्यायालय के किसी अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद, यदि वह भाषा ऐसी है जिसके लिए कोई अनुवादक नियुक्त किया गया है, याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा या, यदि इच्छापत्र, प्रति या प्रारूप किसी अन्य भाषा में है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसका अनुवाद करने में सक्षम है, किया गया अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा; ऐसे मामले में उस अनुवाद को उस व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित रूप में सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् –

"मैं (क ख) यह घोषणा करता हूँ कि मैंने मूल को पढ़ा है और मैं उसकी भाषा और प्रकृति को पूर्णतः समझता हूँ और उपरोक्त उसका सत्य और शुद्ध अनुवाद है"।

269. प्रशासन–पत्र के लिए याचिका –

(1) प्रशासन–पत्र के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त रूप में सुस्पष्टतः लिखी गयी याचिका द्वारा आवेदन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित कथन होंगे –

(क) मृतक की मृत्यु का समय और स्थान;

(ख) मृतक का कुटुम्ब और अन्य नातेदार तथा उनके निवास स्थान;

(ग) वह अधिकार जिसके आधार पर याचिकाकर्ता दावा करता है;

(घ) उन आस्तियों की धनराशि जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है;

(ङ) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है, तब यह कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपदा थी; और

(च) अब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था।

(2) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की धनराशि का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

270. कतिपय मामलों में प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिका, आदि में कथनों में वृद्धि –

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इच्छापत्र के प्रोबेट के लिए या किसी संपदा के प्रशासन–पत्र के लिए जिनके भारत में सर्वत्र प्रभावी किए जाने का आशय है, धारा 264 के परन्तुक में वर्णित किसी न्यायालय को आवेदन करता है, अपनी याचिका में धारा 267 और धारा 269 में अपेक्षित विषयों के अतिरिक्त यह कथन करेगा कि उसके सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार उसी इच्छापत्र के प्रोबेट के लिए या उसी संपदा के प्रशासन–पत्र के लिए, जिनको पूर्व कथित रूप में प्रभावी करने का आशय है, किसी अन्य न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया गया है, या जहां ऐसा कोई आवेदन किया गया है वहां यह कथन करेगा कि वह कौन सा न्यायालय है जिसे आवेदन किया गया है, वह कौन व्यक्ति या वे कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वह किया गया है और क्या कार्यवाही (यदि कोई हो) उस पर की गई है।

(2) यदि वह न्यायालय, जिसे धारा 264 के परन्तुक के अधीन ऐसा कोई आवेदन किया गया है, ठीक समझे तो, उसे अस्वीकृत कर सकेगा।

271. **प्रोबेट आदि के लिए याचिका पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन** – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिका पर सभी मामलों में याचिकाकर्ता और उसका अभिकर्ता, यदि कोई हो, हस्ताक्षर करेगा और याचिकाकर्ता उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित करेगा, अर्थात् –

"मैं (क ख), जो उपरोक्त याचिका में याचिकाकर्ता हूँ यह घोषणा करता हूँ कि उसमें किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।"

272. **प्रोबेट के लिए याचिका को इच्छापत्र के एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना** – जहां आवेदन प्रोबेट के लिए है वहां याचिका में इच्छापत्र के साक्षियों में से कम से कम एक द्वारा (यदि उपलब्ध हो) निम्नलिखित रूप में या निम्नलिखित प्रभाव का सत्यापन भी किया जाएगा –

'मैं (ग घ), उपरोक्त याचिका में वर्णित इच्छापत्रकर्ता के अंतिम इच्छापत्र और इच्छापत्र का एक साक्षी हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपस्थित था और मैंने उक्त इच्छापत्रकर्ता को उस पर अपने हस्ताक्षर करते (या चिह्न लगाते) देखा था (या कि उक्त इच्छापत्रकर्ता ने उपरोक्त याचिका से उपाबद्ध लेख को अपने अंतिम इच्छापत्र और इच्छापत्र के रूप में मेरे समक्ष अभिस्वीकृति दी थी)।"

273. **याचिका या घोषणा में मिथ्या प्रकथन के लिए दंड** – यदि किसी ऐसी याचिका या घोषणा में, जिसे इसके द्वारा सत्यापित किए जाने की अपेक्षा है, ऐसा कोई प्रकथन है जिसके मिथ्या होने का सत्यापन करने वाले व्यक्ति को या तो ज्ञान है या विश्वास है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन कोई अपराध किया है।

274. **जिलान्यायाधीश की शक्तियां** –

(1) यदि जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि, उचित समझे तो वह सभी मामलों में –

(क) याचिकाकर्ता की शपथ पर व्यक्तिगत रूप में परीक्षा कर सकेगा;

(ख) यथास्थिति, इच्छापत्र के सम्यक् निष्पादन के या प्रशासन–पत्र पाने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार के और साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मृतक की संपदा में कोई हित रखने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को यह अपेक्षा करने वाले उपस्थिति पत्र जारी कर सकेगा कि वे आएं और प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान किए जाने से पूर्व की कार्यवाहियां देखें।

(2) उपस्थिति पत्र न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर और जिले के कलक्टर के कार्यालय पर भी चिपकाया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित किया जाएगा या ज्ञापित किया जाएगा जैसा उसे जारी करने वाला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि निर्देश दें।

(3) जहां आस्तियों के किसी भाग के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां उसे जारी करने वाला जिला न्यायाधीश उपस्थिति पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य जिला न्यायाधीश को भेजेगा जो उसे उसी रीति में प्रकाशित करेगा मानो वह उसके द्वारा जारी किया गया उपस्थिति पत्र है और ऐसे प्रकाशन का प्रमाणपत्र उस जिला न्यायाधीश को देगा जिसने उपस्थिति पत्र जारी किया था।

275. प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट –

(1) प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास दाखिल किए जाएंगे।

(2) किसी जिला प्रतिनिधि के पास किसी केवियट के दाखिल किए जाने पर तुरन्त वह उसकी एक प्रति जिला न्यायाधीश को भेजेगा।

(3) जिला न्यायाधीश के पास किसी केवियट की प्रविष्टि किए जाने पर तुरन्त उसकी एक प्रति उस जिला प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, दी जाएगी जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अभिकथन किया गया है कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, नियत निवास स्थान था और किसी अन्य न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को दी जाएगी जिसे केवियट पारेषित करना जिला न्यायाधीश को समीचीन प्रतीत हो।

(4) केवियट, परिस्थितियों में यथासंभव, अनुसूची–4 में दिए गए प्रपत्र में तैयार किया जाएगा।

276. केवियट की प्रविष्टि के पश्चात् याचिका पर किसी कार्यवाही का तब तक न किया जाना जब तक केवियटकर्ता को सूचना न दे दी जाए – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिका पर उसके अनुदान के विरुद्ध किसी केवियट के किसी ऐसे न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास, जिसे आवेदन किया गया है, प्रविष्ट किए जाने के पश्चात् या किसी अन्य प्रतिनिधि के पास उसके प्रविष्ट किए जाने की सूचना दिए जाने के पश्चात् कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक उस व्यक्ति

को जिसके द्वारा वह प्रविष्ट किया गया है ऐसी सूचना न दे दी जाए जैसी न्यायालय युक्तियुक्त समझे।

277. **जिला प्रतिनिधि कब प्रोबेट या प्रशासन का अनुदान नहीं करेगा** – कोई जिला प्रतिनिधि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान ऐसे किसी मामले में नहीं करेगा जिसमें अनुदान के संबंध में प्रतिविरोध है या जिसमें उसे यह प्रतीत होता है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र को उसके न्यायालय में अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण – "प्रतिविरोध" से कार्यवाही का विरोध करने के लिए किसी का व्यक्तिगत रूप में या अपने मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कृत्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा उपसंजात होना अभिप्रेत है।

278. **संदेहास्पद मामलों में जहां कहीं प्रतिविरोध नहीं है जिला न्यायाधीश को कथन पारेषित करने की शक्ति** – ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध नहीं है, किन्तु जिला प्रतिनिधि को यह संदेहास्पद होता है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान किया जाना चाहिए या नहीं या किसी प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के अनुदान के या अनुदान के लिए आवेदन के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है, तो जिला प्रतिनिधि, यदि वह उचित समझे, प्रश्नगत विषयवस्तु का कथन जिला न्यायाधीश को पारेषित कर सकेगा। जिला न्यायाधीश जिला प्रतिनिधि को आवेदन के विषय में ऐसे अनुदेशों के अनुसार, कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगा जैसे न्यायाधीश आवश्यक या समीचीन समझे या ऐसे आवेदन की विषयवस्तु के संबंध में आगे कार्यवाही करने से जिला प्रतिनिधि को निषिद्ध कर सकेगा और प्रश्नगत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को न्यायाधीश को आवेदन करने के लिए छूट दे सकेगा।

279. **जहां प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि यह सोचता है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र देना उसके न्यायालय में अस्वीकार किया जाना चाहिए वहां प्रक्रिया** – ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि की यह राय है कि प्रोबेट या प्रशासन–पत्र देना उसके न्यायालय में अस्वीकार किया जाना चाहिए तो याचिका उसके साथ पत्रावलित की गई अभिलेखों सहित उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसने आवेदन किया था ताकि वह जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सके जब तक कि जिला प्रतिनिधि न्याय के प्रयोजनों के लिए, उसे परिबद्ध करना आवश्यक न समझे। ऐसा करने के लिए उसे इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे मामले में जिला प्रतिनिधि वह आवेदन जिला न्यायाधीश को भेजेगा।

280. **प्रोबेट के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना** – जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत हो कि इच्छापत्र के प्रोबेट का अनुदान

किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन अनुसूची–5 में दिए गए प्रपत्र में करेगा ।

281. **प्रशासन–पत्रों के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना** – जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत होता है कि किसी मृत व्यक्ति की संपदा के लिए प्रशासन–पत्र का अनुदान इच्छापत्र की प्रति को उपाबद्ध करते हुए या किए बिना किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन, अनुसूची–6 में दिए गए प्रपत्र में करेगा।

282. **प्रशासन बन्धपत्र** – ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का कोई अनुदान किया जाता है, मृतक की संपदा का सम्यक् संग्रहण करने, भार–साधन में लेने और प्रशासन करने के लिए वचनबद्ध होते हुए एक या अधिक प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के साथ जिला न्यायाधीश को एक बन्धपत्र देगा जो बन्धपत्र ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा जिला न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे।

283. **प्रशासन बन्धपत्र का समनुदेशन** – न्यायालय याचिका द्वारा किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे किसी बन्धपत्र के वचनबंध का पालन नहीं किया गया है और प्रतिभूति के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करते हुए कि प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, संदत्त किया जाए उसे किसी व्यक्ति को या उसके निष्पादकों या प्रशासकों को समनुदिष्ट कर सकेंगे जो उसके पश्चात् अपने नाम या अपने नामों से उक्त बन्धपत्र पर वाद लाने के लिए वैसे ही अधिकारी होंगे मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर उसे या उन्हें मूल रूप में दिया गया हो और उस पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों के रूप में उसके किसी उल्लंघन के संबंध में उगाही की जा सकने वाली संपूर्ण धनराशि उगाही करने के अधिकारी होंगे।

284. **प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के लिए समय** – इच्छापत्र के प्रोबेट का अनुदान इच्छापत्रकर्ता या इच्छापत्ररहित मृतक की मृत्यु के दिन से सात पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर और प्रशासन–पत्र का अनुदान इच्छापत्रकर्ता या इच्छापत्ररहित मृतक की मृत्यु के दिन से चौदह पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर ही किया जाएगा

285. **मूल इच्छापत्रों को, जिनके प्रोबेट या प्रशासन–पत्र इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, अनुदत्त किए गए हों, पत्रावलित करना** –

(1) प्रत्येक जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि ऐसे सभी मूल इच्छापत्रों को, जिनके प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, प्रशासन–पत्र, उसके द्वारा अनुदत्त किए जाएं, अपने न्यायालय के अभिलेखों में तब तक पत्रावलित और

परिरक्षित रखेगा जब तक इच्छापत्र के लिए कोई लोक रजिस्ट्री स्थापित नहीं कर दी जाती है।

(2) राज्य सरकार इस प्रकार पत्रावलित किए गए इच्छापत्रों के परिरक्षण और निरीक्षण के लिए विनियम बनाएगी।

286. **प्रतिविरोध के मामले में प्रक्रिया** – जिला न्यायाधीश के समक्ष ऐसे किसी मामले में, जिसमें प्रतिविरोध है, कार्यवाहियां, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अनुसार, यथासंभव, नियमित वाद के निकटतम रूप में होगी जिनमें, यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा और वह व्यक्ति प्रतिवादी होगा जो अनुदान का विरोध करने के लिए उपसंजात हुआ है।

287. **प्रतिसंहृत प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अभ्यर्पण** –

(1) जब प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान इस भाग के अधीन प्रतिसंहृत या अकृत किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र को तुरन्त उस न्यायालय को प्रदात्त करेगा, जिसने अनुदान किया था।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना, प्रोबेट या पत्र को इस प्रकार प्रदत्त नहीं करता है तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

288. **प्रोबेट या प्रशासन के प्रतिसंहृत किए जाने के पूर्व निष्पादक या प्रशासक को संदाय** – जब प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान प्रतिसंहृत किया जाता है तब उसके प्रतिसंहृत्त किए जाने के पूर्व, ऐसे अनुदान के अधीन किसी निष्पादक या प्रशासक को किए गए सभी सद्भाविक संदाय, ऐसे प्रतिसंहरण के होते हुए भी, उसे करने वाले व्यक्ति के लिए वैध उन्मोचन होंगे और ऐसा निष्पादक या प्रशासक, जिसने ऐसे प्रतिसंहृत अनुदान के अधीन कृत्य किया है, अपने द्वारा किए गए ऐसे किन्हीं संदायों के संबंध में, जो वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट या प्रशासन–पत्र बाद में अनुदत्त किया जाता तो विधिपूर्ण रूप से करता, प्रतिधारण और अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा।

289. **प्रशासन–पत्र को अस्वीकार करने की शक्ति** – इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, यह न्यायालय के विवेकाधीन होगा कि वह प्रशासन–पत्र के लिए ऐसे कारणों से, जो उनके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, इस भाग के अधीन किए गए किसी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश दे।

290. **जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध अपीलें** – जिला न्यायाधीश को इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश से अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के, अपीलों को लागू होने वाले, उपबन्धों के अनुसार, उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

291. **निष्पादक या प्रशासक का हटाया जाना और उत्तराधिकारी के लिए उपबंध** – जिला न्यायाधीश, उसे आवेदन किए जाने पर किसी निजी निष्पादक या प्रशासक को निलंबित कर सकेगा, हटा सकेगा या सेवोन्मुक्त कर सकेगा और ऐसे किसी निष्पादक या प्रशासक के, जो अपने पद पर नहीं रह जाता है, स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार के लिए और संपदा की किसी संपदा के ऐसे उत्तराधिकारी में निहित होने का उपबंध कर सकेगा।

292. **निष्पादक या प्रशासक को निर्देश** – जहां किसी संपदा के संबंध में कोई प्रोबेट या प्रशासन–पत्र इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किया गया है या किए गए हैं वहां जिला न्यायाधीश, उसे आवेदन किए जाने पर, संपदा के संबंध में या उसके प्रशासन के संबंध में कोई साधारण या विशेष निर्देश निष्पादक या प्रशासक को दे सकेगा।

स्वयं के दोष से निष्पादक

293. **स्वयं के दोष से निष्पादक** – कोई व्यक्ति जो, जब कोई अधिकारवान निष्पादक या प्रशासक विद्यमान न हो तब मृतक की संपदा के साथ हस्तक्षेप करता है या ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जो निष्पादक के पद का कार्य है, ऐसा करके अपने को स्वयं के दोष से निष्पादक बनाता है।

अपवाद –

(1) मृतक के माल के साथ, उसे परिरक्षित करने के या उसकी अन्त्येष्टि के लिए या उसके कुटुम्ब या संपदा की तुरन्त की आवश्यकताओं के लिए उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बन जाता है।

(2) किसी अन्य से प्राप्त मृतक के माल के संबंध में कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संव्यवहार करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बन जाता है।

दृष्टांत

(i) *क मृतक के कुछ माल का उपयोग करता है या दे देता है या विक्रय करता या उन्हें स्वयं के ऋण या इच्छापत्रीय संपदा को चुकाने के लिए ले लेता है या*

मृतक के ऋणों के संदाय को प्राप्त करता है। वह अपने स्वयं के दोष से निष्पादक है।

(ii) *क को मृतक ने अपने जीवन काल में अपने ऋणों का संग्रह करने और उसके माल का विक्रय करने के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। क को उसकी मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् भी वह ऐसा करता रहता है। वह उन कार्यों के संबंध में, जो वह मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् करता है, स्वयं के दोष से निष्पादक है।*

(iii) *क मृतक के निष्पादक के रूप में, जबकि वह ऐसा नहीं है, वाद लाता है। वह स्वयं के दोष से निष्पादक है।*

294. **स्वयं के दोष से निष्पादक का दायित्व** – जब कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है कि वह स्वयं के दोष से निष्पादक बन जाता है तब वह मृतक के अधिकारवान निष्पादक या प्रशासक के या उसके किसी लेनदार या इच्छापत्रदार के प्रति उस सीमा तक आस्तियों के लिए उत्तरदायी है जो अधिकारवान् निष्पादक या प्रशासक को किए गए संदायों और प्रशासन के सम्यक् अनुक्रम में किए गए संदाय की कटौतियों के पश्चात् उसके हाथ में आई हों।

निष्पादक या प्रशासक की शक्तियां

295. **मृतक की मृत्यु से समाप्त न हुए वाद हेतुकों और मृत्यु पर देय ऋणों के संबंध में** – किसी निष्पादक या प्रशासक को उन सभी वाद हेतुकों के संबंध में, जो मृतक की मृत्यु से समाप्त नहीं हुए हैं, वही शक्ति है, और वह ऋणों की उगाही के लिए उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो मृतक की उसके जीवित रहते समय थी।

296. **मृतक की या उसके विरुद्ध मांगें और कार्यवाही करने के अधिकारों का निष्पादक या प्रशासक के पक्ष में या उसके विरुद्ध समाप्त न होना** – किसी व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध, उसकी मृत्यु के समय, विद्यमान सभी मांगें, चाहे वे जो भी हों, और किसी कार्रवाई या विशेष कार्यवाही को आगे चलाने के या उसमें प्रतिरक्षा करने के सभी अधिकार, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में, यथापरिभाषित मानहानि, हमले या अन्य ऐसी वैयक्तिक क्षतियों के, जिससे पक्षकार की मृत्यु कारित न हो, वाद हेतुकों के सिवाय; और ऐसे मामलों के सिवाय, जहां पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् ईप्सित अनुतोष का उपभोग न किया जा सकता हो या उसका प्रदान करना निरर्थक होगा, उसके निष्पादक या प्रशासक को और उनके विरुद्ध समाप्त नहीं होते हैं।

दृष्टांत

(i) *किसी रेल पर किसी पदधारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप कोई टक्कर होती है और किसी यात्री को गंभीर उपहति होती है किन्तु उतनी नहीं कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए; तत्पश्चात् कोई कार्यवाही किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है। वाद हेतु समाप्त हो जाता है।*

(ii) *क विवाह–विच्छेद के लिए वाद लाता है। क की मृत्यु हो जाती है। वाद हेतुक समाप्त हो जाता है उसके प्रतिनिधि के लिए बचा नहीं रहता है।*

297. सम्पत्ति के व्ययन के लिए निष्पादक या प्रशासक की शक्ति –

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी निष्पादक या प्रशासक को धारा 204 के अधीन उसमें निहित मृतक की संपदा को, या तो पूर्णतः या भागतः ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, व्ययन करने की शक्ति है।

दृष्टांत

(i) *मृतक ने अपनी संपदा के भाग का विनिर्दिष्ट उत्तरदान किया है, निष्पादक उत्तरदान के लिए अनुमति नहीं देता है और उसकी विषय वस्तु का विक्रय करता है। विक्रय वैध है।*

(ii) *निष्पादक, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, मृतक की स्थावर संपदा के एक भाग को बंधक रखता है। विक्रय वैध है।*

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त साधारण शक्ति निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् –

(i) *किसी निष्पादक की, उसमें इस प्रकार निहित स्थावर संपदा का विक्रय करने की शक्ति ऐसे किसी निबन्धन के अधीन, जो उसकी नियुक्ति करने वाले इच्छापत्र द्वारा अधिरोपित किया जाए, तब तक है जब तक उसे प्रोबेट अनुदत्त न किया गया हो, और उस न्यायालय ने, जिसने प्रोबेट अनुदत्त किया है, निर्बन्धन के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा उसे आदेश में विनिर्दिष्ट किसी स्थावर संपदा का आदेश द्वारा अनुज्ञात रीति से व्ययन करने की अनुज्ञा न दे दी हो;*

(*ii*) कोई प्रशासक उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसने प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया है –

(क) धारा 204 के अधीन उसमें निहित किसी स्थावर संपदा को बन्धक नहीं रख सकेगा, भारित नहीं कर सकेगा या विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं कर सकेगा; या

(ख) ऐसी किसी संपदा को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकेगा।

(iii) निष्पादक या प्रशासक द्वारा संपदा का, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) का उल्लंघन करते हुए, कोई व्ययन, संपदा में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर, शून्यकरणीय है।

(3) ऐसे किसी मामले में, कोई प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान किए जाने के पूर्व, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (iii) की या उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ii) और खण्ड (iii) की एक प्रति उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध की जाएगी।

(4) कोई प्रोबेट या प्रशासन–पत्र केवल इस कारण अवैध नहीं होगा कि उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन या उपाबन्ध उस पर नहीं किया गया है या उससे संलग्न नहीं किया गया है, न ही ऐसे पृष्ठांकन या उपाबन्ध का न होना किसी निष्पादक या प्रशासक को इस धारा के उपबन्धों के अनुसार से भिन्न, कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

298. प्रशासन की साधारण शक्तियां – कोई निष्पादक या प्रशासक –

(क) ऐसे कार्यों पर, जो उसके द्वारा प्रशासित किसी संपदा की उचित देखभाल या प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों; और

(ख) जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से, ऐसे धार्मिक, पूर्त और अन्य उद्देश्यों पर और ऐसी अभिवृद्धि पर, जो ऐसी सम्पत्ति के मामले में युक्तियुक्त और उचित हो, व्यय उपगत कर सकेगा। यह शक्ति व्यय करने की ऐसी अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होगी जो उसके द्वारा विधिसम्मत रूप से प्रयोग की जा सकती हैं उसके अल्पीकरण में नहीं।

299. मृतक की संपदा का निष्पादक या प्रशासक द्वारा क्रय किया जाना – यदि कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की सम्पत्ति के किसी भाग का, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय करता है तो विक्रय, विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय है।

300. कई निष्पादकों या प्रशासकों की शक्तियों का उनमें से एक द्वारा प्रयोग – जब कई निष्पादक या प्रशासक हैं, तो किसी विपरीत निर्देश के न होने पर, उनमें से कोई एक, जिसने इच्छापत्र को सिद्ध किया है या प्रशासन ग्रहण किया है, सभी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

दृष्टांत

(i) *कई निष्पादकों में से किसी एक को मृतक को देय ऋण को निर्मोचित करने की शक्ति है।*

(ii) *एक को पट्टे के अभ्यर्पण की शक्ति है।*

(iii) *एक को मृतक की, जंगम या स्थावर संपदा का विक्रय करने की शक्ति है।*

(iv) *एक को किसी इच्छापत्रीय संपदा का अनुमोदन करने की शक्ति है।*

(v) *एक को मृतक को संदेय किसी वचनपत्र पर पृष्ठांकन करने की शक्ति है।*

(vi) *इच्छापत्र क, ख, ग और घ को निष्पादक नियुक्त करता है और निर्देश देता है कि उनमें से दो से गणपूर्ति होगी। कोई भी कार्य किसी एकल निष्पादक द्वारा नहीं किया जा सकता है।*

301. कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक की मृत्यु पर शक्तियों का समाप्त न होना – कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक या अधिक की मृत्यु हो जाने पर, इच्छापत्र में या प्रशासन–पत्र के अनुदान में किसी विरुद्ध निर्देश के न होने पर, पद की सभी शक्तियां उत्तरजीवियों में या उत्तरजीवी में निहित हो जाती हैं।

302. अप्रशासित भंडार के प्रशासन की शक्ति – अप्रशासित भंडार के प्रशासक को, ऐसी भंडार के संबंध में, वही शक्तियां होती हैं जो मूल निष्पादक या प्रशासक को होती हैं।

303. अवयस्कता के दौरान प्रशासन की शक्तियां – अवयस्कता के दौरान प्रशासक को मामूली प्रशासक की सभी शक्तियां होती हैं।

304. विवाहित निष्पादिका या प्रशासिका की शक्तियां – जब प्रोबेट या प्रशासन–पत्रों का अनुदान किसी विवाहित स्त्री को किया जाता है तो उसे मामूली निष्पादक या प्रशासक की सभी शक्तियां होती हैं।

निष्पादक या प्रशासक के कर्तव्य

305. मृतक की अन्त्येष्टि के संबंध में – निष्पादक का यह कर्तव्य है कि वह मृतक की

स्थिति के उपयुक्त रीति से उसका आवश्यक अन्त्येष्टि संस्कार करने के लिए निधि का उपबन्ध करे, यदि उसने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धन छोड़ा है।

306. भंडार सूची और लेखा –

(1) कोई निष्पादक या प्रशासक, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के अनुदान से छह मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान किया है, नियत करे, उस न्यायालय में एक भंडार सूची प्रदर्शित करेगा, जिसमें आधिपत्य में की सभी संपदा का और सभी पावनों का और किसी व्यक्ति द्वारा देय ऐसे सभी ऋणों का भी, जिसके लिए कोई निष्पादक या प्रशासक उस रूप में अधिकारी है, पूर्ण और सही प्राक्कलन होगा; और उसी रीति से अनुदान से एक वर्ष के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा उक्त न्यायालय नियत करे, संपदा का एक ऐसा लेखा प्रदर्शित करेगा जिसमें वे आस्तियां, जो उसके हाथ में आई हों, और वह रीति, जिसमें उनका उपयोग किया गया है या उनका व्ययन किया गया है, दर्शित की जाएगी।

(2) उच्च न्यायालय वह प्रपत्र, जिसमें इस धारा के अधीन कोई भंडार सूची या लेखा प्रदर्शित किया जाएगा, विहित कर सकेगा ।

(3) यदि कोई निष्पादक या प्रशासक इस धारा के अधीन कोई भंडार सूची या लेखा प्रदर्शित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जानबूझकर उस अध्यपेक्षा का पालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 के अधीन अपराध किया है।

(4) इस धारा के अधीन कोई साशय मिथ्या भंडार सूची या लेखा प्रदर्शित करना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

307. भंडार सूची में कतिपय मामलों में भारत के किसी भी भाग की संपदा का सम्मिलित किया जाना – ऐसे सभी मामलों में, जहां प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान इस आशय से किया गया है कि उसका प्रभाव संपूर्ण भारत में होगा वहां निष्पादक या प्रशासक मृतक के भंडार की सूची में उसकी भारत में स्थित सभी जंगम और स्थावर संपदा को सम्मिलित करेगा और प्रत्येक राज्य में स्थित ऐसी सम्पत्ति का मूल्य ऐसी भंडार सूची में पृथक् कथित किया जाएगा और प्रोबेट या प्रशासन–पत्र पर, उसके द्वारा प्रभारित संपदा की, चाहे वह भारत के भीतर जहां भी स्थित हों, संपूर्ण धनराशि या मूल्य की तत्स्थानी शुल्क प्रभार्य होगी।

308. मृतक की संपदा और उसे देय ऋण के संबंध में – निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा और ऋणों का, जो उसकी मृत्यु के समय उसे देय थे, युक्तियुक्त तत्परता से संग्रह करेगा।

309. व्ययों का सभी ऋणों के पूर्व संदाय किया जाना – मृतक की प्रास्थिति और सामर्थ्य के अनुसार, युक्तियुक्त मात्रा तक अन्त्येष्टि व्ययों और मृत्युशय्या प्रभारों का, जिसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पूर्व के एक मास तक की चिकित्सा परिचर्या और भोजन और आवास की शुल्कें भी हैं, संदाय सभी ऋणों के संदाय से पूर्व किया जाएगा।

310. ऐसे व्ययों के पश्चात् दूसरे व्ययों का संदाय किया जाना – प्रोबेट या प्रशासन–पत्र को अभिप्राप्त करने के लिए व्ययों का, जिनके अंतर्गत ऐसी किन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों के लिए या उनके संबंध में, जो संपदा के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, उपगत खर्च भी हैं, संदाय अत्येष्टि व्ययों और मृत्यु–शय्या प्रभारों के संदाय के पश्चात् किया जाएगा।

311. उसके बाद कतिपय सेवाओं के लिए मजदूरियों का और तत्पश्चात् अन्य ऋणों का संदाय – उसके बाद किसी श्रमिक, कारीगर या घरेलू नौकर द्वारा मृतक की, उसकी मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास के भीतर, की गई सेवाओं के लिए देय मजदूरी संदत्त की जाएगी और तब मृतक के अन्य ऋण उनकी पूर्विकता के अनुसार (यदि कोई हों) संदत्त किए जाएंगे।

312. पूर्वोक्त के सिवाय सभी ऋणों का समान रूप से और आनुपातिक रूप से संदाय किया जाना – पूर्वोक्त के सिवाय किसी भी लेनदार को दूसरे पर अधिमान का अधिकार नहीं होगा, किन्तु निष्पादक या प्रशासक ऐसे सभी ऋणों का, जिसे वह जानता हो, जिसके अंतर्गत उसका ऋण भी है, समान रूप से और आनुपातिक रूप से वहां तक संदाय करेगा जहां तक मृतक की आस्ति से किया जा सके ।

313. जहां अधिवास भारत में न हो वहां ऋण के संदाय के लिए जंगम संपदा का उपयोग –

(1) यदि मृतक का अधिवास भारत में नहीं था तो उसके ऋणों के संदाय के लिए उसकी जंगम संपदा का उपयोग भारत की विधि द्वारा विनियमित होगा।

(2) कोई भी लेनदार, जिसने उपधारा (1) के आधार पर, अपने ऋणों के किसी एक भाग का संदाय प्राप्त किया है, मृतक की स्थावर संपदा के आगमों में किसी अंश के लिए तब तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे संदाय को अन्य लेनदारों के लाभ के लिए गणना में नहीं लाता है।

दृष्टांत

क की मृत्यु किसी ऐसे देश के अधिवासी के रूप में होती है जहां मुद्रांकित लिखतों को अमुद्रांकित लिखतों पर अधिमान मिलता है और वह 5,00,000 रुपए मूल्य की जंगम सम्पत्ति और 10,00,000 रुपए मूल्य की स्थावर सम्पत्ति, मुद्रांकित लिखतों पर 10,00,000 रुपए की धनराशि और उतनी ही धनराशि का ऋण अमुद्रांकित लिखतों पर छोड़ जाता है। मुद्रांकित लिखतों के धारक लेनदार अपने आधे ऋण जंगम संपदा के आगमों में से प्राप्त करते हैं। स्थावर संपदा के आगमों का उपयोग अमुद्रांकित लिखतों पर ऋणों का संदाय करने में तब तक किया जाएगा, जब तक ऐसे ऋणों का आधा चुका न दिया जाए। इससे 5,00,000 रुपए बचेंगे जिसका वितरण सभी लेनदारों के बीच बिना किसी भेदभाव के, उन्हें देय बची धनराशि के अनुपात में किया जाएगा।

314. इच्छापत्रीय संपदाओं के पूर्व ऋणों का संदाय किया जाना – किसी इच्छापत्रीय संपदा के संदाय से पूर्व हर प्रकार के ऋणों का संदाय किया जाएगा।

315. निष्पादक या प्रशासक का प्रतिपूर्ति के बिना, इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए बाध्य न होना – यदि मृतक की संपदा किन्हीं समाश्रित दायित्वों के अधीन है तो निष्पादक या प्रशासक उन दायित्वों को, जब भी वे शोध्य हो जाएं, पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिपूर्ति के बिना किसी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है।

316. साधारण इच्छापत्रीय संपदा ओं में कमी – यदि आस्तियां, ऋणों, आवश्यक व्ययों और विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा ओं का संदाय करने के पश्चात् सभी साधारण इच्छापत्रीय संपदा ओं का पूर्ण रूप से संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो साधारण इच्छापत्रीय संपदा में कमी कर दी जाएगी या उसे समान अनुपात में घटा दिया जाएगा और इच्छापत्र में किसी विरुद्ध निर्देश के न होने पर, निष्पादक को एक इच्छापत्रदार को दूसरे पर अधिमान देकर संदाय करने का या अपने लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए वह न्यासी है, इच्छापत्रीय संपदा के लिए कोई धन प्रतिधारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

317. जब आस्तियां ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त हों तब विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में कमी न होना – जहां कोई विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं वहां विनिर्दिष्ट वस्तु इच्छापत्रदार को कोई कमी किए बिना संदत्त की जाएगी।

318. जब आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं तब निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा के अधीन अधिकार – जहां कोई निदर्शित इच्छापत्रीय संपदा है और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों का संदाय करने के लिए पर्याप्त है वहां इच्छापत्रदार उस निधि में से, जिसमें से इच्छापत्रीय संपदा का संदाय करने का निर्देश है, जब तक ऐसी निधि निःशेष न हो जाए, अपनी इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए अधिमानी दावा रखता है और यदि निधि के निःशेष हो जाने के पश्चात् भी इच्छापत्रीय संपदा का कोई भाग असंदत्त रह जाता है तो वह अवशेष की धनराशि साधारण आस्तियों में से उसी प्रकार पाने का अधिकारी है मानो वह असंदत्त अवशेष की धनराशि की इच्छापत्रीय संपदा पाने का अधिकारी हो।

319. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदाओं में आनुपातिक कमी किया जाना – यदि आस्तियां, ऋणों और विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा में से उनकी धनराशि के अनुपात में कमी की जाएगी।

दृष्टांत

क ने ख को एक हीरे की अंगूठी, जिसका मूल्य 50,000 रुपए है और ग को एक मोटरगाड़ी, जिसका मूल्य 1,00,000 रुपए है, उत्तरदान की है। इच्छापत्रकर्ता के सभी भंडार का विक्रय करना आवश्यक पाया जाता है और उसकी आस्तियां, ऋणों का संदाय करने के पश्चात् केवल, 1,00,000 रुपए है। इस राशि में से 33,333 रुपए ख को संदाय किए जाने के लिए हैं और 66,667 रुपए ग को संदाय किए जाने के लिए हैं।

320. वे इच्छापत्रीय संपदाएं जो कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण इच्छापत्रीय संपदाएं मानी जाती हैं – जीवन पर्यन्त इच्छापत्रीय संपदा, किसी वार्षिकी के सृजन के लिए इच्छापत्र द्वारा विनियोजित राशि और वार्षिकी के मूल्य को, जब उसके सृजन के लिए कोई राशि विनियोजित नहीं की गई है, कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण इच्छापत्रीय संपदाएं मानी जाएंगी।

निष्पादक या प्रशासक द्वारा इच्छापत्रीय संपदा के लिए अनुमति

321. इच्छापत्रदार के अधिकार को पूर्ण करने के लिए अनुमति का आवश्यक होना – निष्पादक या प्रशासक की अनुमति इच्छापत्रीय संपदा के लिए इच्छापत्रदार का अधिकार पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

दृष्टांत

(i) *क अपने इच्छापत्र द्वारा ख को अपनी सरकारी प्रतिभूति की, जो स्टेट बैंक*

ऑफ इंडिया में निक्षिप्त है, उत्तरदान करता है। निष्पादक की अनुमति के बिना न तो बैंक को प्रतिभूतियों का परिदान करने का प्राधिकार है और न ही ख को उसका आधिपत्य लेने के लिए अधिकार है।

(ii) *क ने अपने इच्छापत्र द्वारा देहरादून स्थित अपना गृह, जिसका अभिधारी ख है, ग को उत्तरदान किया है। ग निष्पादक या प्रशासक की अनुमति के बिना भाटक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।*

322. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति का प्रभाव –

(1) विनिर्दिष्ट इच्छापत्र के निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसमें निष्पादक या प्रशासक के रूप में उसका हित निर्निहित करने के लिए और इच्छापत्रदार की इच्छापत्र की विषयवस्तु को अन्तरित करने के लिए तभी पर्याप्त है जब संपदा की प्रकृति या परिस्थितियों में यह अपेक्षा नहीं है कि उसका अन्तरण किसी विशिष्ट रीति से किया जाएगा।

(2) यह अनुमति मौखिक हो सकेगी और या तो अभिव्यक्त हो सकेगी या निष्पादक या प्रशासक के आचरण से विवक्षित हो सकेगी।

दृष्टांत

(i) *एक घोड़े का उत्तरदान किया जाता है। निष्पादक इच्छापत्रदार से उसका व्ययन करने का निवेदन करता है या कोई अन्य व्यक्ति निष्पादक से उस घोड़े को खरीदने का प्रस्ताव करता है। निष्पादक उससे कहता है कि वह इच्छापत्रदार से संपर्क करे। इच्छापत्र के लिए अनुमति विवक्षित है।*

(ii) *इच्छापत्र में यह निर्देश है कि किसी निधि के ब्याज को इच्छापत्रदार की अवयस्कता के दौरान उसके भरण पोषण के लिए उपयोग में लाया जाए। निष्पादक उसका इस प्रकार उपयोग प्रारंभ करता है। यह संपूर्ण इच्छापत्र के लिए अनुमति है।*

(iii) *एक निधि का इच्छापत्र क को और उसके पश्चात् ख को की गई है। निष्पादक निधि का ब्याज क को संदत्त करता है। यह ख को इच्छापत्र के लिए विवक्षित अनुमति है।*

(iv) *इच्छापत्रकर्ता के सभी ऋणों का संदाय करने के पश्चात् किन्तु विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा को चुकाने के पूर्व निष्पादकों की मृत्यु हो जाती है। इच्छापत्रीय संपदा ओं के लिए अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी।*

(v) *कोई व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट वस्तु का इच्छापत्र किया गया है, उसका आधिपत्य ले लेता है और किसी आक्षेप के बिना, निष्पादक की ओर से उसे प्रतिधारित रखता है। उसकी अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी।*

323. सशर्त अनुमति – किसी इच्छापत्र के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति सशर्त हो सकेगी और यदि शर्त ऐसी है जिसे प्रवृत्त करने का उसे अधिकार है और उसका पालन नहीं किया जाता है तो अनुमति नहीं है।

दृष्टांत

(i) *क अपनी रूड़की की भूमि का, जो इच्छापत्र की तिथि को और क की मृत्यु पर 5,00,000 रुपए के लिए बंधक के अधीन थी, ख को उत्तरदान करता है। निष्पादक उत्तरदान के लिए इस शर्त पर अनुमति देता है कि ख इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु पर बंधक पर देय धनराशि का एक सीमित समय के भीतर संदाय करेगा। धनराशि का संदाय नहीं किया जाता है। यहां अनुमति नहीं है।*

(ii) *निष्पादक किसी उत्तरदान के लिए इस शर्त पर अनुमति देता है कि इच्छापत्रदार उसे किसी धनराशि का संदाय करेगा। संदाय नहीं किया जाता है। फिर भी अनुमति वैध है।*

324. अपनी स्वयं की इच्छापत्रीय संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति –

(1) जब निष्पादक या प्रशासक एक इच्छापत्रदार है तब उसके स्वयं के इच्छापत्रीय संपदा के लिए उसकी अनुमति उसके अधिकार को पूरा करने के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे तब अपेक्षित होती है जब उत्तरदान दूसरे व्यक्ति के लिए हो, और उसकी अनुमति उसी प्रकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी।

(2) अनुमति तब विवक्षित होगी यदि संपदा का प्रशासन करने की रीति में वह ऐसा कोई कार्य करता है जो उसकी इच्छापत्रदार की सामर्थ्य को निर्दिष्ट करता है और उसकी निष्पादक या प्रशासक की सामर्थ्य को निर्दिष्ट नहीं करता है।

दृष्टांत

निष्पादक उसे इच्छापत्र किए गए गृह का भाटक या सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज लेता है और उसका उपयोजन अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है। यह अनुमति है।

325. निष्पादक की अनुमति का प्रभाव – किसी इच्छापत्र के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसे इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से प्रभावशील करती है।

दृष्टांत

(i) *एक इच्छापत्रदार अपनी इच्छापत्रीय संपदा का, उस पर निष्पादक की अनुमति मिलने के पूर्व, विक्रय कर देता है, निष्पादक की तत्पश्चात् अनुमति क्रेता के लाभ के लिए प्रवृत्त होती है और इच्छापत्रीय संपदा के लिए उसके अधिकार को पूर्ण करती है।*

(ii) *क, 1,00,000 रुपए का उत्तरदान अपनी मृत्यु से ब्याज सहित ख को करता है। निष्पादक उसकी इच्छापत्रीय संपदा के लिए अनुमति क की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान हो जाने तक नहीं देता है। ख, क की मृत्यु से ब्याज का अधिकारी है।*

326. **निष्पादक इच्छापत्रीय संपदा का परिदान कब करेगा** – कोई निष्पादक या प्रशासक किसी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय या परिदान तब तक करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान न हो जाए।

दृष्टांत

क अपने इच्छापत्र द्वारा अपनी इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय अपनी मृत्यु के पश्चात् छह मास के भीतर करने का निर्देश देता है। निष्पादक एक वर्ष के अवसान के पूर्व उनका संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है।

वार्षिकियों का संदाय और प्रमाजन

327. **वार्षिकी का प्रारंभ, जब इच्छापत्र में कोई समय नियत न हो** – जहां इच्छापत्र द्वारा कोई वार्षिकी दी जाती है और उसके प्रारंभ के लिए कोई समय नियत नहीं है वहां वह इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से प्रारंभ होगी और प्रथम संदाय उस घटना के ठीक पश्चात् एक वर्ष के अवसान पर किया जाएगा।

328. **त्रैमासिक या मासिक संदाय वाली वार्षिकी प्रथम बार कब शोध्य होती है** – जहां यह निर्देश है कि वार्षिकी त्रैमासिक या मासिक होगी वहां प्रथम संदाय इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् यथास्थिति, प्रथम त्रैमास या प्रथम मास के अन्त में शोध्य होगा; और यदि निष्पादक या प्रशासक ठीक समझता है तो उस समय संदत्त की जाएगी जब शोध्य हो, किन्तु निष्पादक या प्रशासक उसका संदाय वर्ष के अन्त तक करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

329. आनुक्रमिक संदायों की तिथियां जब प्रथम संदाय दिए गए समय के भीतर या निश्चित दिन करने का निर्देष हो, संदाय की तिथि से पूर्व वार्षिकीदार की मृत्यु –

(1) जहां यह निर्देश है कि किसी वार्षिकी का प्रथम संदाय इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से एक मास या किसी अन्य कालावधि के भीतर या किसी निश्चित दिन किया जाएगा वहां आनुक्रमिक संदाय उस निकटतम दिन की, जिसको इच्छापत्र प्रथम संदाय किया जाना प्राधिकृत करता है, वर्षगांठ पर किया जाएगा।

(2) यदि वार्षिकीदार की मृत्यु संदाय के समयों की बीच के अन्तराल में हो जाती है तो वार्षिकी का प्रभाजित अंश उसके प्रतिनिधियों को संदत्त किया जाएगा।

इच्छापत्रीय संपदाओं का उपबंध करने के लिए निधियों का विनिधान

330. जहां इच्छापत्रीय संपदा , जो विनिर्दिष्ट नहीं है, जीवन पर्यन्त के लिए दी गई है, वहां उत्तरदान की गई धनराशि का विनिधान – जहां कोई इच्छापत्रीय संपदा , जो विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा नहीं है, जीवन पर्यन्त के लिए दी गई है वहां उत्तरदान की गई धनराशि का विनिधान वर्ष के अन्त में ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जैसा उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत करे या निर्देश दे और उसके आगमों को, जैसे ही वे देय हो जाएं, इच्छापत्रदार को संदत्त किया जाएगा।

331. भविष्य में संदेय, साधारण इच्छापत्रीय संपदा का विनिधान, मध्यवर्ती ब्याज का व्ययन –

(1) जहां कोई साधारण इच्छापत्रीय संपदा भविष्य में संदाय किए जाने के लिए दी जाती है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में करेगा जो धारा 330 में वर्णित है।

(2) मध्यवर्ती ब्याज इच्छापत्रकर्ता की संपदा का अवशिष्ट भाग होगा।

332. जहां कोई निधि वार्षिकी से भारित या उसके लिए विनियोजित नहीं की गई है वहां प्रक्रिया – जहां कोई वार्षिकी दी गई है और कोई निधि उसके संदाय के लिए भारित या उसे पूरा करने के लिए इच्छापत्र द्वारा विनियोजित नहीं की गई है वहां विनिर्दिष्ट धनराशि के लिए सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया जाएगा या यदि ऐसी कोई वार्षिकी अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है तो उस प्रयोजन के लिए वार्षिकी के सृजन के लिए पर्याप्त धनराशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा जो धारा 330 में वर्णित है।

333. समाश्रित इच्छापत्र का अवशिष्ट इच्छापत्रदार को अन्तरण – जहां कोई इच्छापत्र समाश्रित है वहां निष्पादक या प्रशासक इच्छापत्रीय संपदा की धनराशि का विनिधान करने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु वह संपदा के संपूर्ण अवशेष को अवशिष्ट इच्छापत्रदार द्वारा, यदि कोई हो, इच्छापत्रीय संपदा का, यदि वह देय हो जाए, संदाय करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देने पर अवशिष्ट इच्छापत्रदार को अन्तरित कर सकेगा।

334. किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देष के बिना जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान – जहां किसी इच्छापत्रकर्ता ने अपनी संपदा के अवशेष की, किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में उनका विनिधान किए जाने का निर्देश दिए बिना, किसी व्यक्ति को जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किया है वहां उसका उतना भाग, जितना इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय धारा 330 में वर्णित प्रकार की प्रतिभूतियों में विनिहित नहीं किया गया है। धन में संपरिवर्तित किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा।

335. किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निर्देष के सहित जीवन पर्यन्त के लिए उत्तरदान किए गए अवशेष का विनिधान – जहां इच्छापत्रकर्ता ने, अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान किसी व्यक्ति को जीवन पर्यन्त के लिए इस निर्देश के साथ किया है कि उसका विनिधान कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जाएगा, वहां उतनी संपदा का, जितनी का विनिधान उसकी मृत्यु के समय विनिर्दिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों में नहीं किया गया है, धन में संपरिवर्तन किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूति में विनिधान किया जाएगा।

336. संपरिवर्तन और विनिधान का समय और रीति – ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान, जैसा धारा 334 और धारा 335 में अनुध्यात है, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा निष्पादक या प्रशासक ठीक समझे और जब तक ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान पूरा न कर दिया जाए, तब तक वह व्यक्ति, जो इस प्रकार विनिधान किए जाने पर तत्समय निधि की आय को पाने का अधिकारी होगा, निधि के ऐसे भाग के, जिसको इस प्रकार विनिधान नहीं किया गया है, बाजार मूल्य पर (जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु की तिथि को संगणित किया जाएगा) प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करेगा।

337. ऐसे मामले में प्रक्रिया जहां अवयस्क उत्तरदान के तुरन्त संदाय या आधिपत्य का अधिकारी है और उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदाय किए जाने का निर्देश नहीं है –

(1) जहां उत्तरदान के निबंधनों द्वारा इच्छापत्रदार उत्तरदान किए गए धन या

वस्तु के तुरंत संदाय या आधिपत्य के लिए अधिकारी है, किन्तु अवयस्क है, और इच्छापत्र में उसके निमित्त किसी व्यक्ति को उसका संदाय करने के लिए कोई निर्देश नहीं है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके द्वारा या जिसके जिला प्रतिनिधि द्वारा प्रोबेट या इच्छापत्र को उपाबद्ध करते हुए, प्रशासन–पत्र अनुदत्त किया गया है, इच्छापत्रदार के लेखे में, संदत्त या परिदत्त करेगा।

(2) यथास्थिति, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में या प्रतिपाल्य अधिकरण को ऐसा संदाय इस प्रकार संदत्त धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(3) जब धन इस धारा के अधीन संदत्त किया जाता है तब उसका विनिधान सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने में किया जाएगा जिन्हें, उन पर ब्याज सहित, उसके लिए अधिकारी व्यक्ति को अन्तरित या संदत्त किया जाएगा और उसके लाभ के लिए अन्यथा उपयोग में लाया जाएगा जैसा, यथास्थिति, न्यायाधीश निर्देश दे।

इच्छापत्रीय संपदाओं के उत्पाद और ब्याज

338. विनिर्दिष्ट इच्छापत्रीय संपदा के उत्पाद के लिए इच्छापत्रदार का अधिकार – विनिर्दिष्ट इच्छापत्र का इच्छापत्रदार उसके स्पष्ट उत्पाद का, यदि कोई हो, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से अधिकारी होगा ।

अपवाद – किसी विनिर्दिष्ट उत्तरदान में, जो उसके निबंधनों के अनुसार समाश्रित है, इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु और इच्छापत्र के निहित होने के बीच इच्छापत्रीय संपदा का उत्पाद नहीं आता है। इसका स्पष्ट उत्पाद इच्छापत्रकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है।

दृष्टांत

(i) *क अपनी भेड़ों के झुंड का उत्तरदान ख को करता है। क की मृत्यु और उसके निष्पादक द्वारा परिदान किए जाने के बीच भेड़ों के बाल काटे जाते हैं या कुछ भेड़ें मेमनों को जन्म देती हैं। ऊन और मेमने ख की संपदा है।*

(ii) *क अपनी सरकारी प्रतिभूतियों का उत्तरदान ख को करता है किन्तु उनके परिदान को ग की मृत्यु तक रोक देता है। क की मृत्यु और ग की मृत्यु के बीच शोध्य ब्याज ख का होगा और प्राप्त होते ही उसे, उस दशा के सिवाय संदत्त किया जाना चाहिए, जब वह अवयस्क है।*

(iii) *इच्छापत्रकर्ता, अपने सभी चार प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी वचनपत्र क को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उत्तरदान करता है। यदि क वह आयु प्राप्त कर लेता है तो वह वचनपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, किन्तु वह ब्याज, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु और क के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बीच प्रोद्भूत होता है, अवशेष का भाग होगा।*

339. **अवशिष्ट इच्छापत्रदार का अवशिष्ट निधि के उत्पाद पर अधिकार** – साधारण अवशिष्ट उत्तरदान के अधीन इच्छापत्रदार, अवशिष्ट निधि के उत्पाद के लिए इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से अधिकारी है।

अपवाद – साधारण अवशिष्ट उत्तरदान में, जो उसके निबन्धनों के अनुसार समाश्रित है, ऐसी आय नहीं आती है, जो इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु और इच्छापत्रीय संपदा के निहित होने के बीच उत्तरदान की गई निधि से प्रोद्भूत होती है। ऐसी आय अव्ययनित आय होती है।

दृष्टांत

(i) *इच्छापत्रकर्ता अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान एक अवयस्क क को, उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संदाय किए जाने के लिए करता है। इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से आय क की होगी।*

(ii) *इच्छापत्रकर्ता अपनी संपदा के अवशेष का उत्तरदान क को, जब वह 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले, करता है। यदि क वह आयु प्राप्त कर लेता है, तो यह अवशेष प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वह आय जो उसके संबंध में इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से प्रोद्भूत होती है, अव्ययनित आय होती है।*

340. **ब्याज, जब साधारण इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं है** – जहां साधारण इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है वहां ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष के अवसान से प्रारम्भ होता है।

अपवाद – (1) जहां इच्छापत्रीय संपदा का उत्तरदान किसी ऋण को चुकाने के लिए किया गया है वहां ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से प्रारम्भ होता है।

(2) जहां इच्छापत्रकर्ता इच्छापत्रदार का माता–पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज रहा है या उसने अपने को इच्छापत्रदार के माता–पिता के स्थान में रखा है वहीं, इच्छापत्रीय संपदा पर ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से लगेगा ।

(3) जहां कोई धनराशि किसी अवयस्क को इस निर्देश के साथ उत्तरदान की गई है कि उसके भरण–पोषण के लिए उसमें से संदाय किया जाएगा वहां ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से संदेय है।

341. ब्याज जब समय नियत है – जहां साधारण इच्छापत्रीय संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत किया गया है वहां ब्याज इस प्रकार नियत समय से प्रारंभ होता है। ऐसे समय तक का ब्याज इच्छापत्रकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है।

अपवाद – जहां इच्छापत्रकर्ता इच्छापत्रदार का माता–पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज रहा है या अपने को उसने इच्छापत्रदार के पिता के स्थान में रखा है और इच्छापत्रदार अवयस्क है, वहां जब तक भरण–पोषण के लिए इच्छापत्र द्वारा कोई विनिर्दिष्ट धनराशि न दी गई हो या जब तक इच्छापत्र में कोई विरुद्ध निर्देश न हो, इच्छापत्रीय संपदा पर ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से होगा।

342. ब्याज की दर – ब्याज की दर सभी मामलों में प्रतिवर्ष छह प्रतिशत होगी।

343. इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम वर्ष के भीतर वार्षिकी पर कोई ब्याज न होना – इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से प्रथम वर्ष के भीतर किसी वार्षिकी के अवशेष पर कोई ब्याज संदेय नहीं है यद्यपि उस वर्ष के अवसान से पूर्व की कोई अवधि वार्षिकी का प्रथम संदाय करने के लिए इच्छापत्र द्वारा नियत की गई है।

344. वार्षिकी का सृजन करने के लिए विनिहित धनराशि पर ब्याज – जहां किसी वार्षिकी के सृजन के लिए किसी धनराशि के विनिहित किए जाने के लिए निर्देश है, वहां उस पर ब्याज इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु से संदेय होगा।

इच्छापत्रीय संपदाओं के प्रतिदाय

345. न्यायालय के आदेशों के अधीन संदत्त इच्छापत्रीय संपदा का प्रतिदाय – जहां किसी निष्पादक या प्रशासक ने, किसी न्यायालय के आदेश के अधीन किसी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय किया है वहां वह यह सिद्ध हो जाने पर कि आस्तियां सभी इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के लिए अपर्याप्त हैं, इच्छापत्रदार से उसका प्रतिदाय करने की मांग करने का अधिकारी है।

346. यदि संदाय स्वैच्छिक है तो प्रतिदाय नहीं होगा – जब किसी निष्पादक या प्रशासक ने, इच्छापत्रीय संपदा का संदाय स्वेच्छा से किया है तब वह यह सिद्ध हो जाने पर कि आस्तियां सभी इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय किए जाने के लिए अपर्याप्त हैं इच्छापत्रकर्ता से उसका प्रतिदाय करने की मांग नहीं कर सकता है।

347. उस समय प्रतिदाय जब इच्छापत्रीय संपदा धारा 131 के अधीन अनुज्ञात अतिरिक्त समय के भीतर शर्त का अनुपालन करने पर देय हो गई है – जब किसी शर्त का अनुपालन करने के लिए इच्छापत्र द्वारा विहित समय, शर्त का अनुपालन किए बिना व्यतीत हो गया है और तत्पश्चात् निष्पादक या प्रशासक ने कपट के बिना आस्तियों का वितरण कर दिया है तब ऐसे मामले में यदि शर्त के अनुपालन के लिए धारा 131 के अधीन अतिरिक्त समय दिया गया है और तदनुसार शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है तो निष्पादक या प्रशासक से इच्छापत्रीय संपदा का दावा नहीं किया जा सकता है किन्तु वे, जिन्हें उसने उसका संदाय किया है, धनराशि के प्रतिदाय के लिए दायी हैं।

348. प्रत्येक इच्छापत्रदार को कब अनुपात में प्रतिदाय करने के लिए विवश किया जा सकेगा – जब निष्पादक या प्रशासक ने इच्छापत्रीय संपदा ओं में की आस्तियों का संदाय कर दिया है और तत्पश्चात् वह किसी ऐसे ऋण को चुकाने के लिए विवश होता है जिसकी उसे पूर्व सूचना नहीं थी तब वह प्रत्येक इच्छापत्रदार के अनुपात में प्रतिदाय करने की मांग करने का अधिकारी है।

349. आस्तियों का वितरण – जहां निष्पादक या प्रशासक ने लेनदारों या अन्य व्यक्तियों को मृतक की संपदा के प्रति अपने दावे उसे भेजने के लिए ऐसी सूचनाएं दी हैं जैसी उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा विहित करे, वहां वह, दावे को भेजने के लिए उसमें नामित समय के अवसान पर, ऐसे विधिपूर्ण दावों पर, जिन्हें वह जानता हो, चुकाने के लिए आस्तियों या उसके किसी भाग का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार वितरित आस्तियों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जिसके दावों की उसे ऐसे वितरण के समय सूचना नहीं थी;

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी लेनदार या दावेदार के उस व्यक्ति के हाथों में की आस्तियों या उसके किसी भाग का, जिसमें उसे प्राप्त किया है, पीछा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

350. लेनदार इच्छापत्रदार से प्रतिदाय की मांग कर सकेगा – ऐसा लेनदार, जिसने अपने ऋण का संदाय प्राप्त नहीं किया है, ऐसे इच्छापत्रदार से, जिसने अपनी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय प्राप्त कर लिया है, प्रतिदाय करने की मांग कर सकेगा चाहे इच्छापत्रकर्ता की संपदा उसकी मृत्यु के समय ऋणों और इच्छापत्रीय संपदाओं, दोनों का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या नहीं; और चाहे निष्पादक या प्रशासक द्वारा इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय स्वैच्छिक रहा हो या नहीं।

351. ऐसा इच्छापत्रदार, जिसकी तुष्टि नहीं हुई है या जिसे धारा 350 के अधीन

प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, उस इच्छापत्रदार को, जिसे पूर्ण संदाय किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए कब बाध्य नहीं कर सकता है – यदि आस्तियां इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय सभी इच्छापत्रीय संपदा ओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त थीं तो ऐसा इच्छापत्रदार, जिसने अपनी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है या जिसे धारा 350 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने पूर्ण संदाय प्राप्त किया है, चाहे इच्छापत्रीय संपदा का संदाय उसे वाद के साथ या वाद बिना किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा, यद्यपि आस्तियां निष्पादक द्वारा दुर्व्यय के कारण बाद में कम पड़ गई हैं।

352. अतुष्ट इच्छापत्रदार को निष्पादक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कब कार्यवाही करनी चाहिए – यदि आस्तियां इच्छापत्रकर्ता की मृत्यु के समय सभी इच्छापत्रीय संपदा ओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं थीं तो ऐसे इच्छापत्रदार को, जिसने अपनी इच्छापत्रीय संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है, प्रतिदाय के लिए ऐसे इच्छापत्रदार से मांग करने के पूर्व, जिसकी तुष्टि की गई है, निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध, यदि वह ऋण शोधक्षम है, पहले कार्यवाही करनी चाहिए, किन्तु यदि निष्पादक या प्रशासक दिवालिया है या संदाय करने के लिए दायी नहीं है तो अतुष्ट इच्छापत्रदार प्रत्येक तुष्ट इच्छापत्रदार को आनुपातिक रूप से प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है।

353. एक इच्छापत्रदार की दूसरे इच्छापत्रदार को प्रतिदाय करने की सीमा – एक इच्छापत्रदार से दूसरे इच्छापत्रदार को प्रतिदाय उस धनराशि से अधिक नहीं होगा जितनी तुष्ट इच्छापत्रीय संपदा में से कम की जाती यदि संपदा का उचित प्रशासन किया गया होता।

दृष्टांत

क ने ख को 24,000 रुपए की, ग को 48,000 रुपए की और घ को 72,000 रुपए का उत्तरदान किया है। आस्तियां केवल 1,20,000 रुपए हैं और यदि इच्छापत्र उचित ढंग से प्रशासित होता तो ख को 20,000 रुपए, ग को 40,000 रुपए और घ को 60,000 रुपए मिलेंगे। ग और घ को उनकी इच्छापत्रीय संपदा पूर्ण रूप से संदत्त की गई है, ख के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। ख, ग को 8,000 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए और घ को 12,000 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है।

354. प्रतिदाय पर ब्याज का न होना – प्रतिदाय सभी मामलों में ब्याज के बिना होगा।

355. अवशेष का प्रायिक संदायों के पश्चात् अवशिष्ट इच्छापत्रदार को संदत्त किया जाना – मृतक की संपदा के अधिशेष या अवशेष को, ऋणों और इच्छापत्रीय संपदाओं का संदाय करने के पश्चात् अवशिष्ट इच्छापत्रदार को, यदि इच्छापत्र द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो, संदत्त किया जाएगा।

356. अधिवास के देश के निष्पादक या प्रशासक को भारत से आस्तियों का वितरण के लिए अंतरण – जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत, का अधिवासी नहीं है, भारत में और उस देश में, जहां का वह अपनी मृत्यु के समय अधिवासी था, दोनों में, आस्तियां छोड़कर मर गया है और भारत में उसकी आस्तियों के संबंध में भारत में प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का अनुदान और अधिवास के देश में की आस्तियों के संबंध में उस देश में प्रशासन–पत्र का अनुदान किया गया है, वहां भारत का, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक ऐसी सूचनाएं देकर, जैसा धारा 349 में वर्णित है, और ऐसे विधिपूर्ण दावों को, जिन्हें वह जानता है, उनमें नामित समय के अवसान पर चुकाने के पश्चात् मृतक की संपदा के किसी अधिशेष या अवशेष को भारत के बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो उनके लिए अधिकारी है; स्वयं वितरण करने के स्थान पर, अधिशेष या अवशेष को, अधिवास के देश के, यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक की अनुमति से उसे, उन व्यक्तियों को वितरण करने के लिए अन्तरित कर सकेगा।

विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व

357. विध्वंस के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व – जहां कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा का दुरुपयोजन करता है या उसे हानि या क्षति पहुंचाता है वहां वह इस प्रकार हुई हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

दृष्टांत

(i) *निष्पादक संपदा में से निराधार दावे का संदाय करता है, वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।*

(ii) *मृतक के पास एक मूल्यवान पट्टा था जिसका नवीकरण सूचना देकर किया जा सकता था, निष्पादक समुचित समय पर सूचना देने में उपेक्षा करता है, निष्पादक हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।*

(iii) *मृतक के पास एक पट्टा था, जो उसके लिए संदेय भाटक से कम मूल्य का था किन्तु जो किसी विशिष्ट समय पर सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता था। निष्पादक सूचना देने में उपेक्षा करता है। वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।*

358. संपदा का कोई भाग लेने में उपेक्षा के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व – जहां निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा का कोई भाग अपने भारसाधन में लेने में उपेक्षा करके, संपदा की हानि करता है वहां वह उस धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

दृष्टांत

(i) *निष्पादक किसी ऋण शोधक्षम व्यक्ति से मृतक को देय कोई ऋण पूर्णतः छोड़ देता है या ऐसे ऋणी से, जो पूर्णतः संदाय करने में समर्थ है, प्रशमन करता है। निष्पादक उस धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।*

(ii) *निष्पादक किसी ऋण के लिए उस समय तक दावा करने में उपेक्षा करता है जब तक ऋणी यह अभिवाक् करने में समर्थ हो जाता है कि दावा परिसीमा से वर्जित है और उसके द्वारा उस संपदा का वह ऋण डूब जाता है। निष्पादक उस धनराशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।*

अध्याय – 6

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

359. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय – वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर से निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की संपदा का कोई भाग पाया जाता है इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।

360. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन –

(1) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा, वादी द्वारा या उसके निमित्त किसी वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए, विहित रीति से आवेदक द्वारा या उसके निमित्त हस्ताक्षरित और सत्यापित याचिका द्वारा जिला न्यायाधीश को किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् –

(क) मृतक की मृत्यु का समय;

(ख) मृतक का उसकी मृत्यु के समय मामूली निवास स्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की, जिसे आवेदन किया गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था तब उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपदा;

(ग) मृतक का कुटुम्ब या निकट नातेदार और उनके निवास स्थान;

(घ) वह अधिकार, जिस पर याचिकाकर्ता दावा करता है;

(ङ) प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधिमान्यता के लिए इस भाग के अधीन या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अड़चन का अभाव; और

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियां जिनके संबंध में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है।

(2) यदि याचिका में ऐसा कोई प्राक्कथन है जिसके, उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को, मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 198 के अधीन अपराध किया है।

(3) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन मृत लेनदार को देय किसी ऋण या किन्हीं ऋणों के संबंध में या उनके प्रभागों के संबंध में दिया जा सकेगा।

361. आवेदन पर प्रक्रिया –

(1) यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को ग्रहण करने के लिए आधार है तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा और आवेदन की और उसकी सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना –

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा जिसे न्यायाधीश की राय में, आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए; और

(ख) न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाएगा और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, प्रकाशित कराएगा जैसा न्यायाधीश, इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ठीक समझे, और नियत दिन को या उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रमाणपत्र के अधिकार का संक्षिप्त रीति से विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) जब न्यायाधीश यह विनिश्चय करता है कि उसके लिए आवेदक को अधिकार है तो न्यायाधीश उसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आदेश देगा।

(3) यदि न्यायाधीश ऐसी विधि या तथ्य के प्रश्नों का अवधारण किए बिना, जो संक्षिप्त कार्यवाहियों में अवधारण के लिए अधिक जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, प्रमाणपत्र के अधिकार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तो भी यदि आवेदक प्रमाणपत्र के लिए प्रथमदृष्ट्या सर्वोत्तम अधिकार रखने वाला प्रतीत होता है तो वह उसे प्रमाणपत्र का अनुदान कर सकेगा।

(4) जब प्रमाणपत्र के लिए एक से अधिक आवेदक हैं और न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि ऐसे आवेदकों में से एक से अधिक मृतक की संपदा में हितबद्ध हैं तब न्यायाधीश, यह विनिश्चित करने में कि प्रमाणपत्र किसे दिया जाए, आवेदकों के हितों के विस्तार का और अन्य बातों में उनकी उपयुक्तता का ध्यान रख सकेगा।

362. प्रमाणपत्र की विषयवस्तु – जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाण पत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा जो प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित हैं और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी –

(क) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या

(ख) का परक्रामण या अन्तरण करने, या

(ग) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने और उनका परक्रामण, या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए, सशक्त कर सकेगा।

363. प्रमाणपत्र के प्राप्तिकर्ता से प्रतिभूति की अध्यपेक्षा –

(1) जिला न्यायाधीश ऐसे किसी मामले में जिसमें वह धारा 361 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कार्यवाही करने की प्रस्थापना करता है, प्रमाणपत्र अनुदान करने की पुरोभाव्य शर्त के रूप में यह अध्यपेक्षा करेगा, और किसी अन्य मामले में यह अध्यपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति, जिसे वह अनुदान करने की प्रस्थापना करता है, उसके द्वारा प्राप्त ऋणों और प्रतिभूतियों का लेखा देने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के परित्राण के लिए जो उन सम्पूर्ण ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए या उसके किसी भाग के लिए अधिकारी हों, न्यायाधीश को एक या अधिक प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के सहित एक बंधपत्र या पर्याप्त प्रतिभूति दे।

(2) न्यायाधीश याचिका द्वारा आवेदन किए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित किए जाने पर और प्रतिभूति के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करके कि प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा संदत्त किया जाए, जो वह ठीक समझे, बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति को किसी समुचित व्यक्ति को समनुदिष्ट कर सकेगा और वह व्यक्ति तत्पश्चात् उस पर स्वयं अपने नाम से वैसे ही वाद लाने के लिए मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर स्वयं उसे ही मूल रूप से दी गई हो, और सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए न्यासी के रूप में ऐसी धनराशि, जो उसके अधीन प्रत्युद्धरणीय हो, प्रत्युद्धृत करने के लिए अधिकारी होगा।

364. प्रमाणपत्र का विस्तार –

(1) जिला न्यायाधीश इस अध्याय के अधीन प्रमाण पत्र के धारक के आवेदन पर प्रमाण पत्र का विस्तार ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति के लिए कर सकेगा जो उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट नहीं है और ऐसे प्रत्येक विस्तार का वही प्रभाव होगा मानों वह ऋण या प्रतिभूति, जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तार किया गया है, उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट हो।

(2) प्रमाणपत्र के विस्तार पर, ऐसी किसी प्रतिभूति पर, जिसके लिए प्रमाणपत्र का

विस्तार किया गया है, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या उसका परक्रामण या अन्तरण करने के संबंध में शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी और धारा 363 में वर्णित प्रयोजनों के लिए बन्धपत्र या और बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति की उसी रीति से अपेक्षा की जा सकेगी जैसी प्रमाणपत्र के मूल अनुदान पर अपेक्षित है।

365. प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र का प्रपत्र – प्रमाणपत्रों का अनुदान और प्रमाणपत्रों का विस्तार परिस्थितियों में यथासंभव अनुसूची–7 में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

366. प्रतिभूतियों के बारे में शक्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र का संशोधन – जहां किसी जिला न्यायाधीश ने, प्रमाणपत्र के धारक को प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के संबंध में कोई शक्ति प्रदान नहीं की है या उसे प्रतिभूति पर केवल ब्याज या लाभांश लेने या उसका परक्रामण या अन्तरण करने के लिए सशक्त किया है वहां न्यायाधीश, याचिका द्वारा आवेदन दिए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में कारण दर्शित किए जाने पर, धारा 362 में वर्णित किसी शक्ति को प्रदत्त करते हुए या उन शक्तियों में से किसी एक शक्ति को किसी अन्य शक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए, प्रमाणपत्र में संशोधन कर सकेगा।

367. प्रमाणपत्रों पर न्यायालय के शुल्क का संग्रहण करने का ढंग –

(1) प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र के विस्तार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, आवेदित प्रमाणपत्र या विस्तार के संबंध में न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन संदेय शुल्क के समतुल्य राशि जमा की जाएगी।

(2) यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है तो आवेदक द्वारा जमा राशि को पूर्वोक्त रूप में संदेय शुल्क के द्योतन के लिए स्टाम्प का क्रय करने में, न्यायाधीश के निर्देशाधीन व्यय किया जाएगा।

(3) ऐसी कोई राशि, जो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त की गई है और उपधारा (2) के अधीन व्यय नहीं की गई है, उस व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाएगी जिसने वह जमा की है।

368. प्रमाणपत्र का स्थानीय विस्तार – इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र का प्रभाव संपूर्ण भारत पर होगा।

369. प्रमाणपत्र का प्रभाव – इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश का प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में उन व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चायक होगा जो ऐसे ऋणों के देनदार या ऐसी प्रतिभूतियों पर दायी हैं, ऐसे

सभी व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, ऐसे ऋणों के संबंध में सद्भाविक रूप से किए गए सभी संदायों या उसके साथ प्रतिभूतियों के संबंध में किए गए सभी व्यवहारों के संबंध में पूर्ण परित्राण प्रदान करेगा।

370. **प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण** – इस अध्याय के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिसंहृत किया जा सकेगा –

(क) प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारतः त्रुटिपूर्ण थीं;

(ख) प्रमाणपत्र असत्य का सुझाव देकर या मामले के लिए किसी तात्त्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था;

(ग) प्रमाणपत्र उसके अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था यद्यपि ऐसे अभिकथन को अनभिज्ञता या अनवधानता पूर्वक किया गया था;

(घ) प्रमाणपत्र परिस्थितियों के कारण अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है;

(ङ) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रतिभूतियों को समाविष्ट करने वाले भंडार के संबंध में किसी वाद या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई न्यायिक आदेश या आदेश के कारण प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत्त कर दिया जाना उचित हो गया है।

371. अपीलें –

(1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र को अनुदत्त, अस्वीकार या प्रतिसंहृत करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील उच्च न्यायालय को की जाएगी और उच्च न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, अपील में आदेश द्वारा उस व्यक्ति की घोषणा कर सकेगा जिसे प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अनुदान का आवेदन किए जाने पर पहले से अनुदत्त प्रमाणपत्र को, यदि कोई हो, अधिक्रांत करते हुए तदनुसार प्रमाणपत्र अनुदत्त करे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन अपील के लिए अनुज्ञात समय के भीतर की जानी चाहिए।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों के और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 141 द्वारा यथा लागू उस संहिता के, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण के और निर्णयों के पुनर्विलोकन के संबंध में, उपबन्धों के

अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

372. पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव – इस भाग द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मृत व्यक्ति के किसी भंडार के संबंध में इसके अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र अविधिमान्य होगा यदि मृत्त व्यक्ति की संपदा के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र या प्रोबेट या प्रशासन–पत्र का कोई पूर्व अनुदान किया गया है और यदि ऐसा पूर्व अनुदान प्रवृत्त है।

373. अविधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक को सद्भाव से किए गए कतिपय संदायों का विधिमान्यकरण – जहां इस अध्याय के अधीन कोई प्रमाणपत्र अधिक्रांत कर दिया गया है या धारा 370 के अधीन प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर दिए जाने के कारण या धारा 371 के अधीन किसी अपीली आदेश में नामित व्यक्ति को प्रमाणपत्र का अनुदान करने के कारण वा प्रमाणपत्र के पूर्ववर्ती अनुदान के कारण या किसी अन्य कारण से अविधिमान्य है वहां उस अधिक्रमण या अविधिमान्यता को अनभिज्ञता में ऐसे अधिक्रांत या अविधिमान्य प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्रों के धारक को किए गए सभी संदाय या उसके साथ किए गए संव्यवहार किसी अन्य प्रमाणपत्र के अधीन दावों की प्रति मान्य होंगे।

374. इस अध्याय के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व – किन्हीं पक्षकारों के बीच अधिकार के किसी प्रश्न पर इस अध्याय के अधीन कोई विनिश्चय उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी वाद या किसी अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के विचारण को पारित करने वाला नहीं माना जाएगा और इस अध्याय की किसी बात का इस प्रकार अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी ऋण या प्रतिभूति का संपूर्ण या उसका कोई भाग या किसी प्रतिभूति पर कोई ब्याज या लाभांश प्राप्त करता है, उसके लिए विधिपूर्ण रीति से अधिकारी व्यक्ति को उसका लेखा–जोखा देने के दायित्त्व पर प्रभाव डालता है।

375. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालयों की अधिकारिता अवर न्यायालय को प्रदान करना –

(1) राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन जिला न्यायाधीश के कृत्यों का प्रयोग करने की शक्ति जिला न्यायाधीश की श्रेणी से अवर श्रेणी के किसी न्यायालय को, उत्तराखण्ड के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदान कर सकेगी।

(2) इस प्रकार शक्ति प्राप्त अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इस अध्याय द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने में जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी और

जिला न्यायाधीश से संबंधित इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे अवर न्यायालय को वैसे ही लागू होंगे मानो वह जिला न्यायाधीश हो;

परन्तु किसी अवर न्यायालय के किसी ऐसे आदेश से, जैसा धारा 371 की उपधारा (1) में वर्णित है कोई अपील जिला न्यायाधीश को की जाएगी न कि उच्च न्यायालय को और जिला न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे अपील पर अपने आदेश द्वारा कोई ऐसी घोषणा या ऐसा निर्देश कर सकेगा जैसा उस उपधारा में जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील पर उच्च न्यायालय को अपने आदेश द्वारा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(3) अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन, अवर न्यायालय के आदेश से अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण के संबंध में या निर्णयों के पुनर्विलोकन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उस संहिता की धारा 141 द्वारा लागू हैं, अंतिम होगा।

(4) जिला न्यायाधीश इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही को अवर न्यायालय से प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे या तो स्वयं निपटा सकेगा या जिला न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित ऐसे किसी अन्य न्यायालय को, जिसके पास उन कार्यवाहियों को निपटाने का प्राधिकार हो, अन्तरित कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अवर न्यायालय को विशेष रूप से या ऐसे न्यायालयों के किसी वर्ग को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(6) कोई सिविल न्यायालय, जो किसी अधिनियमिति के किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ है या उसके नियंत्रणाधीन है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश के ग्रेड से अवर ग्रेड का न्यायालय माना जाएगा ।

376. अधिक्रांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण –

(1) जब इस अध्याय के अधीन कोई प्रमाणपत्र, धारा 373 में वर्णित किन्हीं कारणों से अधिक्रांत कर दिया गया है या अविधिमान्य है तब उसका धारक, अनुदत्त करने वाले न्यायालय की अध्यपेक्षा पर, प्रमाणपत्र उस न्यायालय को परिदत्त करेगा।

(2) यदि वह जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसे परिदत्त नहीं करता है तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अध्याय – 7

प्रकीर्ण

377. व्यावृत्ति – इस भाग के अध्याय–2 में की कोई बात इच्छापत्रकर्ता को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी –

(क) ऐसी संपदा का उत्तरदान करना जिसे वह अपने जीवनकाल में अंतरित नहीं कर सकता था;

(ख) किसी व्यक्ति को भरण–पोषण के किसी अधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसे वह अन्यथा इच्छापत्र द्वारा रोक पाती।

भाग–3

सहवासी संबंध

378. सहवासी संबंध के सहवासियों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण –

(1) राज्य के भीतर सहवासी संबंध में रहने वाले सहवासियों को, चाहे वे उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं, धारा 381 के उपधारा (1) के अधीन सहवासी संबंध का कथन उस निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके अधिकारिता क्षेत्र में वे इस प्रकार के संबंध में रह रहें हों।

(2) राज्य के क्षेत्र के बाहर सहवासी संबंध में रहने वाला उत्तराखंड का कोई भी निवासी, धारा 381 के उपधारा (1) के अधीन सहवासी संबंध का कथन उस निबंधक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिकारिता क्षेत्र में वह राज्य में सामान्यतः निवास करता हो।

379. सहवासी संबंध से जनित बच्चे – सहवासी संबंध से जनित कोई भी बच्चा सहवासी युगल का वैध बच्चा होगा।

380. सहवासी संबंध का पंजीकरण न किया जाना – दो व्यक्तियों के बीच सहवासी संबंध पंजीकृत नहीं किया जाएगा –

(1) जहां सहवासी धारा 3 के उपधारा (1) के खंड (घ) की परिभाषा के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध संबंध की डिग्री के भीतर हों:

परन्तु कि प्रतिषेध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनकी रूढ़ि और प्रथा उनके विवाह की अनुमति देते हों;

परन्तु यह और कि ऐसी रूढ़ि और प्रथा लोकनीति और नैतिकता के विपरीत न हों; या

(2) जहां कम से कम एक व्यक्ति विवाहित हो या पहले से ही सहवासी संबंध में हो; या

(3) जहां कम से कम एक व्यक्ति अवयस्क हो; या

(4) जहां किसी एक सहवासी की सम्मति बलपूर्वक, प्रपीड़न से, अनुचित प्रभाव अथवा दूसरे सहवासी द्वारा किसी भी तथ्य या परिस्थिति के बारे में मिथ्या

निरूपण या धोखाधड़ी, जिसमें उसकी पहचान भी सम्मिलित है, द्वारा प्राप्त की गई हो।

381. सहवासी संबंध के पंजीकरण की प्रक्रिया –

(1) सहवासी संबंध में रह रहे, या सहवासी संबंध में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, सहवासी संबंध का कथन संबंधित निबंधक को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करेंगे।

(2) उक्तानुसार प्रस्तुत सहवासी संबंध के कथन में उल्लिखित तथ्यों की सरसरी जांच कर निबंधक इस बात का समाधान करेगा कि सहवासी संबंध उस प्रकार का नहीं है जैसा कि धारा 380 के अन्तर्गत उल्लिखित है।

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत सरसरी जांच करते समय, निबंधक सत्यापन के लिए सहवासियों/व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया से बुला सकता है और यदि आवश्यक हो तो सहवासियों/व्यक्तियों से अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।

(4) उचित सरसरी जांच करने के बाद, निबंधक, उपधारा (1) के अन्तर्गत सहवासी संबंध के कथन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, या तो –

(क) ऐसे कथन की प्रविष्टि सहवासी संबंध को पंजीकृत करने के लिए निर्धारित पंजिका में करेगा, और सहवासियों/व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा; या

(ख) ऐसे कथन को पंजीकृत करने से अस्वीकार करेगा एवं ऐसी स्थिति में निबंधक सहवासियों/व्यक्तियों को अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में सूचित करेगा।

382. इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण मात्र अभिलेख हेतु – धारा 381 की उपधारा (4) के खंड (क) के अन्तर्गत सहवासी संबंध का पंजीकरण मात्र अभिलेखीय प्रयोजनों के लिए होगा।

383. इस भाग के अन्तर्गत निबंधक को अधिकारयुक्त करना, और पंजिकाओं का रखरखाव –

(1) राज्य सरकार, उत्तराखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भाग–1 के अन्तर्गत नियुक्त निबंधक को इस भाग के अन्तर्गत निबंधक के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान कर सकती है।

(2) निबंधक सहवासी संबंधों के कथनों और सहवासी संबंधों की समाप्ति के कथनों की पंजिकाएं और ऐसी अन्य पंजिकाएं निर्धारित रूप में तथा निर्धारित तरीके से संधारित करेगा।

384. सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्रस्तुत करना – सहवासी संबंध के दोनों सहवासी, या उनमें से कोई एक, ऐसे संबंध को समाप्त कर सकता है और निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से उस निबंधक के समक्ष समाप्ति का कथन प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अधिकारिता क्षेत्र में ऐसे सहवासी सामान्यतः निवास करते हों, तथा केवल एक सहवासी द्वारा संबंध समाप्त किये जाने की दशा में कथन की प्रतिलिपि दूसरे सहवासी को उपलब्ध कराएगा।

385. निबंधक के कर्तव्य –

(1) धारा 381 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत सहवासी संबंध का कोई भी कथन निबंधक अभिलेखीय प्रयोजन हेतु स्थानीय थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा, और यदि सहवासियों में से कोई भी इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, तो ऐसे सहवासी के माता–पिता/अभिभावकों को भी सूचित करेगा।

(2) यदि निबंधक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सहवासी संबंध उस प्रकार का है जैसा कि धारा 380 के अन्तर्गत उल्लिखित है, या कि धारा 381 के उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कथन में अर्तनिहित बातें गलत या संदिग्ध हैं, तो वह उचित कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) सहवासी संबंध के एक सहवासी द्वारा धारा 384 के अन्तर्गत समाप्ति का कथन प्रस्तुत किये जाने पर, निबंधक दूसरे सहवासी को ऐसे कथन के बारे में सूचित करेगा, और यदि दोनों में से किसी एक की आयु इक्कीस वर्ष से कम हो, तो ऐसे सहवासी के माता–पिता/अभिभावकों को भी सूचित करेगा।

386. सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु नोटिस – यदि सहवासी संबंध का कोई भी सहवासी ऐसे संबंध का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहा हो, तो निबंधक, स्वयं की प्रेरणा से या इस संबंध में शिकायत या जानकारी प्राप्त होने पर, नोटिस द्वारा ऐसे सहवासियों से नोटिस प्राप्ति की तिथि के तीस दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। ऐसा कथन प्रस्तुत किए जाने पर, निबंधक पूर्ववर्ती प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

387. अपराध एवं दण्ड –

(1) जो कोई भी व्यक्ति सहवासी संबंध में प्रवेश की तिथि से एक माह से अधिक समय

तक ऐसे संबंध में रहते हुए धारा 381 के उपधारा (1) के अन्तर्गत सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत नहीं करता है, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर तीन माह तक के कारावास या दस हजार रुपये तक की शास्ति या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति धारा 381 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत सहवासी संबंध के कथन में कोई ऐसा दावा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने अथवा मिथ्या होने के कारण की जानकारी उसे है या वह ऐसी सामग्री को छुपाता है जो निबंधक के इस निर्णय को प्रभावित करते हों कि सहवासी संबंध को पंजीकृत किया जाए अथवा पंजीकरण अस्वीकार किया जाए, उसे तीन माह तक के कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(3) सहवासी संबंध में रहने वाला कोई भी सहवासी, जो धारा 386 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अपेक्षा किए जाने पर सहवासी संबंध का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर उसे छः माह तक के कारावास या पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति या दोनों से दंडित किया जायेगा।

388. **भरण–पोषण** – यदि कोई महिला अपने पुरूष सहवासी साथी द्वारा अभित्यक्त कर दी जाती है तो उसे अधिकार होगा कि वह भरण–पोषण की मांग करते हुए उस न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे जिसके अधिकारिता क्षेत्र में उन्होंने अन्तिम बार साथ में निवास किया था तथा ऐसे मामलों में इस संहिता के भाग 1 के अध्याय 5 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

389. **नियम बनाने की शक्ति** – राज्य सरकार, उत्तराखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम बना सकती है।

भाग–4

विविध

390. निरसन एवं व्यावृत्तियां –

1. इस संहिता की धारा 2 के अधीन रहते हुए कोई भी विधि (अधिनियमित या अन्यथा) रूढ़ि, परम्परा या प्रथा जो इस संहिता में उल्लिखित विषयों से संबंधित हों और जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व राज्य में लागू रहे हों, राज्य की सीमान्तर्गत उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जायेंगी जहां तक वे इस संहिता में निहित प्रावधानों से असंगत हों।

2. इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी प्रावधान, संहिता के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू किसी विधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले, संहिता से आच्छादित विषयवस्तु संबंधी किसी अधिकार, उत्तरदायित्व या दायित्व या प्रारम्भ की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और इस प्रकार की कार्यवाहियां विधि (अधिनियमित या अन्यथा), रूढ़ि, परम्परा या प्रथा के अनुसार आगे चलती रहेंगी।

3. किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

391. नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार, उत्तराखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) उपर्युक्त शक्ति की सर्व–साधारणता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी विषयों के लिए प्रावधान कर सकते हैं –

(क) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिस्टम की स्थापना के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाना, और निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से पक्षकारों को निवेदन और आवेदन करने की सुविधा देना; और

(ख) विवाहों के पंजीकरण की सुगमता व प्रोत्साहन, जिसमें सरकार प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता सम्मिलित है; और

(ग) अन्य कोई विषय जिसे नियमों के अन्तर्गत विहित या प्रावधानित किया जा सकता हो या किया जाना आवश्यक हो।

392. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति –

(1) यदि इस संहिता के उपबंधों को कार्यन्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस संहिता के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

प्रथम अनुसूची
धारा 3 (1)(ख) देखिए
प्रतिषिद्ध नातेदारियों की सूचियां

सूची 1

1. माता।
2. पिता की विधवा (सौतेली माता)।
3. माता की माता।
4. माता के पिता की विधवा (सौतेली नानी)।
5. माता की माता की माता।
6. माता की माता के पिता की विधवा (सौतेली परनानी)।
7. माता के पिता की माता।
8. माता के पिता के पिता की विधवा (सौतेली परनानी)।
9. पिता की माता।
10. पिता के पिता की विधवा (सौतेली दादी)।
11. पिता की माता की माता।
12. पिता की माता के पिता की विधवा (सौतेली परनानी)।
13. पिता के पिता की माता।
14. पिता के पिता के पिता की विधवा (सौतेली परदादी)।
15. पुत्री।
16. पुत्र की विधवा।
17. पुत्री की पुत्री।
18. पुत्री के पुत्र की विधवा।
19. पुत्र की पुत्री।
20. पुत्र के पुत्र की विधवा।
21. पुत्री की पुत्री की पुत्री।
22. पुत्री की पुत्री के पुत्र की विधवा।
23. पुत्री के पुत्र की पुत्री।
24. पुत्री के पुत्र के पुत्र की विधवा।
25. पुत्र की पुत्री की पुत्री।
26. पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा।

27. पुत्र के पुत्र की पुत्री।
28. पुत्र के पुत्र के पुत्र की विधवा।
29. बहन।
30. बहन की पुत्री।
31. भाई की पुत्री।
32. माता की बहन।
33. पिता की बहन।
34. पिता के भाई की पुत्री।
35. पिता की बहन की पुत्री।
36. माता की बहन की पुत्री।
37. माता के भाई की पुत्री।

स्पष्टीकरण – इस भाग के प्रयोजनों के लिए, पद "विधवा" में तलाकशुदा पत्नी भी सम्मिलित है।

सूची – 2

1. पिता।
2. माता का पति (सौतेला पिता)।
3. पिता के पिता।
4. पिता की माता का पति (सौतेला दादा)।
5. पिता के पिता का पिता।
6. पिता के पिता की माता के पति (सौतेला परदादा)।
7. पिता की माता का पिता।
8. पिता की माता की माता का पति (सौतेला परनाना)।
9. माता के पिता।
10. माता की माता का पति (सौतेला नाना)।
11. माता के पिता का पिता।
12. माता के पिता की माता का पति (सौतेला परनाना)।
13. माता की माता का पिता।
14. माता की माता की माता का पति (सौतेला परनाना)।
15. पुत्र।
16. पुत्र का पति।
17. पुत्री का पुत्र।

18. पुत्र की पुत्री का पति।
19. पुत्री का पुत्र।
20. पुत्री की पुत्री का पति।
21. पुत्र का पुत्र का पुत्र।
22. पुत्र का पुत्र की पुत्री का पति।
23. पुत्र की पुत्री का पुत्र।
24. पुत्र की पुत्री की पुत्री का पति।
25. पुत्री के पुत्र का पुत्र।
26. पुत्री के पुत्र के पुत्री का पति।
27. पुत्री की पुत्री का पुत्र।
28. पुत्री की पुत्री की पुत्री का पति।
29. भाई।
30. भाई का पुत्र।
31. बहन का पुत्र।
32. माता का भाई।
33. पिता का भाई।
34. पिता के भाई का पुत्र।
35. पिता की बहन का पुत्र।
36. माता की बहन का पुत्र।
37. माता के भाई का पुत्र।

स्पष्टीकरण – इस भाग के प्रयोजनों के लिए, पद "पति" में तलाकशुदा पति भी सम्मिलित है।

अनुसूची – 2
(धारा 49 देखिए)
उत्तराधिकारियों की सूचियां

श्रेणी–1

1. पुत्र
2. पुत्री
3. विधवा
4. माता व पिता
5. पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
6. पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
7. पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
8. पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
9. पूर्व मृत पुत्र की विधवा
10. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
11. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
12. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा
13. पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
14. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
15. पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
16. पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
17. पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
18. पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री

श्रेणी – 2

प्रविष्टि I.	(1) भाई.
	(2) बहन
प्रविष्टि II.	(1) भाई का पुत्र
	(2) बहन का पुत्र।
	(3) भाई की पुत्री।
	(4) बहन की पुत्री।
प्रविष्टि III.	(1) पिता के पिता।
	(2) पिता की माता।
प्रविष्टि IV.	(1) पिता की विधवा (सौतेली माता)।
	(2) भाई की विधवा।
प्रविष्टि V.	(1) पिता का भाई.
	(2) पिता की बहन।
प्रवेश VI.	(1) माता के पिता।
	(2) माता की माता ।
प्रवेश VII.	(1) माता का भाई।
	(2) माता की बहन।

अनुसूची – 3
[धारा 265(2) देखिए]
प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं, क० ख०..... उच्च न्यायालय (या जो स्थिति है वह लिखिए) का रजिस्ट्रार (या जो स्थिति है वह लिखिए) यह प्रमाणित करता हूं कि तिथि .... को उच्च न्यायालय (या जो स्थिति है वह लिखिए) ने मृतक ग०घ० की, जो .... का निवासी था इच्छापत्र के प्रोबेट (या संपदा के प्रशासन–पत्र) का अनुदान ड०च० जो..... का निवासी है को किया है, और ऐसे प्रोबेट (या प्रशासन–पत्र) का प्रभाव मृतक की भारत में सर्वत्र सभी संपत्ति पर है।

अनुसूची – 4
[धारा 275(4) देखिए]
केविएट का प्रपत्र

मृतक क० ख०..... का निवासी है, और उसकी मृत्यु तिथि ..... को हुई थी, उसकी संपदा के विषय में कोई भी बात ग०घ० को, जो ..... का निवासी है, सूचना दिए बिना न की जाए।

अनुसूची – 5
[धारा 280 देखिए]
प्रोबेट का प्रपत्र

मैं..... जो .....जिले का न्यायाधीश रहा (यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की प्रोबेट या प्रशासन–पत्र के अनुदान के लिए नियुक्त प्रतिनिधि, यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की सीमाएं लिखिऐ) हूँ, यह सर्वविदित करता हूं कि मृतक .....की, जो ..... का निवासी था, अन्तिम इच्छापत्र, जिसकी एक प्रति इसके साथ उपावद्ध है, मेरे समक्ष साबित और रजिस्टर की गई थी और यह कि मृतक और उसके इच्छापत्र से किसी भी प्रकार संबंधित संपत्ति और पावनों के प्रशासन का अनुदान उस इच्छापत्र में नामित निष्पादक.....को, उसके द्वारा यह वचनवद्ध किए जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तिथि से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय–समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा तथा उसी तिथि से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय–समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा।

अनुसूची – 6
[धारा 281 देखिए]
प्रशासन पत्र का प्रपत्र

मैं.....जो.....जिले का न्यायाधीश (या प्रोवेट या प्रशासन–पत्र के अनुदान के लिए, नियुक्त प्रतिनिधि यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की सीमाएं लिखिए), हूँ, यह सर्वविदित करता हूँ कि मृतक की, जो ..... का निवासी था, सपंदा और पावनों के प्रशासन पत्र का (जिसके साथ इच्छापत्र उपावद्ध है/नहीं है) अनुदान मृतक के पिता (या जो स्थिति हो वह लिखिए) ..... को, उसके द्वारा यह वचनवद्ध किये जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तिथि से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय–समय पर नियत करे, उक्त सपंदा और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा तथा उसी तिथि से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय–समय पर नियत करे, उक्त सम्पत्ति और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा।

अनुसूची – 7
[धारा 365 देखिए]
प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र के प्रपत्र

..... (मृतक) के ए.बी. की संपदा के मामले में कुछ नहीं किया जाए, जिनकी मृत्यु ..... को हुई थी। दिन ..... बजे ..... सी.डी. को सूचना दिए बिना। का .....

कर्ज

क्रम संख्या	देनदार का नाम	प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तिथि पर व्याज सहित ऋण की राशि	लिखत का विवरण और तारीख, यदि कोई हो, जिसके द्वारा ऋण सुरक्षित किया गया है

प्रतिभूतियां

क्रम संख्या	विवरण			प्रमाण–पत्र के आवेदन की तिथि के समय प्रतिभूति का बाजार मूल्य
	पहचान करने वाली संख्या या सुरक्षा–पत्र	नाम, शीर्षक या प्रतिभूति की श्रेणी	राशि या बराबर मूल्य की प्रतिभूति	

तदुसाार यह प्रमाणपत्र आप को अनुदत्त किया जाता है और यह प्रमाणपत्र उन ऋण के संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियां) (पर) (व्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है।

तारीख .....

जिला न्यायाधीश

..... का न्यायालय

क, ख, के मुझको किए गए तिथि ..... वाले आवेदन पर में इस प्रमाणपत्र का विस्तार निम्नलिखित ऋणों ओर प्रतिभूतियों पर करता हूँ, अर्थत –

कर्ज

क्रम संख्यांक	ऋणी का नाम	ऋण की धनराशि, प्रमाण–पत्र के आवेदन की तिथि से व्याज सहित	यदि ऋणी किसी लिखित द्वारा प्रतिभूत है तो उसका वर्णन और उसकी तिथि

प्रतिभूति

क्रम संख्या	विवरण			बाजार मूल्य सुरक्षा चालू है की तारीख आवेदन हेतु प्रमाणपत्र
	खास संख्या या इसका पत्र सुरक्षा	नाम, शीर्षक या सुरक्षा का वर्ग	राशि या बराबर का मूल्य सुरक्षा	

यह विस्तार क0ख0 को उन ऋणों का संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियों) (पर) (व्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (उनका पराक्रम करने के लिए) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है।

तिथि .....

जिला न्यायाधीश